विषय–सूची

वर्णन	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ / अभ्युक्तियाँ
प्राक्कथन		vii
अध्याय – I		
प्रस्तावना		
प्रतिवेदन के संबंध में	**1.1**	1
लेखापरीक्षित इकाइयों की विवरणी	**1.2**	1
लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार	**1.3**	2
लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन	**1.4**	3
महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ	**1.5**	3
कार्यक्रमों / गतिविधियों की निष्पादन लेखापरीक्षा एवं विभाग की एकीकृत लेखापरीक्षा	**1.5.1**	3
लेन–देनों की अनुपालन लेखापरीक्षा	**1.5.2**	6
लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की अनुक्रियाशीलता का अभाव	**1.6**	9
अध्याय – II		
निष्पादन लेखापरीक्षा		
ग्रामीण विकास विभाग		
इन्दिरा आवास योजना	**2.1**	13
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग		
आर्सेनिक, फ्लोराईड एवं लौह प्रदूषक निवारण कार्यक्रम	**2.2**	32
अध्याय – III		
संपादन लेखापरीक्षा		
नियमों का अवमानना	**3.1**	53
पथ निर्माण एवं ग्रामीण कार्य विभाग		
अलकतरे के कम उठाव तथा अनुपयोगित रहने से सरकार को हानि	**3.1.1**	53
जल संसाधन विभाग		
सरकार को हानि	**3.1.2**	54
औचित्य लेखापरीक्षा / आधिक्य / निरर्थक / अलाभकारी व्यय	**3.2**	57

वर्णन	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ / अभ्युक्तियाँ
पथ निर्माण विभाग		
कार्य का अनियमित भुगतान एवं मूल्य निष्प्रभावन पर अधिक भुगतान	**3.2.1**	57
निम्न विनिर्देशनों पर पथ कार्य का क्रियान्वयन	**3.2.2**	61
पथ कार्यों का अवमानक कार्यान्वयन	**3.2.3**	62
संविदा का अनियमित आवंटन एवं पथ कार्य पर निष्फल व्यय	**3.2.4**	64
पथ निर्माण एवं ग्रामीण कार्य विभाग		
दायित्व एवं लागत राशि की अवसूली के परिणामस्वरूप अतिरिक्त दायित्व का सृजन	**3.2.5**	65
जल संसाधन विभाग		
निविदा के अनियमित निरस्तीकरण के कारण अतिरिक्त भुगतान	**3.2.6**	67
स्वास्थ्य विभाग		
उच्चतर दर पर चिकित्सीय उपकरणों के क्रय से अतिरिक्त व्यय	**3.2.7**	68
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग		
अनियमित स्वीकृति एवं निरर्थक व्यय	**3.2.8**	69
अनियमित / परिहार्य / असमायोजित व्यय	**3.3**	70
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग		
सरचार्ज के भुगतान के परिणामस्वरूप परिहार्य व्यय	**3.3.1**	71
भवन निर्माण, पर्यावरण एवं वन, लघु जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य एवं जल संसाधन विभाग		
असमायोजित अग्रिम	**3.3.2**	72
जल संसाधन विभाग		
अनियमित व्यय	**3.3.3**	73
स्वास्थ्य विभाग		
दवाओं का अनियमित क्रय	**3.3.4**	74
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, लघु जल संसाधन, पथ निर्माण, जल संसाधन एवं ग्रामीण कार्य विभाग		
पाँच विभागों में श्रम–उपकर की वसूली नहीं करने के कारण दायित्व का सृजन	**3.3.5**	76

वर्णन		संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ / अभ्युक्तियाँ
मानव संसाधन विकास विभाग (उच्चतर शिक्षा)			
निधियों का दुरूपयोग		**3.3.6**	77
विश्वविद्यालय कर्मचारियों को अनियमित भुगतान		**3.3.7**	78
ग्रामीण विकास विभाग			
राज्य योजना निधियों का अनियमित अवरूधन		**3.3.8**	81
कृषि विभाग			
निधियों का अनियमित विचलन एवं अल्प उपयोग		**3.3.9**	82
निरीक्षण / नियमन में विफलता		**3.4**	84
स्वास्थ्य विभाग			
निष्क्रिय भवन तथा उपकरण		**3.4.1**	84
अध्याय – IV			
सरकारी विभाग की एकीकृत लेखापरीक्षा			
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग			
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की एकीकृत लेखापरीक्षा		**4.1**	87
परिशिष्ट			
1.1	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों / कंडिकाओं के वर्ष–वार विघटन दर्शाती विवरणी	**1.6.1**	109
1.2	कृत–कार्रवाई टिप्पणियों के असमर्पण संबंधी विभागवार ब्यौरे	**1.6.2**	111
1.3	लोक लेखा समिति को अनुशंसा पर की गयी कृत–कार्रवाई टिप्पणियों की वस्तुस्थिति	**1.6.3**	112
2.1	एक बी.पी.एल. संख्या पर एक से ज्यादा लाभार्थियों के भुगतान की विवरणी	**2.1.8.7**	113
2.2	बेलागंज मे लाभार्थियों को दूसरी किस्त के दुबारा भुगतान की विवरणी	**2.1.8.8**	114
2.3	अभिकरण के जल गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन संबंधी विवरणी	**2.2.7.2**	115
2.4	उन स्थानों की विवरणी जहाँ वर्ष 2009–11 के दौरान प्रभावित टोलों की प्राथमिकता तय किए बगैर निवारक योजनाएँ आरंभ की गयी	**2.2.7.2**	116
2.5	वर्ष 2006–11 के दौरान स.ग्रा.ज.आ.का. / रा.ग्रा.पे.ज.का. के सब–मिशन कार्यक्रम के लिए स्वीकृत योजनाएँ	**2.2.9, 2.2.9.1, 2.2.9.5 एवं 2.2.9.7**	118

वर्णन		संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ / अभ्युक्तियाँ
2.6	क्षेत्र परीक्षण किट की प्राप्ति, वितरण एवं ग्राम पंचायतों द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन सम्बंधी विवरणी	**2.2.10.2**	122
3.1	बभना–शकुराबाद–कुर्थ पथ में अलकतरे के मूल्य निष्प्रभावन पर हुए अतिरिक्त भुगतान को दर्शाती विवरणी	**3.2.1**	123
3.2	के.टी.टी.जी.–भाग–II पथ में दिए गए अधिक भुगतान को दर्शाती विवरणी	**3.2.1**	125
3.3	अवमानक पथ कार्य के कार्यन्वयन पर भुगतान दर्शाती विवरणी	**3.2.2**	127
3.4	दायित्व लागत उपबंध के तहत विश्लेषित निरसित संविदाओं के ब्यौरे	**3.2.5**	128
3.5	चंपारण तटबंध पर ईंट–सोलिंग कार्य का विवरण	**3.2.6**	130
3.6	दो महाविद्यालयों एवं एक अस्पताल में उच्चतर दरों पर किए गए क्रय का ब्यौरा	**3.2.7**	131
3.7	अप्रैल 2008 से मार्च 2011 की अवधि के दौरान ''पॉवर–फैक्टर'' की गिरावट से सरचार्ज के कारण हानि की विवरणी	**3.3.1**	133
3.8	असमायोजित अग्रिमों की विवरणी	**3.3.2**	134
3.9	असैनिक–शल्य–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रोहतास के अग्रिम और अनापूर्तित दवाओं की विवरणी	**3.3.4.1**	135
3.10	दवाओं के स्थानीय खरीद के कारण होने वाले अधिक भुगतान का ब्यौरा	**3.3.4.3**	136
3.11	श्रम–उपकर को दर्शाती विवरणी	**3.3.5**	137
3.12	विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रोत्साहन वेतन वृद्धि में अनियमित भुगतान की विवरणी	**3.3.7.1**	139
3.13	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा में अनाधिकृत निश्चित श्रेणी / प्रगति की विवरणी	**3.3.7.2**	140
3.14	पटना विश्वविद्यालय में अनियमित रूप से अंतरिम राहत प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की विवरणी	**3.3.7.3**	141
3.15	बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय में अनियमित रूप से अंतरिम राहत प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की विवरणी	**3.3.7.3**	142
3.16	मगध विश्वविद्यालय बोधगया में अनियमित रूप से अंतरिम राहत प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की विवरणी	**3.3.7.3**	143
3.17	प्रखंड भवन, परिसर आदि के निर्माणार्थ निधियों के अवरूधन की विवरणी	**3.3.8**	144
4.1	पशुपालन के लिए क्रियान्वित योजनाओं की सूची दर्शाती विवरणी	**4.1.1**	145
4.2	संगठनात्मक ढाँचा	**4.1.2**	146
4.3	वर्ष 2007–11 के दौरान बजट प्रावधान, व्यय एवं बचतें (योजना एवं गैर–योजनावार)	**4.1.8.1**	147

वर्णन		संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ / अभ्युक्तियाँ
4.4	केन्द्रीय प्रायोजित, केन्द्र योजना एवं राज्य योजनाओं के अधीन अनुदान, व्यय एवं प्रत्यर्पण की विवरणी	**4.1.9**	148
4.5	चूजा उत्पादन के लक्ष्यों एवं उपलब्धियों की विवरणी	**4.1.9.1**	149
4.6	कार्यरत पैथोलॉजिकल प्रयोगशालाओं की विवरणी	**4.1.9.9**	150
4.7	चिकित्सकों के बिना कार्यरत अस्पतालों में पदस्थापित कर्मियों के वेतन एवं भत्ते संबंधी विवरणी	**4.1.11.2**	151

प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

2. इस प्रतिवेदन के अध्याय I में लेखापरीक्षित इकाइयों के विवरण, लेखापरीक्षा का प्राधिकार, लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन तथा प्रारूप कंडिकाओं पर विभागों की प्रतिक्रियाओं को समाहित किया गया है। इस प्रतिवेदन में शामिल लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के मुख्याकर्षणों को भी इस अध्याय में शामिल किया गया है।

3. अध्याय II इंदिरा आवास योजना तथा आर्सेनिक, फ्लोराईड एवं लौह प्रदूषक निवारण कार्यक्रम के निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से संबंधित है। अध्याय III विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों, इत्यादि में लेन–देन की लेखापरीक्षा को शामिल करता है। अध्याय IV में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के एकीकृत लेखापरीक्षा पर टिप्पणियाँ शामिल हैं।

4. 31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे की जाँच से प्रकाश में आये मामलों पर लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

5. सांविधिक निगमों, समितियों तथा सरकारी कम्पनियों के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को शामिल करने वाले प्रतिवेदन एवं राजस्व प्राप्तियों पर प्रेक्षणों को समाहित करने वाले प्रतिवेदन को अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

6. प्रतिवेदन में वैसे मामले भी शामिल हैं जिन्हें वर्ष 2010–11 के दौरान लेखाओं के नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया तथा साथ–साथ वैसे मामलों को भी उल्लेखित किया गया है जो पूर्ववर्त्ती वर्षों में पाए तो गए परंतु पूर्व प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके थे। प्रतिवेदन में वर्ष 2010–11 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी आवश्यकतानुसार शामिल किया गया है।

अध्याय – I

प्रस्तावना

1.1 प्रतिवेदन के संबंध में

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) के इस प्रतिवेदन में चयनित कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की निष्पादन लेखापरीक्षा एवं सरकारी विभागों एवं स्वायत्त निकायों के अनुपालन लेखापरीक्षा से संबंधित मामले हैं।

अनुपालन लेखापरीक्षा, लेखा परीक्षित इकाईओं के व्यय से संबंधित लेन–देनों के परीक्षण को संदर्भित करता है, जिससे लागू कानूनों, नियमों, विनियमनों तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। दूसरी ओर, निष्पादन लेखापरीक्षा, अनुपालन के मुद्दों के अलावा, योजना/गतिविधि/विभाग के लक्ष्यों को मितव्ययिता और कुशलता से प्राप्त किये जाने को भी जाँच करती है।

इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों से राज्य विधानमंडल को अवगत कराना है। भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के अंकेक्षण मानकों के अनुसार प्रतिवेदन का वस्तुपरक स्तर लेन–देन की प्रकृति, परिमाण एवं विस्तार के अनुरूप होना चाहिए। लेखापरीक्षा निष्कर्षों से अपेक्षित है कि वह कार्यपालिका को उन्नत वित्तीय प्रबंधन और बेहतर शासन की दिशा में सुधारात्मक कार्रवाई करने में सक्षम करे।

यह अध्याय योजना के मामलों एवं लेखापरीक्षा के दायरे को स्पष्ट करने के अलावा चयनित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण उपलब्धियों एवं कमियों का सार, लेन–देन लेखापरीक्षा के दौरान महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकनों एवं पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गयी अनुवर्ती कार्रवाई को प्रस्तुत करता है। इस प्रतिवेदन के अध्याय– II में चयनित कार्यक्रमों, गतिविधियों/विभागों के निष्पादन लेखापरीक्षा से उत्पन्न निष्कर्ष शामिल हैं। अध्याय – III में सरकारी विभागों और स्वायत्त निकायों के लेन–देन लेखापरीक्षा की टिप्पणियाँ शामिल हैं। अध्याय – IV पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के कार्यकलापों का आकलन प्रस्तुत करता है।

1.2 लेखापरीक्षित इकाई की विवरणी

राज्य में सचिवालय स्तर पर 44 विभाग हैं जो प्रधान सचिवों/सचिवों द्वारा शीर्षित एवं मुख्य सचिव के समग्र नियंत्रण एवं मार्गदर्शन में कार्य करते हैं। प्रधान सचिवों/सचिवों को उनके कर्त्तव्यों के निष्पादन में विशेष सचिवों/अपर सचिवों/निदेशकों एवं अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित 9838 स्थानीय निकाय, 32 स्वायत्तशासी निकाय हैं एवं 18 अन्य स्वायत्तशासी निकाय हैं, जिनका भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की ओर से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा लेखापरीक्षण किया जाता है।

वर्ष 2010–11 के दौरान एवं उसके पूर्व के दो वर्षों में सरकार द्वारा किए गए व्यय की तुलनात्मक विवरणी **सारणी 1** में नीचे दी गई है।

सारणी 1 : व्ययों की तुलनात्मक स्थिति

(₹ करोड़ में)

संवितरण	2008-09			2009-10			2010-11		
	योजना	गैर–योजना	कुल	योजना	गैर–योजना	कुल	योजना	गैर–योजना	कुल
राजस्व व्यय									
सामान्य सेवा	282	10248	10530	351	11851	12202	178	15109	15287
सामाजिक सेवा	4366	7886	12252	5140	8046	13186	7779	7310	15089
वित्तीय सेवा	2632	3094	5726	2947	4141	7088	2942	4894	7836
सहायतानुदान एवं अंशदान	--	4	4	--	108	108	--	3	3
कुल	**7280**	**21232**	**28512**	**8438**	**24146**	**32584**	**10899**	**27316**	**38215**
पूंजीगत व्यय									
पूंजीगत परिव्यय	6337	99	6436	7268	64	7332	9150	46	9196
संवितरित ऋण एवं पेशगियाँ	197	354	551	487	410	897	835	268	1103
लोक ऋण की अदायगी	--	--	1682	--	--	1983	--	--	2190
आकस्मिकता निधि	--	--	--	--	--	--	--	--	1150
लोक लेखा संवितरण	--	--	17311	--	--	15448	--	--	16749
कुल			**25980**			**25660**			**30388**
कुल योग			**54492**			**58244**			**68603**

1.3 लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार

नि.म.ले.प. द्वारा लेखापरीक्षा का प्राधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 एवं भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 द्वारा उद्धृत है। नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 13[1] के तहत नि.म.ले.प. बिहार सरकार के विभागों के व्यय का लेखापरीक्षण करते हैं तथा उक्त अधिनियम की धारा 19(3)[2] एवं 20(1)[3] के तहत 10 स्वायत्तशासी निकायों, जिनका नि.म.ले.प. एकमात्र लेखापरीक्षक हैं, लेखापरीक्षा करते हैं। इसके अलावा समान अधिनियम की धारा 14[4] के तहत नि.म.ले.प. सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित 18 अन्य स्वायत्तशासी निकायों का भी लेखापरीक्षा करते हैं। विभिन्न लेखापरीक्षणों के सिद्धांत एवं तरीके, वर्ष 2007 में नि.म.ले.प. द्वारा जारी किए गए लेखा एवं लेखापरीक्षा के विनियमनों एवं लेखापरीक्षा मानकों में विहित हैं।

1 *(i) राज्य के संचित निधि से संबंधित सभी लेन–देन (ii) आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा से संबंधित सभी लेन–देन एवं (iii) सभी व्यावसायिक, विनिर्माण, लाभ और हानि लेखाओं तथा तुलनापत्रों और अन्य सहायक लेखाओं की लेखापरीक्षा।*

2 *राज्यपाल के अनुरोध पर, जहाँ राज्यपाल की यह राय हो कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, वैसे निगमों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करना जिसे विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि से स्थापित किया गया हो।*

3 *धारा 19 में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, जहाँ कि किसी निकाय या प्राधिकार के लेखाओं का लेखापरीक्षण नि.म.ले.प. को नहीं सौंपा गया हो वहाँ वह, यदि ऐसा करने का अनुरोध किया जाए तो, ऐसे निकाय या प्राधिकारी के लेखाओं की लेखापरीक्षा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर करेंगे जो नि.म.ले.प. तथा सरकार के बीच तय हो।*

4 *राज्य की संचित निधि से ऋण अथवा अनुदानों से पर्याप्त रूप से वित्त पोषित किसी निकाय/प्राधिकार के समस्त प्राप्तियों एवं व्यय एवं (ii) किसी निकाय अथवा प्राधिकार के समस्त प्राप्तियों एवं व्ययों की लेखापरीक्षा जहाँ वैसे निकाय अथवा प्राधिकार को राज्य की संचित निधि से प्रदत्त अनुदान अथवा ऋण किसी वित्तीय वर्ष में ₹ एक करोड़ से कम न हो।*

1.4 लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन

लेखापरीक्षा की प्रक्रिया सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा सामना किए जाने वाले जोखिमों के आकलन के साथ शुरू होती है। यह जोखिम विश्लेषण किए गए व्यय, गतिविधियों की जटिलता एवं पेचीदगी, प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों का स्तर, समग्र आंतरिक नियंत्रणों के मूल्यांकन और हितधारकों के मामलों पर आधारित है। इस अभ्यास में पिछले लेखापरीक्षा निष्कर्षों को भी शामिल किया गया है। इस जोखिम मूल्यांकन के आधार पर लेखापरीक्षा की बारंबारता और विस्तार को निर्धारित किया जाता है।

प्रत्येक इकाई की लेखापरीक्षा के पूर्णता के बाद, लेखापरीक्षा निष्कर्ष समाहित निरीक्षण प्रतिवेदनों को लेखापरीक्षित कार्यालय प्रमुखों को एवं उसकी प्रातियाँ अगले उच्चाधिकारियों को जारी की जाती है। उनसे निरीक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति के छः सप्ताह के अन्दर लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर उत्तर हेतु अनुरोध किया जाता है। प्राप्त उत्तर के आधार पर, लेखापरीक्षा निष्कर्षों को या तो समाप्त करने अथवा अनुपालनार्थ अग्रेतर कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों से उत्पन्न महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकनों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु संशोधित किया जाता है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत् बिहार राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है।

वर्ष 2010–11 के दौरान 1075 इकाइयों की लेन–देन लेखापरीक्षा एवं तीन निष्पादन लेखापरीक्षा समीक्षाएँ और एक विभाग की एकीकृत लेखापरीक्षा के संचालन के लिए 9004[5] पार्टी – दिवसों का उपयोग किया गया। लेखापरीक्षा योजना में उन इकाईयों/संस्थाओं को शामिल किया गया जो हमारे मूल्यांकन के अनुसार महत्वपूर्ण जोखिमों के प्रति संवेदनशील थे।

1.5 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

पिछले कुछ वर्षों में, लेखापरीक्षा ने निष्पादन लेखापरीक्षा के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के अलावा चयनित विभागों के आंतरिक नियंत्रणों की गुणवत्ता के कई महत्वपूर्ण कमियों को प्रतिवेदित किया है। इसी प्रकार अनुपालन लेखापरीक्षा के क्रम में सरकार के विभागों/संगठनों में पाई गई कमियों को भी प्रतिवेदित किया गया है।

1.5.1 कार्यक्रमों/गतिविधियों की निष्पादन लेखापरीक्षा एवं विभाग की एकीकृत लेखापरीक्षा

वर्तमान प्रतिवेदन में तीन निष्पादन लेखापरीक्षा और पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के कार्यकलाप का एकीकृत लेखापरीक्षा शामिल है। अनुवर्ती कंडिकाओं में इन लेखापरीक्षाओं के मुख्याकर्षण वर्णित हैं:

1.5.1.1 इंदिरा आवास योजना

इंदिरा आवास योजना (इं.आ.यो.), जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे के आवास विहीन परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है, केन्द्र और राज्य सरकार के बीच 75:25 के अनुपात में लागत अंशधारिता वाली एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। वर्ष 2006–07 से वर्ष 2010–11 की अवधि में इस योजना के क्रियान्वयन से संबंधित निष्पादन

[5] *निरीक्षण असैनिक में शामिल स्वायत संस्थाएँ: 6367 कार्य दिवस (लेखापरीक्षित इकाइयाँ: 819) और कार्य/वनः कार्य दिवसः 2637 (लेखापरीक्षित इकाइयाँः 256)।*

लेखापरीक्षा में वार्षिक योजना का नहीं बनाया जाना, मासिक लक्ष्यों का निर्धारण नहीं किया जाना, निधियों का कम विमुक्त किया जाना, निधि का विचलन किया जाना, दयनीय अनुश्रवण आदि कमियाँ पाई गई। इनमें से कुछ मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित थेः

- आवासविहीन परिवारों की स्थायी इं.आ.यो. प्रतिक्षा–सूची कभी नहीं बनायी गई जैसा कि योजना की मार्गदर्शिका में निर्धारित था, जिसके कारण पक्का आवास वाले अयोग्य लाभान्वितों को ₹ 10.36 लाख की सहायता उपलब्ध करायी गयी। प्रतीक्षासूची में वरीयता को नजर अंदाज करते हुए लाभार्थियों को इं.आ.यो. आवास स्वीकृत किए गए।
- प्रखंड–वार/पंचायत–वार लक्ष्यों के निर्धारण में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों द्वारा लक्षित जनसमुदाय को योजना लाभ की प्रदत्तता सुनिश्चित करने वाले योजना मापदण्डों की अवहेलना की गई।
- वर्ष 2006–11 के दौरान योजना मार्गदर्शिका में निर्धारित मानकों से अधिक निधियों के आगे बढ़ाए जाने के कारण केन्द्र सरकार द्वारा ₹ 794.14 करोड़ का केन्द्रांश विमुक्त नहीं किया गया।
- योजना मार्गदर्शिका की अवहेलना करते हुए इं.आ.यो. की ₹ 325.35 करोड़ की राशि को अलग बैंक खाता में नहीं जमा कर प्रखंड कार्यालयों के सामान्य बैंक खाता में जमा किया गया।
- भूमिहीन बी.पी.एल. परिवारों के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई ₹ 54.34 करोड़ की राशि का उपयोग करने में विभाग विफल रहा।
- जिला पंचायत/जिलापरिषद्/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (जि.ग्रा.वि.अ.) द्वारा नक्सल पैकेज के तहत इं.आ.यो. आवासों के निर्माण में संबंधित वार्षिक लक्ष्यों की स्वीकृति में विलम्ब के परिणामस्वरूप राज्य के खजाने पर ₹ 14.34 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा।
- कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं आवधिक समीक्षा अप्रभावी एवं अपर्याप्त थी।

1.5.1.2 आर्सेनिक, फ्लोराईड एवं लौह प्रदूषक निवारण कार्यक्रम

भारत सरकार के त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे ग्रामीण टोलों में, जहाँ जल में अत्यधिक मात्रा में आर्सेनिक, फ्लोराईड एवं लौह प्रदूषक हो, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा सब–मिशन परियोजनाएँ चलायी गयी थी। भूमिगत जल प्रदूषण पर नियंत्रण, रोक एवं सुधार हेतु अनेक कार्यक्रम एवं योजनाएँ राज्य में शुरू की गयी थी। राज्य में वर्ष 2006–11 के दौरान निवारण योजना का क्रियान्वयन अनेक कमियों यथा–योजना का अभाव, असंतोषप्रद वित्तीय प्रबंधन, ग्रामीण क्षेत्र के जल गुणवत्ता प्रभावित टोलों में पर्याप्त शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में विफलता, परिचालन एवं अनुरक्षण नीति का अभाव, भूमिगत जल स्रोतों की जाँच में अल्प उपलब्धि तथा अप्रभावशाली अनुश्रवण प्रणालियों के कारण प्रभावित रहा। कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नवत थेः

- वर्ष 2006–09 के दौरान निधियों की उपलब्धता के बावजूद वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं किए जाने के कारण प्रदूषण निवारण कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रगति धीमी रही।

- उच्चतम प्रदूषित टोलों पर विचार किए बिना गैर प्राथमिक टोलों में प्रदूषण निवारण योजनाओं की संस्वीकृति दी गई। योजना बनाने हेतु केन्द्र और राज्य अभिकरणों के बीच समन्वय का अभाव रहा एवं जल गुणवत्ता समीक्षा समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

- विभागीय वित्तीय प्रबंधन असंतोषप्रद था क्योंकि निधि के 25 प्रतिशत राशि को प्रत्यर्पित किया गया साथ ही ₹ 13 करोड़ असैनिक जमा में अवरोधित रहा।

- विभाग द्वारा वर्ष 2006–11 के दौरान राज्य के आर्सेनिक, फ्लोराईड एवं लौह प्रभावित 24420 टोलों में से केवल 1375 टोलों को प्रदूषक निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया।

- आर्सेनिक प्रभावित टोलों में तकनीकी रूप से गैर संभाव्य स्वच्छ कूपों के निर्माण की स्वीकृति दी गई जिसके फलस्वरूप लेखा परीक्षित प्रमंडलों में 585 स्वच्छ कूप अनिर्मित रहे तथा 262 टोले शुद्ध पेयजल से वंचित रहे।

- नमूना–जाँचित प्रमंडलों में नलकूप जल का पूर्व–जाँच किए बिना ही ₹ 5.14 करोड़ की लागत पर आर्सेनिक एवं लौह निष्कासन संलग्नक इकाइयाँ अधिष्ठापित की गई।

- योजना के संचालन एवं अनुरक्षण अवधि बीत जाने के बाद अभिकरणों द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों का रख–रखाव नहीं किए जाने के कारण जल गुणवत्ता प्रभावित हुई।

- सूचना, शिक्षा एवं प्रसारण कार्यक्रम प्रभावशाली ढ़ंग से नहीं किया गया परिणामस्वरूप इस घटक का अधिकतम अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं हो पाया।

- आधारभूत स्तर के कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण एवं क्षेत्रीय परीक्षण उपकरण (किट्स) के क्रय पर ₹ 5.20 करोड़ के व्यय, अलाभप्रद रहे क्योंकि ग्राम पंचायतों द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित नहीं किए गए थे।

- विभिन्न प्रदूषण सुधार योजनाओं की प्रगति का सामयिक अनुश्रवण नहीं करने के कारण त्रुटियों/कमियों का पता नहीं लगाया जा सका।

1.5.1.3 पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की एकीकृत लेखापरीक्षा

बिहार राज्य प्राथमिक रूप से कृषि अर्थ व्यवस्था पर निर्भर है। यहाँ की 90 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जहाँ पशुपालन बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा पशुपालन क्रियान्वित किया जाता है। विभाग के मुख्य क्रियाकलाप पशु स्वास्थ्य की देखभाल करना, पशुधन गणना कराना, मुख्य पशुधन उत्पादों को बढ़ाना, कुक्कुट विकास, पशुधन विकास एवं देशी नस्ल को बचाने के लिए प्रजनन सुविधा को बढ़ाने के साथ–साथ पशुओं पर होने वाले क्रूरता से उन्हें बचाना था।

विभाग की एकीकृत लेखापरीक्षा ने उजागर किया कि वास्तविक पशुगणना के बगैर आँकड़ों के बिना पशुधन विकास के लिए वार्षिक योजनाएँ बनाई गईं, वित्तीय प्रबंधन का अभाव था क्योंकि योजनागत योजनाओं में अत्यधिक प्रत्यर्पणों के दृष्टांत थे एवं कार्यकारी अभिकरणों के पास निधियाँ अवरूद्ध थी। कुक्कुट विकास, कृत्रिम गर्भाधान सुविधा, चारा बैंक की स्थापना और पशु स्वास्थ्य देखरेख की योजना उद्देश्यों की पूर्ति

नहीं हुई। विभागीय मानवबल प्रबंधन प्रणाली अपर्याप्त थी एवं अधिक संख्याओं में रिक्तियों ने विभाग के कार्यकलापों को प्रभावित किया। विभागीय पदाधिकारियों द्वारा अपर्याप्त अनुश्रवण किए जाने से स्वीकृत योजनाओं को विलंब किए जाने एवं अपूर्ण रहने में भूमिका रही। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नांकित थेः

- पूर्णता की निर्धारित तिथि से दो वर्षों के विलंब के बाद फरवरी 2010 में पशुगणना कार्य पूरा किया गया, जबकि ₹ 13.91 करोड़ व्यय के बावजूद भी सभी जिलों के विस्तृत गृहवार आँकड़ा भारत सरकार को समर्पित किया जाना बाकी था।

- नमूना सर्वेक्षण छोटे नमूनों के आकारों पर आधारित था जो वास्तविक पशुधन संख्या का प्रतिदर्श नहीं था।

- वर्ष 2007–11 के दौरान ₹ 222.71 करोड़ की कुल बचत में से विभाग द्वारा ₹ 210.23 करोड़ प्रत्यर्पित किया गया, जिसमें से ₹ 127.36 करोड़ संबंधित वित्तीय वर्षों के अंतिम तिथि को प्रत्यर्पित किए गए।

- पशुपालन निदेशालय के निर्देशों पर आहरण एवं संवितरण पदाधिकारियों ने ₹ 17.90 करोड़ आहरित कर राज्य के वित्तीय नियमों के विपरीत बैंक खातों में जमा किया।

- दो नमूना जाँचित जिलों में बी.पी.एल./महादलित परिवारों के बीच कम चूजों की आपूर्ति किए जाने के कारण, उन्हें कुपोषण से बचाने एवं कुक्कुट विकास के द्वारा मासिक आमदनी सृजित करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया गया।

- वर्ष 2007–11 के दौरान बिहार पशुधन विकास अभिकरण ₹ 7.89 करोड़ के व्यय के बावजूद भी कृत्रिम गर्भाधान के लिए फ्रोजेन सीमेन उत्पन्न कराने में असफल रहा।

- अकार्यशील स्थापनाएँ यथा पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, पटना एवं डुमराँव (₹ 7.16 करोड़) तथा फ्रोजेन सीमेन बैंक सह बुल स्टेशन, पटना (₹ 2.39 करोड़) में पदस्थापित कर्मियों के वेतन एवं भत्ते आदि मद पर ₹ 9.55 करोड़ व्यय किए गए।

- वर्ष 2007–11 के दौरान वित्त विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई जो विभाग के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की कमी को इंगित करता था।

1.5.2 लेन–देनों की अनुपालन लेखापरीक्षा

प्रतिवेदन संवेदनशील क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कमियों को जिसने विभागों एवं संस्थानों के कार्यकलापों को प्रभावित किया था, मुख्याकर्षित करता है। इन्हें विस्तृत रूप से निम्न कोटियों में विभक्त किया जा सकता हैः

- नियमों की अवमानना

- औचित्य लेखापरीक्षा/ आधिक्य/निरर्थक/अलाभकारी व्यय

- अनियमित, परिहार्य/असमायोजित व्यय

- निरीक्षण/नियमन में विफलता

1.5.2.1 नियमों की अवमानना

बेहतर वित्तीय प्रशासन और प्रभावी वित्तीय नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि व्यय वित्तीय नियमों, विनियमनों और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुरूप हो। यह न केवल वित्तीय अनियमिताओं, दुर्विनियोजनों एवं जालसाजियों को बाधित करता है बल्कि अच्छे वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने में भी मदद करता है। इस प्रतिवेदन में नियमों और विनियमों की अवमानना पर ₹ 3.66 करोड़ के दृष्टांत शामिल हैं। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष, नीचे दिए गए हैं:

सरकार को पथ निर्माण विभाग के तहत पथ निर्माण प्रमंडल, भभुआ द्वारा अलकतरे का निष्पादन नहीं किए जाने के कारण ₹ 72.94 लाख की हानि एवं ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन ग्रामीण कार्य प्रमंडल, खगड़िया द्वारा अलकतरे का कम उठाव किए जाने से ₹ 4.54 लाख की हानि हुई।

(कंडिका 3.1.1)

वैधता अवधि के अंदर बैंक गारंटी भुनाने में विभाग की विफलता के अलावा प्रमंडलों द्वारा फर्जी बैंक गारंटी स्वीकार किए जाने के कारण सरकार को ₹ 2.89 करोड़ की हानि हुई।

(कंडिका 3.1.2)

1.5.2.2 औचित्य लेखापरीक्षा/आधिक्य/निरर्थक/अलाभकारी व्यय

लेखापरीक्षा ने ₹ 108.19 करोड़ के अनौचित्य एवं आधिक्य/निरर्थक/अलाभकारी व्यय के दृष्टांतों को उजागर किया, जिन्हें नीचे मुख्याकर्षित किया गया है:

शाहाबाद पथ निर्माण प्रमंडल, आरा में अयोग्य संवेदकों को ₹ 21.53 करोड़ के पथ कार्य प्रदान किए गए जिनके निरसित किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 7.46 करोड़ का अतिरिक्त दायित्व हुआ तथा उच्चतर दरों पर अलकतरे के मूल्य निष्प्रभावन दिए जाने से पथ निर्माण विभाग के पथ निर्माण प्रमंडल, जहानाबाद एवं किशनगंज में ₹ 25 लाख का अधिक भुगतान हुआ।

(कंडिका 3.2.1)

निम्न विनिर्देशनों पर पथ कार्यों के कार्यान्वयन से पथ निर्माण विभाग के राष्ट्रीय उच्चपथ पश्चिमी प्रमंडल, पटना में ₹ 2.79 करोड़ का अवमानक कार्य हुआ।

(कंडिका 3.2.2)

पथ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के विनिर्देशनों का अनुपालन नहीं करने के कारण पथ निर्माण विभाग के अधीन शाहाबाद पथ निर्माण प्रमंडल, आरा में ₹ 1.22 करोड़ की लागत का अवमानक पथ कार्य क्रियान्वित हुआ।

(कंडिका 3.2.3)

पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चपथ प्रमंडल संख्या II, मुजफ्फरपुर में अयोग्य संवेदक को संविदा आवंटित करने के कारण ₹ 1.42 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(कंडिका 3.2.4)

दायित्व एवं लागत उपबंध लागू करने के उपरांत वास्तविक वसूली के बिना दो संविदाओं को रद्द किए जाने से ₹ 9.43 करोड़ के अतिरिक्त दायित्व का सृजन हुआ। इसके अलावा पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग के 27 अनुबंधों के अंतर्गत ₹ 8.38 करोड़ की जब्त प्रतिभूति जमा राशियों को कोषागार में जमा नहीं किया गया था।

(कंडिका 3.2.5)

ईंट सोलिंग निविदा के अनियमित निरस्तीकरण के कारण जल संसाधन विभाग के अधीन चंपारण प्रमंडल, मोतीहारी में ₹ 2.69 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

(कंडिका 3.2.6)

चिकित्सा महाविद्यालय/अस्पतालों के प्राचार्य/अधीक्षकों द्वारा क्रय–नियमों का उल्लंघन किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 2.67 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(कंडिका 3.2.7)

ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शिकाओं के उल्लंघन में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने 'रूप टॉप हार्वेस्टिंग योजना' के क्रियान्वयन हेतु ₹ 50.35 करोड़ स्वीकृत किया। इस योजना पर अब तक किए गए ₹ 19.76 करोड़ का व्यय निष्क्रिय साबित हुआ क्योंकि निर्मित संरचनाएँ अकार्यशील थीं।

(कंडिका 3.2.8)

1.5.2.3 अनियमित/परिहार्य/असमायोजित व्यय

किसी व्यय को अनियमित माना जाता है अगर उसके व्यय किए जाने में किसी सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्दिष्ट नियमों एवं मानकों से, जानबूझकर अथवा अन्य तरीके से, विचलन किया गया हो। यह प्रभावी अनुश्रवण का अभाव दर्शाता है जो नियमों/विनियमनों के अनुपालन के प्रति जानबूझकर विचलन किए जाने को बढ़ावा दे सकता है जिसके परिणामस्वरूप परिहार्य/अनौचित्यपूर्ण व्यय होते हैं। ₹ 150.73 करोड़ की ऐसी अनियमितताओं के कुछ मामले नीचे वर्णित हैं:

बिहार राज्य जल पर्षद में कैपेसिटर बैंक एवं शंट कैपेसिटर्स के अनाधिष्ठापन के परिणामस्वरूप ₹ 1.37 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(कंडिका 3.3.1)

प्रमंडलीय पदाधिकारियों द्वारा संहितीय प्रावधानों के अनुपालन नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप भवन निर्माण, पर्यावरण एवं वन, लघु जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य एवं जल संसाधन विभागों में ₹ 67.38 करोड़ की अस्थायी अग्रिमें असमायोजित/अवसूलित रही।

(कंडिका 3.3.2)

एक कार्य में, जहाँ मिट्टी कार्य राजस्थानी ट्रैक्टर द्वारा निष्पादित किया जा रहा था, मिट्टी संपीडन का अस्वीकार्य प्रावधान किए जाने के परिणामस्वरूप जल संसाधन विभाग के अंतर्गत जलपथ प्रमंडल बिहारशरीफ द्वारा संवेदक को ₹ 1.43 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ।

(कंडिका 3.3.3)

₹ 58.54 लाख की औषधियों की अनापूर्ति सहित ₹ 3.26 करोड़ के अनियमित भुगतान, ₹ 70.90 लाख के परिहार्य दायित्वों के सृजन एवं औषधियों के स्थानीय क्रय में ₹ 24.05 लाख के अधिक भुगतान के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य विभाग में औषधियों के क्रय में कुल ₹ 4.21 करोड़ की अनियमितताएँ थीं।

(कंडिका 3.3.4)

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, लघु जल संसाधन, पथ निर्माण, जल संसाधन एवं ग्रामीण कार्य विभागों के अंतर्गत श्रम–उपकर की वसूली नहीं किए जाने के कारण ₹ 8.42 करोड़ की राशि के दायित्व का सृजन हुआ।

(कंडिका 3.3.5)

राज्य के सात विश्वविद्यालयों के उप–कुलपतियों द्वारा छात्रों से एकत्र किए गए ₹ 17.23 करोड़ के शुल्कों को अपने कर्मचारियों के वेतन पर अनियमित रूप से उपयोग किया गया जिसने मानव संसाधन विकास विभाग से संबंधित महाविद्यालयों के अंतःसंरचनात्मक विकास एवं सुविधाओं को प्रभावित किया।

(कंडिका 3.3.6)

मानव संसाधन विकास विभाग के अंतर्गत विश्वविद्यालय कर्मचारियों को अग्रिम वेतनवृद्धि, सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन लाभ और अंतरिम राहत मद में ₹ 4.18 करोड़ की राशि का अनियमित भुगतान किया गया।

(कंडिका 3.3.7)

ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा बिहार कोषागार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए बिना तत्काल आवश्यकता के कोषागार से ₹ 42.78 करोड़ की निकासी कर अनियमित रुप से बचत खातों में रखा गया।

(कंडिका 3.3.8)

ग्रामीण विकास विभाग में योजनांतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए कर्णांकित ₹ 3.74 करोड़ की निधि को अनियमित रूप से विचलित किया गया।

(कंडिका 3.3.9)

1.5.2.4 निरीक्षण/संचालन में विफलता

जन समुदाय के जीवन को उन्नत करने की जिम्मेवारी सरकार की होती है जिसके लिए वह स्वास्थ्य, शिक्षा, अंतःसंरचनात्मक विकास एवं उन्नयन आदि क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करती है। हाँलांकि लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि समुदाय के लाभ के लिए सरकारी संपत्ति के सृजन के लिए सरकार द्वारा विमुक्त की गई कुल ₹ 2.65 करोड़ की राशि विभिन्न स्तरों पर अनिर्णय, प्रशासकीय निरीक्षण तथा एकताबद्ध कार्रवाई के अभाव में छः वर्षों तक अव्यवहृत/अवरूद्ध रही तथा/या निष्फल/अनुत्पादक साबित हुई, जैसा नीचे वर्णित हैं:

स्वास्थ्य विभाग में जिला एवं विभागीय स्तरों पर योजना एवं अभिश्रवण के अभाव के कारण ₹ 1.89 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ तथा ₹ 76.25 लाख अनियमित रूप से अवरोधित रहा।

(कंडिका 3.4.1)

1.6 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की अनुक्रियाशीलता का अभाव

1.6.1. लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की अपर्याप्त अनुक्रिया

प्रधान महालेखाकार (प्र.म.ले.) (लेखापरीक्षा), बिहार विहित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुरूप सरकारी विभागों में लेन–देनों का आवधिक निरीक्षण एवं महत्वपूर्ण लेखाओं एवं अन्य अभिलेखों के संधारण की जाँच करते हैं। इन निरीक्षणों के बाद निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) जारी किये जाते हैं। कार्यालय प्रधान एवं उनके उच्चाधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित आपत्तियों का अनुपालन करना, त्रुटियों की तत्परता से सुधार करना और लेखापरीक्षा विभाग को अपना अनुपालन प्रतिवेदित करना है।

तथापि, वर्ष 2004–05 से 2010–11 के अवधि के दौरान 30 विभागों से संबंधित जारी किये गए निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा में प्रकट हुआ कि 7202 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 36119 कण्डिकाएँ अक्टूबर 2011 के अंत तक लंबित थी जैसा कि **तालिका सं. 1** में प्रदर्शित है।

तालिका संख्या – 1

लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन/कण्डिकाएँ

वर्ष के लिए लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन/कण्डिकाएँ								
	2004-05	**2005-06**	**2006-07**	**2007-08**	**2008-09**	**2009-10**	**2010-11**	**कुल**
निरीक्षण प्रतिवेदन	904	847	1055	1118	1237	1088	953	**7202**
कण्डिकाएँ	5205	4255	5543	5101	5728	5611	4676	**36119**

लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं का वर्षवार तथा विभागवार विवरण ***परिशिष्ट 1.1*** में उल्लिखित है।

ऐसी वृहत संख्याओं में निरीक्षण प्रतिवेदनों/कण्डिकाओं का लंबित पड़े रहना सरकारी विभागों का लेखापरीक्षा अवलोकनों के प्रति अनुक्रियाशीलता का अभाव दर्शाता है।

1.6.2 व्याख्यात्मक (कृत–कार्रवाई) टिप्पणियों का असमर्पण

वित्त विभाग, बिहार सरकार की अनुदेश पुस्तिका (1998) यह प्रावधानित करती है कि संबंधित विभागों के सचिव लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किए गए लेखापरीक्षा कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर अपनी व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ विधान सभा सचिवालय को समर्पित करेगें। इन टिप्पणियों को लोक लेखा समिति से किसी सूचना अथवा मांग की प्रतीक्षा किए बगैर लेखापरीक्षा में पूर्णतः जाँचोपरान्त एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के राज्य विधायिका में प्रस्तुतीकरण के दो माह के अन्दर समर्पित की जानी है। उनके द्वारा उसमें यह भी इंगित किया जाना है कि किन परिस्थितियों एवं कारणों से ऐसी अनियमितताएँ घटित हुई और विहित मानकों से विचलन हुए तथा हानियों की प्रतिपूर्ति एवं ऐसे दृष्टांतों की पुनरावृति को रोकने के लिए क्या कार्रवाई प्रस्तावित की गयी।

आगे लेखापरीक्षा एवं लेखा अधिनियम (नवम्बर 2007) का अधिनियम 213 प्रावधानित करता था कि संघ, राज्य एवं संघ शासित राज्यों, जिसमें विधान सभा थे और जहाँ विधायी समितियाँ कार्यरत थीं अथवा जहाँ सरकार भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा "की गई कृत–कार्रवाई" (ए.टी.एन.) की जाँच करवाना चाहे, वहाँ संबद्ध विभाग के सरकार के सचिवों को स्वव्याख्यायित कृत–कार्रवाई की प्रारूप टिप्पणी, दो प्रतियों में, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को जाँचने हेतु संबंधित संचिकाओं एवं अभिलेखों के साथ, जिसके लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी प्रतिपादित की गयी थी, अच्छी तरह से संदर्भित एवं संयुक्त कर भेजनी चाहिए थी। इसे उस समय सीमा के भीतर, जो लोक लेखा समिति द्वारा स्वव्याख्यापित कार्रवाई टिप्पणी को समर्पित करने हेतु विहित की गयी हो, संपादित किया जाना था।

यह देखा गया कि अक्टूबर 2011 तक 17 विभागों ने 2001–2010 के वर्षों से संबंधित 9 समीक्षाओं एवं 43 कंडिकाओं के प्रति कृत–कार्रवाई टिप्पणियाँ (एटीएन) समर्पित नहीं किया था ***(परिशिष्ट–1.2)***।

1.6.3. पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

लेखापरीक्षा एवं लेखा अधिनियम के अधिनियम सं. 212 एवं 213 भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल कंडिकाओं के निपटारे को प्रावधानित करते हैं। विभागों को लोक लेखा समिति द्वारा उनके प्रतिवेदनों में किए गए अनुशंसाओं की तिथि से दो माह के भीतर लोक लेखा समिति को कृत कार्रवाई टिप्पणियाँ (ए.टी.एन.) प्रस्तुत करना था।

बिहार सरकार के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल कंडिकाओं पर लंबित कृत कार्रवाई टिप्पणियों (ए.टी.एन.) की समीक्षा से प्रकट हुआ कि नवम्बर 2001 से अक्टूबर 2011 की अवधि के दौरान 393 कंडिकाओं के संबंध में, जिनमें 30 विभाग शामिल थे, लोक लेखा समिति प्रतिवेदनों से संबंधित कृत–कार्रवाई टिप्पणियाँ अक्टूबर 2011 तक लंबित पड़ी थी ***(परिशिष्ट–1.3)***।

अध्याय -II

निष्पादन लेखापरीक्षा

ग्रामीण विकास विभाग

2.1 इंदिरा आवास योजना

मुख्याकर्षण

इंदिरा आवास योजना (इं.आ.यो.), जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे के आवास विहीन परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है, केन्द्र और राज्य सरकार के बीच 75:25 के अनुपात में लागत अंशधारिता वाली एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। वर्ष 2006–07 से वर्ष 2010–11 की अवधि में इस योजना के क्रियान्वयन से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा में वार्षिक योजना नहीं बनाया जाना, मासिक लक्ष्यों का निर्धारण नहीं किया जाना, निधियों का कम विमुक्त किया जाना, निधि का विचलन किया जाना, दयनीय अनुश्रवण आदि कमियाँ पाई गई। इनमें से कुछ मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित थे:

आवास विहीन परिवारों की स्थायी इं.आ.यो. प्रतिक्षा सूची कभी नहीं बनायी गई जैसा कि योजना की मार्गदर्शिका में निर्धारित था, जिसके कारण पक्का आवास वाले अयोग्य लाभान्वितों को ₹ 10.36 लाख की सहायता उपलब्ध करायी गयी। प्रतीक्षासूची में वरीयता को नजर अंदाज करते हुए लाभार्थियों को इं.आ.यो. आवास स्वीकृत किए गए।

(कंडिका 2.1.6.2 और 2.1.8.2)

प्रखंड–वार/पंचायत–वार लक्ष्यों के निर्धारण में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों द्वारा लक्षित जनसमुदाय को योजना लाभ की प्रदत्तता सुनिश्चित करने वाले योजना मापदण्डों की अवहेलना की गई।

(कंडिका 2.1.6.3)

वर्ष 2006–11 के दौरान योजना मार्गदर्शिका में निर्धारित मानकों से अधिक निधियों के आगे बढ़ाए जाने के कारण केन्द्र सरकार द्वारा ₹ 794.14 करोड़ का केन्द्रांश विमुक्त नहीं किया गया।

(कंडिका 2.1.7.1)

योजना मार्गदर्शिका की अवहेलना करते हुए इं.आ.यो. की ₹ 325.35 करोड़ की राशि को अलग बैंक खाता में नहीं जमा कर प्रखंड कार्यालयों के सामान्य बैंक खाता में जमा किया गया।

(कंडिका 2.1.7.2)

भूमिहीन बी.पी.एल. परिवारों के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई ₹ 54.34 करोड़ की राशि का उपयोग करने में विभाग विफल रहा।

(कंडिका 2.1.8.4)

जिला पंचायत/जिलापरिषद्/जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों (जि.ग्रा.वि.अ.) द्वारा नक्सल पैकेज के तहत इं.आ.यो. आवासों के निर्माण में संबंधित वार्षिक लक्ष्यों की स्वीकृति में विलम्ब के परिणामस्वरूप राज्य के खजाने पर ₹ 14.34 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा।

(कंडिका 2.1.8.6)

कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं आवधिक समीक्षा अप्रभावी एवं अपर्याप्त थी।

(कंडिका 2.1.11)

2.1.1 प्रस्तावना

आवास मानव जाति की एक मूलभूत आवश्यकता है। समाज में आवास की महत्ता को समझते हुए भारत सरकार ने वर्ष 1985–86 के दौरान गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) जीवन बसर करने वाले आवासविहीन ग्रामीण व्यक्तियों को 'पक्का' आवास उपलब्ध कराने हेतु इंदिरा आवास योजना (इं.आ.यो.) नामक एक केन्द्र प्रायोजित योजना की शुरूआत की।

इस योजना के अधीन मुक्त बंधुआ मजदूरों, अनूसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों, अल्पसंख्यकों तथा गैर–अनूसूचित जातियों/जनजातियों के बी.पी.एल. ग्रामीण परिवारों को आवासीय इकाइयों के निर्माण/आवासीय इकाइयों के उन्नयन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना था। शारीरिक एवं मानसिक विकलांग व्यक्तियों के परिवारों को, भूतपूर्व सैनिक एवं अर्धसैन्य बलों के सेवानिवृत सदस्यों के परिवारों को, विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापित व्यक्तियों को और घुमन्तु/ अर्धघुमन्तु तथा गैर–अधिसूचित आदिवासी परिवारों को उपरोक्त क्रम में, आर्थिक स्थिति के निरपेक्ष एवं युद्ध में मारे गए सैनिक/अर्धसैनिक बलों के परिवारों एवं विधवाओं को भी इस योजना का लाभ विस्तारित किया जाना था।

2.1.2 संगठनात्मक ढाँचा

राज्य का ग्रामीण विकास विभाग राज्य स्तर पर योजना के कार्यान्वयन हेतु शीर्ष विभाग है। विभाग प्रधान सचिव द्वारा शीर्षित होता है जो विभागीय मुख्यालय स्तर पर एक विशेष सचिव, दो संयुक्त सचिव, एक संयुक्त विकास आयुक्त, एक उप सचिव एवं एक उपनिदेशक द्वारा सहायतित होता है। जिला स्तर पर योजना का कार्यान्वयन जिला पदाधिकारियों, उप–विकास आयुक्तों और जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों (जि.ग्रा.वि.अ) के निदेशकों के माध्यम से किया जाता है। प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारीगण (प्र.वि.पदा.) पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों की सहायता से कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होते हैं।

2.1.3 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा को यह आकलन करना था कि क्याः

- लाभुकों के चयन एवं पहचान हेतु योजना की पद्धति दक्ष थी;
- वित्तीय प्रंबधन दक्ष एवं प्रभावकारी था;
- योजना का क्रियान्वयन दक्ष, प्रभावकारी एवं मितव्ययी था; तथा
- अनुश्रवण क्रियाविधि एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कार्यरत एवं प्रभावकारी थी।

2.1.4 लेखापरीक्षा मानक

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान प्रयुक्त किए गए मानक निम्नवत् थेः

- भारत सरकार के द्वारा इं.आ.यो. के कार्यान्वयन हेतु निर्गत मार्गदर्शिका;
- भारत सरकार द्वारा निर्धारित वार्षिक लक्ष्य;
- बिहार वित्तीय नियमावली, (बि.वि.नि.) 1950;
- बिहार कोषागार संहिता (बि.को.सं.); एवं
- राज्य/भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत किए गए तत्संबंधी परिपत्र एवं विभागीय आदेश

2.1.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि वर्ष 2006–11 थी एवं यह जून और अक्टूबर 2011 के मध्य संपादित की गई। लेखापरीक्षा के दौरान विभागीय मुख्यालय, 38 जि.ग्रा.वि.अ. में से आठ[1] जि.ग्रा.वि.अ. के और इन आठ चयनित जि.ग्रा.वि.अ. के 162 में से 31[2] प्रखंडों के अभिलेखों का नमूना जाँच किया गया। नमूना जाँच हेतु ईकाइयों का चयन निम्न तरीके से किया गया:

पाँच जि.ग्रा.वि.अ.[3] का चयन सांख्यिकी न्यादर्श विधि की 'प्रोबेबिलीटी प्रोपोशेनेट टू साईज विथ रिप्लेसमेंट विधि' को अपनाकर की गयी थी। बिहार के केन्द्रीय जिला होने के कारण पटना जि.ग्रा.वि.अ. का चयन किया गया। तत्पश्चात इन छः जि.ग्रा.वि.अ. के अधीन 23 प्रखंडों का चयन 'सिम्पल रैंडम सैम्पलिंग विदाऊट रिप्लेसमेंट विधि के आधार पर किया गया। शेष दो जि.ग्रा.वि.अ.[4] और इनके अधीन, आठ प्रखंडों का चयन जोखिम अवधारणा को ध्यान में रखकर किया गया।

इस लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कार्यप्रणाली, कार्य क्षेत्र विस्तार, आच्छादन, केन्द्रबिन्दु की व्याख्या करने एवं विभागीय दृष्टिकोण और समस्याओं को समझने हेतु विभाग के प्रधान सचिव के साथ जून 2011 में प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया।

लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली में विषयवस्तु की समझ/सूचनाओं के अद्यतन एवं समेकन, विस्तृत लेखापरीक्षा मार्गदर्शिका, जाँच सूची एवं प्रश्नावलियों को तैयार किया जाना शामिल था। लेखापरीक्षा द्वारा सुसंगत सूचना/आँकड़े के संकलन और विश्लेषण की जाँच हेतु क्षेत्रों का दौरा किया गया। कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में शामिल संबंधित विभागीय पदाधिकारियों से विमर्श किया गया। लेखापरीक्षा प्रश्नावलियों, लेखापरीक्षा आपत्तियों के जवाबों, अभिलेखों की प्रतिलिपियों और उत्तरदायी विभागीय अधिकारियों से व्यक्तिगत संवाद के माध्यम से लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए गए। तत्पश्चात क्षेत्रीय दौरा के पूर्ण होने पर ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव के साथ 25 नवम्बर 2011 को बर्हिगमन सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें लेखा परीक्षा निष्कर्षों की विस्तृत चर्चा की गयी। निष्पादन समीक्षा के प्रारूपण के दौरान विभाग द्वारा प्रस्तुत कारणों एवं औचित्यों को ध्यान में रखा गया।

लेखापरीक्षा परिणाम

लेखापरीक्षा उद्देश्यों के विरूद्ध लेखापरीक्षा परिणाम अधोवर्णित हैं:

2.1.6 योजना

इं.आ.यो. के क्रियान्वयन की योजना में वार्षिक योजना को तैयार करना, समय सीमा के साथ इं.आ.यो. आवासों की पूर्णता हेतु वार्षिक लक्ष्य का निर्धारण किया जाना शामिल था। इसमें बी.पी.एल. सूची में वरीयता के आधार पर आवासविहीनों की स्थायी इं.आ.यो.

1 *बाँका, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गया, मधुबनी, रोहतास, पटना और समस्तीपुर।*

2 *बाँका में बौंसी, कटोरिया, फुल्लीडुमर और रजौन; पूर्वी चम्पारण में अरेराज, चकिया, हरसिद्धि और कल्याणपुर; दरभंगा में बहादुरपुर, दरभंगा सदर, मनिगाछी और तारडीह; गया में बेलागंज, गया सदर, गुरारू एवं खिजरसराय; मधुबनी में बाबूबरही, जयनगर, लदानिया और पंडौल; रोहतास में डेहरी, करहगर, नासरीगंज और राजपुर; पटना में बिहटा, धनरूआ, दुल्हिनबाजार एवं खुशरूपुर तथा समस्तीपुर में मोहनपुर, पूसा और शाहपुर पटौरी।*

3 *बाँका, पूर्वी चम्पारण, गया, रोहतास और समस्तीपुर।*

4 *दरभंगा और मधुबनी*

प्रतीक्षा सूची का तैयार किया जाना भी शामिल था। नमूना जाँचित जि.ग्रा.वि.अ. में निम्नलिखित त्रुटियाँ पायी गईः

2.1.6.1 वार्षिक योजना का तैयार नहीं किया जाना

इं.आ.यो. की मार्गदर्शिका के उपबंध 4.2 बी (VIII) के अनुसार एक वार्षिक योजना जिलापरिषद या जि.ग्रा.वि.अ. के प्रशासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक था। इस आवश्यकता को सरकार के निर्देश (मई 2009) में भी दोहराया गया था, जिसके अनुसार भी सभी जिलों एवं प्रखंडों द्वारा वार्षिक योजना तैयार किया जाना आवश्यक था। इन योजनाओं में इं.आ.यो. आवासों के निर्माण हेतु प्रखंडवार/पंचायतवार वार्षिक लक्ष्यों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभुकों को अच्छादन किये जाने के लक्ष्य को शामिल किया जाना था। इन वार्षिक लक्ष्यों (भौतिक एवं वित्तीय) को मासिक लक्ष्यों में विभाजित करना था जिससे कि वार्षिक लक्ष्यों की शत–प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। साथ ही, वार्षिक योजना में अपूर्ण आवासों के पूरा करने की समय–सीमा, पर्यवेक्षण की अनुसूची, पूर्व के वर्षों में आवंटित आवासों के निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन आदि की योजना बनाकर उन्हें शामिल करना था।

किसी भी नमूना जाँचित जि.ग्रा.वि.अ. में वार्षिक योजना नहीं बनाई गई थी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने उजागर किया कि किसी भी नमूना जाँचित जि.ग्रा.वि.अ. में वार्षिक योजना तैयार नहीं की गयी थी। इसके बदले प्रत्येक पंचायत हेतु मात्र भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किए गए जबकि पूर्व के वर्षों के अधूरे आवासों को पूर्ण करने हेतु कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं की गई। वार्षिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मासिक लक्ष्य निर्धारित नही किए गए। यहाँ तक कि आवासों के निरीक्षण और पर्यवेक्षण के लिए या भौतिक सत्यापन की कोई समय–सारणी भी निर्धारित नहीं गयी थी। परिणामतः इं.आ.यो. का क्रियान्वयन तदर्थ रूप से किया गया जिसके फलस्वरूप निर्धारित अवधि में इं.आ.यो. आवासों की स्वीकृति, निर्माण एवं पूर्णता में विलंब हुआ।

सरकार ने बताया (नवम्बर 2011) कि प्रत्येक जिले के लिए वार्षिक योजना निर्धारित था एवं उप–विकास आयुक्तों को इनमें से विचलन करने की स्वीकृति नहीं थी। यह भी बताया गया कि आवासों के निर्माण की समय सीमा एवं निरीक्षण की समय–सारणी पहले से ही निर्धारित थी।

जबाब संतोषजनक नहीं था क्योंकि मार्गदर्शिका के अनुरूप किसी भी नमूना–जाँचित जि.ग्रा.वि.अ. द्वारा वार्षिक योजना तैयार नहीं की गई थी।

2.1.6.2 इन्दिरा आवास योजना की त्रुटिपूर्ण प्रतीक्षा–सूची

इं.आ.यो. दिशानिर्देश के उपबंध2 .1 के अनुसार ग्राम पंचायतों को बी.पी.एल. सूची में वरीयता क्रम के आधार पर स्थायी इं.आ.यो. प्रतीक्षा–सूची यह सूनिश्चित करते हुए तैयार की जानी थी कि चयनित लाभुक आवासविहीन थे। तत्पश्चात इं.आ.यो. प्रतिक्षा सूची से अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की अलग सूची तैयार की जानी थी जिससे कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों को पर्याप्त आवासों का आवंटन सुनिश्चित किया जा सके। आवासविहीन परिवारों की स्थायी इं.आ.यो. प्रतीक्षा सूची संबंधित ग्राम सभा (ग्रा.स.) द्वारा अनुमोदित किया जाना था।

तदनुसार राज्य सरकार ने उ.वि.आ. और प्र.वि.पदा. को प्रत्येक पंचायत के लिए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवासविहीन परिवारों के लिए अलग–अलग इं.आ.यो. प्रतीक्षा–सूची बनाने हेतु

निर्देशित किया (मई और जून 2008) जिसे पाँच वर्षों तक प्रभावी रहना था। संबंधित प्र. वि.पदा.को यह भी सुनिश्चित करना था कि इस सूची में शामिल बी.पी.एल. परिवारों को पूर्व में लाभ नहीं मिला था और उनके पास पक्का आवास नहीं था।

आवासविहीन बी.पी. एल. परिवारों के लिए स्थाई इं.आ.यो. प्रतीक्षा सूची नहीं बनाई गई थी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि किसी भी स्तर यथा प्रखंड, जिला या राज्य स्तर पर आवास विहीन परिवारों से संबंधित जानकारी/अभिलेख उपलब्ध नहीं थी। आवास विहीन प रिवारों की स्थाई इं.आ.यो. प्रतीक्षा सूची न कभी तैयार की गयी और न अनुमोदित ही की गयी जैसा योजना की मार्गदर्शिकानुसार आवश्यक था। इसके बदले, बिना यह सत्यापित किए कि किसी परिवार के पास आवास है अथवा नहीं, बी.पी.एल सूची को ही स्थायी इं.आ.यो. प्रतीक्षा सूची के रूप में प्रयोग में लाया गया। इन प्रतीक्षा सूचियों को नमूना जाँचित जिलों में किसी भी ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप इन सूचियों की विश्वसनीयता तथा इं.आ.यो. के प्राथमिकता समूहों का अनुपालन तथा लाभुकों की सत्यता संदिग्ध थी।

इस योजनान्तर्गत पक्का आवास वाले अयोग्य लाभुकों को ₹ 10.36 लाख का भुगतान किया गया।

यह इस तथ्य से भी संपुष्ट होता था कि नमूना–जाँचित 12[5] प्रखंडों के 14 पंचायतों में इं.आ.यो. की प्रतीक्षा–सूची में पक्का आवास वाले 804 परिवारों का नाम शामिल था। इनमें से 41 लाभुकों को ₹ 10.36 लाख का भुगतान वर्ष 2006–2011 में किया गया था।

उपरोक्त दृष्टांत यह दर्शाता था कि संबंधित प्र.वि.पदा. द्वारा इं.आ.यो. प्रतीक्षा सूचियों में शामिल व्यक्तियों के नामों और विवरणियों को सत्यापित करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया। इस प्रकार इन व्यक्तियों को किया गया ₹ 10.36 लाख का भुगतान अनियमित था।

जबाव में सरकार ने बताया (नवम्बर 2011) कि इं.आ.यो. प्रतिक्षा सूची, बी.पी.एल. सूची के आधार पर तैयार की गई थी जो ग्राम सभा से अनुमोदित थी। साथ ही, बी.पी.एल. सर्वेक्षण वर्ष 2002 में प्रारंभ किया गया था और आवास की स्थिति लाभुकों की आर्थिक अवस्था में परिवर्त्तन से लेकर प्राकृतिक आपदा, मृत्यु, पलायन आदि तक विभिन्न कारणों से परिवर्तनीय थी।

जबाब तर्कसंगत नहीं था क्योंकि इं.आ.यो. के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए सिर्फ आवासविहीन परिवारों को ही विचारार्थ रखना था।

2.1.6.3 प्रखंडों/पंचायतों के लिए लक्ष्यों का अनुचित निर्धारण

इं.आ.यो. मार्गदर्शिका (अपबंध 4.1) के अनुसार प्रखंडों और ग्राम पंचाायतों के लिए लक्ष्यों का निर्धारण संबंधित प्रखंडों/पंचायतों के आवासीय कमी वाले क्षेत्रों को 75 प्रतिशत तथा ग्रामीण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या को 25 प्रतिशत प्रधानता देकर तय की गई थी। तदनुसार कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु जि.ग्रा.वि.अ. से प्रखण्डों में निधि हस्तांतरित किया जाना था।

प्रखण्डवार/पंचायतवार लक्ष्यों के निर्धारण में योजना मापदंडों की अनदेखी की गई।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने उजागर किया कि जि.ग्रा.वि.अ. द्वारा उपरोक्त आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया गया। चूँकि किसी भी स्तर पर आवासीय कमी से संबंधित आँकड़ा उपलब्ध नहीं था, संबंधित जि.ग्रा.वि.अ. ने योजना मापदंडों का उल्लंघन करते हुए सिर्फ

5 *बाबू बरही, बौंसी, बिहटा, डेहरी, धनरूआ, गया सदर, कल्याणपुर, करहगर, कटौरिया, खिजरसराय, नासरीगंज, रजौन*

ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर प्रखंडों/पंचायतों को निधियों का आवंटन किया। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की अबादी को योजना के लाभ की प्राप्ति भी संदिग्ध थी।

सरकार ने बताया (नबंवर 2011) कि भारत सरकार द्वारा प्रत्येक जिला के लिए लक्ष्य का निर्धारण आवासीय कमी तथा गरीबी अनुपात के आधार पर किया गया। जिलों द्वारा इस लक्ष्यों का आवंटन अनुसूचित जातियों/जनजातियों की आबादी के आधार पर किया गया था क्योंकि आवास संबंधित आँकड़े 2001 के जनगणना पर आधारित थे और जिला अधिकारियों के पास बिना अद्यतन किए गए आँकड़ों का उपयोग करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था।

जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि योजना मापदंडों के अनुसार किसी भी नमूना जाँचित जि.ग्रा.वि.अ. द्वारा उचित प्राथमिकता नहीं दी गई थी (इं.आ.यो. मार्गदर्शिका क उपबंध 4.1)।

2.1.7 वित्तीय प्रबंधन

इं.आ.यो. एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जो राज्य के साथ 75:25 के अनुपातिक लागत आधार पर वित्त पोषित था। निधि सीधे जि.ग्रा.वि.अ. को दो किश्तों में विमुक्त की जाती थी। किसी जिला विशेष के लिए वित्तीय वर्ष के आरम्भ में कुल आवंटित राशि का 50 प्रतिशत के रूप में प्रथम किश्त विमुक्त की गयी थी। जबकि द्वितीय किश्त की विमुक्ति के लिए निर्धारित शर्तों में यह भी निर्धारित था कि जिला के पास प्रारंभिक शेष राशि पिछले वर्ष में कुल उपलब्ध निधियों का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो। योजना की निधियाँ तीन अवयवों से निर्मित थी यथा केन्द्रांश, राज्यांश और अन्य प्राप्तियाँ (जैसे ब्याज की प्राप्ति एवं अव्यवहृत शेष) इन निधियों को संबंधित प्र.वि.पदा. द्वारा इं.आ.यो. के लिए अलग से खोले गए बैंक खाते में रखा जाना था।

वर्ष 2006–11 के दौरान कुल उपलब्ध ₹ 12339.86[6] करोड़ की निधियों में से विभाग द्वारा ₹ 11609.04 करोड़ (94 प्रतिशत) व्यय किया गया। वर्ष 2006–11 के दौरान रू 9361.92 करोड़ के कुल अंश के विरूद्ध, विभाग ने भारत सरकार से रू 8567.78 करोड़ केन्द्रांश के रूप में प्राप्त किया। मार्गदर्शिका के निर्धारित मानकों से अधिक निधियों को अगले वित्तीय वर्ष में ले जाने के कारण केन्द्र सरकार द्वारा रू 794.14 करोड़ का शेष केन्द्रांश विमुक्त नहीं किया गया। नमूना जाँचित 18 प्रखंडों द्वारा इं.आ.यो. निधि की ₹ 325.35 करोड़ की राशि को अन्य योजनाओं की निधियों के साथ बैंक खाताओ में रखा गया, जिसके परिणामस्वरूप ब्याज की राशि का आकलन नहीं किया गया। इन्दिरा आवास योजना की ₹ 10.66 करोड़ एवं ₹ 13.35 करोड़ की निधियाँ को इन वर्षो के दौरान क्रमशः सेमिनार आयोजित करने एवं बी.पी.एल. सूची के पुनरीक्षण में विचलित किया गया।

राज्य स्तर पर एवं चयनित जि.ग्रा.वि.अ. में क्रमशः निधि के आवंटन, विमुक्ति एवं व्यय का विवरण **तालिका सं. 1** में नीचे दिया गया हैः

[6] *प्रारंभिक शेषः ₹ 741.14 करोड़, कुल विमुक्तिः ₹ 11507.81 करोड़ और अन्य प्राप्तियाँ, ₹ 84.91 करोड़।*

तालिका सं. 1
राज्य स्तर पर इं.आ.यो. निधियों का आवंटन, विमुक्ति एवं व्यय

वर्ष	आंरभिक शेष	निधि का आवंटन			निधि की विमुक्ति			अन्य प्राप्तियाँ	कुल उपलब्ध निधि (कु.उ.नि.)	व्यय	कुल अव्ययित शेष (कु. उ.नि. का प्रतिशत कोष्टक में)
		केंद्रांश	राज्यांश	कुल	केंद्रांश	राज्यांश	कुल				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10 (2+8+9)**	**11**	**12 (10-11)**
2006-07	741.14	789.73	263.24	1052.97	774.81	248.11+ 156.16*	1179.082006-	10.26	1930.48	1249.99	680.49 (35)
2007-08	680.49	1063.44	354.48	1417.92	1055.76	347.70	1403.46	0.00	2083.95	1524.40	559.55 (27)
2008-09	559.55	2065.20	688.40	2753.60	1767.00+ 701.07**	632.83	3100.90	29.68	3690.13	2223.43	1466.70 (40)
2009-10	1466.70	2882.25	960.75	3843.00	2008.55	775.88	2784.43	30.64	4281.77	3257.67	1024.10 (24)
2010-11	1024.10	2561.30	853.77	3415.07	2260.59	779.35	3039.94	14.33	4078.37	3353.55	724.82 (18)
कुल		**9361.92**	**3120.64**	**12482.56**	**8567.78**	**2940.03**	**11507.81**	**84.91**		**11609.04**	

(स्रोतः ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़े)

* *पूर्ववर्ती वर्षों के समरूप अंश के विरूद्ध ₹ 156.11 करोड़ की राशि विमुक्त की गयी।*

** *वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा की गयी ₹ 701.07 करोड़ की अतिरिक्त विमुक्तियाँ (सामान्य आवंटन के अतिरिक्त)।*

लेखापरीक्षा संवीक्षा में वित्तीय प्रबंधन के मामले में निम्नलिखित कमियाँ पाई गईः

2.1.7.1 दावों की अस्वीकृति

इन्दिरा आवास योजना मार्गदर्शिका के उपबंध 4.2 के अनुसार, केन्द्रीय सहायता प्रत्येक वर्ष दो किस्तों में विमुक्त की जाती थी। जबकि खास जिला के एक संपूर्ण आवंटन के 50 प्रतिशत के बराबर की प्रथम किस्त वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में विमुक्त की जानी थी, द्वितीय किस्त को पिछले किस्त के अप्रयुक्त शेष राशि के समायोजन के उपरांत (अगर 10 प्रतिशत से अधिक हो) विमुक्त किया जाना था। उस स्थिति में यदि अवशेष राशि का इस सीमा से अधिक होती है तो 10 प्रतिशत से अधिक का हिस्सा आनुपातिक रूप से केन्द्रीय हिस्सा का द्वितीय किश्त विमुक्त करने के समय काट लिया जाना था।

निधियों के अधिक अग्रसारण के कारण भारत सरकार द्वारा ₹ 794.14 करोड़ कम विमुक्त की गई।

तालिका सं. 1 से स्पष्ट है कि वर्ष 2006–11 के दौरान, कुल उपलब्ध निधियों की वृहत अव्यतित अवशेष राशि पड़ी थी जो 18 से 40 प्रतिशत तक विस्तारित थी। इस प्रकार निर्धारित सीमा से अधिक निधियों को अगले वर्षों में ले जाने से भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006–11 के दौरान ₹ 794.14 करोड़ की अवशेष राशि विमुक्त नहीं की गई।

सरकार द्वारा कहा गया (नवम्बर 2011) कि निधियों के अव्यतित रहने के कारणों में से एक उन राशियों का विलम्ब से विमुक्त (वर्ष के अन्त में) किया जाना था।

2.1.7.2 बैंक खाताओं का अनियमित संधारण

सरकारी परिपत्र (मई 2008) यह प्रावधानित करता था कि संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों द्वारा निधियों को मात्र वैसे बैंक खाताओं में रखना था जो कि अनन्य रूप से इंदिरा आवास योजना के लिए खोला गया हो। आगे, इस जमा राशियों से प्राप्त सूद को इंदिरा आवास योजना के संसाधनों का भाग माना जाना चाहिए। लेखापरीक्षा संवीक्षा ने बैंक खाताओं के अनियमित संचालन के सम्बन्ध में निम्नलिखित तथ्य उजागर किया:

- **अलग बैंक खाताओं का असंधारण**

लेखापरीक्षा संवीक्षा द्वारा यह प्रकट हुआ कि 18 प्रखंडों[7] में ₹ 325.35 करोड़ की इन्दिरा आवास की निधियाँ अन्य योजनाओं की निधियों के साथ बैंक खातों में रखी गई थी। इसके परिणामस्वरूप सूद की राशि की गणना इन्दिरा आवास योजना संसाधनों के रूप में नहीं की जा सकी।

प्रधान सचिव, ग्रा.वि.वि. ने कहा (नवम्बर 2011) कि हाँलांकि इन्दिरा आवास मार्गदर्शिका के अनुसार यह विशेष रूप से उल्लेखित नहीं था कि प्रखंडों द्वारा निधियाँ को अलग खाते में रखा जाना चाहिए, लेकिन लेखापरीक्षा की अनुशंसा ध्यातव्य थी।

जवाब मान्य नहीं था क्योंकि सरकार द्वारा मई 2008 में जारी परिपत्र में इन्दिरा आवास योजना के निधियों को संबंधित प्र.वि.पदा. द्वारा अलग बैंक खाता में रखे जाने की चर्चा की गयी थी।

- **अन्त शेष में अंतर**

प्रखंड विकास पदाधिकारी, मनिगाछी (दरभंगा) के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान पाया गया कि 31 मार्च 2011 को रोकड़ वही (अपग्रेडेशन[8]) का अंतःशेष तीन लाख रूपये था जबकि उस तिथि में बैंक खाता में अंत शेष मात्र ₹ 86 हजार ही था एवं परिणामतः बैंक खाता में ₹ 2.14 लाख की कमी थी। चूँकि रोकड़ बहियों के अंतःशेषों के विवरणों को समाशोधित नहीं किया गया था, इन अंतरों की लेखापरीक्षा के दौरान जाँच नहीं की जा सकी।

सरकार ने आश्वस्त किया (नवम्बर 2011) कि अंतर को समाशोधित कर लिया जाएगा।

2.1.7.3 निधियों का विचलन

भारत सरकार की स्वीकृति के अनुसार, इन्दिरा आवास योजना के निधियों का उपयोग नए आवासों का निर्माण में अथवा कच्चे आवास को पक्का आवास के उन्नयन करने हेतु था।

अन्य योजनाओं के क्रियाकलापों पर ₹ 24.01 करोड़ विचलित किए गए।

विभागीय मुख्यालय में नमूना जाँच के दौरान यह प्रकटित हुआ कि इं.आ.यो. हेतु वर्ष 2007–08 एवं वर्ष 2008–09 में यद्यपि क्रमशः ₹ 347.70 करोड़ एवं ₹ 632.83 करोड़ राशियाँ विमुक्त की गयी थी, तथापि क्रमशः ₹ 10.66 करोड़ एवं ₹ 13.35 करोड़ की योजना निधियों को इन वर्षो के दौरान सेमिनार आयोजित करने एवं बी.पी.एल. सूची के पुनरीक्षण हेतु विचलित किया गया।

7 *अरेराज ₹ 774.21 लाख, बहादुरपुर ₹ 2909.73 लाख, बौंसी ₹ 1001.75 लाख, चकिया ₹ 1251.77 लाख, दरभंगा सदर ₹ 3597.43 लाख, डेहरी ₹ 675.75 लाख, गया सदर ₹ 1960.35 लाख, गुरारू ₹ 1382.55 लाख, हरसिद्धि ₹ 2248.21 लाख, जयनगर ₹ 2461.13 लाख, कल्याणपुर ₹ 2748.62 लाख, करहगर ₹ 1179.44 लाख, खिजरसराय ₹ 2291.86 लाख. मोहनपुर ₹ 726.57 लाख, नासरीगंज ₹ 774.66 लाख, पंडौल ₹ 4706.63 लाख, फुलीडुमर ₹ 618.60 लाख और तारडीह ₹ 1225.67 लाख।*

8 *अद्यतन – कच्चे मकानों को पक्का मकानों में उन्नयन करने हेतु निधियों की रोकड़ पंजी।*

सरकार ने कहा (नवम्बर 2011) कि निधियों का विचलन नहीं किया गया बल्कि वित्त विभाग की सहमति से व्यय हुआ क्योंकि बी.पी.एल. सूचीकरण इन्दिरा आवास योजना में चयन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग था।

जवाब अपने आप में ही स्वीकारोक्ति थी कि ई.आ.यो. आवासों के निर्माणार्थ कर्णांकित राशि का उपयोग योजना मार्गदर्शिका के विपरीत अन्य उद्देश्यों हेतु किया गया था।

2.1.7.4 व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं किया जाना

इं.आ.यो. के मार्गदर्शिका के उपबंध 4.4.1 के अनुसार, प्राकृतिक आपदाओं एवं अन्य आकस्मिक स्थितियों जैसे कि आगजनी, दंगा, आदि में पीड़ितों को समय पर राहत देने हेतु उनके क्षतिग्रस्त आवासों के तुरंत निमार्ण के लिए जिला पदाधिकारी स्वयं की उपलब्ध निधि अथवा जिला इं.आ.यो. निधि से खर्च करने के लिए प्राधिकृत किये गये थे। जि.ग्रा.वि.अ. द्वारा किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जानी थी। इस हेतु जि.ग्रा.वि.अ. द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्रों के साथ इस प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्ताव भेजा जाना था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने उजागर किया कि आठ नमूना जाँचित जिलों में प्राकृतिक आपदा से पीड़ितों को ससमय राहत देने हेतु ₹ 8.08[9] करोड़ खर्च किए गए थे। इस व्यय में से लेखापरीक्षा की तिथि (अगस्त 2011) तक भारत सरकार को प्रस्ताव नहीं भेजे जाने के कारण ₹ 5.38 करोड़ की राशि की प्रतिपूर्ति लंबित थी। हाँलांकि, ₹ 2.07 करोड़ की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया था, जिसमें से अगस्त 2011 तक केवल ₹ 49 हजार की ही प्रतिपूर्ति की गयी थी।

सरकार ने कहा (नवंबर 2011) कि संबंधित जिले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु प्रक्रिया को गति देने हेतु कार्रवाई करेंगे।

2.1.8 योजना का क्रियान्वयन

इं.आ.यो. की मार्गदर्शिका के उपबंध 1.6 सहपठित सरकारी निर्देश (अक्टूबर 2006) के अनुसार, इं.आ.यो. का क्रियान्वयन संबंधित जिला परिषद/जि.ग्रा.वि.अ. द्वारा किया जाना था तथा इस योजना के तहत आवासों का निर्माण लाभुकों के द्वारा किया जाना था। प्रत्येक निवास इकाई के निमार्ण हेतु संबंधित प्र.वि.पदा. द्वारा लाभुकों को सहायता प्रदान किया जाना था।

भारत सरकार ने इं.आ.यो. के तहत वर्ष 2006–11 में 3651856 आवासों के निर्माण का लक्ष्य तय किया था इनमें से, 3340885 (91 प्रतिशत) आवासों को स्वीकृत किया गया था एवं इस अवधि के दौरान 2533176 (76 प्रतिशत) का निर्माण किया गया। लाभुकों को इं.आ.यो. आवासों को देर से स्वीकृत किए जाने के कारण स्वीकृति एवं उनकी उपलब्धि में कमी पायी गयी। आगे, यह भी पाया गया कि प्रतीक्षा सूची के क्रम को नजरअंदाज करते हुए लाभुकों को सहायता प्रदान की गयी थी। संबंधित जि.ग्रा.वि.अ. द्वारा तय किए गए वार्षिक लक्ष्यों के अनुसार प्रखंडों द्वारा पंचायतवार लाभुकों का चयन नहीं किया गया। ग्रामीण भूमिहीन बी.पी.एल. परिवारों को आवासों के निमार्ण हेतु जमीन उपलब्ध नहीं करायी गयी। विभाग ने भौतिक प्रगति की जाँच किए बगैर, जैसा ई.आ.यो.

[9] *बाँका: ₹ 106.35 लाख; दरभंगा: ₹ 55.27 लाख; पूर्वी चम्पारण: ₹ 152.34 लाख; गया: ₹ 72.10 लाख; मधुबनी: ₹ 97.30 लाख; पटना: ₹ 17.85 लाख; रोहतास: ₹ 22.60 लाख और समस्तीपुर: ₹ 284.25 लाख।*

मार्गदर्शिका के अनुसार अपेक्षित था, एकमुश्त भुगतानों को विमुक्त किया। नक्सल पैकेज के अन्तर्गत 10620 आवास देर से स्वीकृत किए जाने के कारण राजकोष पर ₹ 14.34 करोड़ का अधिक भार पड़ा। एक ही बी.पी.एल. नम्बर पर एक से अधिक लाभुकों को ई. आ. यो. आवास स्वीकृत किए गए एवं बेलागंज प्रंखड (गया) में द्वितीय किश्त रूप में नौ लाभुकों को ₹ 11000 प्रति के हिसाब से दो अवसरों पर भुगतान किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 99 हजार का दोबारा भुगतान हो गया। हाँलाकि निष्पादन लेखापरीक्षा में कार्यक्रम के क्रियान्वयन में निम्नलिखित कमियाँ उजागर हुयी।

2.1.8.1 लक्ष्यों की उपलब्धियाँ

इं.आ.यो. के मार्गदर्शिका के उपबंध 2.1 के अनुसार, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक जिला में इं.आ.यो. आवासों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तदनुसार, जि.ग्रा.वि.अ. द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु पंचायतवार आवासों के निर्माण/उन्नयन हेतु आवासों की संख्या निर्धारित किया जाना था। वर्ष 2006–11 के दौरान आवासों के निर्माण का वार्षिक लक्ष्य, सहायता प्रदत्तता एवं पूर्ण आवासों की स्थिति नीचे **तालिका 3** में दी गई है।

तालिका – 3

राज्य एवं नमूना जाँचित जि.ग्रा.वि.अ. में इं.आ.यो. के आवासों की भौतिक स्थिति

वर्ष	लक्ष्य		चयनित लाभुकों की सं.		पूर्ण आवासों की संख्या (पूर्व वर्षों के अपूर्ण आवासों को शामिल करते हुए)		पूर्ण		अपूर्ण	
	राज्य	नमूना जाँचित जि.ग्रा.वि.अ.	राज्य	नमूना जाँचित जि.ग्रा.वि.अ.	राज्य	नमूना जाँचित	राज्य	नमूना जाँचित	राज्य	नमूना जाँचित
1 अप्रैल 2006 को अपूर्ण आवास									**311818**	**123112**
2006-07	408350	137610	181428	88675	493246	211787	349704	71616	143542	140171
2007-08	580011	149765	614390	118465	757932	258636	436189	85463	321743	173173
2008-09	806590	226279	640581	157101	962324	330274	490486	118089	471838	212185
2009-10	1098001	365871	923589	243686	1395427	455871	678447	177963	716980	277908
2010-11	758904	235689	980897	275873	1697877	553781	578350	153550	1119527	400231
कुल	**3651856**	**1115214**	**3340885 (91)**	**883800 (79)**			**2533176 (76)**	**606681 (69)**		

(स्रोतः विभाग एवं नमूना जाँचित डी.आर.डी.ए. द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचना के आधार पर)
** कोष्ट में दिए गए आँकड़े मूल्यांकन का प्रतिषत दर्षाते हैं।*

राज्य में वर्ष 2006–11 में 91 प्रतिशत स्वीकृत लक्षित आवासों के विरूद्ध 76 प्रतिशत आवास ही पूर्ण किए गए।

वर्ष 2006–11 के दौरान, जबकि राज्य एवं नमूना जाँचित जिलों में क्रमशः 91 प्रतिशत एवं 79 प्रतिशत लक्षित आवासों की स्वीकृति, लाभुकों द्वारा निर्माण हेतु दी गयी थी, उनमें से 31 मार्च 2011 तक क्रमशः राज्य एवं नमूना जाँचित जिलों द्वारा स्वीकृत आवासों का केवल 76 प्रतिशत एवं 69 प्रतिशत को पूर्ण दिखाया गया था। इस प्रकार, लक्ष्य के विरूद्ध स्वीकृति एवं स्वीकृति के विरूद्ध आवासों के निर्माण में कम उपलब्धि मुख्यतः देर से इं.आ.यो. आवासों की स्वीकृति मिलने एवं मानव शक्ति की कमी के कारण थी।

चयनित प्रखंडों के अभिलेखों के नमूना जाँच से यह प्रकटित हुआ कि इस तरह का कोई अभिलेखित साक्ष्य नहीं था जो कि पूर्ण आवासों के आकड़ों को समपुष्ट करता। प्रखंड कर्मियों द्वारा कहा गया कि जब लाभुकों को द्वितीय/अंतिम किस्त विमुक्त किया जाता था तब आवासों के निर्माण को पूर्ण समझ लिया जाता था। आगे, सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए भौतिक सत्यापन को दर्शाने वाला कोई अभिलेखित साक्ष्य

अभिलेख में उपलब्ध नहीं था जिससे विमुक्त निधियों के विरूद्ध आवासों की वास्तविक पूर्णता को सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रकार आवासों के निर्माण/उन्नयन हेतु उपलब्ध कराए गए धन के दुरूपयोग/अपव्यय होने से इन्कार नहीं किया जा सकता था।

सरकार ने कहा (नवम्बर 2011) कि अपने संसाधन द्वारा ई.आ.यो. के आवासों की पूर्णता की स्थितियों की भौगोलिक स्थिति एवं समय के मोहर वाले फोटोग्राफ द्वारा जाँच हेतु भौतिक सत्यापन का किया जाना प्रक्रियाधीन था।

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि इन्दिरा आवास मार्गदर्शिका के अनुसार प्रत्येक पूर्ण ई.आ. यो. के आवासों पर भारत सरकार का लोगो, निर्माण का वर्ष दर्शाने वाला प्रदर्श बोर्ड लगा होना चाहिए था। लेकिन, इसके विपरित लाभुकों को द्वितीय किश्त की विमुक्ति के साथ ही आवासों को पूर्ण मान लिया गया। प्रखंड में संधारित की जाने वाली योजना पंजी में इं.आ.यो. के आवासों की पूर्णता स्थिति को अवश्य दर्ज किया जाना था।

2.1.8.2 प्रतीक्षा–सूची में वरीयता की अनदेखी कर लाभुकों को सहायता दिया जाना

इं.आ.यो. की मार्गदर्शिका के उपबंध 2.1 के अनुसार इन्दिरा आवास योजना की प्रतीक्षा सूची के वरीयतानुसार लाभुकों को सहायता दिया जाना था। आगे, भारत सरकार के पत्र (मई 2006) के अनुसार निर्धनतम आवासविहीन व्यक्ति को उच्च प्राथमिकता दिया जाना था एवं इं.आ.यो. की प्रतिक्षा–सूची में अंकित अंकों के बढ़ते हुए क्रमानुसार[10] प्राथमिकता सूची का पालन करना, यथा सबसे कम अंक वाला व्यक्ति को सबसे अधिक योग्य लाभुक समझना, था।

प्रतीक्षा सूची की वरीयता की अनदेखी करते हुए लाभुकों को आवास स्वीकृत किए गए।

नमूना जाँचित प्रखंडों की संवीक्षा ने प्रकटित किया कि लाभुकों को तदर्थ आधार पर सहायता देकर मार्गदर्शिका की अवहेलना की गयी। वर्ष 2006–11 में सभी नमूना जाँचित प्रखंडों में कम अंक वाले लाभुकों को ध्यान में रखे बगैर उच्च अंक वाले लाभुकों को इकाई सहायता प्रदान की गई। प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा इं.आ.यो. के मार्गदर्शिका का पालन नहीं किये जाने से योजना क्रियान्वयन को छलयोजित किए जाने अथवा लाभुकों को अदेय सहायता दिये जाने से जोखिम के प्रति उजागर किया। इस प्रकार प्रखंड स्तर पर लाभुकों के चयन की विश्वसनीयता एवं पारदर्शिता कदाचार के प्रति अतिसंवदेनशील थी।

सरकार ने लेखापरीक्षा के प्रयत्नों की सराहना की और कहा (नवम्बर 2011) कि विभाग का इन मुद्दों के प्रति शून्य विचलन सहनशीलता थी और आश्वस्त किया कि इस तरह की चूकों का तार्किक विश्लेषण करते हुए तथ्यों की जाँच की जाएगी।

2.1.8.3 इं.आ.यो. लाभुकों का अनियमित चयन

इं.आ.यो. की मार्गदर्शिका का उपबंध 2.1 में भारत सरकार द्वारा राज्य के लिए आवंटित निधियों एवं निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर जि.ग्रा.वि.अ. द्वारा प्रत्येक पंचायतों का लक्ष्य निर्धारित किया जाना परिकल्पित था।

[10] *ऐसे ग्रामीण परिवार जिनके 0 और 13 के बीच अंक है (अधिकतम 52 अंक में से जो कि 13 पारामीटरों पर आधारित था जैसे– जमीन का क्षेत्र, मकान का प्रकार, आश्रितों की संख्या, खाद्यान सुरक्षा, शौचालयों, उपभोक्तावादी वस्तुएँ, साक्षरता, रोजगार की स्थिति, जीवनयापन का माध्यम, बच्चों की शैक्षिक स्थिति, ऋण की स्थिति, प्रवजनन का कारण, और सहायता की जरूरत) को बिहार में बी.पी.एल. परिवार समझा गया।*

मार्गदर्शिका के अनुसार पंचायतवार लाभुकों का चयन सुनिश्चित नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा संवीक्षा से यह प्रकटित हुआ कि वर्ष 2006–11 में छः[11] नमूना जाँचित जि.ग्रा.वि.अ. के नौ प्रखंडों[12] में संबधित जि.ग्रा.वि.अ. द्वारा निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों के अनुरूप प्रखंडों द्वारा पंचायतवार लाभुकों का चयन नहीं किया गया। यहाँ तक कि संवीक्षा अवधि में 37 पंचायतों में लाभुकों का चयन नहीं किया गया जबकि 13 पंचायतों में वार्षिक लक्ष्यों का 138 और 539 प्रतिशत के बीच अधिक लाभुकों का चयन किया गया था। इस प्रकार, मार्गदर्शिका के अनुसार पंचायतवार लाभुकों का चयन सुनिश्चित नहीं किया गया। अतः उन पंचायतों में चयन अनुचित था एवं अपेक्षित लाभुकों को उसके देय लाभ से वंचित रखा गया।

सरकार ने कहा (नवम्बर 2011) कि कुछ बाध्यता के कारण कुछ पंचायतों में योग्य लाभुकों का चयन नहीं किया जा सका होगा अथवा कुछ पंचायतों में अधिक लाभुकों को इं.आ.यो. की निधियाँ प्रदान की गयी होंगी, जिसका आवश्यक सत्यापन किया जाना है।

2.1.8.4 भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाना

भारत सरकार ने (अगस्त 2009) इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत ग्रामीण भूमिहीन बी.पी.एल. परिवारों को आवास निर्माण हेतु भूमि आवंटित कराने का प्रावधान किया था। यह योजना इं.आ.यो. के एक भाग के रूप में क्रियान्वित की जानी थी और भूमि की लागत को भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीच 50:50 के अनुपात में बाँटा जाना था। तदनुसार, मार्च 2010 में भारत सरकार ने ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के आवासों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण करने हेतु राज्य सरकार को ₹ 53.34 करोड़ उपलब्ध कराया। सरकार को योग्य बी.पी.एल. परिवारों को उपर्युक्त भूमि उपलब्ध कराना था।

भूमिहीन एवं बी.पी.एल. परिवारों हेतु इं.आ.यो. के आवासों के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए उपलब्ध कराए गए ₹ 53.34 करोड़ की राशि का उपयोग नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा जाँच द्वारा यह प्रकटित हुआ कि यह योजना लागू नहीं की जा सकी क्योंकि विभाग के पास राज्य में भूमिहीन बी.पी.एल. परिवारों की संख्या का कोई आधारभूत आँकड़ा उपलब्ध नहीं था। सरकार ने न ही अपना समरूप अंशदान विमुक्त किया और न ही निधि के उपयोग के संबंध में कोई निर्देश ही जारी किया। इस प्रकार, नमूना जाँचित जिलों के किसी भी उ.वि.आ. ने लेखापरीक्षा तिथि (अगस्त 2011) तक निधियों का उपयोग नहीं किया था। परिणामस्वरूप योग्य भूमिहीन बी.पी.एल. परिवारों को लाभ से वंचित किया गया।

सरकार ने कहा (नवम्बर 2011) कि अंचल कार्यालय द्वारा भूमिहीन बी.पी.एल. परिवारों हेतु भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी थी।

जवाब मान्य नहीं था क्योंकि किसी भी नमूना जाँचित जि.ग्रा.वि.अ. द्वारा लेखापरीक्षा तिथि तक भूमि के अधिग्रहण हेतु निधियों का उपयोग नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप योग्य परिवारों को अभीष्ठ लाभ नहीं दिया जा सका।

2.1.8.5 भुगतान की एकमुश्त विमुक्ति

इंदिरा आवास योजना मार्गदर्शिका के उपबंध 4.10 के अनुसार लाभार्थियों को भुगतान समय–समय पर भौतिक कार्य की प्रगति के आधार पर किया जाना था। लाभार्थियों को समस्त राशि का एकमुश्त भुगतान देय नहीं था।

[11] *दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गया, मधुबनी, पटना और रोहतास।*

[12] *बिहटा, चकिया, दुल्हिन बाजार, गया सदर, हरसिद्धि, कल्याणपुर, खिजरसराय, लदानिया, और मनीगाछी।*

वर्ष 2006–10 के दौरान कार्य की भौतिक प्रगति/ सत्यापन प्रतिवेदन से संबद्ध किये बगैर ही लाभुकों को भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने उजागर किया कि इन मार्गदर्शिकाओं का उल्लंघन करते हुए वर्ष 2006–10 के दौरान लाभुकों के भुगतान को कार्य की प्रगति से असंबद्ध करते हुए किया गया तथा भौतिक निरीक्षण एवं नियंत्रण के आवश्यकता की भी अनदेखी की गयी जो उसके अभीष्ट उद्देश्यों पर उपयोग किये जाने को सुनिश्चित करते। यह इस तथ्य से स्पष्ट था कि सरकार ने लाभुकों को ₹ 25000 की कुल प्रदत्तता राशि के विरूद्ध, ₹ 24000 के एकमुश्त भुगतानों को, भौतिक प्रगति से संबद्ध किए बगैर, जैसा कि मार्गदर्शिकाओं के तहत् आवश्यक था, विमुक्त करने का निर्देश (अक्टूबर 2006) जारी किया। पुनःश्च, सरकार ने किसी सरकारी कर्मचारी/पंचायत सेवक से भौतिक जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किये बगैर लाभुकों को एकमुश्त अग्रिम के विमुक्ति के दो माह के अंदर, यह मानते हुए कि इन दो माह में लिंटल स्तर तक कार्य पूर्ण किया जा चुका था, लाभुकों की शेष राशि को विमुक्त करने का निर्देश (मई 2008) जारी किया।

यद्यपि 2010–11 में सरकार ने मार्गदर्शिकाओं का अनुसरण करने की आवश्यकता महसूस की और संबंधित प्र.वि.पदा. को निदेशित (जून 2011) किया कि लाभार्थियों द्वारा निर्माण कार्य लिन्टल स्तर तक पूर्ण कर लेने के उपरांत ही द्वितीय किश्त की राशि का भुगतान किया जाए। इसके बावजूद प्र.वि.पदा. द्वारा निर्देशों का पालन नहीं किया गया और भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किये बगैर ही निधियों की विमुक्ति जारी रही। निरीक्षण में इस प्रकार के छूट दिये जाने से लाभार्थियों द्वारा राशि का दुरूपयोग किया जाना संभावित था।

सरकार द्वारा कहा गया (नवम्बर 2011) कि पूर्व में प्रायोगिक तौर पर भौतिक सत्यापन की शर्त्तों में छूट गरीब आदमी को शोषण से बचाने के लिए दी गई थी। अब द्वितीय किश्त विमुक्त किये जाने के पूर्व भौतिक सत्यापन आवश्यक कर दिया गया था।

2.1.8.6 विलम्ब से स्वीकृति दिये जाने के कारण अतिरिक्त भार

इंदिरा आवास योजना की मार्गदर्शिका के उपबंध 2.1 के अनुसार, जिला पंचायत/जिला परिषद/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (जि.ग्रा.वि.अ.) को किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन और निर्धारित लक्ष्य के मद्देनजर पंचायतवार आवासों के निर्माण/उन्नयन हेतु आवासों की संख्या को तय करना था।

इं.आ.यो. आवासों की विलम्ब से स्वीकृत के कारण ₹ 14.34 करोड़ का अतिरिक्त भार आरोपित हुआ।

जि.ग्रा.वि.अ., रोहतास में पाया गया कि नक्सल पैकेज[13] के अंतर्गत 19698 आवासों के निर्माण लक्ष्य के विरूद्ध ₹ 35000 के दर पर (वर्ष 2009–10) मात्र 9078 आवास स्वीकृत किए गए थे। इसके बाद शेष 10,620 आवास वर्ष 2010–11 में ₹ 48500 के बढ़े हुए दर पर स्वीकृत किए गए थे। इस प्रकार 10,620 आवासों के देर से स्वीकृत किए जाने के परिणामस्वरूप राजकीय राजकोष पर ₹ 14.34 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ा।

सरकार ने बहिर्गमन सम्मेलन (नवम्बर 2011) में लेखापरीक्षा की आपत्तियों को स्वीकार किया।

[13] *नक्सल उन्मूलन के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008–09 में इंदिरा आवास के निर्माण के लिए विशेष पैकेज छः जिलों हेतु, यथा अरवल, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, जमुई और रोहतास के लिए, स्वीकृत किया गया था।*

2.1.8.7 एक बी.पी.एल. संख्या के विरूद्ध एक से अधिक लाभार्थियों को निधियों की विमुक्ति

विभागीय आदेश (दिसम्बर 2008) के अनुसार प्र.वि. पदाधिकारियों को वर्त्तमान लाभार्थी को इंदिरा आवास स्वीकृत करने के पूर्व यह आश्वस्त होना था कि वर्तमान लाभार्थी या उसके परिवार के अन्य सदस्य ने इंदिरा आवास योजना के तहत् लाभ प्राप्त नहीं किया था।

एक बी.पी.एल. संख्या पर एक से अधिक लाभार्थियों को सहायता देने से 67 व्यक्तियों को ₹ 17.80 लाख का अनियमित लाभ दिया गया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में यह प्रकटित हुआ कि वर्ष 2006–11 में नौ[14] प्रखंडों में एक बी.पी. एल. संख्या के विरूद्ध दो से पाँच लाभार्थियों को सहायता राशि का प्रदान किया गया था। इस प्रकार, 50 बी.पी.एल. संख्याओं के विरूद्ध 117 व्यक्तियों को ₹ 28.12 लाख स्वीकृत किये जाने के परिणामस्वरूप 67 व्यक्तियों को ₹ 17.80 लाख का अनियमित लाभ दिया गया ***(परिशिष्ट 2.1)***।

सरकार द्वारा (नवंबर 2011) 27 मामलों में दोहरे भुगतान को स्वीकार करते हुए कहा गया कि अन्य 23 मामलों में इन बी.पी.एल. परिवारों के सदस्यों के व्यस्क होने एवं अलग पारिवारिक इकाई निर्मित किए जाने के कारण भुगतान किया गया।

अलग परिवारिक इकाइयों के निर्माण के सम्बंध में बताए गए कारण स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि सदस्य के व्यस्क होने एवं अलग पारिवारिक इकाई बनाए जाने की स्थिति में बी.पी.एल. सूची में उसकी नयी पहचान संख्या होनी चाहिए थी।

2.1.8.8 दोहरा भुगतान

नौ लाभार्थियों को दो अवसरों पर द्वितीय किश्त के विमुक्ति के परिणामस्वरूप ₹ 99 हजार का दुबारा भुगतान हुआ।

गया जिले के बेलागंज प्रखंड में नौ लाभार्थियों में प्रत्येक को ₹ 11000 द्वितीय किश्त की दर से दो बार (जनवरी 2010 एवं फरवरी 2010) भुगतान किया गया था फलस्वरूप ₹ 99 हजार का दोहरा भुगतान किया गया ***(परिशिष्ट 2.2)***।

सरकार ने इस चूक को स्वीकार किया (नवंबर 2011) और कहा कि राशि की वसूली की जा चुकी थी एवं उत्तरदायी पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

2.1.8.9 इंदिरा आवास योजना की निधियों का ग्राम पंचायत को अनियमित हस्तान्तरण

सरकार के आदेश (अक्टूबर 2006) के अनुसार इंदिरा आवास योजना की राशि का संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में हस्तांतरण किया जाना था। हाँलांकि, लेखापरीक्षा संवीक्षा के दौरान पाया गया कि उक्त तथ्यों की अवहेलना करते हुए वर्ष 2006–07 में पूर्वी चंपारण जिला के 25 प्रखंडों द्वारा 14 ग्राम पंचायतों को ₹ 14.24 करोड़ की सहायता प्रदान की गई थी। इसी प्रकार मधुबनी जिले के बाबूबरही प्रखंड के 20 ग्राम पंचायतों के मुखियों को ₹ 97.81 लाख की सहायता राशि उपलब्ध (वर्ष 2006–07 में) करायी गई थी। उपरोक्त कुल राशियों में से ₹ 7.66 करोड़ पूर्वी चम्पारण एवं ₹ 79.56 लाख (बाबूबरही) के उपयोग का ब्यौरा अंकेक्षण की अवधि (जुलाई 2011) तक उपलब्ध नहीं कराया गया था।

उप–विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण ने कहा कि तत्कालीन जिला पदाधिकारी के आदेशानुसर से भुगतान किया गया था।

[14] *अरेराज, बिहटा, चकिया, गया सदर, गुरारू, हरसिद्धि, कटोरिया, फुलीडुमर और राजपुर।*

इस प्रकार उत्तर से यह प्रमाणित होता था कि ग्राम पंचायतों और मुखियों को अनियमित रूप से निधियाँ विमुक्त की गई थी और ₹ 8.45 करोड़ के अनुपयोगित रहने के कारण अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं किया जा सका।

2.1.8.10 कालाजार पैकेज के अंतर्गत सहायता

इंदिरा आवास योजना को कालाजार से प्रभावित गाँवों तक विस्तारित करने के लिए वर्ष 2006–07 एवं वर्ष 2008–09 में भारत सरकार द्वारा दो विशेष पैकेजों को आरंभ किया गया था। प्रथम पैकेज में सरकार ने ₹ 24.30 करोड़ स्वीकृत किया एवं 'मुशहर' समुदाय के लिए 12,840 आवासों (प्रत्येक चयनित कालाजार प्रभावित गाँवों में 60 इं.आ. यो. आवास) के निर्माण हेतु सात[15] जिलों में 214 अत्यधिक कालाजार प्रभावित गाँवों का चयन किया। द्वितीय पैकेज में, 15[16] जिलों के 1219 गाँवों में बी.पी.एल. परिवारों के लिए 73,140 इं.आ.यो. आवासों के निर्माण का निर्णय लेते हुए भारत सरकार द्वारा (फरवरी 2009) ₹ 191.99 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी। सरकार को द्वितीय किश्त के विमुक्ति के लिए एक प्रस्ताव के साथ चार्टेड लेखाकार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण पत्र, लेखापरीक्षित लेखे, बैंक समाशोधन विवरणी, प्रखंडवार व्यय विवरणी और भौतिक उपलब्धि उपस्थापित करना था। कालाजार पैकेज के अभिलेखों की नमूना जाँच में निम्नांकित अनियमितताएँ पाई गई :

- **लाभार्थियों को द्वितीय किश्त की राशि विमुक्त नहीं किया जाना**

लेखा परीक्षा द्वारा दो[17] नमूना जाँचित जि.ग्रा.वि.अ. कार्यालयों में पाया गया कि संबंधित जि.ग्रा.वि.अ. द्वारा समय से उपयोगिता प्रमाण पत्र उपस्थापित नहीं किये जाने के कारण भारत सरकार द्वारा द्वितीय किश्त की राशि विमुक्त नहीं की गई थी। यह भी पाया गया कि इस जिले में कालाजार से प्रभावित चार[18] प्रखंडों के किसी लाभार्थी को द्वितीय किश्त की राशि का लाभ नहीं दिया गया था। इसके कारण ₹ 2.85[19] करोड़ का व्यय किये जाने के बावजूद 1302 लाभार्थियों का आवास अपूर्ण रहा।

सरकार ने जवाब (नवंबर 2011) दिया कि जि.ग्रा.वि.अ., समस्तीपुर द्वारा द्वितीय किश्त का प्रस्ताव बहुत पहले ही भारत सरकार, ग्रामीण वि0 मंत्रालय को भेजा जा चुका था।

सरकार का जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि भारत सरकार द्वारा (नवंबर 2010) में इन संबंधित जिलों से माँग किए गए उपयोगिता प्रमाण पत्र/ लेखापरीक्षित लेखे/पृच्छाओं का उत्तर अभी तक नहीं भेजा गया था।

- **गैर–कर्णांकित गाँवों के लाभार्थियों के आवासों की अनियमित स्वीकृति**

भारत सरकार के निदेशानुसार, विभाग द्वारा विशेष रूप से कालाजार प्रभावित गाँवों की उपलब्ध कराई गई सूची से लाभार्थियों का चयन किया जाना था।

15 *पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, सारण और वैशाली।*

16 *अररिया, बेगुसराय, पूर्वी चम्पारण, दरभंगा, गोपालगंज, कटिहार, खगड़िया, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णियाँ, समस्तीपुर, सहरसा, सारण, सीतामढ़ी और वैशाली।*

17 *पूर्वी चम्पारण और समस्तीपुर।*

18 *चकिया, हरसिद्धि, मोहनपुर और शाहपुर पटोरी।*

19 *चकिया (350 लाभार्थीः ₹ 84 लाख); हरसिद्धि (525 लाभार्थीः ₹ 126 लाख); मोहनपुर (166 लाभार्थीः ₹ 29.05 लाख) एवं शाहपुर पटोरी (261 लाभार्थीः ₹ 45.67 लाख)।*

गैर–कर्णांकित गाँवों के लाभार्थियों के चयन के परिणापस्वरूप ₹ 1.33 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि दो[20] प्रखंडों के नौ गाँवों, जो स्वीकृत पत्र के संलग्नक में शामिल नहीं थे, के 443 लाभार्थियों का चयन किया गया था। गैर–कर्णांकित गाँवों के अयोग्य लाभार्थियों के चयन किये जाने के कारण ₹ 1.33 करोड़ का अनियमित भुगतान किया गया। इस प्रकार दो प्रखंडों (अरेराज एंव चकिया) के गैर–कर्णांकित गाँवों के 443 लाभार्थियों को ₹ 1.33 करोड़ का अनियमित भुगतान किया गया था।

सरकार ने (नवंबर 2011) लेखापरीक्षा के तथ्यों को स्वीकार किया एवं दोषी कर्मियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.1.8.11 प्रखंड स्तर पर मूल अभिलेखों का संधारण नहीं किया जाना

इंदिरा आवास योजना की मार्गदर्शिका के उपबंध 5.9 के अनुसार, इंदिरा आवास योजना की कार्यकारी एजेंसी को एक पूर्ण इनभेंट्री तैयार करना था जिसमें आवास निमार्ण का विस्तृत ब्यौरा यथा कार्य की प्रगति, कार्यारंभ एवं समाप्ति की तिथि, गाँव का नाम जिसमें अवस्थित है, नाम, पता, व्यवसाय और लाभार्थियों की कोटि इत्यादि शामिल होनी चाहिए थी। लाभार्थियों के पहचान एवं चयन में दोहरीकरण से बचने के लिए यह इनभेंट्री एक महत्वपूर्ण दस्तावेज थी।

पुनः सरकार द्वारा जिला पदाधिकारी/उप–विकास आयुक्त/प्रखंड वि. पदा. को दिए गए निर्देश (मई 2008) के अनुसार प्रत्येक पंचायतों के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा लाभुकों के संदर्भ में पूर्ण सूचनाओं का ब्यौरा यथा लाभुकों का नाम, उम्र, स्थायी पता, जाति, बी.पी.एल. सं., प्रतीक्षा सूची की क्रम सं., फोटोग्राफ, बचत खाता सं. का ब्यौरा, साथ ही लाभार्थियों के पिता/पति का नाम, निर्माण स्थल की चौहद्दी इत्यादि तैयार किया जाना था।

नमूना जाँचित प्रखंडों में प्र.वि.पदा. द्वारा संधारित मूल अभिलेखों में ब्यौरे यथा इन्भेन्ट्री, लाभुकों की सूची दर्ज नहीं थे।

नमूना जाँचित जिलों में अभिलेखों की संवीक्षा ने उजागर किया (जून से अगस्त तथा अक्टूबर 2011) कि प्र.वि.पदा. द्वारा संधारित अभिलेख यथा योजना–पंजी आदि में केवल लाभान्वितों के नाम, पिता/पति का नाम, योजना संख्या और भुगतानों के विवरण दर्ज थे।

लाभार्थियों के पहचान सम्बन्धी इन विस्तृत विवरणी के अभाव में इस योजना के अंतर्गत निर्माण किए गये आवासों या गृहविहीन परिवारों की सूची तैयार करना संभव नहीं था।

सरकार ने (नंवबर 2011) इस तथ्य को स्वीकार किया कि इं.आ.यो. के अभिलेखों के उचित संधारण की आवश्यकता थी तथा भविष्य में अनुपालन के प्रति आश्वस्त किया।

2.1.9 अल्प अभिसार (चूल्हा, शौचालय, पेय जल, विद्युतीकरण इत्यादि)

इं.आ.यो. की मार्गदर्शिका के उपबंध 3.2 एवं 5 .1 के अनुसार जि.ग्रा.वि.अ. को प्रत्येक इंदिरा आवास में सभी सुविधाएँ यथा एक शौचालय, धुँआरहित चूल्हा और पेयजल मुहैय्या करवाने हेतु सभी प्रयास करना था तथा इन्हें सरकार की अन्य योजनाओं के साथ यथा संपूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम और मुफ्त विद्युत उपलब्ध कराने हेतु 'राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना' के साथ सामंजस्य स्थापित करना था।

वर्ष 2006–11 में नमूना जाँचित जि.ग्रा.वि.अभि. के मासिक प्रगति प्रतिवेदनों (मा.प्र.प्र.) की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि इं.आ.यो. के निर्मित आवासों में धुँआ रहित चूल्हा, शौचालय एवं विद्युत–संयुक्तता क्रमशः चार, पाँच एवं एक प्रतिशत थी क्योंकि

[20] *अरेराज एवं चकिया।*

उपरोक्त योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाले संबंधित विभागों में समन्वय का अभाव था।

बहिर्गमन बैठक के दौरान दो जि.ग्रा.वि.अभि. यथा पूर्वी चम्पारण एवं गया ने योजना के अभिसार का साक्ष्य प्रस्तुत किया।

2.1.10 इं.आ.यो. पट्ट एवं लोगो का प्रदर्शन नहीं किया जाना

इं.आ.यो. मार्गदर्शिका के उपबंध 5.10 के अनुसार आवास इकाइयों की पूर्णता पर सम्बद्ध जि.ग्रा.वि.अ. को इं.आ.यो. आवासों पर भारत सरकार के ग्रामीण आवास का लोगो, निर्माण का वर्ष, लाभार्थी का नाम आदि का अधिष्ठापन सुनिश्चित करना था। इस मद पर किए गए खर्च को योजना के उपलब्ध निधि द्वारा अर्जित सूद की राशि से किया जाना था। संवीक्षा में पाया गया कि 31 प्रखंडों में से केवल पाँच[21] प्रखंडों में ₹ 6.79 लाख खर्च किया गया था।

सरकार ने कहा (नवम्बर 2011) कि अनेक इं.आ.यो. आवासों पर लोगो का अधिष्ठापन किया गया था। इनमें से कुछ को ग्रामीण विकास विभाग के वेबसाइट पर देखा जा सकता था।

जवाब तथ्य से परे था क्योंकि 31 में से 26 नमूना जाँचित प्रखंडों में लोगो के अधिष्ठापन पर कोई खर्च नहीं किया गया था।

2.1.11 अनुश्रवण एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की निगरानी एवं अनुश्रवण समिति (वी.एम.सी.) के दिशा निर्देश की कंडिका 3.5 के अनुसार इं.आ.यो. की अनुश्रवण की जिम्मेवारी राज्य एवं जिलों स्तर के वी.एम.सी. की थी। वी.एम.सी. को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अनुश्रवण में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी। दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य एवं जिला स्तर पर वी. एम.सी. की बैठक प्रत्येक तिमाही में आहूत की जानी थी।

आगे इं.आ.यो. मार्गदर्शिका के उपबंध 6.1 के अनुसार राज्य मुख्यालय स्तर पर इं.आ.यो. से संबंधित अधिकारियों द्वारा जिलों का नियमित रूप से भ्रमण कर योजना का संतोषजनक कार्यान्वयन तथा आवासों के विहित प्रक्रिया के अनुरूप निर्माण किये जाने को सुनिश्चित करना था। उसी प्रकार जिला एवं प्रखंड स्तर के अधिकारियों को कार्य स्थलों पर पहुँच कर इं.आ.यो. के विभिन्न पहलुओं का अनुश्रवण करना था। राज्य स्तर पर प्रखंड स्तर तक पर्यवेक्षी स्तर के अधिकारी क्षेत्रीय भ्रमणों की न्यूनतम संख्या निर्धारित करते हुए एक निरीक्षण सारणी तैयार की जानी थी एवं इसका दृढ़ता से अनुपालन किया जाना था।

सरकार द्वारा सावधिक प्रतिवेदन/विवरणी, विहित किया जाना था जिससे जिला में इं. आ.यो. का अनुश्रवण किया जाना था। सरकार के दिशानिर्देश (मई 2009) के अनुसार प्रखंड स्तर पर शत–प्रतिशत इं.आ.यो. आवासों का निरीक्षण किया जाना था।

[21] *अरेराजः ₹ 35000; बाबूबरहीः ₹ 11370; बिहटाः ₹ 107520; कटोरियाः ₹ 384000 एवं पंडौलः ₹ 141063।*

राज्य एवं जिला दोनों स्तरों पर कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं सावधिक समीक्षा अप्रभावकारी एवं अपर्याप्त थी।

वी.एम.सी. के दिशानिर्देशों के अनुसार वर्ष 2006–11 के दौरान राज्य स्तर एवं सभी जिला स्तरों पर कुल 20 बैठकें (चार बैठकें प्रति वर्ष) आयोजित की जानी थी। हाँलांकि राज्य स्तर पर सिर्फ दो बैठकें की गई। नमूना जाँचित जिलों में पाया गया कि वर्ष 2006–11 के दौरान 20 बैठकों के विरूद्ध दो से 15 बैठकें आयोजित की गई। यह भी पाया गया कि बैठकों में किए गए प्रेक्षणों पर अनुवर्ती कार्रवाई के प्रतिवेदनों को भी कार्यकारी एजेंसियों द्वारा वी.एम.सी. को नहीं दिया गया था।

जब उपरोक्त निरीक्षणों को विहित प्रक्रिया के अनुरूप संपादित नहीं किया गया, तब विभाग द्वारा प्र.वि.पदा./अनु.पदा./जि.पदा. के लिए मासिक निरीक्षणों की सूची निर्धारित की गयी जिससे इं.आ.यो. आवासों की पूर्णता सुनिश्चित की जा सके। तत्पश्चात इन निरीक्षण प्रतिवेदनों के आधार पर एक व्यापक प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी द्वारा विभागीय मुख्यालय में भेजा जाना था। नमूना जाँचित जिलों के लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि न तो उपरोक्त निरीक्षण किये गये एवं न ही कोई प्रतिवेदन विभागीय प्राधिकारियों को भेजे गये।

सरकार ने कहा (नवम्बर 2011) कि यद्यपि वी.एम.सी. की बैठक प्रत्येक तिमाही में आहूत नहीं की गई, इससे यह निष्कर्ष लेना गलत होगा कि अनुश्रवण अप्रभावी था। ग्रा.वि.वि. के अधिकारियों एवं जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा ससमय भ्रमण किया गया एवं इं. आ.यो. और अन्य योजनाओं का निरीक्षण किया गया। वी.एम.सी. के बैठकों में अनुवर्ती कार्रवाई प्रतिवेदित भी की गई। इस प्रकार इं.आ.यो. के अनुश्रवण को मजबूत करने के लिए लिखी गई चिट्ठी से यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि कोई निरीक्षण या पर्यवेक्षण के नहीं किए जाने के प्रति विभाग की स्वीकारोक्ति है।

2.1.11.1 अवास्तविक प्रतिवेदन/विवरणी

जि.ग्रा.वि.अभि./प्रखंडों द्वारा भेजे गए प्रगति प्रतिवेदनों के आधार पर राज्य स्तर पर भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियाँ संकलित की जाती थी। नमूना जाँच के दौरान पाया यह पाया गया कि प्रतिवेदन और विवरणी वास्तविक तथ्यों पर आधारित नहीं थी क्योंकि लाभार्थी के अंतिम किस्त के भुगतान के आधार पर इं.आ.यो. के आवासों के निर्माण की पूर्णता प्रतिवेदित कर दी गयी थी। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि मासिक प्रगति प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित वार्षिक व्यय उस वर्ष की रोकड़ पंजी के अनुसार वास्तविक व्यय से मेल नहीं खाते थे।

जवाब में सरकार ने कहा (नवम्बर 2011) कि आवास की पूर्णता के सम्बन्ध में स्पष्ट दिशानिर्देशों के अभाव में उपरोक्त विषय पर अधिकारियों में विरोधाभास हो सकता था। अतः यह कहना उचित नहीं होगा कि कार्य स्थलों के निरीक्षणों या भौतिक सत्यापनों से यह संकलन सत्यापित नहीं था।

2.1.12 सारांश

इं.आ.यो. के निष्पादन लेखापरीक्षा ने उजागर किया कि वार्षिक योजनाएँ अनिर्मित एवं मासिक लक्ष्य अनिर्धारित थे। योग्य लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया सही नहीं थी चूँकि आवासविहीन बी.पी.एल. परिवारों की इं.आ.यो. प्रतिक्षा–सूची नहीं बनाई गई थी। केन्द्रांश की कम विमुक्ति, योजना निधियों का विचलन एवं प्रतिपूर्ति दावा भारत सरकार को जमा नहीं करने के कारण वित्तीय प्रबंधन अप्रभावी था। प्रखंडों द्वारा, लाभुकों को सहायता प्रदान किए जाने में प्रतीक्षा–सूची के वरीयता क्रम की अनदेखी, संबंधित जि. ग्रा.वि.अ. द्वारा तय किए गए वार्षिक लक्ष्यों को संदर्भित किए बगैर प्रखंडों द्वारा लाभार्थियों का अनियमित चयन, संबंधित जि.ग्रा.वि.अ. द्वारा बी.पी.एल. ग्रामीण जमीन–

विहीन परिवारों के आवास के निर्माण के लिए भूमि का अनावंटन, प्रगति प्रतिवेदन से सम्बद्ध किये बगैर एकमुश्त भुगतानों की विमुक्ति, नक्सल पैकेजों के तहत् आवासों की स्वीकृति में विलम्ब के कारण राजकीय राजकोष पर अतिरिक्त भार, नौ लाभार्थियों को दो बार भुगतान के अलावा उपयोगिता प्रमाण–पत्र के जमा नहीं करने के कारण कालाजार पैकेज के द्वितीय किस्त का भारत सरकार द्वारा विमुक्त नहीं किया जाने आदि कमियों से इं.आ.यो. का क्रियान्वयन प्रभावित हुआ। दयनीय अनुश्रवण प्रणाली इं. आ.यो. आवासों के भौतिक सत्यापन नहीं किये जाने तथा अवास्तविक प्रतिवेदनों और विवरणी के कारण योजना का वास्तविक लाभ लक्षित लाभार्थियों को देना सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

2.1.13 अनुशंसा

सरकार यह विचार कर सकती है कि:

- प्रत्येक जिला एवं प्रखंड स्तरों पर वार्षिक योजनाओं का तैयार करना सुनिश्चित किया जाए, जो उसकी उपलब्धि के लिए मासिक योजना द्वारा सहायतित हो;
- बी.पी.एल. सूची से आवास विहीन परिवारों का चयन कर इं.आ.यो. प्रतीक्षा सूची बनाई जाए जो ग्राम सभा से अनुमोदित हो;
- निधि के महत्तम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी वित्तीय अनुश्रवण प्रणाली सुनिश्चित करे;
- नियत वित्तीय वर्ष में प्रतीक्षा सूची में वरीयता के आधार पर इं.आ.यो. आवास की स्वीकृति सुनिश्चित की जाए और सभी भुगतानों को भौतिक प्रगति से सम्बद्ध किया जाए; एवं
- कार्यक्रम के क्रियान्वयन का विभिन्न स्तरों पर अनुश्रवण और सुधारात्मक उपायों हेतु समय–समय पर मूल्यांकन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

2.2 आर्सेनिक, फ्लोराईड एवं लौह प्रदूषक निवारण कार्यक्रम

मुख्याकर्षण

भारत सरकार के त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे ग्रामीण टोलों में, जहाँ जल में अत्यधिक मात्रा में आर्सेनिक, फ्लोराईड एवं लौह प्रदूषक हो, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा सब–मिशन परियोजनाएँ चलायी गयी थी। भूमिगत जल प्रदूषण पर नियंत्रण, रोक एवं सुधार हेतु अनेक कार्यक्रम एवं योजनाएँ राज्य में शुरू की गयी थी। राज्य में वर्ष 2006–11 के दौरान निवारण योजना का क्रियान्वयन अनेक कमियों यथा–योजना का अभाव, असंतोषप्रद वित्तीय प्रबंधन, ग्रामीण क्षेत्र के जल गुणवत्ता प्रभावित टोलों में पर्याप्त शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में विफलता, परिचालन एवं अनुरक्षण नीति का अभाव, भूमिगत जल स्रोतों की जाँच में अल्प उपलब्धि तथा अप्रभावशाली अनुश्रवण प्रणालियों के कारण प्रभावित रहा। कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नवत् थे:

वर्ष 2006–09 के दौरान निधि की उपलब्धता के बावजूद वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं किए जाने के कारण प्रदूषण निवारण कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रगति धीमी रही।

(कंडिका 2.2.7.1)

उच्चतम प्रदूषित टोलों पर विचार किए बिना गैर प्राथमिक टोलों में प्रदूषण निवारण योजनाओं की संस्वीकृति दी गई। योजना बनाने हेतु केन्द्र और राज्य अभिकरणों के बीच समन्वय का अभाव रहा एवं जल गुणवत्ता समीक्षा समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

(कंडिका 2.2.7.2 एवं 2.2.7.3)

विभागीय वित्तीय प्रबंधन असंतोषप्रद था क्योंकि निधि के 25 प्रतिशत राशि को प्रत्यर्पित किया गया साथ ही ₹ 13 करोड़ असैनिक जमा में अवरोधित रहा।

(कंडिका 2.2.8)

विभाग द्वारा वर्ष 2006–11 के दौरान राज्य के आर्सेनिक, फ्लोराईड एवं लौह प्रभावित 24420 टोलों में से केवल 1375 टोलों को प्रदूषक निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया।

(कंडिका 2.2.9)

आर्सेनिक प्रभावित टोलों में तकनीकी रूप से गैर–संभाव्य स्वच्छ कूपों के निर्माण की स्वीकृति दी गई जिसके फलस्वरूप लेखा परीक्षित प्रमंडलों में 585 स्वच्छ कूप अनिर्मित रहे तथा 262 टोले शुद्ध पेयजल से वंचित रहे।

(कंडिका 2.2.9.2)

नमूना–जाँचित प्रमंडलों में नलकूप जल की पूर्व–जाँच परीक्षण किए बिना ही ₹ 5.14 करोड़ की लागत पर आर्सेनिक एवं लौह निष्कासन संलग्नक इकाइयाँ अधिष्ठापित की गई।

(कंडिका 2.2.9.4 एवं 2.2.9.8)

योजना के संचालन एवं अनुरक्षण अवधि बीत जाने के बाद अभिकरण द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों का रख–रखाव नहीं किए जाने के कारण जल गुणवत्ता प्रभावित हुई।

(कंडिका 2.2.9.10)

सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियाँ प्रभावशाली ढंग से संचालित नहीं की गयी जिसके परिणामस्वरूप इस घटक का अधिकतम प्रत्याशित लाभ प्राप्त नहीं हो पाया।

(कंडिका 2.2.10.1)

आधारभूत स्तर के कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण एवं क्षेत्रीय परीक्षण उपकरण (किट्स) के क्रय पर ₹ 5.20 करोड़ के व्यय, अलाभप्रद रहे क्योंकि ग्राम पंचायतों द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित नहीं किए गए थे।

(कंडिका 2.2.10.2)

विभिन्न प्रदूषण सुधार योजनाओं के प्रगति का सामयिक अनुश्रवण नहीं करने के कारण त्रुटियों/कमियों का पता नहीं लगाया जा सका।

(कंडिका 2.2.11)

2.2.1 प्रस्तावना

भूमि के सतह के अन्दर बेकार एवं दूसरे भौतिक तत्व जैसे प्रदूषक के प्रवेश के कारण जल के रासायनिक या जैविक विशेषता में परिवर्तन होता है जिससे भूमिगत जल प्रदूषित होता है। बिहार के भूमिगत जल में आर्सेनिक, फ्लोराईड एवं लौह इत्यादि प्रमुख प्रदूषक हैं। भारत सरकार द्वारा अगस्त 2000 में जल गुणवत्ता समस्या के नियंत्रण हेतु त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति योजना (त्व.ग्रा.ज.यो.) के अन्तर्गत सब–मिशन परियोजना शामिल किया गया जिसमें राज्य द्वारा जल गुणवत्ता समस्या यथा फ्लोरोसिस, आर्सेनिक, अत्यधिक लौह इत्यादि के कारण पीड़ित ग्रामीण टोलों हेतु भूमिगत जल संदूषण निवारात्मक कार्यक्रम लिया गया।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार बिहार में 13[22], 11[23] एवं नौ[24] जिले क्रमशः आर्सेनिक, फ्लोराईड एवं लौह संदूषण से प्रभावित थे। सरकार द्वारा वर्ष 2006–11 के दौरान 13 आर्सेनिक निवारण योजना, नौ फलोराइड निवारण योजना एवं चार लौह निवारण योजनाएँ स्वीकृत की गई। मार्च 2011 तक इनमें से केवल पाँच योजनाएँ (आर्सेनिकः दो तथा फ्लोराईडः तीन) पूर्ण थीं।

2.2.2 संगठनात्मक ढाँचा

राज्य में भूमिगत जल प्रदूषण निवारण कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (लो.स्वा.अभि.वि.) शीर्ष अभिकरण है। राज्य स्तर पर प्रधान सचिव विभाग के प्रमुख हैं, जिन्हें सरकार के स्तर पर अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव द्वारा सहायता किया जाता है। क्षेत्र स्तर पर जल गुणवत्ता निवारण कार्यक्रम सहित ग्रामीण जलापूर्ति योजना और स्वच्छता कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु विभाग के आठ मुख्य अभियंता (मु.अभि.), 33 अधीक्षण अभियंता (अधी.अभि.) तथा 91 कार्यपालक अभियंता (कार्य.अभि.) (असैनिकः 79 एवं यांत्रिकः 12) जिम्मेवार हैं।

बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (बि.रा.ज. एवं स्व.मि.) की स्थापना (सितम्बर 2004) मुख्य सचिव की शीर्षस्थता में की गई जो नीति निर्धारण के साथ जलापूर्ति से सम्बंधित विभिन्न विभागों के बीच समन्वय कायम करते हैं। लो.स्वा.अभि.वि. के सचिव बि.रा.ज. एवं स्व.मि. के संयोजक हैं। जिला स्तर पर जिला अधिकारी/उप विकास आयुक्त (उ.वि.आ.) की शीर्षस्थता में गठित जिला जल स्वच्छता समिति, जिसके सदस्य सचिव के रूप में लो.स्वा. प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंता, कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेवार हैं।

22 *बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, खगड़िया, कटिहार, लक्खीसराय, मुंगेर, पटना, समस्तीपुर, सारण और वैशाली।*

23 *औरंगाबाद, बाँका, भागलपुर, गया, जमुई, कैमूर, मुंगेर, नालंदा, नवादा, रोहतास और शेखपुरा।*

24 *अररिया, बेगुसराय, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णियाँ, सहरसा और सुपौल।*

2.2.3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

निष्पादन लेखापरीक्षा का क्षेत्र भूमिगत जल में शामिल तीन प्रदूषकों यथा आर्सेनिक, फ्लोराईड एवं लौह को कम करने के उपाय के क्रियान्वयन की जाँच तक सीमित था। विभाग द्वारा वर्ष 2006–11 के दौरान तीनों प्रदूषकों के निवारण उपाय से सम्बन्धित संधारित अभिलेखों की जाँच की गई।

2.2.4 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्याः

- भूमिगत जल गुणवत्ता के निर्धारण एवं निवारण हेतु योजना प्रक्रिया सक्षम एवं प्रभावकारी थी;
- वित्तीय प्रबंधन सक्षम एवं प्रभावकारी था;
- भूमिगत जल प्रदूषण निवारण कार्यक्रम का क्रियान्वयन सक्षम, प्रभावकारी एवं मितव्ययी था; एवं
- अनुश्रवण प्रक्रिया एवं मूल्यांकण पद्धति कार्यरत एवं प्रभावकारी थी।

2.2.5 लेखापरीक्षा प्रणाली

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए अनुमान्यतः समानुपातिक आकार से विस्थापन प्रक्रिया (प्रोवैविलिटी प्रोपोर्शनल टू साइज विथ रिप्लेसमेंट) अपनाते हुए 13 आर्सेनिक प्रभावित जिले में से चार[25], 11 फ्लोराईड प्रभावित जिले में से तीन[26] एवं नौ लौह प्रभावित जिले में से तीन[27] का चयन सांख्यिकी पद्धति से किया गया था। भूमिगत जल प्रदूषण के निवारण कार्य के मूल्यांकन हेतु सचिवालय स्तर पर तथा चयनित 10 जिले के 11[28] लोक स्वास्थ्य (लो.स्वा.) प्रमंडलों के अभिलेखों की जाँच की गई। निष्पादन लेखापरीक्षा जून से अगस्त 2011 के बीच में किया गया। विभाग के प्रधान सचिव से लेखापरीक्षा का उद्देश्य, इसकी कार्यप्रणाली, क्षेत्र की व्याख्या एवं विभागीय मंतव्य जानने हेतु मई 2011 में प्रारम्भिक बैठक की गई।

लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली में विषयवस्तु की समझ/सूचनाओं के अद्यतन एवं समेकन, विस्तृत लेखापरीक्षा मार्गदर्शिका, जाँच सूची एवं प्रश्नावलियों को तैयार किया जाना शामिल था। लेखापरीक्षा के द्वारा सुसंगत सूचना/आँकड़े के संकलन और विश्लेषण की जाँच हेतु क्षेत्रों का दौरा किया गया। कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में शामिल संबंधित विभागीय पदाधिकारियों से विमर्श किया गया। लेखापरीक्षा प्रश्नावलियों, लेखापरीक्षा आपत्तियों के जवाबों, अभिलेखों की प्रतिलिपियों और उत्तरदायी विभागीय अधिकारियों से व्यक्तिगत संवाद के माध्यम से लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए गए। तत्पश्चात क्षेत्रीय दौरा के पूर्ण होने पर मुख्य अभियंता (नागरिक), लो.स्वा.अभि. विभाग के साथ 22 नवम्बर 2011 को बर्हिगमन सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें लेखा परीक्षा निष्कर्षों की विस्तृत चर्चा की गयी। निष्पादन समीक्षा के प्रारूपण के दौरान विभाग द्वारा प्रस्तुत कारणों एवं औचित्यों को ध्यान में रखा गया।

25 *आर्सेनिकः भागलपुर, बक्सर, खगड़िया और समस्तीपुर।*

26 *फ्लोराईडः बाँका, जमुई और नवादा।*

27 *लौहः पूर्णियाँ, सहरसा और सुपौल।*

28 *बांका, भागलपुर (पूर्वी), भागलपुर (पश्चिमी), बक्सर, जमुई, खगड़िया, नवादा, पूर्णियाँ, समस्तीपुर, राहरसा और सुपौल।*

2.2.6 लेखापरीक्षा मानक

लेखापरीक्षा निष्कर्षो पर पहुँचने के लिए अपनाये जाने वाले मानक थेः

- पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986;
- राष्ट्रीय जल नीति, 2002;
- त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (त्व.ग्रा.ज.का.) और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (रा.ग्रा.पे.का.) की मार्गदर्शिका; और
- भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेश एवं परिपत्र।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आये कमियों का वर्णन निम्नवत हैः

2.2.7 योजना

आर्सेनिक, फ्लोराईड एवं लौह प्रदूषक का निवारण कार्यक्रम के क्रियान्वयन की योजना में (i) प्रभावित इलाकों के आच्छादन का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए वार्षिक कार्य योजना बनाना (ii) प्रभावित इलाकों में भूमिगत जल में पाये जाने वाले प्रदूषण के स्तर को चिह्नित करना एवं अत्यधिक रासायनिक प्रदूषण वाले इलाकों में योजना स्वीकृत करना और (iii) राज्य एवं केन्द्रीय अभिकरणों के बीच सामंजस्य से समस्याग्रस्त इलाकों को चिह्नित करने के लिए जल गुणवत्ता आँकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या करना सम्मिलित था। विभाग वर्ष 2006–09 के दौरान वार्षिक कार्य योजना बनाने में विफल रहा जिसके कारण प्रभावित इलाकों के आच्छादन का लक्ष्य इस अवधि में निर्धारित नहीं किया गया। यद्यपि विभाग ने प्रभावित इलाकों में प्रदूषण के स्तर को चिह्नित किया था परन्तु प्राथमिकता वाले टोले को चिह्नित करते समय जाँच नतीजों का इस्तेमाल करने में विफल रहा, जिसके कारण गैर प्राथमिकता वाले टोले में भी प्रदूषण निवारण करने वाली योजना क्रियान्वित की गई। राज्य एवं केन्द्रीय अभिकरणों में सामंजस्य नहीं था। परिणामस्वरूप डब्लू.क्यू.आर.सी. की बैठक का आयोजन नहीं किया जा सका। योजना में पाई गई कमियों की चर्चा उत्तरवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

2.2.7.1 वार्षिक कार्य योजना नहीं बनाया जाना

त्व.ग्रा.ज.यो. मार्गदर्शिका की कंडिका 5.2 (सी) के अनुसार विभाग को प्रत्येक वर्ष के शुरू में एक वार्षिक कार्य योजना, जिसमें निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत जल गुणवत्ता प्रभावित टोलों को शामिल करने हेतु नाम, लक्ष्य, टोलों की संख्या इत्यादि जैसे विवरण सूचित कर रहे हो, को बनाना एवं भारत सरकार को प्रस्तुत करना था।

वार्षिक कार्य योजना के नहीं बनाये जाने के कारण योजना के क्रियान्वयन में धीमी प्रगति हुई।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि विभाग द्वारा 2006–09 के दौरान वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी जिसके कारण प्रभावित इलाकों के आच्छादन का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था जो कि प्रदूषण निवारण करने वाली योजनाओं के क्रियान्वयन की धीमी प्रगति एवं इस अवधि में निधि के संचयन से देखा जा सकता था। यद्यपि विभाग द्वारा बताया गया कि 2009–10 से वार्षिक कार्य योजना बनाई जा रही थी।

मु.अभि. (नागरिक), लो.स्वा.अभि. विभाग ने बर्हिगमन सम्मेलन (नवंबर 2011) में बताया कि 2008–09 तक आच्छादन के लक्ष्य का निर्धारण, प्रदूषण स्तर की प्राथमिकता और निधि की उपलब्धता के अनुसार किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विभाग के द्वारा 2006–09 के दौरान कुल विमुक्त निधि का केवल 47 प्रतिशत ही उपयोग किया जा सका था।

2.2.7.2 गैर–प्राथमिकता वाले टोलों का आच्छादन

त्व.ग्रा.ज.यो. मार्गदर्शिकाओं की कंडिका 5.2 (बी) (अगस्त 2000) के तहत् भूमिगत जल में अत्यधिक आर्सेनिक, फ्लोराईड एवं लौह की मात्रा को सूचित करते हुए गुणवत्ता समस्या से प्रभावित टोलों के नाम केन्द्र सरकार को भेजा जाना था। सरकार को एक शपथ–पत्र भी देना था कि जल प्रदूषण निवारण योजना में अत्यधिक रसायनिक प्रदूषण वाले इलाकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

विभाग ने इन टोलों को एवं उनके प्रदूषण के स्तर को जानने के लिए वर्ष 2007–09 के दौरान एक अभिकर्त्ता को 270,318 कार्यरत विभागीय भूमिगत जल स्रोतों की जाँच करने का कार्य सुपुर्द किया। अभिकर्त्ता ने जाँच किया और विभाग से ₹ 7.02 करोड़ राशि का भुगतान पाया। जाँच प्रतिवेदनों में पाया गया कि आर्सेनिक, फ्लोराईड एवं लौह की अत्यधिक मात्रा से संदूषित क्रमशः 4929, 24023 एवं 56699 स्रोत पाए गए ***(परिशिष्ट 2.3)***।

विभाग ने प्रभावित टोलों में जल के संदूषण स्तर को बिना विचार किए ही निवारण योजनाओं को स्वीकृत किया

इन योजनाओं के क्रियान्वयन की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि विभाग द्वारा प्राथमिकता वाले टोलों को चिह्नित करते समय जाँच परिणाम का उपयोग नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप अप्राथमिक टोलों में भी निवारण योजना को क्रियान्वित किया गया। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि लौह और फ्लोराईड प्रदूषण से अधिक प्रभावित क्रमशः 20 और पाँच जिलों को आच्छादित नहीं किया गया था जबकि लौह और फ्लोराईड प्रदूषण से कम प्रभावित क्रमशः सात और 11 जिलों को त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति योजना मार्गदर्शिका का उल्लंघन करते हुए आच्छादित किया गया ***(परिशिष्ट 2.4)***।

मुख्य अभियंता (नागरिक), लो.स्वा.अभि. विभाग ने बर्हिगमन बैठक में बताया (नवम्बर 2011) कि सभी लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों को उच्चतम प्रदूषण स्तर वाले टोलों को अच्छादन हेतु प्राथमिकता देने का निर्देश जारी किया गया था। उत्तर स्वतः अनियमितता की स्वीकारोक्ति था।

इस प्रकार प्राथमिकता को ध्यान में नहीं रखते हुए निवारण योजनाओं को स्वीकृत करने के फलस्वरूप उच्चतर जोखिम वाले टोले अनाच्छादित रह गए और निम्नतर जोखिम वाले टोले आच्छादित हो गए।

2.2.7.3 अकार्यशील संस्थानों को भूमिगत जल प्रदूषण निवारण कार्य सौंपा जाना

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अनुसार पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा आयुक्त–सह–सचिव, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में राज्य जल गुणवत्ता समीक्षा समिति का गठन किया गया (अप्रैल 2003), जिसके सदस्य सचिव मुख्य अभियंता, केन्द्रीय जल आयोग थे। प्रधान सचिव, लो.स्वा.अभि. विभाग और क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूजल बोर्ड इस समिति के सदस्य थे।

समिति का मुख्य कार्यकलाप अन्य कार्यों के अलावा जल गुणवत्ता अनुश्रवण नेटवर्क का संबंधित क्षेत्रों में समीक्षा, समस्याग्रस्त क्षेत्रों को चिह्नित करने के लिए जल गुणवत्ता वाले आंकड़ों का विश्लेषण और व्याख्या करना और दीर्घकालीन गुणवत्ता सुधार के लिए कार्य योजनाओं को विकसित करना, इसके अलावा निगरानी अनुश्रवण के लिए हॉट–स्पॉट[29] चिह्नित करना और अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को संवर्धित करना शामिल था।

केन्द्रीय और राज्य अभिकरणों के बीच सामंजस्य नहीं होने के फलस्वरूप जल गुणवत्ता प्रभावित जिलों की संख्या में विसंगतियाँ थी।

केन्द्रीय एवं राज्य अभिकरण के बीच सामंजस्य के अभाव के कारण जल गुणवत्ता समीक्षा समिति की वर्ष 2006–11 की अवधि में कोई बैठक नहीं हुई। इसके फलस्वरूप केन्द्रीय भूजल बोर्ड के द्वारा संधारित आँकड़ों (15 आर्सेनिक, नौ फ्लोराईड और 19 लौह प्रभावित जिलों) और लो.स्वा.अभि. विभाग द्वारा संधारित आँकड़ों (13 आर्सेनिक, 11 फ्लोराईड और नौ लौह प्रभावित जिलों) में अंतर था। इस प्रकार, जल गुणवत्ता प्रभावित जिलों से संबंधित आँकड़ों में समानता के अभाव में कुछ आर्सेनिक, फ्लोराईड और लौह प्रभावित जिले[30] प्रदूषण निवारण योजनाएँ यथा पेयजल आपूर्ति इत्यादि के लाभ से वंचित रह गए।

मुख्य अभियंता (नागरिक), लो.स्वा.अभि. विभाग ने बहिर्गमन बैठक (नवम्बर 2011) में लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए आश्वस्त किया कि भविष्य में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

2.2.8 वित्तीय प्रबंधन

सब–मिशन परियोजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006–08 की अवधि में पृथक निधियाँ विमुक्त की गई थी और तत्पश्चात् त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति योजना/राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत निधियाँ विमुक्त की गई थी। त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति योजना/राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए प्रदत्त निधियों में से 20[31] प्रतिशत राशि का सब–मिशन/रा.ग्रा.पे.का. (जल गुणवत्ता) निवारण योजनाओं के क्रियान्वयन में उपयोग किया जाना था। मार्गदर्शिका के अनुसार सब–मिशन परियोजनाओं के लिए वर्ष 2008–09 तक केन्द्रीय और राज्य सरकार के बीच निधियों का अनुपात 75 : 25 था। उसके पश्चात् राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (रा.ग्रा.पे.का.) के अंतर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार के बीच 50 : 50 के आधार पर निधियों का बँटवारा किया जाना था।

विभाग ने वित्तीय वर्ष 2006–11 की अवधि में सब–मिशन/जल गुणवत्ता परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ₹ 445.67 करोड़ प्राप्त किया, उसमें से ₹ 396.51 करोड़ (89 प्रतिशत) का उस अवधि में उपयोग किया गया। वित्तीय वर्ष 2007–09 की अवधि में उपलब्ध निधियों में से मात्र नौ और 11 प्रतिशत का उपयोग किया गया था। वित्तीय वर्ष 2006–11 की अवधि में भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा सब मिशन/जल गुणवत्ता परियोजनाओं के लिए विमुक्त निधि और व्यय की स्थिति निम्नवत थी:

29 *महत्त्वपूर्ण गतिविधि या खतरे का स्थान।*

30 *आर्सेनिक: पूर्णियाँ और किशनगंज, फ्लोराईड : बक्सर और सुपौल, लौह : औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, लक्खीसराय, मुजफ्फरपुर, नवादा, रोहतास, समस्तीपुर, सीवान, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण।*

31 *अच्छादन–50 प्रतिशत, धारणीयता–20 प्रतिशत, संचालन एवं रख–रखाव–10 प्रतिशत तथा जल गुणवत्ता– 20 प्रतिशत।*

सारणी सं. 1
विमुक्त निधियाँ और किये गये व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	भारत सरकार की निधि का प्रारंभिक शेष	निधि विमुक्त		कुल उपलब्ध निधि	विभाग द्वारा प्रमंडल को विमुक्त निधि			कुल व्यय	राज्य निधि की प्रत्यार्पित राशि (5–\|9+11\|)	भारत सरकार निधि का अंतशेष (5–\|9+10\|)
		भारत सरकार द्वारा	राज्य सरकार द्वारा		केन्द्रांश	राज्यांश	कुल			
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**
2006-07	0.00[32]	22.46	13.11	35.57	16.60	13.11	29.71	23.23 (65)	6.00 (46)	6.34
2007-08	6.34	159.95	20.61	186.90	8.99	20.61	29.60	20.60 (11)	9.00 (44)	157.30
2008-09	157.30	0.00	5.63	162.93	59.15	5.63	64.78	15.16 (9)	3.24 (58)	144.53
2009-10	144.53	26.55	48.29	219.37	171.08	48.29	219.37	157.69 (72)	12.41 (26)	49.27
2010-11	49.27	94.01	55.06	198.34	143.28	55.06	198.34	179.83 (91)	5.60 (10)	12.91
कुल		**302.97**	**142.70**					**396.51 (89)**	**36.25 (25)**	

(स्रोत : लो.स्वा.अभि. विभाग द्वारा प्रस्तुत आँकड़े)
(कोष्ठक के अंक प्रतिशत दर्शाते हैं)

सारणी सं. 1 और विभाग के अभिलेखों के विश्लेषण से निम्नलिखित तथ्य पाए गए :

विभाग का वित्तीय प्रबंधन असंतोषजनक था क्योंकि वर्ष 2006–11 की अवधि में उपलब्ध निधि का 25 प्रतिशत राशि प्रत्यर्पित की गई।

- वित्तीय वर्ष 2006–11 की अवधि में उपलब्ध निधि के विरूद्ध नौ और 91 प्रतिशत के बीच का व्यय योजनाओं की धीमी गति से क्रियान्वित किया जाना इंगित करता था, विशेषकर वर्ष 2007–09 में यह इस तथ्य से प्रमाणित होता था कि उक्त अवधि में 14 योजनाओं में से मात्र पाँच योजनाएँ ही पूर्ण की गईं।
- वित्तीय वर्ष 2006–11की अवधि में विमुक्त कुल राज्यांश ₹ 142.70 करोड़ के विरूद्ध ₹ 36.25 करोड़ (25 प्रतिशत) राशि, प्रमंडलों को वित्तीय वर्ष के अंत में विमुक्त किये जाने के फलस्वरूप प्रत्यर्पित की गयी।
- वर्ष 2006–07 में विभाग ने ₹ 13 करोड़ राशि का गलत उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जबकि उक्त राशि को असैनिक जमा में रखा गया था। जिससे उस वर्ष का व्यय ₹ 13 करोड़ से बढ़ गया।

विभाग वर्ष 2006–11 की अवधि में विमुक्त निधि का 89 प्रतिशत राशि ही उपयोग कर सका। विमुक्त राज्यांश निधि का 25 प्रतिशत राशि प्रत्यार्पित करने के साथ असैनिक जमा में निधि का रखा जाना और इसके साथ ही उपयोगिता प्रमाण पत्र में व्यय का गलत चित्रण–विभाग में असंतोषप्रद वित्तीय प्रबंधन इंगित करता था।

मुख्य अभियंता (नागरिक), लो.स्वा.अभि. विभाग ने बहिर्गमन बैठक (नवम्बर 2011) में यह स्वीकार करते हुए कि निधि को वित्तीय वर्ष के अंत में विमुक्त करने के कारण राशि को प्रत्यर्पित किया गया, बताया कि योजनाओं को क्रियान्वित नहीं किए जाने का कारण संविदा पद्धति में बदलाव (टर्न की) था, जिसके फलस्वरूप योजनाओं को पूर्ण करने में

[32] *सब–मिशन कार्यक्रम के लिए पृथक निधि मात्र वर्ष 2006–07 में जारी की गई थी। त्व.ग्रा.ज.यो. का अन्त शेष को त्व.ग्रा.ज.यो. (सामान्य) के निधियों में रखा गया जिसके लिए भारत सरकार को पृथक उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजा जाता था। इस तरह, वर्ष 2006–07 का प्रा. शेष शून्य था।*

अतिरिक्त समय लगा। इसके अतिरिक्त राशि को असैनिक जमा में वित्त विभाग की अनुमति से रखा गया।

जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि परिवर्तित निविदा पद्धति की भी एक निर्दिष्ट समापन अवधि थी, जिसका अनुपालन नहीं किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, प्रत्याशा में निधियों की निकासी और राशि को असैनिक जमा में रखना बिहार सरकार के वित्तीय नियमों के विपरीत था।

2.2.9 योजनाओं का क्रियान्वयन

अक्टूबर 1999 में प्रधान सचिव, लो.स्वा.अभि. विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एस. एल. एस. सी. सी.) गठित की गई। एस.एल.एस.सी.सी. सब–मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं की स्वीकृति देने के लिए उत्तरदायी था।

बिहार में 24420[33] टोलों को आर्सेनिक, फ्लोराईड एवं लौह प्रदूषण से प्रभावित चिह्नित किया गया था। विभाग द्वारा 2006–11 में ₹ 1270.33 करोड़ की लागत पर 26 योजनाओं को शुरू किया गया, जिससे 13639[34] टोलों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सके लेकिन ₹ 396.51 करोड़ व्यय करने के बावजूद भी मात्र 1375[35] टोलों को ही आच्छादित किया जा सका ***(परिशिष्ट 2.5)*** ।

विभाग द्वारा 2006–11 के दौरान शुरू की गयी 26 योजनाओं में से 14[36] योजनाओं को मार्च 2011 तक पूर्ण किया जाना था। उनमें से विभाग मात्र पाँच[37] योजनाओं को ही पूर्ण कर सका था। आर्सेनिक निवारण संबंधित सात योजनाओं के अपूर्ण रहने का मुख्य कारण प्रभावित क्षेत्रों में योजनाओं की संभाव्यता पर विचार किए बिना स्वच्छता कुँओं की संस्वीकृति और बहुग्रामी पाईप जलापूर्ति योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण नहीं किया जाना था। फ्लोराईड एवं लौह निरोधक के लिए एक–एक योजना मुख्यतः निविदा निष्पादन में विलम्ब और संवेदक से निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण करवाने में विभाग की विफलता के कारण अपूर्ण रह गई। उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन में पाई गई अनियमितताओं की चर्चा उत्तरवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

आर्सेनिक प्रदूषक निवारण योजनाएँ

भूजल में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषण आर्सेनिकमय कटिबंध से होता है। चिरकालिक आर्सेनिक जहर का लक्षण कई प्रकार के जख्मों, मांसपेशीय दुर्बलता, हाथ–पैर के निचले हिस्से में पक्षाघात इत्यादि होता है। जल के आर्सेनिक संदूषित दीर्घकालिक उपयोग से चर्म, गुर्दा एवं फेफड़े का कैंसर हो सकता है। भारतीय मानक (बी.आई.एस. 10500) के अनुसार, आर्सेनिक का अधिकतम अनुमान्य सीमा 0.05 मिली ग्राम/लीटर (50 अंश प्रति बिलीयन) है। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि लो.स्वा.अभि. विभाग के आँकड़ों के अनुसार 13 जिलों के 1590 टोले आर्सेनिक प्रदूषण से प्रभावित थे।

33 *आर्सेनिक : 1590 टोले, फ्लोराईड : 4157 टोले और लौह : 18673 टोले*

34 *अर्सेनिक : 1514 टोले, फ्लोराई : 1829 और लौह : 10296 टोले*

35 *अर्सेनिक : 424 टोले, फ्लोराईड : 528 टोले और लौह : 423 टोले*

36 *आर्सेनिक : नौ योजनाएँ, फ्लोराईड : चार योजनाएँ और लौह : एक योजना*

37 *आर्सेनिक : दो, फ्लोराईड : तीन और लौह : शून्य*

2.2.9.1 आर्सेनिक प्रभावित टोलों का अल्प आच्छादन

विभाग ने वर्ष 2006–11 के दौरान अल्प एवं दीर्घकालिक निवारण योजनाओं को अपनाया। अल्पावधिक उपायों में विभाग द्वारा तीन योजनाएँ यथा स्वच्छता कुँआ[38], गहरे नलकूप[39] और आर्सेनिक निष्कासन फिल्टर[40] की शुरूआत की गई, जबकि दीर्घावधि उपायों में अभिक्रिया संयंत्रों[41] और पाईप–जलापूर्ति[42] योजनाएँ आरंभ की गई। विभाग द्वारा वर्ष 2006–11 की अवधि में 1514 आर्सेनिक प्रभावित टोलों और 633 विद्यालयों में पीने योग्य/शुद्ध जल उपलब्ध कराने के लिए ₹ 804.48 करोड़ के लागत से 13 योजनाओं की स्वीकृति दी गई। इनमें से विभाग द्वारा मार्च 2011 तक ₹ 313.64 करोड़ राशि व्यय करने के बावजूद मात्र 424 टोलों और 218 विद्यालयों को ही आच्छादित किया जा सका था (परिशिष्ट–2.5)।

1590 आर्सेनिक प्रभावित टोलों के विरूद्ध 1166 टोलों को आच्छादित नहीं किया जा सका और वे सुरक्षित पेयजल से अब तक वंचित थे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में यह पाया गया कि विभाग द्वारा 1590 आर्सेनिक प्रभावित टोलों के विरूद्ध 1514 टोलों को आच्छादित करने के लिए योजनाओं की स्वीकृति दी गई और मार्च 2011 तक मात्र 424 टोलों को ही आच्छादित किया जा सका, परिणामस्वरूप 1166 टोले शुद्ध पेयजल सुविधाओं से वंचित रहे। अवशेष टोलों का आच्छादन करने की योजनाएँ पूर्ण नहीं की जा सकी जिसका कारण आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में योजनाओं की संभाव्यता पर बिना विचार किए स्वच्छता कुँओं की स्वीकृति, बहुग्रामी पाईप जलापूर्ति योजनाओं के लिए भू–अर्जन नहीं किया जाना और प्रभावित टोलों के लिए योजनाओं को विलम्ब से स्वीकृत किया जाना था।

मु.अभि. (नागरिक), लो.स्वा.अभि. विभाग ने बहिर्गमन बैठक (नवम्बर 2011) में बताया कि स्थल चयन, भूमि अर्जन, समाधान तकनीकी के चयन, साधनों के आयात आदि में विलंब के कारण योजनाएँ अपूर्ण थी। इसके अतिरिक्त उक्त योजना एक नई अवधारणा थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि गुणवत्ता जलापूर्ति योजनाओं का क्रियान्वयन नई अवधारणा नहीं थी और अगस्त 2000 में ही सब–मिशन कार्यक्रम द्वारा जल गुणवत्ता समस्या के लिए योजनाओं को प्रारम्भ किया गया था।

2.2.9.2 स्वच्छता कुँओं के निर्माण पर अलाभकारी व्यय

कुँओं में वायु की उपस्थिति एवं वायु सहित जल गहरे कुँऐ के आस पास मिट्टी को ऑक्सीकृत कर देता है और ऑक्सीकृत मिट्टी के द्वारा इन कुँओं में जल के प्रवेश करने से इन कुँओं के जल में आर्सेनिक की सांद्रता काफी कम हो जाती है।

अल्पावधिक निवारण उपायों के रूप में विभाग 719 टोलों (2 कुँआ प्रति टोला) एवं 133 विद्यालयों को आच्छादित करने के लिए ₹ 18.79[43] करोड़ की आकलित लागत पर वर्ष 2008–09 तक पूर्ण करने हेतु 1571[44] स्वच्छता कुँओं को स्वीकृत (वर्ष 2006–07)

38 *खुले कुँए का जल आर्सेनिक प्रदूषण से मुक्त रहता है।*

39 *गहरे सतह का जल आर्सेनिक प्रदूषक से मुक्त रहता है।*

40 *चापाकलों के साथ फिल्टरों को जोड़कर आर्सेनिक प्रदूषक का निरोधन किया जाता है।*

41 *आर्सेनिक अभिक्रिया संयंत्र एडजॉर्बसन तकनीक पर आधारित है, जिसमें गहरे नलकूप का निर्माण किया जाता है तथा जल का शुद्धीकरण संयंत्र के साथ जुड़े फिल्टर के द्वारा किया जाता है।*

42 *गंगाजल, जो कि आर्सेनिक मुक्त रहता है, को पाईप के द्वारा उपयोग कर शुद्ध पेयजल सुविधा।*

43 *टोलों : ₹ 16.97 करोड़ ओर विद्यालय : ₹ 1.82 करोड़*

44 *टोलों के लिए 1438 और विद्यालयों के लिए 133*

किया। उनमें से मात्र 516[45] (33 प्रतिशत) स्वच्छता कुँओं का निर्माण मार्च 2011 तक ₹ 10.39[46] करोड़ व्यय करने के बाद पूर्ण किया गया।

नमूना जाँचित प्रमंडलों[47] में, यद्यपि 377 टोलों एवं 94 विद्यालयों को आच्छादित करने के लिए 848[48] स्वच्छता कुँओं का निर्माण रु 11.34[49] करोड़ की प्राक्कलित राशि पर किया जाना था, परन्तु ₹ 2.50[50] करोड़ व्यय करने के बाद मात्र 263[51] स्वच्छता कुँओं का निर्माण कर (जून–जूलाई 2011) 115 टोलों और 34 विद्यालयों को ही आच्छादित किया जा सका। नमूना जाँचित प्रमंडलों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) तैयार नहीं किया गया था। इसके बदले, आदर्श प्राक्कलन को ही डी.पी.आर. के रूप में व्यवहार किया गया और तकनीकी संभाव्यता का आकलन किए बिना ही योजनाओं की स्वीकृति की गई। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि अवशेष 585 स्वच्छता कुँओं के निर्माण का प्रयास नहीं किया गया क्योंकि गांगीय प्रक्षेत्रों में कुँए बालू से भर जाते थे और उन क्षेत्रों में स्वच्छता कुँओं का निर्माण कठिन था। इसके अतिरिक्त 263 में से 160[52] स्वच्छता कुँओं का निर्माण नमूना परीक्षित प्रमंडलों में ₹ 1.62 करोड़ राशि पर किया गया था जो कि चापाकलों का अधिष्ठापन नहीं किए जाने के फलस्वरूप अकार्यशील थे।

आर्सेनिक प्रभावित टोलों में योजना की तकनीकी संभाव्यता को सुनिश्चित किये बिना स्वच्छता कुँओं का निर्माण किया गया।

इस प्रकार योजनाओं की तकनीकी संभाव्यता का आकलन किए बिना स्वच्छता कुँओं के निर्माण की स्वीकृति के फलस्वरूप मार्च 2011 तक 585 स्वच्छता कुँओं का निर्माण अपूर्ण रहा और 262 टोले स्वच्छ/शुद्ध पेयजल से वंचित रहे। इसके अतिरिक्त चापाकलों के अधिष्ठापित नहीं होने के फलस्वरूप 160 स्वच्छता कुँए अकार्यशील थे एवं इसके फलस्वरूप उस पर किया गया ₹ 1.62 करोड़ का व्यय अलाभकारी था।

मु.अभि. (नागरिक), लो.स्वा.अभि. विभाग द्वारा बहिर्गमन बैठक (नवम्बर 2011) में बताया गया कि आर्सेनिक उपचार के लिए उपयुक्त तकनीक के अभाव में अस्थाई उपाय के रूप में स्वच्छता कुँओं का निर्माण किया गया, लेकिन रेतीली मिट्टी के कारण आवश्यक गहराई तक कुँआ का निर्माण मुश्किल हो गया।

2.2.9.3 भूमि उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना कार्य का आवंटन

मंत्रिमंडल संकल्प संख्या 948 (जुलाई 1986) की कंडिका 17.5 में यह वर्णित है कि किसी भी कार्य की निविदा करने के पूर्व भूमि का अर्जन कर लिया जाना चाहिए।

बक्सर जिले के सिमरी और बक्सर प्रखंडों के अंतर्गत 130 आर्सेनिक प्रभावित ग्रामों में सुरक्षित पेयजल आपूर्ति के लिए विभाग ने बहुग्रामी पाईप द्वारा जलापूर्ति योजना ₹ 112.57 करोड़ राशि के लिए स्वीकृत किया (मार्च 2008)। कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बक्सर ने निविदा के आधार पर मेसर्स आई. वी. आर. सी. एल. इंफ्रास्ट्रक्चर एवं प्रोजेक्ट लिमिटेड, हैदराबाद के साथ वार्ता कर तय राशि ₹ 100.50

45 *टोले : 460 और विद्यालय : 56*

46 *टोलों के लिए ₹ 9.75 करोड़ ओर विद्यालयों के लिए ₹ 0.64 करोड़*

47 *भागलपुर, बक्सर, खगड़िया और समस्तीपुर*

48 *टोले : 754 और विद्यालय : 94*

49 *टोले : ₹ 10.05 करोड़ ओर विद्यालय : ₹ 1.29 करोड़*

50 *टोले : 229 (बक्सर : 124, भागलपुर : 17, खगड़िया : 47, समस्तीपुर : 41); विद्यालय : 34 (बक्सर : 13, भागलपुर : शून्य, खगड़िया : 8, समस्तीपुर : 13)*

51 *भागलपुरः ₹ 0.25 करोड़, बक्सरः ₹ 1.52 करोड़, खगड़ियाः ₹ 0.24 करोड़ एवं समस्तीपुरः ₹ 0.49 करोड़*

52 *बक्सर : 137 और खगड़िया : 23*

करोड़ पर एकरारनामा किया (जून 2009), जिसके अनुसार कार्य नवम्बर 2011 तक पूर्ण करना था।

भूमि उपलब्धता को सुनिश्चित किए बिना बहुग्रामी पाईप द्वारा जलापूर्ति योजना का कार्य आवंटित किया गया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में यह पाया गया कि उक्त कार्य बिना भूमि अर्जित किए ही आवंटित एवं प्रारम्भ किया गया। एजेंसी ने फिटिंग्स, पाईप ओर अन्य मदों को बिछाया और उसे ₹ 76.78 करोड़ का भुगतान किया गया (मार्च 2011)। यद्यपि भू–अर्जन पदाधिकारी, बक्सर को भूमि अर्जित करने हेतु ₹ 1.44 करोड़ का भुगतान किया गया (जनवरी 2010), परन्तु उनके द्वारा योजना के लिए भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई। इस कार्य को निर्धारित तिथि तक पूर्ण करने की संभावना क्षीण थी। पूर्व में पूर्ण किए गए कार्य एवं सामग्री, जिसके लिए ₹ 76.78 करोड़ का भुगतान हो चुका था, की सुरक्षा एवं संरक्षा भी चिन्ता का विषय थी। इसके अतिरिक्त भू–अर्जन नहीं होने के फलस्वरूप संवेदक द्वारा मूल्य वृद्धि/क्षति का दावा भी हो सकता था। उपर्युक्त तथ्यों से यह प्रदर्शित होता है कि विभाग द्वारा भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही संविदा करने की अनावश्यक जल्दबाजी की गयी और प्रभावित टोले सुरक्षित पेयजल से वंचित रहे।

मु.अभि. (नागरिक), लो.स्वा.अभि. विभाग ने बहिर्गमन बैठक में बताया (नवंबर 2011) कि भविष्य में भू–अर्जन के बाद ही निविदा निकाली जाएगी।

2.2.9.4 नलकूप जल की पूर्व जाँच किए बिना ही आर्सेनिक निष्कासन संलग्नक इकाई का अधिष्ठापन

एस.एल.एस.सी.सी. की बैठक (नवम्बर 2009) की कार्यवाही में आर्सेनिक प्रभावित विद्यालयों में वैकल्पिक/तत्काल राहत के लिए आर्सेनिक निष्कासन संलग्नक इकाई को अधिष्ठापित करने का प्रावधान किया गया था। उन संलग्नक इकाईयों को विद्यालयों में आर्सेनिक प्रदूषण की सांद्रता स्तर के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर अधिष्ठापित किया जाना था।

संविदा के आधार पर कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बक्सर ने मेसर्स अनीर इंजिनियर्स इंक, कोलकत्ता के साथ आर्सेनिक प्रभावित ग्रामीण विद्यालयों में 500 आर्सेनिक निष्कासन चापाकल संलग्नक इकाईयों की आपूर्ति, अधिष्ठापन और संरक्षण के लिए एकरारनामा किया (अप्रैल 2010)। उक्त कार्य की एकरारित राशि ₹ 2.66 करोड़ थी और कार्य को मार्च 2011 तक पूर्ण किया जाना था।

अभिकरण द्वारा 500 आर्सेनिक निष्कासन संयंत्र संलग्नक इकाइयों के विरूद्ध मात्र 162 इकाइयों को ही ₹ 1.46 करोड़ की लागत पर अधिष्ठापित किया गया (अगस्त 2011)।

नमूना–जाँचित प्रमंडलों में आर्सेनिक निष्कासन चापाकल संलग्नक इकाइयों के अधिष्ठापन से संबंधित विस्तृत विवरणी निम्नवत् थीः

सारणी सं. 3
विद्यालयों में आर्सेनिक निष्कासन चापाकल संलग्नक इकाईयों के लक्ष्य और उपलब्धियाँ

क्रम सं.	जिला	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धि		स्थल का पूर्व जाँच प्रतिवेदन निर्गत	व्यय की गई राशि (₹ लाख में)
			आपूर्ति	अधिष्ठापन		
1.	भागलपुर	42	12	0	किया गया	0.05
2.	बक्सर	38	38	30	किया गया	16.15
3.	खगड़िया	38	38	0	नहीं किया गया	16.15
4.	समस्तीपुर	38	38	38	नहीं किया गया	7.95
कुल		**156**	**126**	**68**		**40.30**

नलकूप जल का पूर्व–जाँच किए बिना ही आर्सेनिक निष्कासन संलग्नक इकाई का अधिष्ठापन किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 34.19 लाख का अलाभकारी व्यय हुआ।

आपूर्ति की गई 126 इकाइयों (सितम्बर 2011) में से मात्र 68 इकाइयाँ (44 प्रतिशत) ही अधिष्ठापित की गईं (सितम्बर 2011) और ₹ 40.30 लाख का भुगतान विमुक्त किया गया। यह पाया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बक्सर ने 19 इकाइयाँ, जिनकी लागत ₹ 10.09 लाख थी, को उन विद्यालयों में अधिष्ठापित कर दिया जहाँ पर आर्सेनिक प्रदूषण स्तर अनुमत्य सीमा के अंतर्गत था। इसके अतिरिक्त, दो नमूना–जाँचित जिलों[53] में नलकूप के जल की पूर्व–जाँच किए बिना, जो कि विद्यालयों के भू–जल स्रोतों में प्रदूषण स्तर का निर्धारण कर प्राथमिकता तय करने के लिए आवश्यक था, इकाइयों का अधिष्ठापन स्थल आबंटित किया गया, तथापि प्रमंडलों द्वारा एस.एल.सी.सी. प्रावधान का उल्लंघन करते हुए ₹ 24.10 लाख का भुगतान विमुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त, विद्यालयों में मात्र 68 इकाइयों का अधिष्ठापन संवेदक द्वारा निर्धारित अवधि के अंतर्गत कार्य पूर्ण करवाने के प्रति विभाग की विफलता को इंगित करता है, जिसके फलस्वरूप उक्त विद्यालयों के बच्चे शुद्ध पेयजल से वंचित रहे।

अतः अपरिष्कृत जल की पूर्व जाँच किए बिना विद्यालयों का चयन और आवश्यकता के आकलन किए बिना या जहाँ आर्सेनिक प्रदूषण स्तर अनुमत्य सीमा के अंतर्गत था, उन विद्यालयों में उपचारात्मक इकाइयों के अधिष्ठापित करने के फलस्वरूप ₹ 34.19 लाख का अलाभकारी व्यय किया गया।

मुख्य अभियंता (नागरिक), लो.स्वा.अभि. विभाग ने बहिर्गमन बैठक में बताया (नवम्बर 2011) कि संबंधित लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों को संलग्नक इकाई के अधिष्ठापन से पूर्व अपरिष्कृत जल के पूर्व जाँच किए जाने के निर्देश का अनुसरण नहीं करने के लिए पृच्छा की जाएगी।

फ्लोराईड उपचारात्मक योजना

फ्लोराईड युक्त खनिज वाले मृदा क्षेत्र के भूगर्भीय जल में फ्लोराईड प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। लम्बी अवधि तक ग्राह्य सीमा से अधिक फ्लोराईड युक्त जल ग्रहण करने से दन्त्य फ्लोरोसिस, कंकालीय एवं अकंकालीय फ्लोरोसिस के अतिरिक्त कोमल उत्तकों, अंगों एवं शरीर की प्रणाली को भी नुकसान पहुँचता है। भारतीय मानक (बी. आई.एस. – 10500) के अनुसार फ्लोराईड की अधिकतम ग्राह्य सीमा 1 मि.ग्रा./ली. (पी.पी.एम.) एवं विकल्प के अभाव में अधिकतम ग्राह्य सीमा 1.5 पी.पी.एम. थी। बिहार राज्य में 11 जिलों के 4157 टोले फ्लोराईड प्रदूषण से प्रभावित थे।

[53] *खगड़िया और समस्तीपुर।*

2.2.9.5 फ्लोराईड प्रभावित टोलों का अल्प आच्छादन

4157 फ्लोराईड प्रभावित टोलों में से 3629 टोले शुद्ध पेयजल से अभी भी वंचित थे।

वर्ष 2006–11 के दौरान विभाग द्वारा तीन प्रकार की फ्लोराईड संदूषक निवारण योजनाएँ प्रारंभ की गयी यथा फ्लोराईड निष्कासन संलग्नक इकाई[54], सौर आधारित फ्लोराईड उपचारात्मक संयंत्र[55] एवं पाइप जलापूर्ती योजना[56]। विभाग द्वारा वर्ष 2006–11 के दरम्यान नौ योजनाओं[57] की, ₹ 225.81 करोड़ की लागत पर 1829 टोलों एवं 1000 विद्यालयों में फ्लोराईड मुक्त जल उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृति दी गई तथा मार्च 2011 तक 528 टोलों तथा 101 विद्यालयों को ₹ 41.80 करोड़ के व्यय पर आच्छादित किया गया ***(परिशिष्ट–2.5)***।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह ज्ञात हुआ कि विभाग ने कुल 4157 फ्लोराईड प्रभावित टोलों के विरूद्ध 1829 टोलों में योजना आरंभ किया तथा मार्च 2011 तक मात्र 528 टोलों तथा 101 विद्यालयों को आच्छादित किए जाने के कारण 3629 टोले तथा 899 विद्यालयों स्वच्छ जल से वंचित रहे। पुनः यह ज्ञात हुआ कि विभाग द्वारा प्रभावित टोलों हेतु योजना की स्वीकृति, निविदा निस्तारण एवं संवेदक द्वारा ससमय कार्य निष्पादन में विलम्ब के कारण प्रभावित टोले अल्प आच्छादित रहे।

2.2.9.6 फ्लोराईड निष्कासन संलग्नक इकाई पर अलाभकारी व्यय

जनवरी 2008 में राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एस.एल.एस.सी.सी.) द्वारा ₹ 4.22 करोड़ की लागत पर 1000 फ्लोराईड/आर्सेनिक[58] निष्कासन संलग्नक इकाइयों की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन हेतु कार्य आवंटन का अनुमोदन किया गया। कार्य हेतु मेसर्स अनीर इंजीनियर्स इंक, कोलकता के साथ एकरारनामा (जून 2009) किया गया। यद्यपि कार्य को छः माह (दिसम्बर 2009) में संपन्न करना था तथापि, मार्च 2011 में ₹ 3.69 करोड़ के व्यय पर मात्र 875 इकाइयाँ अधिष्ठापित की जा सकीं।

लेखापरीक्षा में यह ज्ञात हुआ कि लो.स्वा.प्रमंडल, बाँका से अभिकरण द्वारा 75 फ्लोराईड निष्कासन संलग्नक इकाइयों की आपूर्ति के विरूद्ध ₹ 27 लाख प्राप्त किया गया। इनमें से मात्र 43 इकाइयाँ मार्च 2011 तक अधिष्ठापित की गई थीं। हाँलाकि इन अधिष्ठापित 32 इकाइयों के परिष्कृत जल एवं अपरिष्कृत जल में फ्लोराईड की सांद्रता समान पाई गयी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 11.52 लाख का व्यय अलाभकारी रहा। यह अपरिष्कृत जल में से फ्लोराईड प्रदूषक के उपचार हेतु अधिष्ठापित संलग्नक इकाई की गुणवत्ता को प्रश्नांकित करती है।

लौह प्रदूषक निवारण उपाय

लौह कण की अधिकता के कारण जल, पेय जल के रूप में अनुपयुक्त हो जाता है हाँलाकि इसका स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। ऐसे जल से सफाई करने पर कपड़े एवं बर्त्तन पर दाग–धब्बा छोड़ता है तथा खाना पकाने में अधिक ईंधन एवं समय की खपत होती है। भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस. – 10500) के अनुसार पीने के पानी में लौह की अधिकतम स्वीकार्य सीमा 0.3 मि.ग्रा./ली. एवं विकल्प स्रोतों के अभाव

54 *फ्लोराईड प्रदूषक के निष्कासन हेतु चापाकलों में फिल्टर संलग्नक इकाई का अधिष्ठापन*

55 *फ्लोराईड उपचारात्मक संयंत्र एडजॉर्वसन तकनीक पर आधारित है जिसमें डीप ट्यूबवेल का निर्माण कर जल को संयंत्र के साथ संलग्न फिल्टर द्वारा उपचारित किया जाता है।*

56 *निष्काषित गंगा जल को उपचारित कर फ्लोराईड मुक्त शुद्ध जलापूर्ति।*

57 *सौर आधारित फ्लोराईड उपचारात्मक संयंत्र –4, फ्लोराईड निष्कासन संलग्नक इकाई –3, पाईप जलापूर्ति योजना –2*

58 *आर्सेनिक : 125 तथा फ्लोराईड : 875*

में एक मि.ग्रा./लि. अनुमत्य है। लो. स्वा. अभि. वि. के आँकड़ों के अनुसार राज्य में नौ जिलों के 18673 टोले लौह प्रदूषण से प्रभावित थे। विभाग द्वारा लौह संदूषण निवारण हेतु दो प्रकार की योजनाओं को प्रारंभ किया गया यथा लौह निष्कासन संयंत्र के साथ चापाकल[59] तथा सौर आधारित लौह उपचारात्मक संयंत्र,[60] जिसका विवरण निम्नानुसार है :

2.2.9.7 लौह प्रभावित टोलों का अल्प आच्छादन

18673 लौह प्रभावित टोलों में से 18250 टोले अभी भी शुद्ध जल से वंचित थे।

वर्ष 2006–11 के दौरान विभाग द्वारा 10296 लौह प्रभावित टोलों को लौहमुक्त स्वच्छ जल उपलब्ध कराने हेतु ₹ 240.04 करोड़ की चार योजनाओं[61] की स्वीकृति दी गई। मार्च 2011 तक ₹ 41.07 करोड़ के व्यय के बावजूद मात्र 423 टोलों को लौहमुक्त जल उपलब्ध कराया गया ***(परिशिष्ट–2.5)***।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह प्रकटित हुआ कि विभाग द्वारा कुल 18673 लौह प्रभावित टोलों के विरूद्ध मात्र 10296 टोलों में लौह–मुक्त जल उपलब्ध कराने हेतु योजना प्रारंभ की गई और मात्र 423 टोलों को आच्छादित किया जा सका। इसके कारण मार्च 2011 तक 18250 टोलें स्वच्छ जल से वंचित रहे। पुनः यह ज्ञात हुआ कि मुख्यतः विभाग द्वारा योजना की स्वीकृति में विलम्ब तथा संवेदक द्वारा ससमय कार्य निष्पादन कराने में असफल रहने के कारण प्रभावित टोले अल्पाच्छादित रहे।

2.2.9.8 आवश्यक जाँच के बगैर लौह निष्कासन संयंत्र का अधिष्ठापन

भूगर्भीय जल स्रोतों का पूर्व–जाँच किए बगैर लौह निष्कासन संयंत्रों का अधिष्ठापन किया गया।

अत्यधिक लौह प्रदूषित (5 से 6 पी.पी.एम.) जिलों में स्वच्छ जल उपलबध कराने के उद्देश्य से 4703[62] लौह निष्कासन संयंत्र (आई.आर.पी.) युक्त चापाकलों के अधिष्ठापन हेतु फरवरी एवं जुलाई 2006 में स्वीकृति प्रदान की गई। संविदा (फरवरी 2009) के आधार पर आई.आर.पी. की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन का कार्य अभियंता–प्रमुख द्वारा मेसर्स अनीर इंजीनियर्स इंक, कोलकता को आवंटित (जून 2009) किया गया एवं कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मधेपुरा द्वारा ₹ 11.03 करोड़ की लागत पर 4703 आई.आर.पी. के लिए जून 2010 तक पूरा करने के उद्देश्य से एकरारनामा (जून 2009) किया गया।

कार्यादेश के अनुसार कार्यपालक अभियंताओं को संबंधित जिलों के लौह प्रदूषित टोलों को चिह्नित करने के पश्चात उच्च प्रदूषण स्तर के आधार पर प्राथमिकता का निर्धारण करना था। चापाकलों का जल गुणवत्ता प्रतिवेदन आई. आर. पी. के अधिष्ठापन के पूर्व प्राप्त करना था।

लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जाँचित जिलों में ₹ 6.51 करोड़ की लागत पर स्वीकृत 2049 आई.आर.पी. के प्रतिष्ठापन का विवरण **तालिका सं. 4** में दिया गया है :

59 *लौह प्रदूषक निवारण हेतु फिल्टरयुक्त चापाकल।*

60 *सौर उर्जा से संचालित होने वाली तकनीक पर आधारित लौह उपचारात्मक संयंत्र एवं जल को फिल्टर से शुद्ध किया जाना था।*

61 *लौह निष्कासन संयंत्र युक्त चापाकल : 3 तथा सौर आधारित लौह उपचारात्मक संयंत्र : 1*

62 *अररिया : 536, बेगूसराय : 245, कटिहार : 538, खगड़िया : 240, किशनगंज : 626, मधेपुरा : 469, पूर्णिया : 1151, सहरसा : 428, सुपौल : 470*

तालिका सं. 4
नमूना जाँचित जिलों में आई.आर.पी. अधिष्ठापन का लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	जिला का नाम	प्राक्कलित राशि	लक्ष्य	उपलब्धि		व्यय	साधारण जल का नमूना जाँच
				आपूर्ति / आपूर्ति की तिथि	अधिष्ठापन		
1	पूर्णिया	3.66	1151	1151/ अक्टूबर 2010	85	2.74	नहीं किया गया
2	सहरसा	1.36	428	428/ जनवरी 2010	42	1.09	नहीं किया गया
3	सुपौल	1.49	470	452/ मार्च 2010	5	0.97	नहीं किया गया
	कुल	**6.51**	**2049**	**2031(99)**	**132 (6)**	**4.80**	

(कोष्ठ में अंक प्रतिशत को दर्शाते हैं।)

अभिकरण द्वारा अधिष्ठापित किए जाने वाले 2049 आई.आर.पी. के विरूद्ध 2031 (99 प्रतिशत) आई.आर.पी. की आपूर्ति (सितम्बर 2011) की गई जिसके लिए उसे ₹ 4.80 करोड़ का भुगतान किया गया। इनमें से मात्र 132 (छः प्रतिशत) आई.आर.पी. का अधिष्ठापन किया गया। 1917 आई.आर.पी. नवम्बर 2011 तक अधिष्ठापित नहीं किया जा सका जिससे स्पष्ट था कि विभाग, संवेदक द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य निष्पादन कराने में, असफल रहा। लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह ज्ञात हुआ कि प्रमंडलों द्वारा इकाइयों के अधिष्ठापन के पूर्व भू–जल स्रोतों का पूर्व–जाँच नहीं किया गया था।

संबंधित लो.स्वा. प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं द्वारा अपरिष्कृत जल का पूर्व–जाँच नहीं किए जाने पर लेखापरीक्षा से सहमति प्रकट की गई तथा कहा गया कि संवेदकों से बारंबार आग्रह के बावजूद अपरिथत नहीं होने के कारण इकाइयाँ अनाधिष्ठापित पड़ी थी।

इस प्रकार पूर्व जल–जाँच नहीं होने के कारण लौह निष्कासन संयंत्र के अधिष्ठापन पर ₹ 4.80 करोड़ का व्यय प्रमाणित नहीं किया जा सका।

2.2.9.9 जलमणि कार्यक्रम

संबंधित लो.स्वा.प्र. को निर्गत कार्यादेश में दिए गए निर्देश के अनुसार कार्यपालक अभियंताओं को उनके जिलों में प्रदूषित जल स्रोतों वाले विद्यालयों चिह्नित कर उच्चतम प्रदूषण के आधार पर प्राथमिकता का निर्धारण करना था। चापाकलों का जल गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन उपचारात्मक संयंत्र इकाइयों के अधिष्ठापन के पूर्व प्राप्त किया जाना था।

विद्यालयों में जल शुद्धीकरण प्रणाली एवं संलग्नक इकाइयों को अधिष्ठापित कर बच्चों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2008–09 में भारत सरकार द्वारा जलमणि कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया जो शत प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम था। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008–09 के दौरान 3000 विद्यालयों में जल शुद्धीकरण संयंत्र एवं संलग्नक इकाइयों के अधिष्ठापन हेतु ₹ 7.66 करोड़ विमुक्त किया गया। अप्रदूषित स्रोतों में उपचारात्मक संयंत्र का अधिष्ठापन नहीं करना था।

तदनुसार सरकार द्वारा जनवरी 2010 में आर्सेनिक, फ्लोराईड एवं लौह प्रदूषित जल के उपचार हेतु पाँच योजनाओं[63] की स्वीकृति दी गई तथा मार्च 2011 तक ₹ 4.06 करोड़ के व्यय पर 1599 विद्यालयों (53 प्रतिशत) में लौह/फ्लोराईड निष्कासन संलग्नक इकाइयाँ अधिष्ठापित की गई।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह प्रकटित हुआ कि वर्ष 2010–11 के दौरान छः[64] नमूना जाँचित जिलों में कुल लक्षित 480[65] विद्यालयों में फ्लोराईड/लौह निष्कासन संलग्नक इकाइयों के अधिष्ठापन के विरूद्ध मात्र 399 इकाइयाँ ₹ एक करोड़ के व्यय पर अधिष्ठापित की गई थी। पुनः विभाग द्वारा आर्सेनिक प्रभावित जिलों[66] में लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग द्वारा जलमणि कार्यक्रम के अंतर्गत उपचारात्मक कार्य का प्रारंभ ही नहीं किया गया था। नमूना जाँचित जिलों में जलमणि कार्यक्रम के अंतर्गत लक्ष्य एवं प्राप्ति की स्थिति **तालिका सं. 5** में निम्नानुसार है :

तालिका सं. 5

जलमणि कार्यक्रम के अंतर्गत लक्ष्य, उपलब्धि एवं व्यय

(₹ लाख में)

योजना का नाम	जिला का नाम	उपचारात्मक संलग्नक इकाई का भौतिक लक्ष्य	योजना के प्रारंभ की तिथि	योजना के पूर्ण होने की तिथि	उपलब्धि	व्यय
फ्लोराईड निष्कासन संलग्नक इकाई	बाँका	50	अप्रील 2010	मार्च 2011	50	13.42
	जमुई	50			50	13.42
	नवादा	45			45	12.08
लौह निष्कासन संलग्नक इकाई	पूर्णिया	115	अप्रील 2010	मार्च 2011	115	22.19
	सहरसा	110			71	19.60
	सुपौल	110			68	19.60
		480			**399**	**100.31**

लौह निष्कासन संयंत्र/फ्लोराईड निष्कासन संलग्नक इकाइयाँ या तो जलस्रोतों की पूर्व–जाँच किये बगैर लगाए गए थे या उन स्थानों में लगाए गए थे जहाँ संदूषण स्तर स्वीकार सीमा के अंदर था।

आगे, फ्लोराईड निष्कासन संलग्नक इकाइयों के अधिष्ठापन के पूर्व अपरिष्कृत जल के जाँच प्रतिवेदन की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि जमुई एवं नवादा जिलों के 14 विद्यालयों में फ्लोराईड की सांद्रता सीमा के अंदर थी। इस प्रकार फ्लोराइड निष्कासन संलग्नक इकाइयों के अधिष्ठापन पर ₹ 5.37[67] का व्यय अलाभकारी था। लौह प्रभावित जिलों में ₹ 61.39 लाख अधिष्ठापित इकाईयों में अधिष्ठापन पूर्व व्यय किया गया था परन्तु अपरिष्कृत जल का नमूना जाँच नहीं कराया गया। इस प्रकार अधिष्ठापित इकाइयों पर कुल ₹ 66.76 लाख के व्यय की प्रभावोत्दकता संदेहास्पद थी एवं यह कार्यादेश के प्रावधान के प्रतिकूल था। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा राशि विमुक्ति के बावजूद विभाग द्वारा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में विलम्ब किए जाने एवं मात्र 53 प्रतिशत विद्यालय आच्छादित किए जाने के कारण इन जिलों के विद्यालयों के बच्चे सुरक्षित पेयजल से वंचित रहे।

मु.अ. (नागरिक), लो.स्वा.अ.वि. ने बहिर्गमन बैठक (नवंबर 2011) में यह कहा कि अपरिष्कृत जल का जाँच नहीं किए जाने के तथ्य की संपुष्टि के पश्चात लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

63 *फ्लोराइडः निष्कासन संलग्नक इकाई : 500 विद्यालय; आर्सेनिक : 500 विद्यालय (आर ओ/यू बी – 100 एवं निष्कासन संलग्नक इकाई : 400) एवं लौह – 2000 विद्यालय (1000 संलग्नक इकाई एवं 1000 टेराफिल्टर)*

64 *फ्लोराइड : बाँका, जमुई एवं नवादा, लौह : पूर्णिया, सहरसा, सुपौल*

65 *फ्लोराइड निष्कासन संलग्नक इकाई : 145 एवं लौह निष्कासन संलग्नक इकाई : 335*

66 *भागलपुर, बक्सर, खगड़िया एवं समस्तीपुर*

67 *14 x ₹ 38349 = ₹ 536886*

2.2.9.10 जल–गुणवत्ता परियोजनाओं का असंधारण

परिचालन एवं संधारण नीति के अभाव में उपचारित जल भी प्रदूषित पाये गये।

रा.ग्रा. पेयजल कार्यक्रम मार्गदर्शिका के अनुच्छेद 9.4 के अनुसार जलापूर्ति प्रणालियों का प्रबंधन, परिचालन एवं संधारण ग्राम पंचायतों को हस्तांतरण एवं विकेन्द्रीकरण करने हेतु राज्यों को प्रोत्साहन देना परिकल्पित था।

नमूना जाँचित लो.स्वा.अ. प्रमंडलों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि योजना के तहत सृजित जलापूर्ति प्रणालियों को ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित नहीं किये गये थे। साथ ही भागलपुर जिले के दो उपचारात्मक योजनाओं (नाथनगर प्रखंड के श्रीरामपुर एवं गोसाईदासपुर) की संधारण अवधि पूर्ण होने (अगस्त 2010) के बाद उपचारित जल में आर्सेनिक की मात्रा श्रीरामपुर में 100 पी.पी.बी. तथा गोसाईदासपुर में 1500 पी.पी.बी. पाई गई जो स्वीकार्य सीमा 50 पी.पी.बी. से अधिक थी। इस प्रकार अभिकरण द्वारा योजनाओं के परिचालन एवं संधारण अवधि समाप्ति के पश्चात सृजित संपत्ति का संधारण नहीं किये जाने के फलस्वरूप जल की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित हुई।

मुख्य अभियंता (नागरिक), लो.स्वा.अभि. विभाग ने बहिर्गमन बैठक में बताया (नवम्बर 2011) कि विभाग द्वारा परिचालन एवं संधारण नीति बनायी जा रही थी।

अतः पूर्ण की गई योजनाओं के लिए परिचालन एवं संधारण नीति के अभाव में टोलों द्वारा आर्सेनिक प्रदूषित जल का खपत जारी था।

2.2.10 सहायक क्रियाकलाप

रा.ग्रा. पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी (एन.आर.डी.डब्लू.क्यू.एम. एण्ड एस) कार्यक्रम के तहत सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई ई सी) क्रियाकलापों, मानव संसाधन विकास क्रियाकलापों एवं जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण, क्षेत्रीय जल परीक्षण उपकरणों के क्रय हेतु शत प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी थी।

आई.ई.सी. क्रियाकलापों का संचालन इस प्रकार करना था जिससे कि आम लोगों को सुरक्षित पेयजल के उपयोग की जानकारी मिल सके। हाँलांकि विभाग मूलभूत क्रियाकलापों के संचालन जैसे श्रवण एवं दृश्य प्रचार तथा दीवार लेखन एवं प्रखंड मुख्यालयों पर होर्डिंग्स लगाने में असमर्थ रहा। यह भी देखा गया कि अंतरवैयक्तिक संचार (घर–घर पहुँचकर सम्पर्क करना) क्रियाकलापों पर किया गया व्यय सिर्फ चौदह प्रतिशत था।

सहायक क्रियाकलापों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में निम्नलिखित प्रकटित हुआः

2.2.10.1 सूचना, शिक्षा एवं संचार क्रियाकलाप

आई.ई.सी. क्रियाकलापों का मुख्य उद्देश्य लाभार्थियों के बीच स्वच्छता एवं जलापूर्ति प्रणालियों का निर्माण, समुचित भंडारण का ज्ञान, सुरक्षित पेयजल का रखरखाव एवं उपयोग तथा पेयजल के प्रदूषण से बचाव के बारे में अभिरूची पैदा करना था। आई.ई.सी. रणनीति में अंतरवैयक्तिक संचार, श्रवण एवं दृश्य प्रचार, होर्डिंग्स एवं दीवार लेखन, स्लोगन, तस्वीर फ्रेमिंग, समूह–मिलन, नुक्कड़ नाटक, ग्रामीणों की सहभागिता एवं प्रदर्शनियाँ सम्मिलित थी।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि इस घटक के तहत् उपलब्ध ₹ 5.40 करोड़ (2006–11) में से विभाग द्वारा ₹ 4.31 करोड़ (80 प्रतिशत) का व्यय प्रतिवेदित

किया गया था। इसमें विभिन्न जिला जल स्वच्छता समितियों को होर्डिंग्स एवं दीवार लेखन हेतु निर्गत किये गये ₹ 1.97 करोड़ (जनवरी 2011) की राशि भी शामिल थी जिसे व्यय के रूप में दर्ज किया गया था। ये राशियाँ सम्बन्धित लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों में मार्च 2011 तक अव्यहृत पड़ी हुई थीं।

वर्ष 2006–11 के दौरान विभाग ने 10[68] प्रकार के आई.ई.सी. क्रियाकलापों को प्रारंभ किया, लेकिन किसी भी प्रकार का श्रवण एवं दृश्य प्रचार, प्रखंड मुख्यालयों में दीवार लेखन तथा होर्डिंग्स का निर्माण करने में विफल रहा। यह भी पाया गया कि अंतर–वैयक्तिक संचार (घर–घर पहुँचकर) क्रियाकलाप पर मात्र 14 प्रतिशत का व्यय किया गया था। इस प्रकार आई.ई.सी. गतिविधि दक्षता पूर्वक संचालित नहीं करने के कारण इस घटक का अधिकतम प्रत्याशित लाभ नहीं प्राप्त किया जा सका।

मुख्य अभियंता (नागरिक), लो.स्वा.अभि. विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन में कहा (नवम्बर 2011) कि समुचित उपलब्धि हेतु परिणाम आधारित आई.ई.सी. क्रियाकलापों का संचालन किया जायेगा।

2.2.10.2 मानव संसाधन विकास क्रियाकलापों पर अलाभकारी व्यय

जल स्रोतों का रासायनिक जाँच नहीं संचालित किये जाने के परिणामस्वरूप बुनियादी स्तर के कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण एवं क्षेत्रीय जल परीक्षण उपकरणों के क्रय पर किये गये ₹ 5.20 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा।

एन आर डी डब्लू क्यू एम एंड एस कार्यक्रम के अनुसार सुरक्षित पेयजल की महत्ता पर जोर देते हुए ग्रामीण स्तर के कार्यकत्ताओं के लिए बी एस डब्लू एस एम ने प्रशिक्षण माड्यूल तैयार किया था। कुल ₹ 3.15 करोड़ की उपलब्ध राशि (2006–11) के विरूद्ध विभाग द्वारा वर्ष 2008–09 के दौरान जिला, प्रखण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर 42507 व्यक्तियों के प्रशिक्षण लक्ष्य पर ₹ 3.13 करोड़ के व्यय के पश्चात केवल 32942 (77 प्रतिशत) व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया। शेष राशि विभाग के पास अव्यवहृत पड़ी हुई थी (मार्च 2011)।

प्रशिक्षण माड्यूल के तहत् प्रत्येक भू–जल स्रोतों का प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा वर्ष में कम से कम दो बार (मानसून के पूर्व एवं मानसून के बाद) रासायनिक जाँच किया जाना अपेक्षित था। इस उद्देश्य हेतु ₹ 2.07 करोड़ की लागत पर क्षेत्रीय परीक्षण उपकरणों का क्रय (मार्च 2009) किया गया था।

नमूना जाँचित 10 जिलों के अभिलेखों की संविक्षा से स्पष्ट हुआ कि कुल प्राप्त 2777 क्षेत्रीय जल परीक्षण उपकरणों (एफ टी के) में से ग्राम पंचायतों को 2578 उपकरणों का वितरण किया गया था (मार्च 2011)। 69 ग्राम पंचायतों द्वारा जाँच किये जाने वाले 457564 नमूनों[69] में से मात्र 6258 (एक प्रतिशत) का जाँच प्रतिवेदन ग्राम पंचायतों द्वारा समर्पित किये गये थे ***(परिशिष्ट 2.6)***। इस प्रकार बुनियादी कार्यकत्ताओं के प्रशिक्षण एवं क्षेत्रीय जल परीक्षण उपकरणों (एफ.टी.के.) के क्रय पर किया गया ₹ 5.20 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा।

[68] *(i) समुदाय में सुरक्षित जल की महत्ता के बारे सामान्य जागरूकता के सृजन हेतु पाँच दिवसीय कैंप (ii) जन–अभियान, लोक संपर्क, विद्यालयों में अभियान तथा अंतर्वैयक्तिक संचार/प्रदर्शन (iii) समस्त स्रोतों का स्वच्छता सर्वे (iv) छापी गयी सामग्रियाँ (v) समाचार पत्रों में विज्ञापन (vi) जिला मुख्यालयों में होर्डिंग्स (vii) प्रखंड मुख्यालयों पर होर्डिंग (viii) प्रत्येक 30 सेकेंड का विडियों फिल्म (ix) दूरदर्शन चैनलों पर प्रसारण हेतु शुल्क (x) रेडियों के प्रादेशिक समाचारों के पहले एवं बाद में संवाद।*

[69] *नमूना जाँचित प्रमंडलों में भूगर्भीय स्रोतों की कुल संख्याः 228782 x 2 = 457564 जल नमूनों की जाँच की जानी थी।*

मुख्य अभियंता (नागरिक), लो.स्वा.अभि. विभाग ने समापन सम्मेलन में कहा (नवम्बर 2011) कि प्रोत्साहन राशि के बगैर जल की गुणवत्ता जाँच में बुनियादी कार्यकर्त्ताओं ने अत्यल्प रूचि दर्शायी।

2.2.10.3 जिला प्रयोगशाला द्वारा पेयजल गुणवत्ता जाँच

एन.आर.डी.डब्लू.पी. मार्गदर्शिकाओं के अनुसार सभी भू–जल स्रोतों की जाँच भौतिक एवं रासायनिक मानकों के अनुरूप प्रतिवर्ष एक बार की जानी थी। इस उद्देश्य हेतु, प्रत्येक जिला एवं अनुमण्डल स्तर पर एक प्रयोगशाला स्थापित किया जाना था। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि जिला स्तर के मात्र 38 लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला थे परंतु अनुमण्डल स्तर पर एक भी प्रयोगशाला नहीं थी, जबकि वर्ष 2010–11 में इन प्रयोगशाला की स्थापना हेतु ₹ 4.74 करोड़ उपलब्ध कराये गये थे।

लेखापरीक्षा जाँच में पुनः स्पष्ट हुआ कि विभाग द्वारा जल स्रोतों की जाँच में एन.आर. डी.डब्लू.(एफ.टी.के.) मार्गदर्शिका के प्रावधानित मानकों का पालन नहीं किया गया था। बावजूद इसके विभाग द्वारा प्रति प्रयोगशाला 100 जल नमूनों की जाँच के लक्ष्य का निर्धारण किया गया था।

नमूना जाँचित जिलों में प्रमंडलीय प्रयोगशालाओं द्वारा वर्ष 2006–11 के दौरान निष्पादित जल नमूनों की जाँच के ब्यौरे **सारणी सं. 6** में दर्शाये गये हैं :

सारणी सं. 6

जल नमूनों की जाँच में कमी

जिला	विभाग के अनुसार कराये जाने वाले जाँचों की संख्या	पाँच वर्षों के दौरान किये गये जाँचों की संख्या	कमी की प्रतिशतता
बक्सर	6000	3290	45
बाँका	6000	0	100
समस्तीपुर	6000	2419	60
खगड़िया	6000	3270	45
जमुई	6000	2527	58
भागलपुर	6000	1642	73
सहरसा	6000	1838	69
सुपौल	6000	3205	47
पूर्णिया	6000	1813	70
नवादा	6000	2441	59
कुल	**60000**	**22445**	

(स्रोत : लो. स्वा. अभि. विभाग एवं लो. स्वा. प्रमंडल द्वारा प्रदत आँकड़ों के आधार पर)

एन.आर.डी.डब्ल.क्यू.पी. मार्गदर्शिका के सन्दर्भित किए बिना विभाग द्वारा भू–जल स्रोतों के जाँच के लक्ष्य का निर्धारण किया गया। जो लक्ष्य निर्धारित किया गया, वह भी अप्राप्त रहा।

वर्ष 2006–11 के दौरान योजना मार्गदर्शिका को सन्दर्भित किए बिना विभाग द्वारा निर्धारित 60000 लक्षित जाँचों के विरूद्ध सिर्फ 22445 (37 प्रतिशत) जाँच ही किया जा सका। नमूना जाँचित 10 जिलों में कमी का प्रतिशतता 45 से 100 तक विस्तारित थी।

मुख्य अभियंता (नागरिक), लो.स्वा.अभि. विभाग ने बहिर्गमन बैठक में कहा (नवम्बर 2011) कि जल नमूनों की जाँच में कमी के कारण मानव बल तथा अंतःसंरचनात्मक सुविधा का अभाव तथा बाँका में शत–प्रतिशत कमी का कारण मई 2011 तक प्रयोगशाला का स्थापित नहीं होना था।

2.2.11 स्थापित सुविधाओं का निरीक्षण एवं अनुश्रवण

प्रदूषण कम करने वाली योजनाओं का आवधिक अनुश्रवण नहीं किया गया तथा त्रुटि/कमियों का भी निवारण नहीं किया गया था।

एन.आर.डी.डब्लू.पी. मार्गदर्शिका के अनुसार कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य एवं जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय निरीक्षण, अनुश्रवण किया जाना आवश्यक था। जिला जल स्वच्छता समिति (डी.डब्लू.एस.सी.) द्वारा सम्बन्धित जिलों में विशेषज्ञों

के दलों का गठन करना था जिसके द्वारा प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार विभिन्न प्रखंडों में योजनाओं के कार्यान्वयन का अनुश्रवण किया जाना था। समरूपेण, राज्य जल स्वच्छता मिशन (एस.डब्लू.एस.एम.) को जिला में प्रत्येक छः माह में एक बार कार्यक्रमों की समीक्षा करनी थी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने उजागार किया कि नमूना जाँचित प्रमंडलों/मुख्यालयों के उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार जिला या प्रखंड स्तर पर न तो ऐसी कोई समीक्षा और न ही कोई निरीक्षण ही किया गया था। परिणामतः जल प्रदूषण को कम करने वाली योजनाओं की प्रगति का आवधिक अनुश्रवण नहीं हुआ तथा त्रुटियों/कमियों का भी निवारण नहीं किया जा सका। लो.स्वा.अ.वि. के निर्देशानुसार उपचारात्मक संयंत्र/इकाई से प्रत्येक 15 दिनों पर जल नमूना प्राप्त कर, उसकी जाँच कर लॉग बुक में जाँच परिणामों को दर्ज किये जाने को सुनिश्चित करने में कार्यपालक अभियंता विफल रहे। इस प्रकार, स्थापित सुविधाओं का अनुश्रवण एवं निरीक्षण लगभग नगण्य था।

मुख्य अभियंता (नागरिक), लो.स्वा.अभि. विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन (नवंबर 2011) में बताया कि मुख्यालय स्तर पर अनुश्रवण कोषांग तथा अनुश्रवण हेतु सुधार सहायता इकाई प्रस्तावित था।

2.2.12 निष्कर्ष

विभाग द्वारा वर्ष 2008–09 तक कोई वार्षिक कार्य योजनाएँ नहीं बनायी गयी थी, जिसके परिणामस्वरूप राशि की उपलब्धता के बावजूद भी इस अवधि के दौरान निवारात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति धीमी थी। ए.आर.डब्लू.एस.पी. मार्गदर्शिका का उल्लंघन कर विभाग द्वारा निवारात्मक योजनाओं की स्थापना हेतु टोलों के चुनाव में अधिकतम प्रदूषण स्तर वाले श्रोतों का कोई सन्दर्भ नहीं लिया गया। जल गुणवत्ता समीक्षा समिति द्वारा बैठकों का संचालन नहीं किया जाना, केन्द्र एवं राज्य अभिकरणों के बीच सामंजस्य में कमी को दर्शाता था जिससे अंततः चयन प्रक्रिया प्रभावित हुई। उपलब्ध राशि का कम उपयोग, वित्तीय वर्ष के अन्त में राशि की विमुक्ति तथा राशि को असैनिक जमा में रखने के कारण विभाग का वित्तीय प्रबंधन असंतोषप्रद था। इस अवधि के दौरान विभाग द्वारा सिर्फ छः प्रतिशत आर्सेनिक, फ्लोराईड एवं लौह प्रभावित टोलों को ही आच्छादित किया जा सका। इनके तकनीकी संभाव्यता को सुनिश्चित किये बिना, सैनिटरी कूपों का निर्माण जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना कार्य का आबंटन, अपरिष्कृत जल के जाँच के बगैर आर्सेनिक, फ्लोराईड एवं लौह निवारण संलग्नक इकाइयों की स्थापना के मामले भी पाये गये। संचालन एवं अनुरक्षण नीति के अभाव में उपचारात्मक योजनाओं की स्थापना के बावजूद भी पेयजल का प्रदूषण स्तर अनुमत्य सीमाओं से अधिक था। स्थापित सुविधाओं के अनुश्रवण एवं निरीक्षण का अभाव था। वर्ष 2006–11 के दौरान ₹ 396.51 करोड़ के व्यय के बावजूद भी विभिन्न भू–जल प्रदूषण हेतु उपचार योजनाओं का क्रियान्वयन अपेक्षित प्रभावोत्पादकता विफल रहा।

2.2.13 अनुशंसाएँ

सरकार यह विचार कर सकती है कि:

- विभाग द्वारा वार्षिक योजना तैयार किया जाए तथा प्रदूषण स्तर की प्राथमिकता के आधार पर उपचारात्मक योजनाओं को स्वीकृत किया जाए।
- वित्तीय प्रबंधन की प्रणाली को टोलों के आच्छादन लक्ष्य के विरूद्ध अधिक यथार्थ बनाया जाए और उपलब्ध निधियों का कारगर उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
- विभाग द्वारा किसी भी उपचारात्मक योजनाओं की स्वीकृति से पूर्व अपरिष्कृत जल में उपलब्ध प्रदूषण की मात्रा की जाँच पर जोर दिया जाए।
- विभागीय स्तर पर दीर्घकालीन संचालन एवं अनुरक्षण नीति का प्रतिपादन किया जाए जिससे कि लागत पर सृजित परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण हो सके एवं उनसे अपेक्षित लाभों को प्राप्त किया जा सके; और
- कार्यान्वित योजनाओं के प्रभाव का नियमित मूल्यांकन किया जाना चाहिए जिससे कि कमियों को चिह्नित कर उसका समाधान किया जा सके।

अध्याय III

संपादन लेखापरीक्षा

सरकार के विभागों, उनके क्षेत्र संरचनाओं के साथ–साथ स्वायत्त निकायों की संपादन लेखापरीक्षा से संसाधन प्रबंधन में कमियाँ एवं नियमितता, औचित्य और मितव्ययिता के मानकों के अनुपालन में विफलताओं के कई उदाहरण उजागर हुए। इन्हें कंडिकाओं के रूप में व्यापक विषय शीर्ष के अधीन प्रस्तुत किया गया है।

3.1 नियमों की अवमानना

बेहतर वित्तीय प्रशासन और प्रभावी वित्तीय नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि व्यय वित्तीय नियमों, विनियमनों और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुरूप हो। यह न केवल वित्तीय अनियमिताओं को बाधित कर सरकार को प्रतिफल हानि से बचाता है बल्कि अच्छे वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने में भी मदद करता है। नियमों और विनियमों की अवमानना पर, जिसके परिणामस्वरूप सरकार को हानि हुई, कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष, निम्नानुसार हैः

पथ निर्माण एवं ग्रामीण कार्य विभाग

3.1.1 अलकतरे के कम उठाव तथा अनुपयोगित रहने से सरकार को हानि

अलकतरे के कम उठाव तथा अनुपयोगित रहने के कारण सरकार को ₹ 77.48 लाख का हानि हुई।

(क) बिहार लोक कार्य विभाग के संहिता नियम 276 के अनुसार सहायक अभियंताओं को भंडार की सामग्रियों, जिनका पिछले दो वर्षों में उपयोग नहीं किया गया है, की एक सूची कार्यपालक अभियंता को प्रस्तुत करना है। कार्यपालक अभियंता को ऐसी सामग्रियों के निपटान के लिए अधीक्षण अभियंता (अ.अ.) से आदेश प्राप्त करना होगा, जो (अ.अ.) अन्य अंचलों में इसे खपाने अथवा इनकी बिक्री द्वारा निपटान करने का हर संभव प्रयास करेगें।

पथ निर्माण प्रमंडल, भभुआ के अभिलेखों के नमूना जाँच (जून 2010) से यह ज्ञात हुआ कि वर्ष 2003–04 में पथ एवं पूलों के पूँजीगत परिव्यय (5054) तथा मरम्मत एवं रखरखाव शीर्ष (3054) के तहत 204.267 टन खरीदा गया अलकतरा अधिप्राप्ति के बाद से ही भंडार में अप्रयुक्त तथा प्राकृतिक विभीषिकाओं के लिए खुले पड़े थे। अलकतरा के अनुचित भंडारण के कारण अलकतरा बह गया था तथा मिट्टी और घास–फूस में मिलने के कारण उपयोग हेतु अनुपयुक्त हो गया था। आगे यह भी पाया गया कि विभाग द्वारा इस भंडारित अलकतरे के उपयोग हेतु कोई प्रयास भी नहीं किया गया। भंडारित अलकतरे के क्षति के कारण सरकार को ₹ 72.94[1] लाख की हानि हुई।

का. अभि. ने बताया (जून 2010) कि इसके निपटारा हेतु उच्चाधिकारियों से आवश्यक मार्गदर्शन माँगा गया था।

(ख) ग्रामीण कार्य विभाग (ग्रा.का.वि.) के कार्य प्रमंडल, खगड़िया द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना के अन्तर्गत पसराहा रेलवे स्टेशन से झंझाड़ा पथ (2.5 कि.मी.) का निर्माण

[1] *अलकतरा का मूल्य वर्ष 2008 के मूल्य पर आधारितः ₹ 35710 प्रति मे. टन।*

कार्य ₹ 66.35 लाख में एक संवेदक को प्रदान किया गया (मई 2007) जिसे छः माह के अन्दर नवम्बर 2007 तक पूरा करना था।

कार्य पूर्ण कर लिया गया था (दिसम्बर 2010) एवं संवेदक को किए गए कार्य के विरूद्ध 12 चलंत लेखा विपत्रों के माध्यम से कुल ₹ 64.32 लाख की राशि का भुगतान (जनवरी 2010) किया गया था।

कार्यपालक अभियंता (का.अभि.) ग्रा.का.वि., खगड़िया के अभिलेखों के नमूना जाँच (अप्रैल 2010) ने उजागर किया कि कार्य के कार्यान्वयन हेतु 24.75 मी. टन अलकतरा एवं 5.625 मी. टन इमलसन की आवश्यकता थी। इसके लिए का.अभि. ने भारतीय तेल निगम (भा.ते.नि.), पटना को आपूर्ति आदेश (नवम्बर 2007) जारी किया। आगे संवीक्षा ने उजागर किया कि कार्य में 30.30 मी. टन अलकतरे का ही खपत दर्शाया गया था। हाँलांकि, प्रमंडल ने लेखापरीक्षा को मात्र 15.629 मे. टन अलकतरे का बीजक उपलब्ध कराया। भा. ते. नि., पटना ने कार्य के आपूर्त्यादेश के विरूद्ध संवेदक द्वारा मात्र 15.629 मी टन अलकतरा के उठाव की पुष्टि की। यह इंगित करता है कि संवेदक ने बिना वास्तविक उठाव एवं कार्य में उपयोग के हीं 9.05 मी. टन अलकतरा तथा 5.625 मी. टन इमलसन का अस्वीकार्य भुगतान प्राप्त किया। यह क्रियान्वित कार्य की गुणवत्ता पर भी प्रश्न चिह्न खड़ा करता था।

इसे इंगित किए जाने पर, का.अ., ग्रा.का.वि., खगड़िया ने बताया कि शायद शेष चालान उसी संवेदक के अन्य पथों की संचिकाओं में मानवीय भूल–वश संलग्न हो गये होंगे जिसे बाद में लेखापरीक्षा को दिखा दिया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि भा.ते.नि., पटना ने लेखापरीक्षा को 30.30 मी. टन के प्रतिवेदित खपत के विरूद्ध मात्र 15.629 मी. टन के उठाव की पुष्टी कर दी थी। परिणामस्वरूप, संवेदक को ₹ 4.54[2] लाख का अदेय भुगतान हुआ।

इस प्रकार उपयुक्त दो मामलों में अलकतरा के कम उठाव पर अधिक भुगतान एवं अलकतरा के अप्रयुक्त होने के कारण बेकार होने से सरकार को कुल ₹ 77.48[3] लाख का हानि उठाना पड़ा।

मामले सरकार को सूचित (अगस्त 2011) किए गए, उत्तर अप्राप्त (नवंबर 2011) थे।

जल संसाधन विभाग

3.1.2 सरकार को हानि

वैधता अवधि के अंदर बैंक गारंटी भुनाने में विभाग की विफलता के अलावा प्रमंडलों द्वारा फर्जी बैंक गारंटी स्वीकार किए जाने के कारण सरकार को ₹ 2.89 करोड़ की हानि हुई।

बिहार लोक कार्य विभागीय संहिता (बि.लो.का.वि.) के नियम 172 (II) के तहत प्रावधान एवं निविदा आमंत्रण सूचना (नि.आ.सू.) के अन्तर्गत शर्तों के तहत् एक करोड़ से अधिक लागत वाले कार्यों के लिए, संवेदक/अभिकरण को आवश्यक रूप से राज्य के भीतर अवस्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी बैंक गारण्टी (बैं.गा.) प्रस्तुत करना था। यदि कोई निविदाकार राज्य के बाहर का बैं.गा. प्रस्तुत करता है तब उसे एकरारनामे के

[2] *80/100 ग्रेड अलकतरा 9 .05 मे. टन x @ ₹ 34854.13/मे. टन – मूल्य 3.2.2009 के अनुसार = ₹ 3.15 लाख एवं इमलसन 5 .625 मे. टन x @ ₹ 24715.63/मे. टन – मूल्य 16.06.2009 के अनुसार = ₹ 1.39 लाख।*

[3] *₹ 72.94 लाख + ₹ 4.54 लाख = ₹ 77.48 लाख।*

क्रियान्वयन के समय राज्य के भीतर स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी बैं.गा. के द्वारा बाहरी बैंक द्वारा जारी बैं.गा. प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है। इसके अलावा, बिहार लोक कार्य विभागीय संहिता भाग I के परिशिष्ट 'अ' के अन्तर्गत सरकार का निर्णय सं. 54 यह विहित करता है कि भुगतानों को विमुक्त करने के पूर्व संवेदकों द्वारा प्रस्तुत बैं.गारंटियों को विशेष दूत के माध्यम से संबंधित बैंकों से आवश्यक रूप से सत्यापन कराया जाना चाहिए। इसके अलावा स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट (स्टैं.बी.डॉ.) के उपबंध 10 बी (III) के अनुसार संयत्र और मशीनरी के विरूद्ध अग्रिम संवेदक द्वारा कार्यस्थल पर लाए गए संयंत्र और मशीनरियों के विरूद्ध हीं प्रदान किया जाएगा।

3.1.2.1 बैंक गारण्टी के समाप्ति के कारण हानि

कार्यपालक अभियंता (का.अ.), बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल (बा.नि.प्र.), मोकामा (बख्तियारपुर) ने बाढ़ अवस्थित नेशनल थर्मल पॉवर कॉरपरेशन (ने.थ.पॉ.कॉ.) संयंत्र में नाला तथा पहुँच पथ के निर्माण हेतु मे. विजेता कन्सट्रक्सन प्रा. लि., राँची से ₹ 27.84 करोड़ का एक एस.बी.डी. एकरारनामा (जून 2007) किया। कार्य को एक वर्ष के अंदर यानि मई 2008 तक पूर्ण किया जाना था।

उपरोक्त एकरारनामा के लेखापरीक्षा संवीक्षा (मार्च 2011) ने उजागार किया कि बि.लो.का.वि. संहिता के प्रावधान एवं नि.आ. सूचना की शर्तों के उल्लंघन में का.अ. ने राज्य के बाहर अवस्थित एक बैंक यथा इलाहाबाद बैंक, मुख्य शाखा, राँची (झारखण्ड) द्वारा ₹ 55.68 लाख का जारी किया गया एक बैं.गा.[4] जो 10 जून 2009 तक वैध था, स्वीकार किया। चूँकि अभिकरण ने मार्च 2009 तक ₹ 5.98[5] करोड़ का कार्य, जो मात्र 21 प्रतिशत ही था, पूर्ण कराया गया, का.अ., बा.नि.प्र., मोकामा ने अप्रैल 2009 में अनुबंध को रद्द किया। हाँलांकि, का.अ. ने एस.बी.डी. के उपबंध 3(अ) का उल्लंघन करते हुए बैं.गा. को एकरारनामा के रद्द होने के 67 दिनों के बाद तक रोके रखा। इसके बाद 8 जून 2009 यानि बैं.गा. वैधता की समाप्ति के 48 घंटे पहले, इसके नकदीकरण के लिए जारी करने वाले बैंक जो राँची में अवस्थित था, भेजा गया। चूँकि बैं.गा. 12 जून 2009 को प्राप्त किया गया था बैंक ने वैधता की समाप्ति के कारण इसे भुनाने से इनकार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप दोषी संवेदक की प्रतिभूति जमा की राशि जब्त नहीं की जा सकी। बैं.गा. के 67 दिनों तक रोक रखने के विषय पर का.अ. द्वारा न तो कोई कारण बताया गया था और न हीं अभिलेखों में दर्ज हीं किया गया था।

इस प्रकार, का.अ. द्वारा बैं.गा. के विलम्ब से प्रस्तुत किए जाने के परिणामस्वरूप सरकार को ₹ 55.68 करोड़ की हानि हुई। जल संसाधन विभाग द्वारा कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

3.1.2.2 फर्जी बैंक गारण्टी के कारण हानि

कार्यपालक अभियंता (का.अ.), सारण प्रमंडल, छपरा ने मे. राम प्रवेश राय एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक पथ कार्य[6] क्रियान्वयन हेतु ₹ 17.42 करोड़ का एक एस.बी.डी. एकरारनामा (फरवरी 2008) किया जिसे मई 2009 तक पूर्ण करना था। संवेदक ने

4 *बैं.गा. सं. 021002/165/2007/दिनांक 11.06.2007।*

5 *8वें चलंत लेखा विपत्र से, अभिश्रव सं. 21 दिनांक 26.03.2009 द्वारा।*

6 *मगरपाल चरकी के 0 से 16 किमी एवं सारण तटबंध के 20.151 के 35.20 किमी पथों में ऊँचीकरण, मजबूतीकरण तथा कालीकरण।*

निष्पादन प्रतिभूति[7], औजार एवं संयंत्र अग्रिम[8] तथा मोबिलाईजेशन अग्रिम[9] के विरूद्ध सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सी.बी.आई.), अम्बारा चौक शाखा, मुजफ्फरपुर का दिनांक 7 फरवरी 2008 का ₹ 3.15 करोड़ का नौ बैं.गा. प्रस्तुत किया। बैं.गा. एक वर्ष के लिए मान्य थे। लेखापरीक्षा संवीक्षा (दिसम्बर 2010) ने निम्नलिखित विसंगतियों को उजागर किया:

- ₹ 3.15 करोड़ के बैं.गा., जिनकी वैधता फरवरी 2009 तक थी, की स्वीकृति अनियमित थी क्योंकि, यह कार्य पूर्णता की समस्त अवधि को आच्छादित नहीं करता था।
- का.अ. ने बैं.गा. के आवश्यक सत्यापन प्रतिवेदन (मार्च 2008) के प्राप्त होने के पूर्व ही कुल ₹ 1.74 करोड़ के मोबिलाईजेशन अग्रिम के विरूद्ध ₹ 1.50 करोड़ अनियमित रूप से विमुक्त (फरवरी 2008) किए।
- संवेदक को औजार एवं सयंत्र अग्रिम के रूप में ₹ 87.10 लाख का विमुक्त किया जाना अनियमित था एवं एस.बी.डी. के उपबंध 10(बी)(III) के अनुरूप नहीं था, चूँकि इस अग्रिम की स्वीकृति संवेदक द्वारा प्रस्तुत बैं.गा. के आधार पर, न कि कार्य स्थल पर औजार एवं संयंत्र के लाने पर दी गयी थी।
- प्रमंडल द्वारा जारी कई स्मारों (नवम्बर एवं दिसम्बर 2008) के बावजूद भी संवेदक ने ₹ 3.15 करोड़ के बैं.गा. का पुनर्वैधिकरण नहीं कराया। वरन्, उसने जनवरी 2009 में ₹ 87.11 लाख का नया बैं.गा.[10] प्रस्तुत किया। चूँकि संवेदक द्वारा शेष राशि हेतु बैं.गा. प्रस्तुत नहीं किए गए थे, प्रमंडल ने पिछले बैं.गा. के फिर से सत्यापन हेतु बैंक को संदर्भित (जुलाई 2009) किया। इसकी प्रतिक्रिया में जारीकर्ता बैंक ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2009) कि फरवरी 2008 में प्रस्तुत किए गए सारे बैं.गा. फर्जी थे।
- चूँकि संवेदक ने मात्र 19 प्रतिशत का ही कार्य संपादित किया था तथा नए बैं. गा. प्रस्तुत करने में विफल रहा, का.अ. द्वारा ₹ 3.45 करोड़ के भुगतान (मार्च 2010) के बाद कार्य रद्द कर दिया गया। हाँलांकि संवेदक के विरूद्ध ₹ 3.70[11] करोड़ का बकाया (मार्च 2010) था, उसके विपत्रों से अग्रिमों के विरूद्ध मात्र ₹ 50 लाख ही बरामद किया गया एवं ₹ 87.11 लाख का बैं.गा. प्रमंडल द्वारा जब्त कर भुनाया गया था। इस प्रकार संवेदक से ₹ 2.33 करोड़ का वसूली शेष थी। बाद में, लेखापरीक्षा की पहल पर उक्त संवेदक के विरूद्ध प्राथमिकी (दिसम्बर 2010) दर्ज कराई गई।

मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, सिवान ने बताया की एस.बी.डी. के उपबंधों के अनुसार का.अ., सारण प्रमंडल को बकाया राशि की वसूली हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किए जा रहे थे। हाँलांकि संवेदक के विरूद्ध की गई कार्रवाई का विवरण अप्राप्त (जून 2011) था।

7 *बी.जी. संख्या – 58 दिनांक 07.02.2008 -* ₹ ***54,10,000***

8 *बी.जी सं. 59 दि. 07.02.2008 -* ₹ *27,10,100,*
बी.जी सं. 60 दि. 07.02.2008 - ₹ *30,10,100,*
बी.जी सं. 61 दि. 07.02.2008 - ₹ *30,10,100.*
कुल ₹ ***87,30,300***

9 *बी.जी सं. 62 दि. 07.02.2008 -* ₹ *35,00,000*
बी.जी सं. 63 दि. 07.02.2008 - ₹ *35,00,000*
बी.जी सं. 64 दि. 07.02.2008 - ₹ *35,00,000*
बी.जी सं. 65 दि. 07.02.2008 - ₹ *35,00,000*
बी.जी सं. 66 दि. 07.02.2008 - ₹ *34,20,139*
कुल ₹ ***174,20,139***

10 *बैंक ऑफ बड़ोदा, मुख्य शाखा, पटना का* ₹ *87.11 लाख का बैं.ग्रा. सं. 157/31 मार्च 2010 तक के लिए पुनर्वैधिकरण।*

11 *कुल अग्रिम:* ₹ *174.20 लाख +* ₹ *87.11 लाख +* ₹ *108.69 लाख (सूद)=* ₹ *369.99 लाख या* ₹ *3.70 करोड़।*

उपरोक्त तथ्य जैसे बैं.गा. का अपने वैधता अवधि के भीतर नकदीकरण में विफलता, अग्रिमों की अनियमित देयता, फर्जी बैं.गा. की स्वीकृति और बैं.गा. का असत्यापन नहीं होना आदि प्रमंडलीय पदाधिकारियों के ओर से गंभीर खामियों को दर्शाते थे। नतीजतन, प्रमंडलों को ₹ 2.89[12] करोड़ की हानि हुयी और सारण प्रमंडल में कार्य पर ₹ 3.45 करोड़ का व्यय होने के बावजूद कार्य अपूर्ण रहा।

मामले सरकार को संदर्भित किए गए (मई 2011), उनके जबाव प्रतीक्षित (नवंबर 2011) थे।

3.2 औचित्य लेखापरीक्षा / आधिक्य / निरर्थक / अलाभकारी व्यय

लोक निधियों से व्यय का प्राधिकार लोक व्यय के औचित्य और सिद्धान्तों द्वारा निर्देशित होता है। व्यय हेतु सक्षम प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वो व्यय करने में वही समान सतर्कता बरतेगा जो कि एक साधारण विवेक का व्यक्ति स्वयं के धन के संबध में पहल करता है एवं प्रत्येक कदम पर वित्तीय आदेशों एवं सख्त अर्थव्यवस्था लागू करेगा। लेखापरीक्षा ने अनौचित्य, अतिरिक्त एवं निरर्थक व्यय के कुछ मामले उजागर किया है जिनमें कुछ का वर्णन नीचे दिया जा रहा है:

पथ निर्माण विभाग

3.2.1 कार्य का अनियमित भुगतान एवं मूल्य निष्प्रभावन पर अधिक भुगतान

अयोग्य संवेदकों को ₹ 21.53 करोड़ के पथ कार्य प्रदान किए गए जिनके निरसित किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 7.46 करोड़ का अतिरिक्त दायित्व तथा उच्चतर दरों पर अलकतरे के मूल्य निष्प्रभावन दिए जाने से ₹ 25 लाख का अधिक भुगतान हुआ।

बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 सहपठित बिहार लोक कार्य विभाग (बि.लो.का.वि.) संहिता का अनुलग्नक (ग) में यह निर्धारित है कि ₹ 3.50 करोड़ से अधिक के कार्य लागत वाली सभी संविदाएँ पथ निर्माण विभाग के पंजीकृत 'श्रेणी–I' संवेदक को ही प्रदान किया जा सकता है। इसके अलावा बि.लो.का.वि. संहिता (अनुलग्नक अ) के निर्णय सं. 112 केवल उन्हीं संवेदकों को निविदाएँ जमा करने की अनुमति देता था जिनके पास स्वयं की न्यूनतम आवश्यक निर्धारित मशीनें[13] हों। कोई पदाधिकारी अगर निविदाओं के अनुमोदन के समय इन शर्तों की अनदेखी करता हो तो इसके लिए उन्हें ही जिम्मेवार ठहराया जाएगा। इसके साथ–साथ, स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट (एस.बी.डी.) की धारा 1 के उपबंध 4.5 ब के अनुसार निविदाताओं को नियोक्ता की समीक्षा हेतु तथा कार्य पर तैनात किए जाने वाले आवश्यक उपकरणों[14] की उपलब्धता की घोषणा एवं प्रदर्शन करना अपेक्षित है।

12 *मामला क: ₹ 55.68 लाख*
मामला ख: ₹ 2.33 करोड़
कुल: ₹ 2.89 करोड़

13 *हॉट मिक्स प्लांटस इलेक्ट्रोनिक कन्ट्रोल के साथ, पेभर फिनिशर, फ्रन्ट इन्ड लोडर, टैन्डेम रॉलर्स, भाइभरेट्री रॉलर्स, टार ब्वाइलरस के साथ बिटुमिन स्प्रेयर तथा कम्प्रेशर मशीन।*

14 *कम्प्यूटराइजड हॉट मिक्स प्लांट इलेक्ट्रोनिक्स कन्ट्रोल के साथ, इलेक्ट्रोनिक सेन्सर के साथ पेभर फिनिशर, पानी की टंकी, बिटुमिन स्प्रेयर, टैनडेम रॉलर, 5 वर्ष की अधिकतम उम्र के साथ वजन बैचिंग सुविधा वाला कंक्रीट मिक्सर।*

(क) कार्यपालक अभियंता (का.अ.), शाहाबाद पथ निर्माण प्रमंडल, आरा ने ''आरा–सिन्हा पथ (0 से 16 किमी) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण'' का कार्य 18 माह यानि जून 2009 तक पूर्ण करने हेतु ₹ 9.17 करोड़ का एक एस.बी.डी. अनुबंध (दिसम्बर 2007) किया।

निविदा दस्तावेजों की लेखापरीक्षा समीक्षा (मार्च 2011) ने उजागर किया कि कार्य के आवंटन के समय में, संवेदक पथ निर्माण विभाग के साथ श्रेणी 'अ' संवेदक के रूप में पंजीकृत नहीं था। इस तथ्य को प्रमंडलीय लेखाकार द्वारा तकनीकी निविदाओं की तुलनात्मक विवरणी में भी उल्लेख किया गया था। इसके अलावा, एस.बी.डी. की धारा 1 के उपबंध 4.5 (ब) के अनुसार संवेदक के पास आवश्यक मुख्य संयंत्र एवं उपकरण[15] नहीं थे। यहाँ तक कि संवेदक के पास उपलब्ध गर्म मिश्रण संयंत्र भी आवश्यक मापदण्ड 80–100 चक्कर प्रति घंटा के विरूद्ध मात्र 40–60 चक्कर प्रति घंटा के निम्न विनिर्देशन का था।

इन कमियों के बावजूद, विभागीय निविदा समिति (वि.नि.स.) ने बि.लो.का.वि. संहिता में सरकार के निर्णय सं. 112 का उल्लंघन करते हुए कथित संवेदक के पक्ष में संविदा आवंटन का निर्णय (अक्टूबर 2007) लिया। तदोपरांत, अभियंता–प्रमुख–सह–अपर आयुक्त, प.नि.वि. ने कार्य आवंटन (दिसम्बर 2007) के लगभग नौ माह बाद सितम्बर 2008 में संवेदक को प.नि.वि. का पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्रदान किया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा (मार्च 2011) में यह भी उजागर किया कि संवेदक ने पथ का एक कि मी भी कालीकरण स्तर तक पूरा नहीं किया था, हाँलांकि उसे ₹ 2.67 करोड़ (29 प्रतिशत) का भुगतान (जून 2009) कर दिया गया था। का.अभि. ने ₹ 42.14 लाख की प्रतिभूति जमा राशि जब्त करने के बाद कार्य की धीमी प्रगति के कारण एकरारनामा को रद्द कर दिया। जनवरी 2010 में यह अवशेष कार्य बिहार राज्य पुल निर्माण निगम (बि.रा.पु.नि.नि.) को ₹ 9.58 करोड़ पर हस्तानान्तरित किया। दूसरी तरफ बि.रा.पु.नि.लि. ने एक अन्य अभिकरण (मे. महेश्वर क्षेत्रेश्वरी निर्माण प्रा. लि.) के साथ ₹ 10.35 करोड़ का नया एकरारनामा क्रियान्वित किया जिसे मार्च 2011 तक की निर्धारित तिथि तक पूर्ण कर देना था। कार्य अभी भी प्रगति पर था एवं संवेदक को जुलाई 2011 तक ₹ 7.06 करोड़ (68 प्रतिशत) का भुगतान किया जा चुका था।

इस प्रकार एक अयोग्य संवेदक को संविदा के अनियमित आवंटन के परिणामस्वरूप ₹ 3.43[16] करोड़ की अतिरिक्त देयता/अतिरिक्त लागत हुई।

(ख) कार्यपालक अभियंता (का.अ.), शाहाबाद पथ निर्माण प्रमंडल, आरा ने आरा–एकौना–खैरा–सहार रोड के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु ₹ 13.36 करोड़ के लिए एक संवेदक के साथ 18 माह यानी अगस्त 2009 तक कार्य पूर्ण किये जाने हेतु एक एस.बी.डी. एकरारनामा किया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा (मार्च 2011) ने उजागर किया कि संवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये तकनीकी निविदा अभिलेख पूर्णतया रिक्त थे और इस तथ्य को अधीक्षण अभियंता, भोजपुर पथ अंचल, आरा द्वारा तुलनात्मक विवरणी में उचित रूप से दर्ज किया गया था। हाँलांकि इस असफल निविदा अभिलेख मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार प्रभाग, स.नि.वि., बिहार, पटना को प्रस्तुत किया गया था, फिर भी डी.टी.सी. ने इस संवेदक को कार्य किये जाने की मंजूरी दे दी एवं का.अ., प.नि. प्रमंडल. आरा ने एक एस.बी.डी. अनुबंध एकरारित कर लिया। हाँलांकि यह एस.बी.डी. एकरारनामा बि.लो.का.वि. संहिता

15 यथा पूर्णतः *कम्प्यूटराइजड हॉट मिक्स प्लांट जिसकी क्षमता 80–100 टी.पी.एच. (चक्कर प्रति घंटा), टैन्डम रॉलर, मोटर ग्रेडर, डॉजर, फ्रन्ट इंड लोडर आदि।*

16 *अतिरिक्त देयता/अतिरिक्त लागत = (₹ 10.35 करोड़ – ₹ 9.17 करोड़) + ₹ 2.67 करोड़ – ₹ 42.14 लाख (जब्त प्रतिभूति) = ₹ 3.43 करोड़।*

एवं एस.बी.डी. की धारा 1 के उपबंध 4.5 (ब) (अ) के तहत अपेक्षित संवेदक के औजारों, उपकरणों एवं अन्य मशीनरी की पुष्टि के बिना ही किया गया था।

संविदा प्रदान किये जाने के 22 माह उपरांत भी संवेदक ने मात्र 44 प्रतिशत ही कार्य क्रियान्वित किया था एवं उसे ₹ 6.18 करोड़ का भुगतान किया गया था। कार्य की धीमी प्रगति के कारण, का.अ. ने ₹ 40.17 लाख जब्त करने के बाद एकरारनामा को रद्द (दिसम्बर 2011) कर दिया। शेष कार्य बि.रा.पु.नि.नि. को हस्तांतरित (मार्च 2010) कर दिया गया जिसने ₹ 10.62 करोड़ की लागत पर एक अन्य अभिकरण (राजकुमार सिंह राजा कन्स्ट्रक्सन प्रा. लि.) को आवंटित कर दिया, जिससे सरकार को ₹ 4.03[17] करोड़ के अतिरिक्त दायित्व के लिए प्रतिबद्ध होना पड़ा।

इसे इंगित किए जाने पर (अप्रैल 2011), विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार ने कहा (जून 2011) कि निविदा प्राप्तकर्ता प्राधिकरण के लिए विहित मशीनों का भौतिक सत्यापन करना अनिवार्य नहीं था तथा का.अ. ने निविदादाता द्वारा प्रदत्त सूचनाओं से संतुष्ट होने के बाद तकनीकी निविदा को मूल्यांकन हेतु अनुशंसित किया था। उन्होंने आगे कहा कि बि.लो.का.वि. संहिता में सरकार का आदेश सं. 112, विभाग के अभियंता–प्रमुख द्वारा जारी किया गया था एवं यह एस.बी.डी. के तहत कराए जाने वाले कार्यों के लिए लागू नहीं था। हाँलांकि, उन्होंने कार्य पूर्ण करने में हुए अतिरिक्त व्यय को संवेदक से वसूली किए जाने पर सहमति जताई।

विशेष सचिव का जबाव प्रासंगिक नहीं है क्योंकि पहले मामले (आरा–सिन्हा रोड) में, एक अपंजीकृत संवेदक को संविदा आवंटित किया जाना घोर अनियमित था। दूसरे मामले (आरा–एकौना सहार पथ– किमी 19 से 35 किमी) में भी यद्यपि बि.लो.का.वि. संहिता के प्रावधानों के अनुसार संवेदक के पास 'स्वयं का' संयत्र और उपकरण होना अनिवार्य था, संवेदक द्वारा रिक्त तकनीकी निविदा दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के बाद भी, कार्य को अनियमित रूप से प्रदान किया गया। अतः संवेदक को तकनीकी निविदा चरण में ही अयोग्य कर दिया जाना चाहिए था। इसके विपरीत, मुख्य अभियंता (मु.अ.) (दक्षिण) ने गंभीर त्रुटि की अनदेखी करते हुए संवेदक को अनियमित रूप से सफल (तकनीकी) घोषित किया एवं इसकी प्रदत्तता के लिए एवं डी.टी.सी. से भी अनुमोदन प्राप्त किया। इसके अलावा विशेष सचिव, प.नि.वि. का आदेश सं. 112 के बारे में दिया गया उत्तर भी तथ्यात्मक रूप से गलत था चूँकि यह निर्णय बि.लो.का.वि. संहिता का एक अभिन्न हिस्सा था इसलिए यह एस.बी.डी. के तहत कार्यों सहित सभी निविदा कार्यों पर अनिवार्य रूप से लागू था।

इस प्रकार अयोग्य संवेदकों को अनियमित रूप से कार्यावंटन किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 7.46[18] करोड़ का अतिरिक्त बोझ भारित हुआ।

(ग) स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट (एस.बी.डी.) के उपबंध 10 सी.ए. तथा 10 सी.सी. के अनुसार यदि निविदा प्रस्तुत करने के बाद, सीमेन्ट, इस्पात, अलकतरा आदि कार्य में शामिल सामग्रियों का मूल्य कार्य निविदाओं की निर्धारित प्राप्ति (अवधि विस्तार सहित, यदि कोई हो) के अंतिम नियत तिथि की तत्कालीन कीमतों से बढ़ जाती है, तो अनुबंध की राशि को अनुरूपेण परिवर्तित किया जाएगा तथा संवेदक को कार्य में उपयोगित सामग्रियों के मूल्य वृद्धि की अंतर राशि का भुगतान किया जाएगा। अलकतरे की लागत में वृद्धि या कमी के लिए मूल्य समायोजन का भुगतान एस.बी.डी. अनुबंध में निर्धारित

17 *₹ 10.62 करोड़ – (₹ 12.36 करोड़ – ₹ 6.18 करोड़) – ₹ 40.17 लाख = ₹ 4.03 लाख।*

18 *₹ 3.43 करोड़ + ₹ 4.03 करोड़ = ₹ 7.46 करोड़।*

सूत्र[19] के अनुसार किया जाएगा। यह प्रावधान केवल उन समझौते में लागू किया जाएगा जो निर्धारित समय से परिचालित हो या जिसके लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा अवधि विस्तार की अनुमति दी गई हो।

- पथ निर्माण प्रमंडल, जहानाबाद के अभिलेखों के नमूना जाँच (जुलाई 2010) ने उजागर किया कि बभना–सकुराबाद रोड के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए ₹ 5.56 करोड़ की संविदा एक संवेदक को जून 2009 तक पूर्ण करने हेतु आवंटित (जून 2008) किया गया। प्रमंडल ने अलकतरे की मूल्य वृद्धि के लिए संविदा में निर्धारित सूत्र द्वारा मूल्य निष्प्रभावन का भुगतान किया। गणना की संवीक्षा से आगे यह भी पता चला कि B_0 जो कि निविदा के खुलने के 28 दिनों के पूर्व निकटतम केन्द्र पर अलकतरा का आधिकारिक खुदरा मूल्य था, का मान ₹ 29856.98 था, लेकिन इसे गलत रूप से ₹ 24964.12 प्रयुक्त किया गया। इसके अलावा गणना में R का मान यानी कार्य का कुल मान में नौ[20] प्रतिशत जोड़कर वर्धित करते हुए प्रयुक्त किया गया। परिणामस्वरूप संवेदक को अलकतरा के मूल्य निष्प्रभावन हेतु ₹ 20.11 लाख ***(परिशिष्ट 3.1)*** का अधिक भुगतान किया गया।

मामले सरकार को संदर्भित (मई 2011) किए गए। उत्तर में विशेष सचिव ने कहा (अक्टूबर 2011) कि संवेदक के 28वें चलंत लेखा–विपत्र से ₹ 17.49 लाख की वसूली कर ली गयी थी। उन्होंने आगे कहा कि सूत्र में प्रयुक्त R का मान कार्य का एकरारित मूल्य था।

विशेष सचिव का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि एस.बी.डी. एकरारनामा में उल्लेखित मूल्य निष्प्रभावन को कार्य की लागत पर दिया जाना था न कि कार्य के एकरारित राशि पर। इस प्रकार कार्य के परिणाम विपत्र मान के बदले कार्य के एकरारित मूल्य की अनुमति अनियमित एवं अस्वीकार्य था। संवेदक से शेष ₹ 2.61 लाख की वसूली हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

- पथ निर्माण प्रमंडल, किशनगंज के अभिलेखों के नमूना जाँच (फरवरी 2011) ने उजागर किया कि किशनगंज–तैयबपुर–ठाकुरगंज–गलगलिया (के.टी.टी.जी. भाग II) पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य एक संवेदक को ₹ 10.85 करोड़ पर, एक वर्ष (4 फरवरी 2009) में पूर्ण करने हेतु आवंटित (5 फरवरी 2008) किया गया। कार्य पूर्ण कर दिया गया था एवं संवेदक को 12 चलंत विपत्रों के माध्यम से कुल ₹ 10.74 करोड़ का भुगतान किया गया। मूल्य निष्प्रभावन गणना के सूत्र की संवीक्षा में यह पाया गया कि B_1 का मान, जो कि अलकतरा का निकटतम केन्द्र पर विचाराधीन महीने के 15वें दिन का आधिकारिक खुदरा मूल्य था, को गलत ढंग से प्रयुक्त किया गया तथा मूल्य निष्प्रभावन हेतु ₹ 26.40 लाख के स्वीकार्य राशि के विरूद्ध ₹ 48.80 लाख का

19 $V_b = 0.85 \times P_b/100 \times R \times (B_1-B_0)/B_0$

V_b = अलकतरा दरों में अंतर होने के कारण संदर्भित माह के दौरान कार्य के लागत में वृद्धि या कमी

B_0 = बीड खुलने की तिथि से 28 दिन पूर्व आई ओ सी डिपो के नजदीकी केन्द्र पर अलकतरा का अधिकारिक खुदरा मूल्य

B_1 = संदर्भित माह के 15वें दिन को आई.ओ.सी. डिपो के नजदीकी केन्द्र पर अलकतरा का आधिकारिक खुदरा मूल्य

P_b = कार्य के अलकतरा अवयव की प्रतिशतता

R = कार्य का कुल मूल्य

20 *परिणाम–विपत्र से नौ प्रतिशत अधिक पर संवेदक को कार्य आवंटित किया गया था।*

भुगतान किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 22.40 लाख ***(परिशिष्ट 3.2)*** का अधिक भुगतान हुआ।

विशेष सचिव, प .नि.वि. ने जवाब दिया (अक्टूबर 2011) कि आई.ओ.सी., से पटना से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार B_1 का मान प्रयुक्त किया गया था। हाँलांकि, लेखापरीक्षा को न तो कोई अभिलेखित साक्ष्य प्रस्तुत किया गया और न हीं संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध, कोई कार्रवाई ही की गयी।

एस.बी.डी. अनुबंधों के मूल्य निष्प्रभावन उपबंध के गलत प्रयुक्तता के परिणामस्वरूप संवेदकों को ₹ 25.01[21] लाख का अधिक भुगतान किया गया।

3.2.2 निम्न विनिर्देशनों पर पथ कार्य का क्रियान्वयन

निम्न विनिर्देशनों पर पथ कार्यों के कार्यान्वयन से ₹ 2.79 करोड़ का अवमानक कार्य हुआ।

आई.आई.टी. रूड़की के अनुशंसाओं के आधार पर सचिव, पथ निर्माण विभाग (प.नि.वि.), बिहार, पटना ने राष्ट्रीय राजमार्ग (रा.रा.मा.) सं. 30 के पथ के गमनीय गुणवत्ता सुधार (आई.आर.क्यू.पी.) कार्य[22] के लिए ₹ 12.23 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन (फरवरी 2009) दिया। सड़क पर भारी यातायात भार को ध्यान में रखते हुए, पर्पटी की मोटाई के लिए तकनीकि विशिष्टिताओं में 115 मी.मी. के अलकतरा कार्य प्रावधनित था यथा 75 मी.मी. डेन्स ग्रेडेड बिटुमिनस मैकेडम (डी.बी.एम.) एवं 40 मि.मि. बिटुमिनस कंक्रीट (बी.सी) था। हाँलांकि जुलाई 2011 तक तकनीकी स्वीकृति प्रदान नहीं की गई थी।

राष्ट्रीय राजमार्ग पश्चिम प्रमंडल, पटना के अभिलेखों की लेखापरीक्षा (अक्टूबर 2010) में यह पाया गया कि कार्यों के प्रशासनिक अनुमोदन (प्रशा.अनु.) के बाद, मुख्य अभियंता, रा.रा.मा., बिहार, पटना ने का.अ. को परिणाम–विपत्र को तैयार किये जाने में बिना कोई कारण बताए पर्पटी की मोटाई को कम करने का निर्देश (फरवरी 2009) दिया जिसमें 75 मी.मी. डी.बी.एम. के बदले 50 मी.मी. बिटुमिनस मैकेडम (बी.एम.) एवं 40 मी.मी. बी. सी. के स्थान पर 25 मी.मी. सेमी डेन्स बिटुमिनस कंक्रीट (एस.डी.बी.सी.) का उपयोग करना था। परिमात्र विपत्र तदनुसार तैयार तथा अनुमोदित किए गए एवं निविदाओं को दो भागों में आमंत्रित (फरवरी 2009) किया गया यथा (क) 150 से 153 एवं 157 (600मी.) से 159 कि.मी. के कार्य के लिए तथा (ख) किमी 160 से 166 के लिए, जिनपर 50 मी.मी. बी.एम. एवं 25 मी.मी. एस.डी.बी.सी. कार्य किया जाना था। ₹ 3.73 करोड़ में एक अभिकरण को 160 से 166 कि.मी. का कार्य आवंटित (जून 2009) हुआ तथा पूर्ण (मार्च 2010) कर दिया गया था एवं ₹ 3.36 करोड़ का अंतिम भुगतान भी किया गया था।

150 से 153 एवं 157 (600मी.) से 159 किमी. तक के कार्य की पुनर्निविदा अमराहा कन्सट्रक्सन प्राईवेट लि. को ₹ 3.40 करोड़ में आवंटित की गयी। हाँलांकि, सचिव प. नि.वि. ने विभागीय मासिक समीक्षा बैठक के पथ पर यातायात की संख्या एवं प्रारंभिक नुकसान से बचने हेतु मुख्य अभियंता, रा.रा.मा. प्रभाग को प्रशा.स्वी. के अनुरूप ही कार्य के क्रियान्वयन किए जाने का निदेश (नवम्बर 2009) दिया। परिणामस्वरूप, यह निविदा भी रद्द (जनवरी 2010) कर दी गयी। इसके बाद, प्रशा.अनु. के आधार पर एक अभिकरण (मे. उमेश कुमार एवं कम्पनी) को ₹ 5.47 करोड़ में कार्य आवंटित किया

[21] *₹ 2.61 लाख + ₹ 22.40 लाख = ₹ 25.01 लाख।*

[22] *किमी 50 से 153, (600मी) से 166 में तथा 150 से 166 किमी के मध्य विभिन्न किमी में हार्ड सोल्डर ड्रेनेज एवं हयूम पाईप कल्वर्टों का निर्माण।*

गया। छठे लेखा विपत्र (जुलाई 2011) तक अभिकरण को ₹ 4.73 करोड़ का भुगतान किया गया था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में उजागर हुआ कि समान पथ में 160 से 166 किमी में 50 एम.एम. बी.एम. एवं 25 एम.एम. एस.बी.डी.सी. का उपयोग करते हुए 75 मी.मी. मोटाई का पर्पटी कार्य क्रियान्वित किया गया जबकि 150 से 153 एवं 157 (600मी.) से 159 किमी में, 115 मी.मी. मोटी पर्पटी निर्मित की गयी जिसे 75 मी.मी. डी.बी.एम. तथा 40 मी.मी. बी. सी. द्वारा क्रियान्वित किया गया। इस पथ पर यातायात की सघनता के मद्देनजर सचिव, प.नि.वि. का यह निर्देशानुसार पूरे पथ में पर्पटी मोटाई 115 मी.मी. का बनाए रखा जाना अपेक्षित था ताकि शीघ्र टूटने से इसे बचाया जा सके। इस प्रकार, प्रशा.अनु. का विनिर्देशन एवं आई.आई.टी., रूड़की की सिफारिशों की उपेक्षा करते हुए मु.अभि. द्वारा पर्पटी की मोटाई का विनिर्देशन को कम करने की सिफारिश न केवल अविवेकपूर्ण, बल्कि रा.रा.मा. सं. 30 के किमी 160 से 166 का पथ, जिसकी लागत ₹ 2.79 करोड़ थी, कें आरंभिक ह्रास के जोखिम से भरा था ***(परिशिष्ट 3.3)***।

मामले सरकार को सूचित (अप्रैल 2011) किए गए थे। विशेष सचिव, प.नि.वि., बिहार, पटना ने कहा (मई 2011) कि रा.रा. पर राज्य सरकार द्वारा व्यय की गई राशि का मंत्रालय द्वारा प्रतिपूर्त्ती नहीं होने के कारण राज्य सरकार ने व्यय के सीमा के अनुरूप विशिष्टियों को कम कर दिया था।

विशेष सचिव, प.नि.वि. का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सचिव प.नि.वि. ने स्वयं ही प्रेषण किया था कि निम्न विशिष्टिताओं के साथ इस कार्य के कार्यान्वयन किए जाने से पथ को आंरभिक क्षति हो सकती थी एवं प्रशा.अनु. की मूल विशिष्टियों को बहाल करने का आदेश दिया। इसके अलावा, आई.आई.टी., रूड़की के विशेषज्ञ सिफारिशों, भारी यातायात के दबाव एवं प्रारंभिक ह्रास से पथ के बचाव को ध्यान में रखते हुए पथ के एक भाग में निम्न विनिर्देशनों के साथ कार्य के क्रियान्वयन का कोई औचित्य नहीं था। इस प्रकार, रा.रा.मा. सं. 30 के किमी 160 से 166 में निम्न विनिर्देशनों पर कार्य के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप ₹ 2.79 करोड़ का अवमानक कार्य हुआ।

3.2.3 पथ कार्यों का अवमानक कार्यान्वयन

पथ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के विनिर्देशनों का अनुपालन नहीं करने के कारण ₹ 1.22 करोड़ की लागत का अवमानक पथ कार्य क्रियान्वित हुआ।

राष्ट्रीय सम विकास योजनान्तर्गत धरहरा–चाँदी पथ (0 किमी से 6.75 किमी) के सुधार के उद्देश्य से कार्यपालक अभियंता (का.अभि.), शाहाबाद पथ प्रमंडल, आरा ने मई 2008 तक कार्य पूर्ण करने हेतु एक अभिकरण के साथ ₹ 2.49[23] करोड़ की अनुमानित लागत पर एक एकरारनामा किया (मई 2007)। कार्यों को भारत सरकार के पथ, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) द्वारा निर्धारित विनिर्देशनों के अनुरूप कार्यान्वित किया जाना था। मोर्थ विनिर्देशनों के उपबंध 506.5 अनुसार संवेदक को अंतिम सतह के कार्य का कार्यान्वयन यानी सेमी डेन्स बिटुमिनस कंक्रीट (एस.डी.बी.सी.) को बिल्ट–अप स्प्रे ग्राउंटिग (बी.यू.एस.जी.) पर 48 घंटे की एक अधिकतम अवधि के भीतर निष्पादित करना था।

इसके अलावा, निविदा आमंत्रण सूचना (नि.आ.सू.) उपबंध 17, जो कि एकरारनामा का एक हिस्सा था, के अनुसार संवेदक को कार्य पूर्ण होने के तीन वर्ष के बाद भी कार्य

[23] *पथ कार्यः ₹ 140.09 लाख; आर.सी.सी. कल्वर्टः ₹ 3.93 लाख; आर.सी.सी. बॉक्स क्ल्वर्टः ₹ 11.51 लाख एवं एच.एल.ब्रिजः रू 93.79 लाख।*

का संधारण एवं उनमें आए दोषों को सुधारना था। कार्य, अवधि विस्तार की ग्राहयता के बाद, मार्च 2010 में पूर्ण कर लिया गया एवं प्रमंडल ने अंतिम विपत्र (मार्च 2010) के रूप में ₹ 1.87 करोड़ का भुगतान किया विरूद्ध पथ कार्यों पर ₹ 1.22 करोड़ व्यय किए गए थे।

कार्य निष्पादन अभिलेखों के लेखापरीक्षा (मार्च 2011) से यह ज्ञात हुआ कि जबकि प्रथम एवं द्वितीय किमी में 5154.55 मी^{2} बी.यू.एस.जी. मद का क्रियान्वयन जून 2007 में किया गया था, इसपर एस.डी.बी.सी. द्वारा आच्छादन दिसम्बर 2007 में किया गया था। इसके अलावा तीसरे से सातवें किमी में 11864.50 मी^{2} का बी.यू.एस.जी. का क्रियान्वयन अप्रैल 2008 में ही किया गया, इस पर बी.डी.सी. द्वारा आच्छादन दिसम्बर 2008 में किया गया था। उपरोक्त तथ्यों ने यह उजागर किया कि मोर्थ विनिर्देशनों के उल्लंघन में बी.यू.एस.जी. पर अंतिम बिटुमिनस सतह को आच्छादन पाँच से आठ माह का विलम्ब हुआ।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से आगे पता चला कि संवेदक ने 83.13 मी. टन अलकतरा की वास्तविक आवश्यकता के विरूद्ध 56.96 मी. टन अलकतरा का उपभोग किया था जिससे 26.17 मी.टन अलकतरा का कम उपयोग हुआ तथा परिणामस्वरूप, अवमानक कार्य का क्रियान्वयन हुआ। मोर्थ विनिर्देशनों का अनुपालन नहीं होने के कारण ₹ 1.22 करोड़ के पथ कार्य का अवमानक क्रियान्वयन हुआ एवं इसमें समय से पूर्व ही क्षति हुयी जैसा कि कार्यपालक अभियंता (का.अभि.) के नवम्बर 2008 तथा मार्च 2010 के प्रतिवेदन में उजागर किया गया था। का.अभि. की अधियाचना पर एक तीसरे पक्ष से गुणवत्ता जाँच, जिसे एम.एस.वी. इण्टरनेशनल, इंक (अक्टूबर 2008) द्वारा संचालित किया गया था, ने भी पथ कार्य में कम अलकतरा के खपत की पुष्टि की। इसके अलावा, कार्य पूर्ण (मार्च 2010) होने के मात्र पाँच माह बाद, अवर–प्रमण्डल पदाधिकारी, कोईलवर ने कनीय अभियंता कोईलवर को मरम्मत एवं रख–रखाव हेतु एक नया प्राक्कलन तैयार करने को कहा, जबकि इसकी दोष–दायित्व अवधि कि वैधता मार्च 2013 तक थी। मात्र पाँच माह के बाद ही पथ की मरम्मती करवाना पूर्व के कराए गए कार्यों का अवमानक क्रियान्वयन को इंगित करता था।

विशेष सचिव, प.नि.वि. ने अपने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2011) कि एस.डी.बी.सी. का कार्य मई से अक्टूबर के बीच भारी बारिश के कारण नहीं किया गया तथा 48 घंटे के भीतर बी.यू.एस.जी. पर एस.डी.बी.सी. कार्य के क्रियान्वयन किए जाने में व्यावहारिक समस्याओं को निर्दिष्ट किया। उन्होंने आगे कहा कि संवेदक ने एम.एस.वी. इन्टरनेशनल द्वारा बताए गए विनिर्देशनों एवं दिशानिर्देशों के अनुरूप निर्दिष्ट विस्तारों पर कार्यों को पुनर्कार्यान्वित किया। उन्होंने आगे कहा कि गीली रेत से भरे अति–भारित ट्रकों के परिचालन के कारण पथ–पर्पटी क्षतिग्रस्त हुयी। परिणामस्वरूप, प्रतिकुल परिस्थितियों में संवेदक पर दोष–दायित्व का लागू किया जाना संभव नहीं था।

विशेष सचिव, का उत्तर, कि ''अति–भारित ट्रकों के परिचालन'' से पथ क्षतिग्रस्त हुआ, निम्न कारणों से स्वीकार्य नहीं था (i) यह पथ के अवमानक क्रियान्वयन को आवृत करने का प्रयास था चूँकि इस पथ पर अति–भारित रेत से भरे ट्रकों का परिचालन कोइलवर घाट के शुरू होने तथा रेत के खनन के बाद से ही आरंभ था। (ii) मोर्थ विनिर्देशनों के अनुसार बी.यू.एस.जी. के क्रियान्वयन के 48 घंटे की अधिकतम अवधि के अंदर एस.डी.बी.सी. कार्य का क्रियान्वयन आवश्यक था। लगातार बारिश को बी.यू.एस. जी. के आच्छादन में विलंब का कारण बताना भी स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विलंब में पाँच से आठ माह का अन्तराल था एवं प्रमंडल द्वारा पर्याप्त प्रत्याशित कार्रवाई की जा सकती थी। (iii) पक्ष के गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन स्वयं में ही अवमानक कार्य के कार्यान्वयन की स्वीकारोक्ति थी, हाँलांकि, सीमित विस्तारों में इसकी मरम्मती की जा

चुकी थी। (iv) इसके अलावा विभाग द्वारा अपने जवाब के समर्थन में कोई दस्तावेजी सबूत यथा मापी पुस्त प्रस्तुत नहीं किया गया कि एम.एस.वी. इण्टरनेशनल द्वारा आपत्ति किए गए विस्तारों पर समुचित सुधार कर लिया गया था।

इस प्रकार, पथ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के विनिर्देशनों का अनुपालन नहीं करने के कारण ₹ 1.22 करोड़ का अवमानक पथ कार्य क्रियान्वित किया गया।

3.2.4 संविदा का अनियमित आवंटन एवं पथ कार्य पर निष्फल व्यय

अयोग्य संवेदक को संविदा आवंटित करने के कारण ₹ 1.42 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

कार्यपालक अभियंता (का.अ.), राष्ट्रीय उच्च पथ (रा.उ.प.) प्रमंडल संख्या 2, मुजफ्फरपुर द्वारा रा.उ.प. 77 के अधीन हाजीपुर–मुजफ्फरपुर पथ के परगमनीय गुणवत्ता में सुधार के लिए एकल निविदा के आधार पर एक अनुबंध किया गया (मार्च 2009)। संविदा का मूल्य ₹ 6.89 करोड़ तथा कार्य समाप्ति की अवधि आठ महीने (अक्टूबर 2009) की थी। का.अ., रा.उ.प. 2 , मुजफ्फरपुर के अभिलेखों की संवीक्षा से संविदा प्रदान करने में की गई निम्नलिखित अनियमितताएँ उजागर हुई।

- निविदा आमंत्रण सूचना (नि.आ.सू.) के अनुसार निविदादाता के पास अपेक्षित विनिर्देशन का पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत हॉट मिक्स प्लांट एवं गुणवत्ता जाँच प्रयोगशाला होना आवश्यक था। निविदादाता को पिछले तीन वर्षों का कार्य अनुभव प्रमाणपत्र, उन्हें उपलब्ध बैंक साख सुविधा का विवरण, बिक्री कर सफाया प्रमाणपत्र एवं चरित्र प्रमाणपत्र भी जमा करना था। यद्यपि निविदादाता इन अहर्त्ताओं को पूरी नहीं करता था, मुख्य अभियंता, रा.उ.प. प्रभाग, पथ निर्माण विभाग (प.नि.वि.), बिहार, पटना ने अनियमित रूप से संवेदक के तकनीकी निविदा को 'सफल' घोषित कर दिया। इसके बाद विभागीय निविदा समिति ने उस संवेदक के पक्ष में संविदा को अनुमोदित कर दिया।
- संवेदक के द्वारा समर्पित ₹ 16.50 लाख की परफौसमेंस बैंक गारंटी अगस्त 2009, यानि अनुबंधित अवधि (अक्टूबर 2009) से दो माह कम, तक ही वैध थी। हाँलांकि का.अ. ने इसे पूर्णता अवधि तक विस्तारित करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की। इस चूक से संवेदक को अदेय लाभ पहुँचा।
- चूँकि संवेदक ने सितंबर 2009 तक मात्र 10.60 प्रतिशत कार्य ही पूरा किया था, का.अ. ने कार्य को निरसित कर दिया एवं संवेदक के आरक्षित जमा को जब्त कर लेने का आदेश दिया। तथापि अभियंता प्रमुख (अ.प्र.), प.नि.व., पटना ने दिसबंर 2009 में इस निरसित आदेश को स्थगित कर दिया एवं संवेदक द्वारा ''प्रोफाइल करेक्टिभ कोर्स'' एवं बुरी तरह क्षतिग्रस्त हिस्से में अर्द्ध घना अलकतरा ठोस (एस.डी.बी.सी.) कार्य पूरा करने तक संविदा को बहाल करने का आदेश दिया। इसके अतिरिक्त अ.प्र. ने कार्य शुरू होने के आठ महीने बाद (जनवरी 2010) परिचालन अग्रिम के रूप में ₹ 27 लाख एवं सुरक्षित अग्रिम के रूप में अलकतरा चालान के विरूद्ध ₹ 13.41 लाख को स्वीकृत किया।अ .प्र. की कार्रवाई एस.बी.डी. के खंड 10 ब (ii) का उल्लंघन थी जिसके अनुसार परिचालन अग्रिम प्रदान करने की अवधि कार्यादेश से एक महीने तक ही सीमित थी। लेकिन मूल रूप से स्वीकृति देने हेतु प्राधिकृत विभागीय निविदा समिति का, अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया।
- इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के बावजूद संवेदक ने कार्य के क्रियान्वयन में कोई प्रगति नहीं दिखाई तब का.अ. द्वारा संवेदक को कुल ₹ 1.42 करोड़ के

भुगतान के बाद संविदा को अंतिम रूप से बंद कर दिया गया (मई 2010)। चूँकि बुरी तरह क्षतिग्रस्त निर्धारित हिस्से, में कोई एस.डी.बी.सी. कार्य नहीं किया गया था। इस प्रकार ''सीमित कार्य'' भी संवेदक द्वारा पूरा नहीं किया गया।

- क्रियान्वित कार्य भी निष्फल साबित हुआ क्योंकि बिटुमिनस मैकाडम (बी.एम.) एवं एस.डी.बी.सी. कार्य के साथ कालीकरण स्तर तक का कार्य पूरा नहीं होने के कारण वाहन चलने योग्य एक किलोमीटर पथ भी पूरा नहीं हो सका था। ₹ 1.42 करोड़ व्यय होने के बावजूद परगमनीय गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ।

अतः अयोग्य एकल निविदादाता को कार्य प्रदान करना, निरसन आदेश की बहाली, निरसन के बाद परिचालन अग्रिम देना एवं वसूली लंबित रहने के बावजूद बैंक गारंटी को विमुक्त किया जाना अनियमित था।

यह प्रतिवेदित किए जाने पर (जून 2011) विशेष सचिव, प.नि.वि., बिहार सरकार ने जवाब दिया (सितम्बर 2011) कि निविदादाता ने तकनीकी बोली की आवश्यकतानुसार हॉट मिक्स प्लांट, पेभर फीनीसर, बिटुमेन ब्यालर इत्यादि के स्वामित्व के कागजात समर्पित किया था। इसके आधार पर मु.अ., रा.उ.प., बिहार के नेतृत्व वाली तकनीकी बोली मूल्यांकन समिति ने तकनीकी बोली को सफल घोषित किया। तदोपरांत वि.नि.स. ने निविदादाता की वित्तीय बोली को अनुमोदित किया एवं तदनुसार कार्य प्रदान किया गया। उन्होंने पुनः कहा कि चूँकि पथ को चार–लेन बनाने हेतु भारत के राष्ट्रीय उच्च पथ प्राधिकार को सौंप देना था, जनसमूह की तकलीफ को कम करने हेतु कार्य हित में निरसित किये अनुबंध को बहाल किया गया। संवेदक से प्रचालन अग्रिम के ₹ 27 लाख की वसूली भी कर ली गई है। अतः अब तक किया गया व्यय फलदायक था।

विशेष सचिव का जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि संवेदक के पास हॉट मिक्स प्लांट एवं अन्य उपकरणों का स्वामित्व नहीं था और उसे 'किराए' पर लेना था। यह तथ्य तकनीकी बोली के तुलनात्मक विवरणी में भी दर्ज था। का.अ. द्वारा तैयार, हस्ताक्षरित एवं अनुशंसित जाँच सूची के प्लांट एवं मशीनरी कॉलम भी रिक्त था। इसके बावजूद का.अ. ने लोकहित में उच्च अधिकारियों को संवेदक के पक्ष में अनुशंसित किया। अतः कार्य को 'जानबूझकर' अयोग्य संवेदक को प्रदान किया गया। विभागीय पदाधिकारियों की उपरोक्त कार्रवाई लोकहित के बदले संवेदक से मिलीभगत का इशारा करती थी, परिणामस्वरूप अधूरे कार्य पर ₹ 1.42 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

पथ निर्माण एवं ग्रामीण कार्य विभाग

3.2.5 दायित्व एवं लागत राशि की अवसूली के परिणामस्वरूप अतिरिक्त दायित्व का सृजन

दायित्व एवं लागत उपबंध लागू करने के उपरांत वास्तविक वसूली के बिना दो संविदाओं को रद्द किए जाने से ₹ 9.43 करोड़ के अतिरिक्त दायित्व के सृजन के अलावा 27 अनुबंधों के अंतर्गत ₹ 8.38 करोड़ की जब्त प्रतिभूति जमा राशियों को जमा नहीं किया गया था।

एफ–2 अनुबंध का उपबंध 3 कार्यपालक अभियंता (का.अभि.) को संवेदक की प्रतिभूति जमा (प्रति.ज.) राशि को जब्त करने अथवा श्रम एवं सामग्री लगाते हुए शेष कार्य को पूरा करने एवं लागत राशि को इस प्रकार विकलित करने मानो वह संवेदक द्वारा पूर्ण किया गया हो अथवा संवेदक की लागत पर अपूर्ण कार्य हेतु नई निविदा निष्पादित करने का अधिकार प्रदान करता है। यह उपबंध विशेष रूप से उल्लेखित करता है कि

का.अभि. को उपरोक्त उपायों में से किसी को भी अपनाना चाहिए ताकि सरकार के हित की रक्षा सर्वोत्तम संभावित तरीके से की जा सके। समरूपेण, एस.बी.डी. का उपबंध 3 यह विहित करता है कि उक्त उपबंध के तहत किसी अनुबंध के निरसन के उपरांत पेशगी जमा राशि, प्रति.ज. एवं निष्पादन जमानत राशियाँ जब्त कर ली जाएँगी।

इसके अलावा, एस.बी.डी. का उपबंध 14 यह विहित करता है कि किसी निविदा के रद्द/निरस्त किए जाने की दशा में अवशेष कार्य संवेदक के दायित्व एवं लागत पर पूरे किए जाएँगें। कार्यों की पूर्णता में सरकार द्वारा किया गया अथवा किया जाने वाला अतिरिक्त व्यय अथवा सरकार द्वारा भुगतीत अतिरिक्त हानि या क्षति की वसूली, संविदा के प्रावधानों के अनुसार संवेदक के किसी भी प्रकार की देय राशियों अथवा स्वयं संवेदक से की जाएगी।

अप्रैल से जुलाई 2011 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा ने पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग में संविदाओं के निरसन के मामलों की संवीक्षा की। वर्ष 2008–11 के दौरान ₹ 187.90 करोड़ मूल्य के कुल 33 निरसित संविदाओं का विश्लेषण किया गया जिसने निम्नलिखित कमियों को उजागर कियाः

3.2.5.1 अर्थदण्ड का अनारोपण

दो[24] प्रमंडलों द्वारा ₹ 5.47 करोड़ मूल्य की दो संविदाएँ ₹ 1.87 करोड़ के कार्यों के निष्पादनोपरांत कार्यों की धीमी एवं विलंबित प्रगति के कारण रद्द कर दी गयी। इन प्रमंडलों के का.अभि. ने एफ–2 अनुबंध के उपबंध 3 का उल्लंघन करते हुए न तो अनुबंध का 'दायित्व एवं लागत' उपबंध लागू किया और न ही उन्होंने उनके पास उपलब्ध प्रति. जमा का रू 9.36 लाख जब्त ही किया ***(परिशिष्ट 3.4 अ)***।

3.2.5.2 जब्त राशि को जमा नहीं करना

₹ 143.23 करोड़ मूल्य की 27 संविदाओं में, जो 'दायित्व एवं लागत' उपबंध आरोपित कर रद्द की गई थी, अभि. प्रमुखों/का. अभियंताओं को प्रति.ज. राशि जब्त कर कोषाकार में जमा करना था। हाँलांकि अभि. प्रमुखों/का.अभियंताओं ने ₹ 8.38 करोड़ के प्रति. जमा राशियों के जब्ती का सिर्फ आदेश जारी किया परंतु जून 2011 तक इन जब्त राशियों को काषोगार में जमा नहीं किया। अभि. प्रमुखों/का. अभियतंओं के इस कार्रवाई से ₹ 8.38 करोड़ की प्राप्तियों का अनियमित लेखांकन हुआ ***(परिशिष्ट 3.4 ब)***।

जवाब में का.अभि., प .नि.वि., शेखपुरा ने कहा (दिसम्बर 2011) कि चूँकि मामला न्यायालय के विचाराधीन था, प्रति.ज. को जब्त कर कोषागार में जमा नहीं किया जा सका।

3.2.5.3 दायित्व की अवसूली

दो[25] निरसित संविदाओं में, ₹ 7.92 करोड़ के अवशेष कार्यों के विरूद्ध, ₹ 17.34 करोड़ की संविदाएँ अनुबंधित की गयी। इन दोनों मामलों में का.अभियंताओं ने ₹ 9.42 करोड़ के वास्तविक अतिरिक्त व्यय के विरूद्ध मात्र ₹ 2.88 करोड़ के दायित्व का निर्धारण किया। इसके विरूद्ध, ₹ 98.79 लाख के प्रति. जमा राशि जब्त की गयी। का.

[24] *प.नि.प्र. शेखपुरा (2एफ–2/07–08) एवं प.नि.प्र. सुपौल (65एफ–2/08–09)।*

[25] *प.नि.प्र. खगड़िया (01 एस.बी.डी./07–08) एवं प.नि.प्र. बेगुसराय (01 एस.बी.डी./07–08)।*

अभियंताओं द्वारा संवेदकों से ₹ 1.89 करोड़ के शेष निर्धारित दायित्वों की वसूली जून 2011 तक नहीं की गयी थी ***(परिशिष्ट 3.4 स)***।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया था (जुलाई 2011), उनका जवाब अप्राप्त था (नवंबर 2011)।

जल संसाधन विभाग

3.2.6 निविदा के अनियमित निरस्तीकरण के कारण अतिरिक्त भुगतान

ईंट सोलिंग निविदा के अनियमित निरस्तीकरण के कारण ₹ 2.69 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

बिहार सरकार ने संकल्प सं. 3451(एस) दिनांक 12 मार्च 2008 द्वारा सभी कार्य विभागों को अधिसूचित किया कि दो करोड़ से अधिक लागत की निविदाएँ स्टैंडर्ड बिडिंग डाक्युमेंट (एस.बी.डी.) प्रपत्र में संपादित की जाएँगी।

मुख्य अभियंता (मु.अभि.) जल संसाधन विभाग (ज.सं.वि.) वाल्मीकिनगर के अभिलेखों के नमूना जाँच (फरवरी 2011) एवं कार्यपालक अभियंता (का.अभि.), चंपारण प्रमंडल, मोतिहारी के कार्यालय से संग्रहित (अप्रैल 2011) तथ्यों ने उजागर किया कि का.अभि. ने चंपारण तटबंध के 20 मील 41 चेन से 83 मील तक के ईंट सोलिंग हेतु चार ग्रुपों में निविदा आमंत्रित (अप्रैल 2008) किया। निविदा आमंत्रण सूचना (नि.आ.सू.) के अनुसार प्रतिभागी बीडरों को किसी राज्य सरकार के कार्य विभाग के साथ पंजीकृत होना चाहिए था अथवा समान प्रकृति के कार्यों का अनुभव होना चाहिए था। नि.आ.सू. ने यह भी उल्लेख किया था कि अनुबंध को बिहार लोक कार्य विभाग प्रपत्र सं. बि.का.वि. एफ–2 में निष्पादित किया जाना था। चूँकि कार्य की प्राक्कलित राशि ₹ 14.77 करोड़ थी तथा आवश्यकतानुसार, निविदा एस.बी.डी. प्रपत्र पर निष्पादित किए जाने थे, विभागीय निविदा समिति (वि.नि.स.) ने निविदाओं को निरस्त (जुलाई 2008) कर दिया।

इसके बाद, का.अभि. द्वारा समान राशि के लिए चार ग्रुपों में निविदाएँ (नि.आ.सू./02–08–09) पुनः आमंत्रित (जुलाई 2008) की गयी। हाँलांकि वि.नि.स. ने निविदा निरस्त (नवंबर 2008) कर दिया, इस बार इस आधार पर कि बीडरों को कार्यानुभव प्राप्त नहीं था। सामान कार्य को 13 ग्रुपों में खंडित करते हुए निविदाएँ (नि.आ.सू./04–08–09) पुनः आमंत्रित (दिसंबर 2008) की गयी। चूँकि दर–अनुसूची (दर अनु.) दिसंबर 2008 में पुनरीक्षित कर दी गयी थी, अतः निविदाओं की कुल राशि पुनरीक्षित होकर ₹ 16.54 करोड़ हो गयी थी। बीडों की प्राप्तियों के आधार पर कार्यों को ₹ 17.67 करोड़ की कुल निविदित राशि पर नौ संवेदकों को आवंटित किया गया।

द्वितीय एवं तृतीय नि.आ.सू. की अनुक्रिया में प्राप्त बीडों के लेखापरीक्षा विश्लेषण ने उजागर किया कि सभी चार ग्रुपों के प्रतिभागी संवेदक कार्य विभागों के तहत पंजीकृत प्रथम श्रेणी के संवेदक थे जो कार्यानुभव की अर्हता को पूरा करते थे। बीडों की तकनीकि समीक्षा के दौरान मुख्य अभियंता स्तर तक कहीं भी प्रतिकूल टिप्पणी नहीं थी। फलतः द्वितीय निविदा के दौरान प्राप्त बीडों का वि.नि.स. द्वारा कार्यानुभव अर्हता पूरा नहीं किए जाने के आधार पर निरस्त कर दिया जाना औचित्यपूर्ण नहीं था। क्योंकि तृतीय निविदा में वि.नि.स. द्वारा कार्य का वृहत भाग (13 ग्रुपों में से आठ) पूर्व में अयोग्य घोषित संवेदकों को ही प्रदान किया गया ***(परिशिष्ट 3.5)***।

यह इंकित किए जाने पर मु.अभि., ज.सं.वि. ने जवाब दिया (फरवरी 2011) कि वि.नि.स. ने निविदा शर्तों को पूर्ण नहीं किए जाने के आधार पर निविदाओं को निरस्त किया था। जवाब मान्य नहीं था क्योंकि द्वितीय निविदा में प्राप्त बीडों को वि.नि.स. द्वारा कार्यानुभव की शर्त को पूरा नहीं किए जाने के कारण निरस्त किया गया था। हाँलांकि यह निरस्तीकरण सही नहीं था क्योंकि प्राप्त बीडों को मु.अभि. द्वारा तकनीकि रूप से योग्य करार दिया गया था तथा बीडरों को आवश्यक कार्यानुभव प्राप्त था। परिणामतः वि.नि. स. द्वारा तकनीकि आधार पर बीडों को निरस्तीकरण अनियमित था। इसके अलावा, तृतीय निविदा में 13 में से आठ ग्रुपों के कार्य उन्हीं तकनीकि रूप से अयोग्य घोषित चार संवेदकों को सौंपे गए। कार्यों के लिए ₹ 17.46 करोड़ का कुल भुगतान (मार्च 2010) किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 14.77 करोड़ के मूल आकलन से ₹ 2.69[26] करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त भुगतान हुआ।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2011), उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (नवंबर 2011)।

स्वास्थ्य विभाग

3.2.7 उच्चतर दर पर चिकित्सीय उपकरणों के क्रय से अतिरिक्त व्यय

चिकित्सा महाविद्यालय/अस्पतालों के प्राचार्य/अधीक्षकों द्वारा क्रय–नियमों का उल्लंघन किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 2.67 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

बिहार वित्त (संशोधित) नियमावली, 2005 (नियमावली) का नियम 131 (जे) के अनुसार यह आवश्यक है कि सभी किए गए क्रए पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी एवं निष्पक्ष हो जिससे कि धन का सर्वोत्तम मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। जटिल एवं तकनीकी प्रकृति के उच्च दरों के संयत्रों एवं मशीनों का क्रय किए जाने हेतु दो भागों में बीडों को प्राप्त किया जाना था, यथा (अ) तकनीकी बीड, जिसमें वाणिज्यिक शर्तों एवं प्रतिबंधों के साथ तकनीकी विवरण शामिल हो (ब) वित्तीय बीड जिसमें तकनीकी बीड में उल्लेखित मदों का मूल्य दर्शाया गया हो। किसी सक्षम समिति प्राधिकार द्वारा मूल्याकंन हेतु पहले तकनीकी बीड को खोला जाना था। तदोपरांत संविदा को प्रदान किए जाने के पूर्व वित्तीय मूल्यांकन एवं श्रेणीबद्ध करने हेतु तकनीकी रूप से योग्य घोषित बीडरों के वित्तीय बीडों को खोला जाना था। इसके अलावा नियमावली के नियम 131आर(xiv) साधारणतया न्यूनतम बीडर को संविदा प्रदान किया जाना निर्दिष्ट करता था।

तीन[27] इकाइयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (मई 2010 एवं मार्च 2011) ने उजागर किया कि 27 चिकित्सकीय उपकरणों एवं मशीनों की प्राप्ति के लिए द्वि–भागीय निविदाएँ आमंत्रित[28] की गयी थीं। महाविद्यालय एवं अस्पतालों के क्रय–समितियों/तकनीकी समितियों की अनुशंसाओं के आधार पर प्राचार्य/अधीक्षकों ने न्यूनतम से इतर अन्य बीडरों को संविदाएँ प्रदान किया। संविदाओं की प्रदत्तता को इस आधार पर औचित्यपूर्ण करार करने का प्रयास किया गया कि 'खास ब्रांड वृहत रूप से अधिष्ठापित थे एवं उनको दृढ़तापूर्वक कार्यरत रहने तथा संतोषपूर्ण परिणाम देने का प्रतिवेदन प्राप्त था', ''मरीजों एवं शोध कार्यों के लिए अत्यंत लाभदायक थे'' तथा ''अन्य

[26] *₹ 17.46 करोड़ (अंतिम भुगतान) – ₹ 14.77 करोड़ (मूल परिमाण विपत्र राशि)।*

[27] *प्राचर्य, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय (द.चि.महा.), दरभंगा; दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल (द.चि.महा.अस्प.) दरभंगा एवं अधीक्षक जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय (ज.ने.चि.महा.). भागलपुर।*

[28] *अप्रैल एवं अक्टूबर 2007, मई 2008 एवं मई एवं जून 2009।*

चिकित्सकीय महाविद्यालयों में अधिष्ठापित एवं संतोषप्रद रूप से कार्यरत् थे तथा इनकी उच्च गुणवत्ता थी''।

₹ 2.38 करोड़ के न्यूनतम तकनीकी रूप से स्वीकृत प्रस्तावों की अनदेखी कर ₹ 5.05 करोड़ की लागत पर उक्त मशीनों के क्रय किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 2.67 करोड़ का अनौचित्यपूर्ण अतिरिक्त व्यय हुआ ***(परिशिष्ट 3.6)***।

यह इंगित किये जाने पर अधीक्षक, द.चि.महा.अस्प. ने बताया (मई 2010) कि मशीनों के विनिर्देशनों एवं गुणवत्ता के आधार पर अधिक दरों पर क्रय किए गए। प्राचार्य, दरभंगा चिकित्सकीय महाविद्यालय, ने बताया (जनवरी 2011) कि अधिक दरों पर किए गए क्रय उन क्षेत्रों के विशेषज्ञ के रूप में संबंधित विभागाध्यक्षों की अनुशंसाओं पर क्रय समिति द्वारा अनुमोदित थे। अधीक्षक, ज.न.चि.महा., भागलपुर ने बताया (मार्च 2011) कि मशीनें, जो खतरनाक थीं, पर्याप्त सावधानी के साथ खरीदी गयी थी।

उपरोक्त जवाब स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि इस प्रकार के क्रयों में द्वि–भागीय बीड प्रक्रिया का, जिसमें सभी तकनीकी रूप से योग्य घोषित बीडरों को समान दर्जा प्रदान किया जाता था और संविदा न्यूनतम बीडर को प्रदान किया जाता था, उल्लंघन किया गया था। हाँलांकि बीडों के तुलनात्मक विवरणी में सामग्रियों के विनिर्देशन न्यूनतम बीडर के ही समरूप थे, न्यूनतम बीडरों को संविदा नहीं प्रदान किए जाने एवं चि.महाविद्यालयों के प्राचार्यों तथा द.चि.महा.अस्प. के अधीक्षक द्वारा क्रय नियमों के उल्लंघन किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 2.67 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2011), उनके उत्तर अप्राप्त थे (नवंबर 2011)।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

3.2.8 अनियमित स्वीकृति एवं निरर्थक व्यय

ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शिकाओं के उल्लंघन में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने एक अनुपयुक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु ₹ 50.35 करोड़ स्वीकृत किया। इस योजना पर अब तक किए गए ₹ 19.76 करोड़ का व्यय भी निष्क्रिय साबित हुआ।

रूफ–टॉप हार्वेस्टिंग (रू.टॉ.हार्वे.), भारत सरकार (भा.स.) के ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रा.वि.मं.) के त्वरीत ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (त्व.ग्रा.ज.का.) के दीर्घकालीन अवयवों के तहत एक जल संरक्षण कार्यक्रम था। ग्रा.वि.मं. की मार्गदर्शिकाओं के अनुसार रू.टॉ. हार्वे. कार्यक्रम उन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त था जहाँ वर्ष के ज्यादातर हिस्से में अत्यधिक एवं तीव्र वृष्टि होती थी जैसे हिमालय का क्षेत्र, उत्तर–पूर्वी राज्य, अंडमान एवं निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप तथा केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी भाग आदि। ग्रा.वि.मं. की अनुशंसाओं के अनुसार बिहार राज्य को अल्पाद्र सतलुज–गंगा क्षेत्र में शामिल किया गया था जिसके लिए अनुशंसित 'वाटर होर्वेस्टिंग' उपाय–तलाब, चेक–डैम, गल्ली प्लगिंग, कंटूर बंडिंग था, न कि रू.टॉ.हार्वे.। यह कार्यक्रम वैसे क्षेत्रों के लिए, जहाँ भूमिगत जलापूर्ती अपर्याप्त थी तथा जहाँ सतही जलाश्रोत या तो अनुपलब्ध अथवा नगण्य थे, आदर्श समाधान था। ग्रा.वि.मं. की मार्गदर्शिकानुसार क्रियान्वयी विभागों द्वारा किसी कार्यक्रम के क्रियान्वयन के अनुमोदन प्राप्त होने के पूर्व तकनीकी उपयुक्तता विश्लेषण किया जाना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने उजागर किया कि वर्ष 2006–07 से 2010–11 के दौरान लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (लो.स्वा.अभि.वि.), बिहार सरकार ने ग्रा.वि.मं. की मार्गदर्शिका के उल्लंघन में 23[29] जिलों में ₹ 50.35 करोड़ की कुल लागत पर 3215 रू.टॉ.हार्वे. संरचानाओं की स्वीकृति दिया। सरकार द्वारा ये स्वीकृतियाँ तकनीकी–उपयुक्तता विश्लेषण कराए बैगेर दी गयी। इस लागत को वर्ष 2008–09 तक भारत सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य 75:25 के अनुपात में एवं तदोपरांत भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वहन किया जाना था। मार्च 2011 तक 1070 पूर्ण एवं 2145 अपूर्ण संरचनाओं पर ₹ 19.76 करोड़ की राशि व्यय की गयी थी।

प्रधान सचिव, लो.स्वा.अभि.वि. ने अपने जवाब में बताया (दिसंबर 2011) कि वर्ष 1988 में आरंभ किए गए राजीव गाँधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन (रा.गाँ.रा.पे.ज.मि.) के समय से ही 'रेन वाटर हार्वेस्टिंग (रे.वा.हा.)' संरचना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम (रा.ग्रा.पे.ज.का.) (पूर्व में त्व.ग्रा.ज.का.) का अभिन्न अंग रहा था, जिसे समस्त देश में क्रियान्वयन हेतु पेय जल एवं स्वचछता मंत्रालय द्वारा वित्त पोषण किया जा रहा था तथा वर्तमान में, रा.ग्रा.पे.ज.का. दीर्घकालीन अवयव के तहत सभी क्षेत्रों में रे.वा.हा. अपनाए जाने हेतु 100 प्रतिशत सहायतानुदान प्रदान कर सभी राज्यों का प्रोत्साहित कर रहा था। उन्होंने आगे कहा कि सभी संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को समस्त अकार्यशील संरचनाओं को एक माह के अंदर कार्यशील बनाते हुए प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया था।

प्रधान सचिव का जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा टिप्पणी मुख्यतः अनुपयुक्त रू.टॉ.हार्वे. कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर, न कि रे.वा.हार्वे. उपायों पर, केंद्रित है। एस.एल.सी.सी. द्वारा भी रू.टॉ.हा. कार्यक्रम को स्वीकृत किया जाना भी स्वयं में अनियमित एवं ग्रा.वि.मं. के दिशानिर्देशों के विपरित था जिसने रू.टॉ.हा. संरचनाओं को उन्हीं निर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए अनुशंसित किया था जहाँ पूरे वर्ष अत्यधिक वर्षा होती थी।

इस प्रकार राज्य में लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा अनुपयुक्त रू.टॉ.हार्वे. योजना का क्रियान्वयन किया जाना अनियमित था तथा पूर्ण/अपूर्ण संरचनाओं पर किया गया ₹ 19.76 करोड़ का व्यय अनियमित था।

3.3 अनियमित/परिहार्य/असमायोजित व्यय

किसी व्यय को अनियमित माना जाता है अगर उसके व्यय किए जाने में किसी सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्दिष्ट नियमों एवं मानकों से, जानबूझकर अथवा अन्य तरीके से, विचलन किया गया हो चूँकि यह कार्यपालक द्वारा प्रभावी अनुश्रवण के अभाव को इंगित करता है। यह, इसके विपरीत, नियमों/विनियमों के अनुपालन के प्रति जानबूझकर किए गए विचलनों को प्रश्रय देता है जिसके परिणामस्वरूप परिहार्य/अनौचित्यपूर्ण व्यय होते हैं। ऐसी अनियमितताओं के कुछ मामले नीचे वर्णित हैं:

[29] *अरवल, औरंगाबाद, बाँका, बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा, नवादा, पटना, रोहतास, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा एवं वैशाली।*

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

3.3.1 सरचार्ज के भुगतान के परिणामस्वरूप परिहार्य व्यय

बिहार राज्य जल पर्षद में कैपेसिटर बैंक एवं शंट कैपेसिटर्स के अनाधिष्ठापन के परिणामस्वरूप ₹ 1.37 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

बिहार सरकार के असाधारण राजपत्र (दिसंबर 2007) की कंडिका 6.23 के अनुसार सभी उच्च विभव (उ.वि.) उपभोक्ताओं द्वारा 90 प्रतिशत या उससे अधिक का पॉवर–फैक्टर (पा.फै.) संधारित किया जाना आवश्यक था। किसी भी विचरण के मामले में उपभोक्ता को या तो सरचार्ज का भुगतान करना था अथवा प्रोत्साहन राशि प्राप्त करनी थी जैसा कि बिहार विद्युत विनियामक आयोग (आयोग) द्वारा निर्धारित किया गया था। इस शर्त को उपभोक्ताओं एवं बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बि.रा.वि.बो.) के मध्य क्रियान्वित उ.वि. अनुबंध (पा.फै. के उपबंध 4) में भी शामिल किया गया था। वर्ष 2008–09 के लिए आयोग द्वारा शुल्क आदेश में सरचार्ज दर[30] विहित किया गया था। औसत पॉ.फै. को बनाए रखने के लिए कैपेसिटर बैंक एवं शंट–कैपेसिटर जैसे विद्युत उपकरणों को उर्जा–संचयन प्रणाली के साथ लगाया जाना अपेक्षित था।

बिहार राज्य जल पर्षद (बि.रा.ज.प.) के चार[31] प्रमंडलों के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ (अगस्त–सितंबर 2010) कि कैपेसिटर बैंक एवं शंट कैपेसिटर अधिष्ठापित नहीं किए जाने के कारण बि.रा.ज.प. (एक उ .वि. उपभोक्ता) ने अप्रैल 2008 से मार्च 2011 के दौरान औसत पॉ.फै. नहीं बनाए रखा। परिणामस्वरूप बि.रा.ज.प. ने मार्च 2011 तक बि.रा.वि.बो. को 208 विपत्रों के तहत ₹ 1.37 करोड़ की राशि का भुगतान सरचार्ज के रूप में किया था ***(परिशिष्ट 3.7)***। औसत पॉ.फै. बनाए रखने एवं आवर्ती हानि को रोकने हेतु अब तक विशेष कार्रवाई नहीं की गयी थी (मई 2011)। इस प्रकार बि.रा.ज. प. द्वारा कैपेसिटर बैंक एवं शंट कैपेसिटरस का अधिष्ठापन नहीं किए जाने के कारण पॉ.फै. में गिरावट के लिए सरचार्ज के रूप में ₹ 1.37 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

मुख्य अभियंता, बि.रा.ज.प. ने अपने उत्तर में कहा (मई 2011) कि अनेक पुराने पंपों में कैपेसिटर बैंक नहीं लगाए जाने के कारण परिचालन के दौरान पॉ.फै. की हानि हुयी। उन्होंने पुनः कहा कि जल निस्सरण पंपिग स्टेशनों का उर्जा अंकेक्षण किए जाने हेतु एक एजेंसी को नियुक्त किया गया था। इसका प्रतिवेदन एवं अनुशंसाएँ प्राप्त होने के उपरांत समुचित उपाए किया जाएगा। प्रधान सचिव, लों.स्वा.अभि.वि. द्वारा भी इस तथ्य का समर्थन किया गया (सितंबर 2011)।

इस प्रकार, कैपेसिटर बैंक एवं शंट–कैपेसिटर्स को अधिष्ठापित नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा ₹ 1.37 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

30 *(I) 0.80 पॉ.फै. में प्रत्येक0 .01 की गिरावट के लिए = मांग एवं उर्जा–शुल्क पर एक प्रतिशत का सरचार्ज। (II) 0.80 के नीचे पॉ.फै. में प्रत्येक 0.01 की गिराबट के लिए = मांग एवं उर्जा शुल्क पर डेढ़ प्रतिशत।*

31 *प्रमंडल सं. 1, सैदपुर, पटना; प्रमंडल सं. 2, बेउर, पटना; प्रमंडल सं. 5 पहाड़ी, पटना; कार्य प्रमंडल, पटना।*

भवन निर्माण, पर्यावरण एवं वन, लघु जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य एवं जल संसाधन विभाग

3.3.2 असमायोजित अग्रिम

प्रमंडलीय पदाधिकारियों द्वारा संहितीय प्रावधानों के अनुपालन नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप सात विभागों[32] में ₹ 67.38 करोड़ की अस्थायी अग्रिमें असमायोजित/अवसूलित रहीं।

बिहार कोषागार संहिता भाग I के नियम 300 यह विहित करता है कि ''कोषागार से कोई धन की निकासी तब तक नहीं की जानी चाहिए जब तक कि उसके तत्काल भुगतान की आवश्यकता न हो। माँगों की प्रत्याशा में कोषागार से अग्रिमों का आहरण वैसे कार्यों के लिए, जिनकी पूर्णता में अत्यधिक समय लग सकता है या विनियोगों को व्यपगत होने से बचाने के लिए अनुज्ञेय नहीं है'' इसके अलावा, नियम 300 के तहत टिप्पणी यह उल्लेख करती है कि अगर विशेष परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकार के आदेश के तहत धन का अग्रिम रूप से आहरण किया जाता है, तो आहरित शेष राशि कोषागार में तत्काल और किसी भी परिस्थिति में उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व जिसमें वह राशि आहरित की गयी हो, जमा कर दी जानी चाहिए। इसके साथ, बिहार लोक कार्य लेखा संहिता का नियम 100 यह विहित करता है कि पारित अभिश्रवों के विरूद्ध किए गए भुगतानों हेतु दी गई अस्थायी अग्रिम को शीघ्रताशीघ्र बन्द कर दिया जाए।

सात चयनित विभागों, जिसमें 101 प्रमंडल शामिल थे, के अभिलेखों की नमूना जाँच (अप्रैल 2010 से मई 2011) ने उजागर किया कि 382 प्रमंडलीय अधिकारियों के विरूद्ध ₹ 67.38 करोड़ की अस्थायी अग्रिम एक से लेकर 43 वर्षों से लंबित थी। इनमें से इस अवधि के दौरान 307 अधिकारियों को अन्य प्रमंडलों में स्थानांतरित कर दिया गया था, 53 सेवानिवृत्त हो गए थे तथा 22 की मृत्यु हो चुकी थी ***(परिशिष्ट 3.8)***।

प्रमंडलों द्वारा संबंधित अधिकारियों से अग्रिमों का असमायोजन/अवसूली उपरोक्त संहितीय प्रावधानों की अनदेखी तथा गैर–अनुपालन का द्योतक था। स्थानांतरित अधिकारियों को लंबित अग्रिमों का सामंजन/वसूली किए बिना विमुक्त कर दिया जाना संबंधित प्रमंडलीय पदाधिकारियों की ओर से गंभीर चूक थी। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न विभागों में ₹ 67.38 करोड़ की असमायोजित अग्रिमों का संचयन हुआ। जहाँ सेवानिवृत्त एवं मृतक अधिकारियों के परिवारों से ₹ 12.38 करोड़ की वसूली की संभावना नगण्य थी, वहीं इनमें से कुछ अग्रिमों का संबंधित अधिकारियों द्वारा दुर्विनियोजित किए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता था।

जवाब में कार्यपालक अभियंताओं ने बताया कि लंबित अग्रिमों की वसूली के लिए विस्तृत अन्वेषण एवं पत्राचार किया जा रहा था।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2011); उनके उत्तर अप्राप्त थे (नवंबर 2011)।

[32] *भवन निर्माण, पर्यावरण एवं वन, लघु जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य एवं जल संसाधन विभाग।*

जल संसाधन विभाग

3.3.3 अनियमित व्यय

एक कार्य में, जहाँ मिट्टी कार्य राजस्थानी ट्रैक्टर द्वारा निष्पादित किया जा रहा था, मिट्टी संपीडन का अस्वीकार्य प्रावधान किए जाने के परिणामस्वरूप संवेदक को ₹ 1.43 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ।

सरकारी आदेश (दिसंबर 2008) यह विहित करता था कि सभी अनुबंधों में, जिनमें राजस्थानी ट्रैक्टरों द्वारा मिट्टी कार्य एवं उनका संपीडन शामिल था, संपीडन हेतु दरों का प्रावधान नहीं किया जाना था।

जल–पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ के अभिलेखों के नमूना जाँच (जनवरी 2011) से पता चला कि नालंदा जिलान्तर्गत राष्ट्रीय उच्चपथ सं. 31 (सकरौल गाँव) से गोइठवा नदी (दोनों किनारों) के जामसारी तक तथा राजपुर कुटौना गाँव से कुल्टे जियार तक दो जमींदारी बाँध, के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य एक संवेदक को क्रमशः ₹ 8.27 करोड़ और ₹ 5.31 करोड़ पर 18 महीने यथा सितम्बर 2011 तक पूर्ण करने के लिए संवेदक को सौंपा[33] गया।

पूर्व कथित कार्यों के अभिलेखों के लेखापरीक्षा संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि उपर्युक्त सरकारी आदेश की अवहेलना में राजस्थानी ट्रैक्टर द्वारा मिट्टी कार्य संपादित कराए जाने के बावजूद दोनों अनुबंधों में ₹ 17.60/घन मी. के दर पर 'मिट्टी–संपीडन' मद को शामिल किया गया था। पूर्व के कार्य (यथा राजपुर कुटौना गाँव से कुल्टे जियार तक जमींदारी बाँध के उन्नयन/सुदृढ़ीकरण) के वित्तीय बीड की तुलनात्मक विवरणी में कार्यपालक अभियंता की टिप्पणी, स्पष्ट रूप से यह कहे (अगस्त 2009) जाने, कि परिमाण विपत्र में राजस्थानी ट्रैक्टर द्वारा मिट्टी के संपीडन कार्य के लिए अतिरिक्त प्रावधान समझौते में अनावश्यक, अनुचित था, के बावजूद इस प्रावधान को अनुबंध में शामिल किया गया। हाँलांकि, परिमाण विपत्र में संशोधन किए बिना और समझौतों से संपीडन के प्रावधान को हटाए बिना विभाग द्वारा संवेदकों को कार्य दिया गया।

इसके बाद नवम्बर 2010 में अभियंता प्रमुख (अभि.प्र.), जल संसाधन विभाग (उत्तरी) ने मुख्य अभियंता (मु.अभि.) ज.सं.वि., पटना को संपीडन के मद को एकरारनामा से हटाने हेतु निर्देश दिया क्योंकि राजस्थानी ट्रैक्टर द्वारा किए जा रहे मिट्टी कार्य में उसका प्रावधान और समाविष्टि स्वीकार्य नहीं था। उन्होंने पुनः प्राक्कलन में उपयुक्त संशोधन का निर्देश दिया। फिर भी, संपीडन के मद को एकरारनामा से हटाया नहीं गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.43[34] करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, कार्यपालक अभियंता ने बताया (जनवरी 2011) कि प्राक्कलन में संपीडन के मद का प्रावधान सरकारी आदेश के अनुसार किया गया था। यह उत्तर

[33] *नालंदा जिलान्तर्गत एवं रा.उ.प. 31 से गोइठवा नदी (दोनों किनारे) के जामसारी तक जमींदारी बाँध के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य के लिए एकरारनामा संख्या 1एफ$_2$/2009–10 दिनांक 04.01.2010 और नालंदा जिलान्तर्गत – राजपुर–कुटौना गाँव से सकरी नदी के कुल्टे जिआर (किमी 11.40 से 24.00 बायाँ बाँध और 7.10 किमी से 22.94 किमी दायाँ बाँध) तक जमींदारी बाँध के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण के लिए एकरारनामा सं 2एफ$_2$/2009–10 दिनांक 04.01.2010।*

[34] *एकरारनामा सं. 1एफ$_2$/2009–10 में ₹ 17.60/मी^{3} की दर से 535454 मी^{3} और एकरारनामा सं. 2एफ$_2$/2009–10 में ₹ 17.60/मी^{3} की दर से 278563.45 मी^{3} 814017.45मी^{3} @ 17.60 मी^{3} = ₹ 143.27 लाख या ₹ 1.43 करोड़*

स्वीकार्य नहीं था और सरकारी आदेश (दिसम्बर 2008) के विपरीत था। यद्यपि इस उल्लंघन की सूचना मुख्य अभियंता को विशेष तौर पर कार्यपालक अभियंता द्वारा दूसरे कार्य के मामले में दी गई थी, तथापि संविदा प्रदान किए जाने के पूर्व इस मद को हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया था। परिणामस्वरूप संवेदकों को ₹ 1.43 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ।

मामला सरकार को (मई 2011) प्रतिवेदित किया गया था; जवाब अभी तक अप्राप्त (नवम्बर 2011) था।

स्वास्थ्य विभाग

3.3.4 दवाओं का अनियमित क्रय

₹ 58.54 लाख की औषधियों को शामिल करते हुए ₹ 3.26 करोड़ के अनियमित भुगतान, ₹ 70.90 लाख के परिहार्य दायित्वों के सृजन एवं औषधियों के स्थानीय क्रय में ₹ 24.05 लाख के अधिक भुगतान के परिणामस्वरूप औषधियों के क्रय में कुल ₹ 4.21 करोड़ की अनियमितताएँ थीं।

स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के संकल्प (जुलाई 2006) में असैनिक शल्य चिकित्सक की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दवाओं, सर्जिकल और अन्य क्लिनिकल सामग्रियों के क्रय हेतु जिला स्वास्थ्य समितियों (जि.स्वा.स.) को अधिप्राप्ति अभिकरणों के रूप में नामित किया गया था। संबंधित जि.स्वा.समितियों को, चिकित्सा आवश्यकताओं को अनुमोदित नियमों एवं शर्तों के आधार पर उन विक्रेताओं से अधिप्राप्त करना था जो राज्य स्वास्थ्य समिति (रा.स्वा.स.) पटना द्वारा अनुमोदित थे। सभी भुगतान प्रारंभ में जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा किये जाने थे जिन्हें बाद में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से असैनिक शल्य चिकित्सक द्वारा प्रतिपूरित किया जाना था।

12[35] असैनिक शल्य चिकित्सकों, आठ[36] जिला स्वास्थ्य समितियों और सदर अस्पताल, मोतीहारी का वर्ष 2008–11 की अवधि के अभिलेखों की संवीक्षा में निम्नलिखित अनियमिताएँ पाई गईं:

3.3.4.1 अनाधिकृत अग्रिम

जिला स्वास्थ्य समिति के आपूर्ति एकरारनामों में सभी दवाओं का क्रय 'भुगतान एवं पावती' (कैश एवं कैरी) के आधार पर करना था एवं आपूर्तिकर्त्ताओं को अग्रिम भुगतान निषिद्ध था। इस प्रावधान का उल्लंघन कर असैनिक शल्य चिकित्सक, रोहतास और जि.स्वा.स., मधुबनी एवं बेगुसराय ने वर्ष 2008–11 के दौरान विभिन्न प्रतिष्ठानों को दवाओं की खरीद के लिए ₹ 3.26 करोड़ का अग्रिम दिया। इन अग्रिमों के विरूद्ध मात्र ₹ 2.67 करोड़ की दवाओं की आपूर्ति की गई और परिणामस्वरूप ₹ 58.54 लाख (अगस्त 2011) की दवाओं की आपूर्ति नहीं हुई ***(परिशिष्ट 3.9)***।

जवाब में असैनिक शल्य चिकित्सक रोहतास और जि.स्वा.स. मधुबनी तथा बेगुसराय ने कहा (अगस्त 2006) कि अग्रिम भुगतान विभागीय संकल्प (जुलाई 2006) के आलोक में किये गये थे और दवाओं की अनापूर्ति के मुद्दे पर आपूर्तिकर्त्ताओं को तुरंत दवाओं की

[35] *आरा, बक्सर, भभुआ, बेगुसराय, भागलपुर, खगड़िया, मधुबनी, मोतीहारी, मुजफ्फरपुर, मुंगेर रोहतारा और वैशाली।*

[36] *भभुआ, बक्सर, बेगुसराय, खगड़िया, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, मुंगेर और रोहतास।*

आपूर्ति के लिए कहा गया है, जिसके नहीं किए जाने पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि दवाओं के क्रय के लिए 'भुगतान एवं पावती' प्रावधान के अन्तर्गत आपूर्ति हेतु अग्रिम का भुगतान नहीं किया जाना था।

परिणामस्वरूप ₹ 3.26 करोड़ के अग्रिम का अनियमित भुगतान हुआ और सरकार के जोखिम और लागत पर आपूर्तिकर्त्ताओं को अनुचित लाभ प्रदान किए जाने के अलावा ₹ 58.54 लाख के दवाओं की आपूर्ति नहीं की जा सकी।

3.3.4.2 निधि का अविवेकपूर्ण प्रत्यर्पण और दवाओं का अनाधिकृत क्रय

दवाओं का क्रय बजट आबंटन के अनुसार सुनिश्चित करना असैनिक शल्य चिकित्सक का उत्तरदायित्व था। बिहार वित्तीय नियमावली (बि.वि.नि.) के नियम 13(2) में यह स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि सभी शुल्कों का आहरण एवं भुगतान एक ही बार में होना चाहिए किसी भी परिस्थिति में अगले वर्ष के अनुदान से भुगतान की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अगर संभव हो तो, व्यय को अगले वर्ष के नए बजट तैयार, प्रावधान करने का अवसर दिए जाने, और बजट की मंजूरी होने तक स्थगित कर देना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में एक वर्ष में किए गए व्यय को दूसरे वर्ष के अनुदान पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

असैनिक शल्य चिकित्सक, वैशाली के अभिलेखों की संवीक्षा (जून 2010) में पाया गया कि वर्ष 2009–10 में दवाओं के क्रय के लिए ₹ 1.81[37] करोड़ का बजट आवंटन था जिसमें ₹ 11.23 लाख प्रत्यर्पित कर दिया गया (मार्च 2010) जिससे अनुदान की राशि घटकर ₹ 1.70 करोड़ हो गई। हाँलांकि असैनिक शल्य चिकित्सक, वैशाली ने जि.स्वा.स. वैशाली के माध्यम से ₹ 1.91 करोड़ की दवाओं के क्रय हेतु आपूर्त्ति आदेश दिया। पुनः, यह स्वास्थ्य विभाग के संकल्प के उल्लंघन में, जबकि दवाओं के क्रय के लिए केवल जि.स्वा.स. अधिकृत था, असैनिक शल्य चिकित्सक, वैशाली ने ₹ 49.90 लाख की दवाओं का सीधे क्रयादेश जारी किया। परिणामस्वरूप पूरे वर्ष के दौरान कुल ₹ 2.41 करोड़ का क्रय हुआ और इसमें ₹ 70.90 लाख के दायित्व सृजन के अलावा अनियमित व्यय किया गया।

यह इंगित (जून 2010) किए जाने पर विभाग द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया था (नवंबर 2011)।

3.3.4.3 स्थानीय क्रय पर अधिक भुगतान

स्वास्थ्य विभाग के संकल्प (जुलाई 2006) यह विहित करता था कि राज्य स्वास्थ्य समिति के अनुमोदित सूची में शामिल दवाओं की खरीद के लिए निविदाओं को आमंत्रित करने अथवा जिला क्रय समिति (जि.क्र.स.) की बैठक बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। असैनिक शल्य चिकित्सक, भागलपुर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (जनवरी 2010) में पाया गया कि वर्ष 2008–10 में, 20 मामलों में दवाएँ जो राज्य स्वास्थ्य समिति की अनुमोदित सूची में थे और जिनके मूल्य ₹ 74.01 लाख थे, जि.क्र.स. की सिफारिश पर रा.स्वा.स. के अनुमोदित दर से ऊँची दरों पर स्थानीय क्रय किया गया। निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन में इन क्रयों के परिणामस्वरूप ₹ 24.05 लाख का अधिक भुगतान हुआ ***(परिशिष्ट 3.10)***।

[37] *प्रा.स्वा.के.: ₹ 1.15 करोड़, सदर अस्पताल: ₹ 24.00 लाख, रेफरल अस्पताल: ₹ 21.36 लाख, अतिरिक्त प्रा.स्वा.के.: ₹ 20.50 लाख।*

जवाब में असैनिक शल्य चिकित्सक, भागलपुर ने कहा कि (जनवरी 2011) दवाओं का स्थानीय क्रय अनुमोदित प्रतिष्ठान द्वारा दवा आपूर्त्ति में विलंब के कारण किया गया तथा जि.क्र.स. द्वारा अनुमोदित दरों पर प्रतिष्ठानों से क्रय किया गया। जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इस तरह के क्रय अधिकृत नहीं थे और इन प्रतिष्ठानों को आपूर्ति आदेश दिए जाने का काई दस्तावेजी प्रमाण भी नहीं था। इस प्रकार, दवाओं के समय पर आपूर्ति किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता था। दवाओं का रा.स्वा.स. द्वारा अनुमोदित दरों से अधिक दरों पर अधिप्राप्ति और अनाधिकृत जि.क्र.स. द्वारा मंजूरी प्रदान किए जाने के कारण ₹ 24.05 लाख का अधिक व्यय हुआ।

तीन मामलों में, उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2008–11 के दौरान ₹ 3.26 करोड़ अनाधिकृत अग्रिम के साथ ₹ 58.44 लाख की दवाओं की अनापूर्ति, ₹ 49.90 लाख का अनाधिकृत क्रय, ₹ 70.90 लाख की अपरिहार्य दायित्वों का सृजन और स्थानीय क्रय पर ₹ 24.05 लाख के अधिक भुगतान से दवाओं के क्रय पर कुल ₹ 4.21 करोड़ की अनयमितताएँ की गयी।

मामल सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2011), उनका जवाब अप्राप्त (नवम्बर 2011) था।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, लघु जल संसाधन, पथ निर्माण, जल संसाधन एवं ग्रामीण कार्य विभाग

3.3.5 पाँच विभागों में श्रम–उपकर की वसूली नहीं करने के कारण दायित्व का सृजन

श्रम–उपकर की वसूली नहीं किए जाने के कारण ₹ 8.42 करोड़ की राशि के दायित्व का सृजन हुआ।

सरकार ने असाधारण गजट अधिसूचना (865 दिनांक 18 फरवरी 2008) द्वारा श्रम–उपकर लागू किये जाने के लिए अधीकृत किया जैसा कि श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के सितम्बर 1996 की अधिसूचना शीर्षक 'भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार' कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 में परिकलित था। इस अधिनियम के तहत एक नियोक्ता द्वारा किए गए निर्माण की लागत का एक प्रतिशत श्रम–उपकर के रूप में कटौती किया जाना अपेक्षित था। तदनुसार सभी सरकारी विभागों एवं निर्माण कार्यों में लगे हुए लोक उपक्रमों को निर्धारित दर पर अभिकरणों के विपत्रों से श्रम–उपकर की कटौती कर 30 दिनों के अंदर 'भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड' (कल्याण बोर्ड) को एक रेखांकित बैंक ड्राफ्ट से जमा करना था।

पाँच विभागों[38] के 51 प्रमंडलों (अगस्त 2010 से मई 2011) की जाँच से उजागर हुआ कि 2008–09 से 2010–11 के दौरान विभिन्न अभिकरणों/संवेदकों को 1057 कार्यों के लिए कुल ₹ 862.63 करोड़ का भुगतान किया गया था। हाँलांकि ₹ 8.63 करोड़, जो निर्माण लागत के एक प्रतिशत राशि थी एवं संबंधित अभिकरणों/संवेदकों के विपत्रों से कटौती नहीं गयी थी, इस अधिनियम के तहत कल्याण बोर्ड के खाते में जमा नहीं की गई। फलस्वरूप उपरोक्त विभागों द्वारा श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार के प्रति ₹ 8.63 करोड़ ***(परिशिष्ट 3.11)*** के दायित्व का सृजन हुआ।

[38] *लोक स्वास्थ्य अभियंत्रणः 11 प्रमंडल; जल संसाधनः 7 प्रमंडल; पथ निर्माणः 9 प्रमंडल; लघु जल संसाधनः 1 प्रमंडल और ग्रामीण कार्यः 23 प्रमंडल।*

यह इंगित किए जाने पर संबंधित कार्यपालक अभियंताओं (अगस्त 2010 से मई 2011) ने जवाब दिया कि श्रम–उपकर की कटौती इसलिए नहीं की गई क्योंकि इसका अनुबंध में कोई प्रावधान नहीं था, इस तथ्य के बारे में जागरूकता की कमी थी एवं संबंधित विभागों द्वारा प्रमण्डलों को सूचना नहीं दी गयी थी। ये उत्तर स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि श्रम–उपकर को असाधारण राजपत्र अधिसूचना द्वारा अधीकृत किया गया था और कार्यपालक अभियंता द्वारा कार्य संविदाओं में अनिवार्य रूप से श्रम उपकर का प्रावधान कर कटौती किया जाना था।

यद्यपि मामला सरकार को मई 2011 में प्रतिवेदित किया गया था, अक्टूबर 2011 तक केवल पथ निर्माण विभाग (प.नि.वि.) (जून 2011) और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (अक्टूबर 2011) से उत्तर प्राप्त हुए थे।

- संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग ने मुख्य सचिव (मु.स.) के परिपत्र बी.सी. डब्लू.सी./01/2009/035 दि. 5 जनवरी 2010 का हवाला देते हुए स्वीकार किया कि राज्य में श्रम–उपकर की कटौती वर्ष 2007–08 से ही की जानी थी एवं वर्ष 2007–10 की अवधि के दौरान कुल सम्पादित कार्य की एक प्रतिशत राशि जमा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही थी।

- प्रधान सचिव, लो.स्वा.अभि.वि. ने पूर्व कथित मु.सचिव के परिपत्र को संलग्नित करते हुए कहा (अक्टूबर 2011) कि वर्ष 2010–11 की अवधि के दौरान लो.स्वा. प्रमंडल, हाजीपुर के अधीन एक एजेंसी (आई.वी.आर.सी.एल., हैदराबाद) से ₹ 20.83 लाख की कटौती की गयी थी, लो.स्वा. प्रमंडल, दरभंगा में वर्ष 2011–12 से संवेदकों के विपत्र से श्रम–उपकर की कटौती की जाएगी। हाँलांकि अन्य नौ नमूना जाँचित लो.स्वा. प्रमंडलों के बारे में कुछ नहीं कहा गया। साथ ही वर्ष 2007–08 से वर्ष 2010–11 की अवधि के दौरान संवेदकों द्वारा कराए गए कार्यों के विरूद्ध श्रम–उपकर की कटौती कैसे की जाएगी, इसका उल्लेख नहीं था।

इस प्रकार श्रम–उपकर की कटौती नहीं किए जाने से ₹ 8.42[39] करोड़ के दायित्व का सृजन हुआ।

मानव संसाधन विकास विभाग
(उच्चतर शिक्षा)

3.3.6 निधियों का दुरूपयोग

राज्य के सात विश्वविद्यालयों के उप–कुलपतियों द्वारा छात्रों से एकत्र किए गए ₹ 17.23 करोड़ के शुल्कों को अपने कर्मचारियों के वेतन पर अनियमित रूप से उपयोग किया गया जिसने संबंधित महाविद्यालयों के अंतःसंरचनात्मक विकास एवं सुविधाओं को प्रभावित किया।

विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति ने महाविद्यालयों द्वारा सभी छात्रों से एकत्र किए गए शुल्क[40] संबंधित विश्वविद्यालयों को स्थानांतरित एवं निर्दिष्ट खातों में जमा करने का

39 *₹ 862.57 लाख – ₹ 20.83 लाख = ₹ 841.74 लाख या ₹ 8.42 करोड़।*

40 *शिक्षण शुल्क, प्रवेश शुल्क, पुस्तकालय शुल्क, क्रीड़ा शुल्क, महाविद्यालय विकास शुल्क इत्यादि।*

निर्देश (दिसंबर 2006) जारी किया। इन खातों को विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों एवं वित्त पदाधिकारियों द्वारा महाविद्यालयों में अंतःसंरचनात्मक सुधारों, क्रीड़ास्थलों के विकास, प्रयोगशालाओं एवं पुस्तकालयों के संधारण एवं कर्मियों तथा छात्रों के सुविधाओं के सुधार के लिए संचालित किया जाना था।

सात विश्वविद्यालयों में संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (मई 2010 और जून 2011) से उजागर हुआ कि दिसम्बर 2006 से मार्च 2011 तक की अवधि में इन विश्वविद्यालयों ने उक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हुए निर्दिष्ट खाते से राशि को विचलित कर कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु ₹ 17.23[41] करोड़ का उपयोग किया।

कुल सचिव, तिलका माँझी भागलपुर विश्वविद्यालय (जुलाई 2010) एवं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा (मई 2011) ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार करते हुए कहा कि वेतन भुगतान हेतु विश्वविद्यालयों द्वारा किए गए माँग के विरूद्ध सरकार से पर्याप्त अनुदान प्राप्त नहीं होने के कारण इसका विचलन किया गया। ये उत्तर स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि शुल्कों की संग्रहित राशि महाविद्यालयों के अंतःसंरचनात्मक विकास हेतु कर्णांकित थी एवं इसे किसी अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार सात राज्य विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए ₹ 17.23 करोड़ की छात्र–शुल्क राशि का विचलन किए जाने का परिणाम संबंधित महाविद्यालयों में अंतःसंरचनात्क विकास और अन्य सुविधाओं हेतु तदनुरूपेण निधियों की अनुपलब्धता हुई। मई 2011 तक इन राशियों की प्रतिपूर्ति नहीं की गयी थी।

मामला सरकार को प्रतिवेदित (जून 2011) किया गया; उनका जवाब (नवम्बर 2011) अप्राप्त था।

3.3.7 विश्वविद्यालय कर्मचारियों को अनियमित भुगतान

विश्वविद्यालय कर्मचारियों को अग्रिम वेतनवृद्धि, सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन लाभ और अंतरिम राहत मद में ₹ 4.18 करोड़ की राशि का अनियमित भुगतान किया गया।

3.3.7.1 अग्रिम वेतन वृद्धि का अनियमित भुगतान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) की अनुशंसाओं (अगस्त 2001 और जुलाई 2002) के बाद मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को, निदेश (मई 2010) जारी किया कि वैसे शिक्षकों को दो अग्रिम वेतनवृद्धि प्रदान की जाए, जिन्होंने जनवरी 1996 के पूर्व पी.एच.डी. डिग्री प्राप्त तो कर ली थी परन्तु इसके विरूद्ध पदोन्नति लाभ नहीं मिला था। दो अग्रिम वेतन वृद्धि 27 जुलाई 1998 के प्रभावी तिथि से देय था। हाँलांकि वित्तीय लाभ संकल्प तिथि 18 मई 2010 से प्राप्त होना था।

[41] *बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुराः ₹ 1.17 करोड़, बी.आर. अम्बेदकर विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुरः ₹ 7.00 करोड़, तिलका माँझी विश्वविद्यालय, भागलपुरः ₹ 2.24 करोड़, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगाः ₹ 0.95 करोड़, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आराः ₹ 0.71 करोड़, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपराः ₹ 4.02 करोड़ और मगध विश्वविद्यालय, बोध गयाः ₹ 1.14 करोड़।*

नौ[42] विश्वविद्यालयों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (जून 2010) से प्रकटित हुआ कि तीन[43] विश्वविद्यालयों में उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन कर 18 मई 2010 के बदले 1 जनवरी 1996 से ही 247 पी.एच.डी. धारक शिक्षकों को दो अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.90 करोड़ ***(परिशिष्ट 3.12)*** का अनियमित भुगतान हुआ।

यह इंगित किए जाने पर वित्त पदाधिकारी, कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा ने अनियमित भुगतान की वसूली का आश्वासन (मई 2011) दिया। हाँलांकि, वसूली सम्बन्धित सूचना प्रतीक्षित (नवम्बर 2011) थी। जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा से नवम्बर 2011 तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं था।

3.3.7.2 सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन लाभ योजना का अनियमित कार्यान्वयन

वित्त विभाग बिहार सरकार ने बिहार राज्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें, सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन लाभ योजना (ए.सी.पी.) नियमावली 2003 घोषित (जून 2003) किया जो अगस्त 2005 से प्रभावी था। अधिसूचना का खंड 1 (2) में स्पष्ट रूप से स्वायत्तशासी संस्थानों के कर्मचारियों पर यह लागू नहीं था जो आंशिक रूप से या पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा सहायतित था। इसके अलावा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 का खंड 25 (ii) विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों या उसके संस्थानों में सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना अपने कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों में वृद्धि दिए जाने को निषिद्ध करता था।

राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय (रा.कृ.वि.) बिहार, पूसा (समस्तीपुर) मुख्यालय तथा इसके छः[44] सहायक इकाइयों के अभिलेखों की संवीक्षा (दिसम्बर 2010) से प्रकट हुआ कि प्रबंधन बोर्ड, रा.कृ.वि. ने अनियमित रूप से इस अधिसूचना (जून 2003) को अपनाया (अप्रैल 2004) और अपने कर्मचारियों का ए.सी.पी. का लाभ दिया हाँलांकि यह रा.कृ.वि. के कर्मचारियों के लिए कतई लागू नहीं था क्योंकि यह स्वायत्त संस्था थी। इसके परिणामस्वरूप रा.कृ.वि. मुख्यालय और छः नमूना जाँचित इकाइयों ***(परिशिष्ट 3.13)*** के 385 सदस्य–कर्मियों पर ₹ 1.89 करोड़ अनाधिकृत भुगतान हुआ।

रा.कृ.वि. के नियंत्रक ने कहा (जुलाई 2011) कि ए.सी.पी. योजना प्रबंधन बोर्ड के अनुमोदन से लागू की गयी थी तथा राज्य सरकार से किसी भी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इस योजना का लाभ स्वायत्तशासी संस्थानों के कर्मचारियों को देय नहीं था। इस लाभ का दिया जाना स्पष्ट रूप से दिनांक जून 2003 के अधिसूचना का स्पष्ट उल्लंघन था और बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल था।

42 *बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा; बी.आर. अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर; कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा; तिलका माँझी विश्वविद्यालय, भागलपुर; ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा; वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा; जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा; मगध विश्वविद्यालय, बोध गया और पटना विश्वविद्यालय, पटना।*

43 *बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा; जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा; और कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा।*

44 *(i) बिहार पशुपालन महाविद्यालय, पटना (बि.प.म.) (ii) क्षेत्रीय शोध संस्थान (क्षे.शो.सं.), अगवानपुर (iii) बिहार कृषि महाविद्यालय (बि.कृ.वि.), सबौर (iv) कृषि शोध संस्थान (कृ.शो. सं), पटना (v) मिट्टी सर्वेक्षण एवं भूमि प्रयोग कार्यक्रम योजना, सबौर एवं (vi) ईख शोध संस्थान (ई.शो.सं.), पटना।*

3.3.7.3 अन्तरिम राहत का अनियमित भुगतान

विश्वविद्यालय कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण के संबंध में राज्य सरकार को अक्टूबर 2004 के आदेश की कंडिका 12 के प्रावधानों के अनुसार पूर्व–पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन एवं भुगतान का विकल्प स्वीकार करने वाले कर्मचारियों को अप्रैल 1997 (वेतन पुनरीक्षण के वित्तीय लाभ दिये जाने की तिथि) की प्रभावी तिथि से अंतरिम राहत (अं.रा.) का भुगतान रोक दिया जाना था। तदनुसार, बकाया भुगतान के समय कर्मचारियों को पुराने वेतनमान में अं.रा. का भुगतान को समायोजित किया जाना था और पुनरीक्षित वेतनमान के लागू किए जाने की तिथि से अं.रा. भुगतान को रोक दिया जाना था।

तीन[45] विश्वविद्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा (मई–जून 2011) में निम्न अनियमितताएँ पाई गईः

- पटना विश्वविद्यालय (प.वि.) में, 24[46] मामलों में एक से 11 वर्षों की अवधि में की अं.रा. राशि ₹ 4.83 लाख वसूलनीय (जून 2011) था। इसके अलावा, 16 मामलों में विश्वविद्यालय ने पूर्व–पुनरीक्षित वेतनमान की निकासी की अनुमति दी जिसके परिणामस्वरूप दिसंबर 2010 तक ₹ 19.84 लाख का अनियमित भुगतान हुआ। इसके बाद उनके वेतनमानों को पुनरीक्षित (जनवरी 2011) किया गया और अं.रा. के भुगतानों को बंद कर दिया गया। पाँच कर्मचारी, जिन्हें अप्रैल 1997 से मार्च 2005 तक की अवधि में अं.रा. मद में ₹ 4.13 लाख का भुगतान किया गया था, सेवानिवृत्त हो चुके थे जबकि एक मामले में अप्रैल 1997 से मार्च 2009 तक की अवधि की अं.रा. की ₹ 0.86 लाख राशि को बकाया राशियों के विरूद्ध समायोजित नहीं किया था। इस प्रकार प.वि. के 46 कर्मचारियों को कुल ₹ 26.67 लाख का भुगतान अनियमित था और उनसे वसूलनीय ***(परिशिष्ट 3.14)*** था।
- बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा में अं.रा. के रूप में अप्रैल 1997 से फरवरी 2011 की अवधि के लिए पूर्णियाँ महाविद्यालय, पूर्णियाँ के वर्ग III के चार कर्मचारियों को, जिन्होंने पुनरीक्षित वेतनमान का विकल्प लिया था, कुल ₹ पाँच लाख भुगतान किया गया था। ये भुगतान अनियमित थे और उनसे वसूलनीय थे ***(परिशिष्ट 3.15)***।
- मगध विश्वविद्यालय, बोध गया में अं.रा. के रूप में वर्ग III के चार कर्मचारियों को, जिन्होंने पूर्व–पुनरीक्षित वेतनमान को चयनित किया था ₹ 4.38 लाख (अप्रैल 1997 से फरवरी 2011 के अवधि में) का भुगतान अनियमित एवं वसूलनीय था। इन चार कर्मचारियों को अं.रा. का भुगतान अद्यतन जारी था ***(परिशिष्ट 3.16)***।

इस प्रकार पूर्व कथित तीन विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को अं.रा. में ₹ 39.04 लाख का अनियमित भुगतान किया गया जो वसूलनीय था। लेखापरीक्षा अवलोकनों को कुलसचिव, प.वि. ने स्वीकार किया (जुलाई 2011) एवं आश्वासन दिया कि कर्मचारियों के बकाया विपत्रों से तथा सेवानिवृत कर्मचारियों की बकाया राशि से वसूली की जाएगी। अन्य दो विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों ने कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया।

[45] *पटना विश्वविद्यालय, पटना; बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा एवं मगध विश्वविद्यालय, बोध गया।*

[46] *2005–06 के 14 मामलों में ₹ 1.50 लाख; 2002–06 के 8 मामलों में ₹ 1.92 लाख; 2002–07 के एक मामले में ₹ 0.27 लाख एवं 1997–98 के एक मामले में ₹ 1.14 लाख।*

उपरोक्त तथ्यों ने उजागर किया कि छः विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को प्रोत्साहन वेतन वृद्धि (₹ 1.90 करोड़), सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन लाभ (₹ 1.89 करोड़) एवं अंतरिम राहत (₹ 39.05 लाख) मद में अनियमित रूप से ₹ 4.18 करोड़ का भुगतान किया गया।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2011); उनके उत्तर अप्राप्त थे (नवम्बर 2011)।

ग्रामीण विकास विभाग

3.3.8 राज्य योजना निधियों का अनियमित अवरूधन

बिहार कोषागार संहिता के प्रावधानों के उल्लंघन में बिना तत्काल आवश्यकता के कोषागार से ₹ 42.78 करोड़ की निकासी कर अनियमित रुप से बचत खातों में रखा गया।

बिहार वित्तीय नियमावली (बि.वि.नि.) नियम 13 सह पठित बिहार कोषागार संहिता के नियम 300 के नीचे की टिप्पणी यह विहित करता है कि जब तक तत्काल भुगतान आवश्यक न हो तब तक कोषागार से राशि निकासी नहीं की जानी चाहिए। इसके अलावा बि.वि.नि. के नियम 13 के नीचे टिप्पणी यह निर्देशित करती है कि कोषागार से राशि कि निकासी इस आधार पर नहीं की जानी चाहिए कि यह व्यय सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत की गयी थी। उपरोक्त नियमों के प्रावधान आवंटन को व्यपगत होने से बचाने के उद्देश्य से कोषागार से राशि की निकासी करने एवं इसे किसी अन्य खाते में जमा किये जाने को वर्जित करता है। यदि विशेष परिस्थितियों में सक्षम पदाधिकारी के आदेश से राशियों की पूर्व में निकासी की गई थी तो अव्ययित अवशेष राशि तुरंत अथवा किसी भी परिस्थिति में निकासी वर्ष के समाप्त होने के पूर्व कोषागार में जमा कर दिया जाना था।

नव सृजित 137 प्रखण्डों में आवश्यक अंतःसंरचना[47] उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा.वि.वि.), बिहार सरकार ने ₹ 713.54 करोड़ स्वीकृत (फरवरी 2008) किया। सम्बन्धित जिलों के भवन निर्माण प्रमण्डलों द्वारा कार्यों का क्रियान्वयन होना था, तथा वर्ष 2007–11 अवधि के दौरान चरणबद्ध[48] तरीके से निधियाँ विमुक्त की जानी थी। आदेश निर्गत करते समय प्रधान सचिव (प्र.स.), ग्रा.वि.वि. ने उपरोक्त संहिता प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए सम्बन्धित जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों (जि.ग्रा.वि.अ.) के संबद्ध जिला विकास आयुक्तों (जि.वि.आ.) कि विमुक्त की गई राशियों को आहरित कर इसे बैंक के अलग बचत खाताओं में जमा हेतु अनुदेशित किया। इसी बीच सरकार ने तकनीकी सहायता प्रदान करने तथा कार्य के अनुश्रवण हेतु तीन[49] सलाहकार आर्किटेक्ट नामित (मार्च 2008) किया।

47 *प्रखंड क्षेत्र भवन और अंचल कार्यालय, निरीक्षण कमरा, आवासीय भवन और परिसर का विकास।*

48 *प्रथम किस्त के रूप में 40 प्रतिशत, अगला 40 प्रतिशत प्रदत्त राशि के 60 प्रतिशत व्यय के बाद एवं शेष 20 प्रतिशत कुल प्रदत्त राशि का 60 प्रतिशत व्यय होने के बाद।*

49 *कपूर एण्ड एसोसिएट्स, सेन एण्ड कॉनसल्टेन्ट प्राइवेट लिमिटेड एवं चौधरी कुमार कॉनसल्टेन्ट प्राइवेट लिमिटेड।*

नौ[50] जि.ग्रा.वि.अ. के अभिलेखों के नमूना जाँच (जनवरी से अप्रैल 2011) में प्रकटित हुआ कि फरवरी 2008 से मार्च 2009 के दौरान 17 प्रखण्डों के लिए ₹ 43.48 करोड़ जि.ग्रा.वि.अ. को किश्तों में विमुक्त किया गया था। इसमें से ₹ 69.46 लाख मिट्टी परीक्षण एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों (वि.प.प्र.) पर व्यय किया गया था, जबकि निर्माण कार्यों पर कोई भी राशि व्यय नहीं की गई थी।

इस प्रकार फरवरी 2008 से मार्च 2009 के बीच ₹ 42.78 करोड़ की राशि ***(परिशिष्ट 3.17)***, बिना किसी तत्काल आवश्यकता के निकासी की गई तथा बिहार वित्तीय नियम एवं बिहार सरकार कोषागार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन कर राशि को व्यपगत होने से बचाने के लिए बैंक के बचत खाताओं में रखा गया। इसके अलावा ग्रा.वि.वि. के प्रधान सचिव द्वारा सम्बन्धित उप–विकास आयुक्त को समस्त राशि की निकासी कर उन्हें अलग–अलग बचत खाताओं में जमा करने का आदेश अनियमित था।

यह इंगित किए जाने पर उप.वि.आयुक्तों ने राशि की निकासी विभागीय निर्देशों के आधार पर किए जाने को उचित ठहराया और आश्वासन दिया कि आवश्यक कार्रवाई आरंभ की जाएगी, वहीं प्रधान सचिव, ग्रा.वि.वि. ने बताया (अगस्त 2011) कि प्रक्रियात्मक में विलम्ब के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सका था एवं सभी अव्यवहृत राशि को कोषागार में जमा करने का निर्देश जारी कर दिया गया है।

कृषि विभाग

3.3.9 निधियों का अनियमित विचलन एवं अल्प उपयोग

पावर टीलर प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के किसानों के लिए कर्णांकित ₹ 3.74 करोड़ की निधि को अनियमित रूप से विचलित किया गया।

कृषि विभाग, बिहार सरकार ने वर्ष 2008–11 के दौरान कृषि प्रबंधन को बेहतर करने एवं कृषि उत्पादकता को बढ़ाने हेतु एक ''कृषि मशीनीकरण कार्यक्रम'' का सूत्रपात किया। ''पावर टीलर प्रोत्साहन कार्यक्रम'' इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक था जिसमें किसानों को अनुदानित दरों[51] पर पावर टीलर उपलब्ध कराया गया था। योजना मार्गदर्शिका के अनुसार आवंटनों का 16 एवं एक प्रतिशत क्रमशः अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के किसानों के लिए कर्णांकित था। अ.जा. एवं अ.ज.जा. के लिए कर्णांकित निधियों के विचलन की अनुमति नहीं थी।

- बाइस[52] जिला कृषि पदाधिकारियों के योजना अभिलेखों की संवीक्षा (अप्रैल से जुलाई 2011) से ज्ञात हुआ कि आठ[53] जिला कृषि पदाधिकारियों ने वर्ष 2008–11 के दौरान अ.जा./अ.ज.जा. के किसानों के निमित्त अनुदान की ₹ 3.74 करोड़ की राशि को अनियमित रूप से विचलित कर अन्य श्रेणी के किसानों को दिया जो नीचे वर्णित है:

50 *मुंगेर, मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण), समस्तीपुर, छपरा (सारण), नवादा, नालंदा, सासाराम, शिवहर एवं सीतामढी।*

51 *पावर टीलर के मूल्य का अधिकतम 50 प्रतिशत या ₹ 60,000, जो भी कम हो।*

52 *आरा, अररिया, औरंगाबाद, बेगुसराय, भागलपुर, छपरा, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, किसनगंज, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णियाँ, सहरसा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी तथा वैशाली।*

53 *बेगुसराय, गया, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, सीतामढ़ी और वैशाली।*

(₹ लाख में)

वर्ष	जि.कृ.प. की संख्या	आवंटन	अ.जा./अ.ज.जा. के लिए कर्णांकित निधियाँ	अ.जा./अ.ज.जा. पर व्यय	विचलन
2008.09	2[54]	560.40	95.27	16.2	59.80[55]
2009.10	4[56]	125.40	21.32	1.20	20.12
2010.11	6[57]	2200.20	374.03	80.40	293.63
कुल		**2886.00**	**490.62**	**97.80**	**373.55**

यह इंगित किए जाने पर जिला कृषि पदाधिकारियों[58] ने कहा (मई एवं जून 2011) कि चूँकि अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी के किसानों से अपेक्षित संख्या में आवेदन प्राप्त नहीं हुई थी, यह राशि अन्य श्रेणी के किसानों को वितरित कर दी गई। पुनः जिला कृषि पदाधिकारी, वैशाली ने आश्वस्त किया कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। ये जवाब स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि यह राशि अ.जा./अ.ज.जा. के किसानों को अनुदान उपलब्ध कराने के लिए कर्णांकित थी तथा योजना मार्गदर्शिका में इसके विचलन को विशेष रूप से निषिद्ध किया गया था।

- पुनः योजना मार्गदर्शिका के अनुसार प्रत्येक जिले को विहित प्रपत्र (प्रपत्र 4.5) में अनुदान का उपयोगिता संबंधी अभिलेख संधारित करना था। तीन[59] जिलों में ₹ 1.17 करोड़ का व्यय (2008–11) किया गया था। तथापि लाभार्थियों की श्रेणी दर्शानेवाले कॉलम को प्रपत्र से हटा दिया गया था। परिणामस्वरूप अ.जा./अ.ज.जा. के किसानों को वितरित अनुदान की वास्तविक राशि सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

सचिव, कृषि विभाग, बिहार सरकार ने अपने जवाब (अक्टूबर 2011) में कहा कि किसानों को पॉवर टीलर प्रदान करने हेतु न्यूनतम एक एकड़ भूमि के स्वामित्व के मानदंड ने अ.जा./अ.ज.जा. के किसानों को वर्ष 2008–11 के दौरान योजनाओं के लाभ से वंचित किया। इसके अलावा समाचार पत्रों में, प्रखण्डों के सूचना–पट्टों, कृषि मेले एवं प्रदर्शनों द्वारा विज्ञापित किए जाने के बावजूद पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त नहीं किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप अ.जा./अ.ज.जा. हेतु कर्णांकित निधियाँ प्रत्यर्पित कर दी गयी अथवा लोक हित में इसे सामान्य श्रेणी के किसानों के लिए विचलित कर दिया गया।

जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि निधि को कर्णांकित करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि इस योजना के तहत अ.जा./अ.ज.जा. के किसानों को निधि उपलब्ध कराई जाए। योजना मार्गदर्शिका में भी अ.जा./अ.ज.जा. के किसानों के लिए निमित्त निधि को सामान्य श्रेणी के किसानों के लिए विचलन करने की मनाही थी। अतः अ.जा./अ.ज.जा. के किसानों के लिए इस योजना के अधीन कर्णांकित ₹ 3.74 करोड़ का विचलन अनियमित एवं अप्राधिकृत था।

54 *नालन्दा और पटना।*

55 *₹ 19.27 लाख का प्रत्यर्पण किया गया।*

56 *गया, खगड़िया, सीतामढ़ी और वैशाली।*

57 *बेगुसराय, गया, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना और वैशाली।*

58 *मुजफ्फरपुर एवं वैशाली।*

59 *अररिया, छपरा एवं गोपालगंज।*

3.4 निरीक्षण/संचालन में विफलता

जनसेवा एवं अंतःसंरचना में सुधार तथा विकास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करते हुए जन समुदाय के जीवन को उन्नत करने की जिम्मेवारी सरकार की होती है। हाँलांकि लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि समुदाय के लाभ के लिए सरकारी संपत्ति के सृजन के लिए जो निधि सरकार द्वारा विमुक्त की गई वह निधि विभिन्न स्तरों पर अनिर्णय, प्रशासकीय निरीक्षण तथा एकताबद्ध कार्रवाई के अभाव में अव्यवहृत/अवरूद्ध रही तथा/या निष्फल/अनुत्पादक साबित हुई। कुछ मामले नीचे वर्णित किए गए हैं:

स्वास्थ्य विभाग

3.4.1 निष्क्रिय भवन तथा उपकरण

विभागीय एवं जिला स्तरों पर योजना एवं अभिश्रवण के अभाव के कारण ₹ 1.89 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ तथा ₹ 76.25 लाख अनियमित रूप से अवरोधित रहा।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, बिहार सरकार ने 22[60] सदर अस्पतालों में गहन–देखभाल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु असैनिक–शल्य–सह–मुख्य–चिकित्सा पदाधिकारियों को ₹ 34.11 लाख प्रति इकाई की दर से कुल ₹ 7.50 करोड़ आवंटित (नवंबर 2005) किया। इस राशि को संबंधित जिलों में सघन देखभाल इकाई (आ.सी.यू.) भवनों के निर्माण के लिए के संबंधित जिला स्वास्थ्य समितियों को हस्तांतरित किया जाना था।

इसके बाद राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना ने आई.सी.यू. के उपकरण खरीद के लिए सात जिलों[61] को, जिसमें पटना भी शामिल था और जहाँ अस्पताल परिसर में उपकरणों को स्थापित करने के लिए स्थान पहले से ही उपलब्ध था, प्रथम किस्त के रूप में (उपकरणों के लिए प्रत्येक को ₹ 18 लाख एवं प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक को ₹ दो लाख) ₹ 1.40 करोड़ विमुक्त किया। आई.सी.यू. उपकरणों की अधिप्राप्ति की जिम्मेवारी संबंधित जिलों के संबंधित चिकित्सा महाविद्यालयों के निश्चेतना विभाग के अध्यक्ष को दी गई थी। आई.सी.यूओं का सफलतापूर्वक परिचालन जनवरी 2009 तक कर लेना था।

जिला स्वास्थ्य समिति, मुंगेर के अभिलेखों के नमूना जाँच (फरवरी 2009) एवं छः[62] जिला स्वास्थ्य समितियों से सूचना–संग्रहण (अप्रैल से मई 2011) से निम्नलिखित तथ्य उजागर हुए:

- समस्तीपुर (अप्रैल 2011), खगड़िया (मई 2008) एवं कटिहार (दिसंबर 2010) में आई.सी.यू. भवन का निर्माण किया गया जिसमें प्रत्येक की लागत ₹ 34.11 लाख थी। हाँलांकि मई 2011 तक उपकरण की खरीद के लिए उन्हें कोई निधि उपलब्ध नहीं कराई गई।

60 *बेतिया, सारण(छपरा), पूर्णियाँ, नालंदा, औरंगाबाद, भोजपुर(आरा), गोपालगंज, सिवान, मोतीहारी, समस्तीपुर, मधेपुरा, रोहतास(सासाराम), मुंगेर, सीतामढ़ी, कटिहार, खगड़िया, मधुबनी, हाजीपुर, नवादा, बेगुसराय, सहरसा एवं जहानाबाद।*

61 *भोजपुर (आरा), नांलदा, मोतीहारी (पूर्वी चंपारण), मुंगेर, औरंगाबाद, मधुबनी एवं पटना।*

62 *आरा, बेगुसराय, कटिहार, खगड़िया, मोतीहारी एवं समस्तीपुर।*

- बेगुसराय जिले में आई.सी.यू. भवन को अभी भी (अगस्त 2011) पूरा किया जाना था जबकि नवंबर 2005 में हीं निधि (₹ 34.11 लाख) आवंटित कर दी गई थी। इसके अतिरिक्त आरा एवं मोतीहारी जिले में कोई उपकरण क्रय नहीं किया गया जबकि निधियाँ (प्रत्येक को ₹ 20 लाख) उपलब्ध थी।
- मुंगेर में स्थल की अनुपलब्धता के कारण मई 2011 तक आई.सी.यू. भवन का निर्माण शुरू नहीं किया जा सका जिसके परिणामस्वरूप साढ़े पाँच वर्षों तक ₹ 34.11 लाख अनियमित रूप से अवरूद्ध रहे। इसके बावजूद ₹ 17.86 लाख के आई.सी.यू. उपकरणों (₹ 20 लाख में से) का क्रय किया गया (फरवरी 2009) जो सदर अस्पताल, मुंगेर के भंडार में निष्क्रिय पड़ा हुआ था। अतः मुंगेर में निधि के अनियमित रूप से अवरूद्ध एवं निष्क्रिय उपकरणों पर व्यतित कुल राशि ₹ 54.11 लाख थी।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2011)। प्रधान सचिव–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना ने जबाव दिया (अगस्त 2011) कि 22 आई.सी.यू. भवनों में से 20 पूरा हो चूके थे जब कि मोतिहारी, आरा एवं पटना जिले में उपकरणों के लिए प्रथम चरण में आवंटित निधि अव्यवहृत थी। हाँलांकि शेष चार जिलों में उपकरणों का क्रय किया जा चुका था। इसके अतिरिक्त शेष जिलों में दिसबंर 2011 तक परिचालन करने के निदेश के साथ आई.सी.यू. उपकरण उपलब्ध कराने हेतु निधियाँ उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा था।

जवाब स्वयं में इस तथ्य की स्वीकारोक्ति था कि पाँच जिलों में पूर्ण भवनों का उपयोग अभीष्ट उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा रहा था। मुंगेर जिले में उपकरण के लिए निधि के अव्यवहृत रहने संबंधी वक्तव्य सही नहीं था क्योंकि ₹ 17.86 लाख उपकरण के क्रय पर पहले ही (फरवरी 2009) खर्च किया जा चूका था जिसे अक्टूबर 2011 तक निष्क्रिय रखा गया था। विभाग एवं जिला, दोनों ही स्तरों पर योजना के अभाव एवं खराब अनुश्रवण के कारण यह प्रस्ताव बाधित हुआ, जैसा कि भवन एवं उपकरण के बीच निधियों के बेमेल होने से परिलक्षित था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.89 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ (निष्क्रिय भवनों पर ₹ 1.71[63] करोड़ एवं निष्क्रिय उपकरणों पर ₹ 17.86 करोड़ का)। इसके अतिरिक्त ₹ 76.25[64] लाख को अवरोधित किये जाने के परिणामस्वरूप नमूना जाँचित सात जिलों में आई.सी.यू. इकाइयों को संचालित नहीं किया जा सका जिसके कारण लोग सघन देखभाल सुविधा से वंचित रहे।

63 *भवन–रामरतीपुरः ₹ 34.11 लाख; खगड़ियाः ₹ 34.11 लाख; कटिहारः ₹ 34.11 लाख; आराः ₹ 34.11 लाख; मोतिहारीः ₹ 34.11 लाख।*

64 *उपकरण–आराः ₹ 20 लाख; मोतीहारीः ₹ 20 लाख; मुंगेरः ₹ 2.14 लाख एवं* ***भवन–*** *मुंगेरः ₹ 34.11 लाख।*

अध्याय – IV
सरकारी विभाग की एकीकृत लेखापरीक्षा

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

4.1 पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की एकीकृत लेखापरीक्षा

मुख्याकर्षण

बिहार राज्य प्राथमिक रूप से कृषि अर्थ व्यवस्था पर निर्भर है। यहाँ की 90 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जहाँ पशुपालन बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा पशुपालन क्रियान्वित किया जाता है। विभाग के मुख्य क्रियाकलाप पशु स्वास्थ्य की देखभाल करना, पशुधन गणना कराना, मुख्य पशुधन उत्पादों को बढ़ाना, कुक्कुट विकास, पशुधन विकास एवं देसी नस्ल को बचाने के लिए प्रजनन सुविधा को बढ़ाने के साथ–साथ पशुओं पर होने वाले क्रूरता से उन्हें बचाना था।

विभाग की एकीकृत लेखापरीक्षा ने उजागर किया कि वास्तविक पशुगणना के बगैर आँकड़ों के बिना पशुधन विकास के लिए वार्षिक योजनाएँ बनाई गईं, वित्तीय प्रबंधन का अभाव था क्योंकि योजनागत योजनाओं में अत्यधिक प्रत्यर्पणों के दृष्टांत थे एवं कार्यकारी अभिकरणों के पास निधियाँ अवरूद्ध थी। कुक्कुट विकास, कृत्रिम गर्भाधान सुविधा, चारा बैंक की स्थापना और पशु स्वास्थ्य देखरेख की योजना उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई। विभागीय मानवबल प्रबंधन प्रणाली अपर्याप्त थी एवं अधिक संख्याओं में रिक्तियों ने विभाग के कार्यकलापों को प्रभावित किया। विभागीय पदाधिकारियों द्वारा अपर्याप्त अनुश्रवण किए जाने से स्वीकृत योजनाओं को विलंब किए जाने एवं अपूर्ण रहने में भूमिका रही। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नांकित थे:

पूर्णता की निर्धारित तिथि से दो वर्षों के विलंब के बाद फरवरी 2010 में पशुगणना कार्य पूरा किया गया, जबकि ₹ 13.91 करोड़ व्यय के बावजूद भी सभी जिलों के विस्तृत गृहवार आँकड़े भारत सरकार को समर्पित किया जाना बाकी था।

(कंडिका 4.1.7.1)

नमूना सर्वेक्षण छोटे नमूनों के आकारों पर आधारित था जो वास्तविक पशुधन संख्या का प्रतिदर्श नहीं करता था।

(कंडिका 4.1.7.2)

वर्ष 2007–11 के दौरान ₹ 222.71 करोड़ की कुल बचत में से विभाग द्वारा ₹ 210.23 करोड़ प्रत्यर्पित किया गया, जिसमें से ₹ 127.36 करोड़ संबंधित वित्तीय वर्षों के अंतिम तिथि को प्रत्यर्पित किए गए।

(कंडिका 4.1.8.1)

पशुपालन निदेशालय के निर्देशों पर आहरण एवं संवितरण पदाधिकारियों ने ₹ 17.90 करोड़ आहरित कर राज्य के वित्तीय नियमों के विपरीत बैंक खातों जमा किया।

(कंडिका 4.1.8.3)

दो नमूना जाँचित जिलों में बी.पी.एल./महादलित परिवारों के बीच कम चूजों की आपूर्ति किए जाने के कारण, उन्हें कुपोषण से बचाने एवं कुक्कुट विकास के द्वारा मासिक आमदनी सृजित करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया गया।

(कंडिका 4.1.9.2)

वर्ष 2007–11 के दौरान बिहार पशुधन विकास अभिकरण ₹ 7.89 करोड़ के व्यय के बावजूद भी कृत्रिम गर्भाधान के लिए फ्रोजेन सीमेन उत्पन्न कराने में असफल रहा।

(कंडिका 4.1.9.3)

अकार्यशील स्थापनाएँ यथा पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, पटना एवं डुमराँव (₹ 7.16 करोड़) तथा फ्रोजेन सीमेन बैंक सह बुल स्टेशन, पटना (₹ 2.39 करोड़) में पदस्थापित कर्मियों के वेतन एवं भत्ते आदि मद पर ₹ 9.55 करोड़ व्यय किए गए।

(कंडिका 4.1.9.6 एवं 4.1.9.7)

वर्ष 2007–11 के दौरान वित्त विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई जो विभाग के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की कमी को इंगित करता था।

(कंडिका 4.1.14)

4.1.1 प्रस्तावना

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार वर्ष 1949 में अस्तित्व में आया। विभाग के मुख्य क्रियाकलाप पशुओं के विभिन्न प्रजातियों की संख्या का मौलिक आँकड़ा इक्कठा करना, पशु स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना, विस्तृत पशुधन उत्पादों का आकलन करना, पशु प्रजनन कार्यक्रम को कार्यान्वित करना, पशुओं के विरूद्ध क्रूरता की रोकथाम एवं लोगों को पशुओं के अच्छे ढंग से देख–रेख एवं पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना था।

राज्य की अर्थव्यवस्था में पशुपालन प्रक्षेत्र एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि कुल ग्रामीण आय में यह एक तिहाई का योगदान करता है। विभाग का उद्देश्य पशुओं को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के अलावे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाना, मानव खपत के लिए पशु प्रोटीन उपलब्ध कराना, ग्रामीण लोगों के लिए पर्याप्त एवं टिकाउ संपत्ति का सृजन करना, पशु उत्पादों यथा दूध, अंडा, उन एवं मांस इत्यादि को बेचकर लोगों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण मजदूरों एवं कुशल लोगों को पलायन से रोकना था।

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, वर्ष 2007–11 के दौरान विभाग द्वारा 40 योजनाओं ***(परिशिष्ट 4.1)*** को कार्यान्वित किया गया, जिसमें से 30 राज्य योजनाएं, नौ केन्द्र प्रायोजित योजनाएं (अंशदान के आधार पर) एवं एक योजनागत केन्द्रीय योजना थी।

वर्ष 2007–11 के दौरान राज्य में मुख्य पशुधन उत्पाद 57.67 लाख एम. टी. (दूध) 1.81 लाख एम.टी. (मांस) एवं 2 .41 लाख किलोग्राम (ऊन) से बढ़कर क्रमशः 65.17 लाख एम.टी. (13 प्रतिशत), 2.23 लाख एम.टी. (23 प्रतिशत) एवं 2.60 लाख किलोग्राम (आठ प्रतिशत) हो गया जबकि अंडा का उत्पादन 1068 मिलियन से घटकर 745 मिलियन (30 प्रतिशत) हो गया।

4.1.2 संगठनात्मक ढांचा

विभाग के प्रमुख सचिव हैं, जिनके सहायतार्थ एक–एक निदेशक पशुपालन, मत्स्य एवं दुग्ध के लिए थे। पशुपालन निदेशक के सहायतार्थ एक अतिरिक्त निदेशक एवं पदाधिकारियों[1] का एक दल मुख्यालय स्तर पर कार्यरत था। प्रमंडल स्तर पर आठ[2]

[1] *संयुक्त निदेशक (पशु स्वास्थ्य), संयुक्त सचिव (मुख्यालय), उपाधीक्षक (पशुगणना), उप निदेशक (मुख्यालय), चारा विकारा पदाधिकारी, निदेशक (पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान), परियोजना निदेशक (बिहार पशुधन विकास अभिकरण), गोशाला विकास पदाधिकारी।*

[2] *भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णियाँ एवं सहरसा।*

क्षेत्रीय निदेशक एवं जिला स्तर पर 38 जिला पशुपालन पदाधिकारियों के साथ–साथ अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल पशुपालन पदाधिकारियों एवं प्रखंड स्तर पर प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी विभाग के कार्यों के निष्पादन के लिए उत्तरदायी थे। इसके अलावे, पशु शल्य चिकित्सक एवं भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी (टी.भी.ओ.) क्रमशः जिला एवं प्रखंड स्तर पर पशुओं के इलाज के लिए पदस्थापित थे। एक केन्द्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र पटना में था जिसके प्रधान महाप्रबंधक थे। चार[3] क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र थे, प्रत्येक के प्रधान सहायक निदेशक थे। इसके अतिरिक्त विभाग के अन्तर्गत एक फ्रोजेन सीमेन बैंक सह बुल स्टेशन, पटना, पशु रोग नैदानिक प्रयोगशाला दरभंगा, पटना एवं डुमराँव में दो पशु प्रजनन प्रक्षेत्र तथा डुमराँव में एक प्रशिक्षण विद्यालय कार्यरत थे। एक विस्तृत सांगठनिक रूपरेखा ***परिशिष्ट 4.2*** में दर्शायी गयी है।

4.1.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

पशुपालन, मत्स्य एवं डेयरी प्रक्षेत्र के लिए विभाग उत्तरदायी था। यद्यपि इस एकीकृत लेखापरीक्षा, जो मई से अगस्त 2011 के दौरान संपन्न की गई, का कार्यक्षेत्र केवल पशुपालन प्रक्षेत्र से संबंधित क्रियाकलापों के संवीक्षा तक सीमित था। इसके अन्तर्गत पशुपालन निदेशालय, आठ में से तीन[4] क्षेत्रीय निदेशक के कार्यालय, 38 में से नौ[5] जिला पशुपालन कार्यालय एवं प्रत्येक चयनित जिला पशुपालन कार्यालय के अन्तर्गत चार[6] प्रखंड पशुपालन कार्यालय में संधारित वर्ष 2007–11 अवधि के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, पटना, चार में से दो[7] क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, दो[8] पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, बिहार पशुधन विकास अभिकरण (बी.प.वि. अ.), पटना, फ्रोजेन सीमेन बैंक, पटना, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना, प्रशिक्षण विद्यालय, डुमराँव, चारा विकास कार्यालय, पटना एवं पशुरोग नैदानिक प्रयोगशाला, दरभंगा के अभिलेखों की भी नमूना जाँच की गई।

इन इकाइयों का चयन इस प्रकार किया गया ताकि विभाग द्वारा क्रियान्वित होने वाले कार्यक्रमों एवं योजनाओं का पूरे राज्य में फैलाव सुनिश्चित हो। जिला स्तर के कार्यालयों का चयन संभाव्यता आकार समानुपाती प्रतिस्थापन विधि से एवं प्रखंड स्तर के कार्यालयों का चयन सामान्य यादृच्छिक नमूना प्रतिस्थापन विधि से किया गया। लेखापरीक्षा का प्रयास उन क्रियाकलापों पर यथा योजना कार्यक्रम, वित्तीय प्रबंधन, योजनाओं के कार्यान्वयन, इन्वेन्ट्री प्रबंधन एवं विभाग के मानव संसाधन प्रबंधन पर केन्द्रित था। इसके अतिरिक्त विभाग में विद्यमान आंतरिक नियंत्रण तंत्र की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता का भी निर्धारण किया गया।

3 *भागलपुर, किशनगंज, मुजफ्फरपुर एवं पूर्णियाँ।*

4 *भागलपुर, मुजफ्फरपुर एवं पूर्णियाँ।*

5 *भागलपुर, किशनगंज, मधुबनी, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना एवं पूर्णियाँ।*

6 *भागलपुर–नारायणपुर, नवगछिया, रंगराचौक एवं सबौर। पूर्वी चम्पारण–घोड़ासाहन, केसरिया, कल्याणपुर एवं कोटवा। किशनगंज–बहादुरगंज, किशनगंज, टेढ़ागाछी एवं ठाकुरगंज। मधुबनी–जयनगर, खजौली, खुटौना एवं लदनियाँ। मुंगेर–हवेली, संग्रामपुर, तारापुर एवं टेटियाबम्बर। मुजफ्फरपुर–मरवन, मोतीपुर, मुरौल एवं मुसहरी। नालंदा–हरनौत, इस्लामपुर, करायपरशुराय एवं कतरीसराय। पटना–दनियाँवा, दुल्हिन बाजार, फतुहा एवं घोसवरी। पूर्णियाँ–जलालगढ़, के. नगर, पूर्णियाँ एवं रूपौली।*

7 *भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर।*

8 *पटना एवं डुमराँव।*

4.1.4 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारित एवं मूल्यांकित करना था कि क्या :

- कार्यक्रमों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए योजना प्रक्रिया पर्याप्त एवं प्रभावी थी;
- वित्तीय प्रबंधन सक्षम एवं प्रभावी था;
- कार्यक्रमों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन योजना के अनुरूप सक्षम, प्रभावी एवं मितव्ययी था;
- मानव संसाधन प्रबंधन पर्याप्त एवं सक्षम था;
- अनुश्रवण तंत्र एवं आंतरिक नियंत्रण पद्धति ठीक एवं प्रभावी थी।

4.1.5 लेखापरीक्षा मापदंड

लेखापरीक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विभाग के पशुपालन से संबंधित कार्यकलापों को निम्नांकित मापदंडों के आधार पर निर्धारित किया गया था :

- राज्य सरकार एवं भारत सरकार के अधिनियम, नियम एवं विनियम जो पशुपालन के क्रियाकलापों पर लागू हो;
- बिहार बजट नियमावली, बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता, तथा
- केन्द्रीय एवं राज्य संपोषित योजनाओं के लिए क्रमशः भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेश एवं मार्गदर्शिका।

4.1.6 लेखापरीक्षा कार्य प्रणाली

लेखापरीक्षा कार्य प्रणाली में जानकारी को संचित एवं अद्यतन करना, विस्तृत लेखापरीक्षा मार्गदर्शन तैयार करना, नमूना चयन एवं संबंधित सूचनाओं की जाँच, संग्रहण तथा विश्लेषण करने हेतु किए गए क्षेत्र भ्रमण शामिल थे। कार्यक्रम क्रियान्वयन में शामिल पशुपालन मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के जिम्मेदार अधिकारियों से विचार–विमर्श किया गया। लेखापरीक्षा साक्ष्यों का संग्रहण लेखापरीक्षा प्रश्नावली एवं लेखापरीक्षा ज्ञापनों के उत्तर, दस्तावेजों की प्रतियों एवं जिम्मेवार विभागीय अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत बातचीत के माध्यम से किया गया। इस लेखापरीक्षा का कर्त्तव्य इसके कार्यक्षेत्र, कार्यप्रणाली, विस्तार एवं उद्देश्यों की व्याख्या करना था एवं विभागीय दृष्टिकोण को शामिल करने हेतु विभाग के सचिव के साथ मई 2011 में अन्तःगमन बैठक किया गया। क्षेत्र भ्रमण की समाप्ति के उपरांत विभाग के सचिव के साथ बहिर्गमन बैठक (नवम्बर 2011) की गई जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। विभाग की प्रतिक्रिया/जवाबों को इस प्रतिवेदन में यथास्थान समाविष्ट कर लिया गया है।

लेखापरीक्षा के निष्कर्ष

लेखापरीक्षा के दौरान उजागर हुईं खामियों की चर्चा नीचे की गई है :

4.1.7 योजना

किसी भी विभाग के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त योजना एक मुख्य घटक होता है। वर्ष 2007–11 के दौरान विभाग द्वारा क्रियान्वित करने हेतु लगभग 40 योजनाएँ ली गयी थी। योजनाओं को बनाने के लिए पशुगणना किया जाना था एवं उसके परिणामों को भारत सरकार को भेजा जाना था। इसके अतिरिक्त पशुपालन प्रक्षेत्र से सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) तैयार करने हेतु विभाग द्वारा दूध, अंडा, ऊन एवं मांस इत्यादि से संबंधित पशुधन उत्पादों का आकलन किया जाना था। हाँलांकि सभी जिलों के विस्तृत पशुगणना परिणाम भारत सरकार को अभी भी भेजा जाना था, पशुधन उत्पादों का आकलन बहुत ही छोटे आकार के नमूना पर आधारित था। पशुधन आँकड़े जैसा कि इस योजना के अन्तर्गत तैयार किए गए थे, वास्तविक पशुधन आबादी को नहीं प्रदर्शित करते थे। एकीकृत लेखापरीक्षा द्वारा योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए विभाग द्वारा बनाई गई योजना में निम्नांकित कमियाँ पाई गई :

4.1.7.1 अठारहवीं पशुगणना

पशुधन क्षेत्र में सुधार के लिए कार्यक्रम/योजना के प्रतिपादन, कार्यान्वयन, अनुश्रवण तथा मूल्यांकन हेतु भारत सरकार द्वारा माह जून 2007 से मई 2008 के दौरान अठारहवीं पशुगणना प्रस्तावित किया गया था। भारत सरकार द्वारा विभाग को इस केन्द्र प्रायोजित योजना के लिए ₹ 15.49 करोड़ (2007–11) विमुक्त किया गया था। इस योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रजातियों के पशुधन की संख्या के साथ–साथ उनकी विशेषताओं यथा उम्र, लिंग, आधारभूत घटक की उपलब्धता आदि के मौलिक आँकड़े इक्कठा करना था। भारत सरकार के योजना के क्रियान्वयन अनुसूची के अनुसार वास्तविक पशुगणना का कार्य एक माह[9] के अन्दर संपादित किया जाना था। इसके अलावे, त्वरित परिणाम के लिए आँकड़े (जिलावार) 15 जनवरी से 31 जनवरी 2008 के दौरान समर्पित करना था तथा विस्तृत परिणामों के लिए आँकड़े (गृहवार विस्तृत आँकड़ा) 1 मई से 15 मई 2008 के दौरान समर्पित करना था।

पशुगणना कार्य, पूर्ण करने की निर्धारित तिथि से दो वर्ष बाद संपन्न किया गया।

अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि विभाग द्वारा माह फरवरी 2010 में पशुगणना का कार्य किया जा सका जो कि संपादन के निर्धारित तिथि से दो वर्ष के विलंब से किया गया था। त्वरित परिणामों के लिए आँकड़े अप्रैल 2008 से फरवरी 2010 के मध्य इक्कठा किए गए तथा भारत सरकार को माह मई 2010 में, यानि 23 माह के विलंब से भेजा गया था, जबकि सभी जिलों से गृहवार विस्तृत परिणामों के आँकड़े अभी तक भारत सरकार को समर्पित किया जाना बाकी है। सरकार द्वारा इस क्रियाकलाप पर ₹ 13.91 करोड़ (अप्रैल 2011) व्यय किया गया।

उत्तर में सरकार द्वारा बताया गया (नवम्बर 2011) कि विस्तृत परिणामों के गृहवार आँकड़े तैयार किए जा रहे थे।

इस प्रकार पशुगणना के अभाव में पशुधन सुधार के लिए विभाग द्वारा तैयार की गयी वार्षिक योजनायें वास्तविक आँकड़ों पर आधारित नहीं थीं।

[9] *15 सितम्बर 2007 से 14 अक्टूबर 2007 तक।*

4.1.7.2 एकीकृत नमूना सर्वेक्षण योजना

एकीकृत नमूना सर्वेक्षण योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना थी जिसका उद्देश्य उत्पाद्य पशुओं तथा अंडज पक्षियों की संख्या का आकलन करना, प्रमुख पशुधन उत्पादों यथा दुग्ध, अंडा, मांस एवं ऊन के उत्पादन का अनुमान लगाना तथा प्रति पशु/पक्षी औसत उत्पादन निकालना था। चूँकि पशुपालन प्रक्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान तैयार करने के लिए ऋतुगत आकलन की आवश्यकता के मद्देनजर यह आँकड़ा प्रत्येक वर्ष ऋतुवार यथा ग्रीष्म ऋतु (मार्च से जून), वर्षा ऋतु (जुलाई से अक्टूबर) तथा शीत ऋतु (नवम्बर से फरवरी) में इक्कठा किया जाना था। योजना के आकलन संबंधी कार्यप्रणाली के अनुसार पशुधन आबादी की पूर्ण संगणना के लिए प्रत्येक जिले में 15 प्रतिशत (प्रत्येक ऋतु में पांच प्रतिशत ग्राम) ग्रामों का चयन किया जाना था। पशुपालन एवं गव्य सांख्यिकी के सुधार के लिए तकनीकी समिति के निर्देशानुसार अनुमान की यथार्थता को बनाए रखने के लिए नमूना के आकार को घटाया नहीं जाना चाहिए था।

पशुधन उत्पाद के आँकड़े अपर्याप्त आकार के नमूने पर आधारित थे।

निदेशालन एवं नमूना जाँचित नौ जिला पशुपालन कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि पशु आबादी की पूर्ण संगणना के लिए प्रत्येक जिले में प्रति ऋतु पांच प्रतिशत ग्रामों के बदले मात्र पांच गाँवों का चयन किया गया था। इस योजना पर वर्ष 2007–11 के दौरान ₹ 1.74 करोड़ व्यय किया गया। यह भी पाया गया कि किशनगंज जिला में संगणना का कार्य वर्ग घ के कर्मचारी तथा पूर्णियाँ जिला में पशुधन सहायक द्वारा किया जा रहा था जबकि यह कार्य गणक द्वारा किया जाना था। इसके अलावे किशनगंज, मोतिहारी, पूर्णियाँ तथा नालन्दा जिले में वर्ष 2007–11 के दौरान सर्वेक्षण कार्य हेतु गणक के यात्रा कार्यक्रम का अभिलेख नहीं पाया गया जिससे इक्कठा किए गए आँकड़ों की विश्वसनीयता एवं सत्यता को संदेह से परे नहीं कहा जा सकता था।

उत्तर में, सरकार द्वारा बताया गया (नवम्बर 2011) कि सांख्यिकी कर्मियों के पदों को भरने की कार्रवाई की जा रही है ताकि पशुधन सर्वेक्षण कार्य को पूर्ण किया जा सके।

4.1.8 वित्तीय प्रबंधन

वित्तीय प्रबंधन में वित्तीय योजना, व्यय नियंत्रण, निधियों की विमुक्ति तथा उनकी उपयोगिता, लेखांकन, जहाँ कहीं आवश्यक हो इसका पुनर्विनियोग तथा प्रत्यर्पण शामिल होता है। इस संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा विभागीय तथा क्षेत्र स्तर के अभिलेखों की संवीक्षा की गई जिसमें निम्नलिखित विसंगतियाँ पाई गई :

4.1.8.1 बजट प्रावधान, व्यय तथा प्रत्यर्पण

बिहार बजट मैनुअल के नियम 62 (परिशिष्ट–V) के अनुसार वित्तीय नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त आकलन के आधार पर प्रत्येक वर्ष एक अक्टूबर तक बजट प्राक्कलन वित्त विभाग को भेजा जाना था।

बजट प्राक्कलन 39 से 57 दिनों के विलंब से भेजा गया था।

इस प्रावधान के अनुपालन में लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि अधीनस्थ कार्यालयों से विलंब से प्राक्कलन प्राप्त होने के कारण वर्ष 2007–11 में बजट प्राक्कलन वित्त विभाग को 39 से 57 दिनों के विलंब से भेजा गया था। इस प्रकार विलंब से प्राक्कलन प्राप्त होने से विभागीय पदाधिकारियों को वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजने से पूर्व उसकी जाँच के लिए सीमित समय मिला। परिणामस्वरूप वर्ष 2007–11 के दौरान इन बजट प्रावधानों, व्यय तथा प्रत्यर्पण की यथार्थता, आवश्यकता एवं विश्वसनीयता को प्रभावित किया जैसा कि **तालिका 1** में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या – 1
वर्ष 2007–11 के दौरान बजट प्रावधान, व्यय[10] और प्रत्यर्पण/बचत
(₹ करोड़ में)

वर्ष	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	कुल अनुदान	व्यय	कुल बचत	प्रत्यार्पण	बचत (प्रतिशत में)
2007–08	84.08	28.17	112.25	93.98	18.27	16.16	16.28
2008–09	104.98	116.97	221.95	187.62	34.33	31.08	15.47
2009–10	187.61	56.03	243.64	196.56	47.08	43.09	19.32
2010–11	256.68	28.47	285.15	162.12	123.03	119.90	43.15
कुल	**633.35**	**229.64**	**862.99**	**640.28**	**222.71**	**210.23**	**25.81**

(स्रोत : विस्तृत विनियोग लेखा)

उपरोक्त तालिका एवं अभिलेखों की संवीक्षा में निम्नलिखित तथ्य पाए गए :

योजना शीर्ष के अन्तर्गत 20 से 77 प्रतिशत तथा गैर–योजना शीर्ष में सात से 17 प्रतिशत की बचत थी।

- वर्ष 2007–11 में कुल प्रत्यर्पण एवं बचत 15 से 43 प्रतिशत के मध्य था। इनमें से गैर–योजना शीर्ष के अन्तर्गत बचत सात से 17 प्रतिशत तथा योजना शीर्ष में 20 से 77 प्रतिशत के मध्य था ***(परिशिष्ट – 4.3)***। योजना मद के अन्तर्गत अधिक बचत यह दर्शाता है कि विभाग योजनागत योजनाओं को सुचारू रूप से कार्यान्वित करने में असफल रहा।

विभाग द्वारा वर्ष 2007–11 में ₹ 127.36 करोड़ वित्तीय वर्ष के अंतिम तिथि को प्रत्यर्पित की गयी थी।

- बिहार बजट मैनुअल के नियम 112 के अनुसार सभी प्रत्याशित बचतों को वर्ष की समाप्ति का इंतजार किए बिना, ज्योंही बचत की संभावना प्रतीत होती हो, अविलंब सरकार को प्रत्यर्पित कर देना चाहिए। भविष्य के आधिक्य की प्रत्याशा में किसी भी बचत को सुरक्षित नहीं रखा जाना चाहिए। वर्ष 2007–11 के विस्तृत विनियोग लेखे एवं निदेशालय के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि ₹ 862.99 करोड़ के कुल अनुदान में से ₹ 640.28 करोड़ व्यय किया गया था। ₹ 222.71 करोड़ की बचत की राशि में से ₹ 210.23 करोड़ प्रत्यर्पित किया गया था तथा ₹ 12.48 करोड़ व्यपगत हो गया था।

- प्रत्यर्पित निधियों में से विभाग द्वारा वर्ष 2007–11 में ₹ 127.36 करोड़ (वर्ष 2007–08 के गैर–योजना शीर्ष को छोड़कर)[11] वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि को प्रत्यर्पित किया गया था। परिणामस्वरूप वित्त विभाग द्वारा प्रत्यर्पित निधियों का पुर्नविनियोजन नहीं किया जा सका।

इसके अलावे यह पाया गया कि वर्ष 2007–11 के दौरान विभाग द्वारा कुल 40 योजनाओं को लिया गया था। विभाग द्वारा एक केन्द्रीय योजना के लिए प्राप्त ₹ 35.72 करोड़ की राशि में से केवल ₹ 12.51 करोड़ (35 प्रतिशत) व्यय किया गया था तथा नौ केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए विभाग को प्राप्त ₹ 71.48[12] करोड़ में से केवल ₹ 21.18 करोड़ (30 प्रतिशत) व्यय किया गया था। 30 राज्य योजनागत योजनाओं के मामले में इस अवधि में कुल विमुक्त ₹ 305.43 करोड़ के अनुदान में से विभाग द्वारा मात्र ₹ 204.90 करोड़ (67 प्रतिशत) व्यय किया गया था ***(परिशिष्ट 4 .4)***। परिणामस्वरूप, इन योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित निधियाँ योजनाओं के विलंब से स्वीकृति अथवा भारत सरकार से विलंब से निधि प्राप्त होने के कारण या तो इसे प्रत्यर्पित कर दिया गया अथवा कार्यान्वयन एजेंसियों के पास बिना उपयोग के पड़ा हुआ था। उदाहरणस्वरूप वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि (मार्च 2011) को एम्बुलेट्री वैन

10 *मुख्य शीर्ष–2403 (पशुपालन), 3451 (सचिवालय–आर्थिक सेवा), 3454 (पशुगणना, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी)।*

11 *वर्ष 2007–08 के दौरान गैर–योजना शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्यर्पित राशि की सूचना नहीं दी गयी।*

12 *केन्द्रांश ₹ 51.72 करोड़ तथा राज्यांश ₹19.76 करोड़।*

क्रय के लिए ₹ तीन करोड़ विमुक्त किया गया था जिसका उपयोग नहीं किया जा सका तथा प्रत्यर्पित कर दिया गया (2010–11)।

उत्तर में, सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी से सहमति जताई।

4.1.8.2 व्यय नियंत्रण

बिहार वित्त नियमावली के नियम 472 के अनुसार प्रत्येक विभागाध्यक्ष अपने अधीन सौंपे गए अनुदान या अनुदानों से हुए खर्च पर नियंत्रण रखने के लिए जिम्मेवार थे और उन्हें अपने अधीनस्थ नियंत्रण पदाधिकारियों तथा व्ययन पदाधिकारियों के माध्यम से उस पर नियंत्रण करना था। इसके अलावे नियम 475 के अनुसार प्रत्येक नियंत्री पदाधिकारी और विभागाध्यक्ष को अपने नियंत्रण के अधीन लेखे के प्रत्येक लघु या उप शीर्ष के लिए वित्तीय नियम प्रपत्र–23 में एक अलग पंजी संधारित करना था।

वर्ष 2007–09 में व्यय नियंत्रण के लिए पंजीयाँ उपलब्ध नहीं थी तथा तत्पश्चात् सही रूप से संधारित नहीं थी।

लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि निदेशालय में वर्ष 2007–09 में ये पंजियाँ उपलब्ध नहीं थी। इसके पश्चात् विभाग द्वारा जो पंजियाँ संधारित की गयी थी वे निर्धारित प्रपत्र में नहीं थे। कई कॉलम खाली छोड़ दिया गया था। प्रविष्टियाँ सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं की गई थी तथा माह के लिए कुल आवंटन एवं शेष विनियोजन को इन्द्राज नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप व्यय नियंत्रण तंत्र संबंधी विभागीय अनुपालन अत्यंत निम्न स्तरीय था जो इस तथ्य से देखा जा सकता है कि वर्ष 2007–11 में योजनान्तर्गत विभागीय प्रत्यर्पण 42 प्रतिशत था।

सरकार ने कहा कि (नवंबर 2011) कि व्यय नियंत्रण पंजी का समुचित संधारण भविष्य में किया जाएगा।

4.1.8.3 निधियों का अनियमित अवरूद्धीकरण

बिहार कोषागार संहिता खण्ड–1 के नियम 300 के अनुसार कोषागार से कोई धनराशि तब तक निकासी नहीं की जानी चाहिए जबतक कि वैसा करना तत्काल भुगतान के लिए आवश्यक न हो। कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए जिसकी कार्यान्वयन में काफी समय लगने की संभावना हो या विनियोगों के व्यपगत होने से बचाने के लिए कोषागार से मांगों की प्रत्याशा में अग्रिम निकासी की अनुमति नहीं थी।

लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि राज्य योजनान्तर्गत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (रा. कृ.वि.यो.) के अन्तर्गत संस्वीकृत ₹ पांच करोड़ (जनवरी 2008) को लीवरफ्लूक रोग के नियंत्रण हेतु दवा क्रय करने के लिए 29 जिला पशुपालन पदाधिकारियों को प्रदान किया गया था। इनमें से अनुपयोगित ₹ 1.77 करोड़ की राशि को लेखा शीर्ष '8443–सिविल जमा' के अन्तर्गत जमा कर दिया गया था।

बिहार पशुधन विकास अभिकरण द्वारा न तो योजनागत योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया था, न ही योजनागत निधियों की ₹ 17.90 करोड़ की राशि विभाग को वापस की गई।

इसके अलावे निदेशक पशुपालन, विशेष उप निदेशक, फ्रोजेन सीमेन बैंक सह बुल स्टेशन तथा निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्त में अग्रिम के रूप में ₹ 21.71[13] करोड़ की निकासी कर परियोजना निदेशक, बिहार पशुधन विकास अभिकरण[14] के बैंक खाता में जमा किया गया था। इनमें से मार्च

[13] *निदेशक, पशुपालन–₹ 1.62 करोड़ (मार्च 2010) तथा ₹ 9.83 करोड़ (मार्च 2011), फ्रोजेन सीमेन बैंक सह बुल स्टेशन– ₹ 2.26 करोड़ (मार्च 2008), निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान– ₹ 8 करोड़ (मार्च 2011)।*

[14] *विभाग द्वारा बिहार पशुधन विकारा अभिकरण की स्थापना राज्य में पशुपालन क्रियाकलापों के राज्य स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में की गयी थी। सोसाइटी के रूप में इस एजेंसी का निबंधन सोसायटी निबंधन अधिनियम के अन्तर्गत किया गया था।*

2011 के अन्त तक ₹ 3.81[15] करोड़ संबंधित योजनाओं पर व्यय किया गया तथा शेष ₹ 17.90 करोड़ की राशि बिना व्यय के बी.प.वि.अ. के पास पड़ा हुआ था। इस प्रकार संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा बिना किसी तत्काल आवश्यकता के ₹ 17.90 करोड़ की निकासी की गयी थी।

जवाब में, सरकार ने बताया (नवम्बर 2011) कि निधियों को केवल योजनागत योजना के कार्यान्वयन के लिए ही बी.प.वि.अ. के पास जमा किया गया था।

4.1.8.4 रोकड़ पंजी का संधारण

बिहार कोषागार संहिता खण्ड–1 के नियम 86 (iv) के अनुसार प्रत्येक माह के अन्त में कार्यालय प्रधान को रोकड़ बही में रोकड़–शेष को सत्यापित तथा इस आशय का हस्ताक्षरित एवं दिनांकित प्रमाणपत्र अभिलिखित करना चाहिए। इसके अलावे बिहार कोषागार संहिता खण्ड–1 के नियम 7(1) अनुबंधित करता है कि राजस्व के रूप में प्राप्त सभी धनराशियाँ बिना अनुचित विलंब के कोषागार में या बैंक में संपूर्णतः प्रेषण/जमा किया जाना चाहिए।

विभागीय प्राप्ति ₹ 5.18 लाख की राशि का प्रेषण नहीं किया गया तथा ₹ 11.14 लाख का प्रेषण दो वर्षों तक के विलंब से किया गया था।

नौ नमूना जाँचित जिला पशुपालन कार्यालयों के रोकड़ पंजियों की संवीक्षा में पाया गया कि प्रत्येक माह के अन्त में अन्तशेष का विस्तृत ब्यौरा तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार विस्तृत ब्यौरे के अभाव में रोकड–शेष की वास्तविक उपलब्धता तथा विश्वसनीयता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। इसके अलावे सात[16] कार्यालयों में सरकारी राजस्व (चिकित्सा शुल्क, बधियाकरण शुल्क, बन्दोबस्ती से प्राप्त राजस्व आदि) ₹ 11.14 लाख की राशि को दो वर्षों तक के विलंब से सम्प्रेषण किया गया था तथा चार कार्यालयों[17] में ₹ 5.18 लाख (2007–11) का सम्प्रेषण लेखापरीक्षा की तिथि तक नहीं किया गया था। रोकड़ पंजी का अनुचित संधारण दुर्विनियोजन के जोखिम को बढ़ावा देता था।

उत्तर में सरकार द्वारा बताया गया (नवम्बर 2011) कि क्षेत्रीय कार्यालयों को वित्तीय नियमों के प्रावधानों के अनुसार रोकड़–पंजी संधारित करने का निर्देश पूर्व में ही दिया जा चुका था तथा विभागीय प्राप्तियों को ससमय सरकारी खाता में प्रेषण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

4.1.9 योजनाओं का क्रियान्वयन

विभाग ने वर्ष 2007–11 के दौरान ₹ 305.43 करोड़ की अनुमानित व्यय से राज्य योजना एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (रा. कृ. वि. यो.) के अन्तर्गत 30 योजनाओं के कार्यान्वयन का निश्चय किया। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा ₹ 35.72 करोड़ एवं ₹ 71.48 करोड़ के अनुमानित व्यय पर क्रमशः एक केन्द्रीय योजना और नौ केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (के.प्रा.यो.) (अंशदान के आधार पर) को क्रियान्वित किया गया ***(परिशिष्ट 4.4)***।

15 *मार्च 2008 में निकाली गई राशि के विरूद्ध वर्ष 2009–11 में ₹ 2.25 करोड़ का व्यय तथा मार्च 2010 के निकासी के विरूद्ध वर्ष 2010–11 में ₹ 1.56 करोड़ का व्यय।*

16 *जि.प.पा.का. (किशनगंज– ₹ 0.31 लाख, मुंगेर – ₹ 0.89 लाख, नालन्दा – ₹ 1.75 लाख तथा पूर्णियाँ – ₹ 0.34 लाख), फ्रोजेन सिमेन बैंक पटना – ₹ 0.77 लाख, क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र भागलपुर – ₹ 6.68 लाख तथा क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र मुजफ्फरपुर– ₹ 0.40 लाख।*

17 *जि.प.पा.का. (भागलपुर – ₹ 0.19 लाख, मधुबनी – ₹ 0.83 लाख, पटना – ₹ 2.68 लाख) तथा क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र भागलपुर – ₹ 1.48 लाख।*

कुक्कुट विकास

विभाग ने वर्ष 2007–11 के दौरान कुक्कुट विकास हेतु पांच योजनाओं को लिया। इनमे से दो[18] के.प्रा.यो. एवं तीन[19] राज्य योजना के अधीन थे। अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित कमियॉ उद्घाटित हुए :

4.1.9.1 ग्रामीण कुक्कुट विकास योजना

सरकार के कृषि रोड मैप के अनुसार इस योजना (राज्य योजना) के द्वारा कुक्कुट विकास को बढ़ावा देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में जन्तु प्रोटीन की उपलब्धता तथा रोजगार के अवसर मुहैया कराना था। योजना मार्गदर्शिका के अनुसार छः कुक्कुट प्रक्षेत्रों[20] में 'पैरेन्ट स्टॉक'[21] के रूप में मुर्गियों के 4000 परत को बनाये रखना था। इसके अलावे, इन प्रत्येक कुक्कुट प्रक्षेत्र द्वारा प्रति वर्ष 16000 परिवारों (प्रत्येक परिवार को 25 चूजे) में वितरण हेतु (50 प्रतिशत बी.पी.एल. परिवारों को सम्मिलित करते हुए) चार लाख चूजे उत्पादित करने थे। तद्नुसार, विभाग ने वर्ष 2007–11 के दौरान इस योजना के क्रियान्वयन हेतु इन छः कुक्कुट प्रक्षेत्रों के लिए ₹ 11.63 करोड़ विमुक्त किया।

कुक्कुट भवनों का निर्माण नहीं किये जाने के कारण योजना का संतोषजनक क्रियान्वयन नहीं किया गया।

अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान पाया गया कि वर्ष 2007–11 में इन छः कुक्कुट प्रक्षेत्रों द्वारा न तो निर्धारित 'पैरेन्ट स्टॉक' को बनाये रखा गया और न ही लक्षित संख्या में चूजों का उत्पादन किया गया, जैसा कि ***परिशिष्ट–4.5*** में दर्शाया गया है। विभाग ने बताया (जून 2011) कि वर्ष 2007–11 के दौरान इस योजना पर किए गए ₹ 11.27 करोड़ के व्यय में से ₹ 5.97 करोड[22], चार कुक्कुट प्रक्षेत्रों[23] में हैचरी भवन, प्रयोगशाला, कुक्कुट गृह आदि के निर्माण हेतु, भवन निर्माण विभाग (भ.नि.व.) को अग्रिम के रूप में दिए गए थे (मार्च 2009 से मार्च 2010 तक)। निर्माण संबंधी उक्त कार्य अभी तक अधूरे थे (नवम्बर 2011)।

विभाग ने जवाब में बताया (नवम्बर 2011) कि कुक्कुट भवनों के निर्माण नहीं किए जाने की स्थिति में लक्षित संख्या में चूजों का उत्पादन नहीं किया जा सका।

4.1.9.2 ग्रामीण बाड़ी कुक्कट योजना

विभाग द्वारा 'ग्रामीण बाड़ी कुक्कट योजना' (45 चूजों के वितरण की योजना) की शुरूआत मई 2010 में की गई थी। इस योजना के द्वारा कुक्कुट विकास करते हुए बी. पी.एल./महादलित परिवारों को कुपोषण से बचाव करना था तथा इन्हीं लोगों को कुक्कुट विकास के माध्यम से 18 महीने के लिए ₹ 1334 प्रतिमाह की आय सृजित करना था। इस योजना को 32 सप्ताह में पूर्ण कर लिया जाना था। योजना के अनुसार 15000[24] बी.पी.एल./महादलित परिवारों को तीन चरणों[25] में प्रति परिवार 45 चूजे प्रदान किया जाना था। विभाग द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु ₹ 3.78[26] करोड़ विमुक्त किया

18 *रूरल बैकयार्ड पोल्ट्री स्कीम (मुर्गीग्राम योजना) एवं लो–इनपुट पोल्ट्री रेंज।*

19 *ग्रामीण कुक्कुट विकास योजना, कुक्कुट प्रशिक्षण योजना एवं केन्द्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, पटना के सुदृढ़ीकरण की योजना।*

20 *भागलपुर, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, पटना एवं पूर्णियाँ।*

21 *चूजों के उत्पादन के लिए पैरेन्ट स्टॉक।*

22 *किशनगंज – ₹ 50.28 लाख, मुजफ्फरपुर – ₹ 2.61 करोड़, पटना – ₹ 1.87 करोड़ तथा पूर्णियाँ – ₹ 98.20 लाख।*

23 *किशनगंज, मुजफ्फरपुर, पटना एवं पूर्णियाँ।*

24 *(2500 परिवार × 6 जिला यथा पटना, नालन्दा, गया, जहानाबाद, भोजपुर तथा वैशाली = 15000)*

25 *प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में 15–15 चूजे।*

26 *भारत सरकार द्वारा ₹ 1.63 करोड़ विमुक्त किए गए एवं बिहार महादलित विकास मिशन द्वारा ₹ 2.15 करोड़ उपलब्ध कराए गए।*

गया (2009–10)। इस योजना के क्रियान्वयन प्रगति की समीक्षा हेतु लाभार्थी परिवारों द्वारा मुर्गियों एवं अंडों को बेचने से प्राप्त मुनाफे को दर्शाते हुए 'मासिक प्रगति प्रतिवेदन' निदेशालय को जिला कार्यालय द्वारा समर्पित किया जाना था।

लक्षित संख्या में बी. पी.एल./ महादलित परिवारों में चूजों के वितरण नहीं किये जाने के कारण इनके बीच मासिक आय प्राप्त कराए जाने के योजना लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका।

जिला पशुपालन कार्यालय, पटना के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि प्रति परिवार 45 चूजे वितरण के विरूद्ध, वास्तव में मात्र 15 से 30 चूजे ही मई 2010 से मई 2011 के दौरान वितरित किए गए थे। पटना जिले में 108000 चूजों को 2400 परिवारों में वितरण के लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 60568 चूजे ही 703 बी.पी.एल. एवं 1528 महादलित परिवारों में वितरित किए गए थे। इसी तरह नालंदा जिले में 108000 चूजों को 2400 परिवारों में वितरण के लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 58528 चूजे ही 2222 बी.पी.एल. एवं 1857 महादलित परिवारों के बीच बाँटे गए थे।

जाँच के दौरान यह भी पाया गया कि नमूना जाँचित पटना एवं नालंदा जिले द्वारा निदेशालय को वांछित मासिक प्रगति प्रतिवेदन नहीं भेजा गया था जिसके अभाव में इस योजना के क्रियान्वयन की सफलता को आँकना संभव नहीं था। इन कमियों के वावजूद निदेशालय को वर्ष 2010–11 के दौरान इस योजना को छः जिलों में जारी रखने तथा सात[27] अन्य जिलों में इस योजना को चलाये जाने हेतु ₹ 6.33[28] करोड़ उपलब्ध कराये गए। हाँलांकि विभाग ने इस राशि को बि.प.वि.अ. के बैंक खाते में जमा रखा।

इस प्रकार नमूना जाँचित दो जिलों में चूजों के कम मात्रा में वितरण के कारण कुपोषण से बचाव एवं मासिक आय प्राप्त कराये जाने के लक्षित लाभ को कुक्कुट विकास के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सका।

सरकार द्वारा जवाब में बताया गया (नवम्बर 2011) कि चूँकि योजना को अन्य सात जिलों में लागू किया जा रहा था इस योजना को शुरू करने हेतु नवम्बर 2011 तक 15000 परिवारों में प्रति परिवार 30 चूजों का वितरण किया गया था। विभाग का जबाब अपने आप में स्वीकारोक्ति है कि मासिक आय सृजित करने हेतु प्रति परिवार 45 चूजों का वितरण नहीं कर योजना अनुदेश का उल्लंघन किया गया था।

पशु एवं भैंस पालन

विभाग ने वर्ष 2007–11 के दौरान पशु एवं भैंस पालन से संबंधित नौ योजनाओं को लिया। इनमें से एक[29] के.प्रा.यो. तथा आठ[30] राज्य योजना के अधीन थी। विभाग के अभिलेखों की नमूना जाँच में निम्नलिखित कमियाँ पाई गई :

4.1.9.3 पशु एवं भैंस प्रजनन हेतु राष्ट्रीय परियोजना

पशु एवं भैंस प्रजनन हेतु राष्ट्रीय परियोजना की शुरूआत अक्टूबर 2000 में की गयी थी जिसके तहत दुधारू मवेशियों[31] का नस्ल सुधार किया जाना था। इस परियोजना के द्वितीय चरण की शुरूआत दिसम्बर 2006 में की गयी थी जिसके तहत उन्नत कृत्रिम गर्भाधान सेवा को किसानों के दरवाजे तक पहुँचाना तथा जानवरों एवं भैंसों का नस्ल

27 *किशनगंज, सुपौल, अररिया, बाँका, भागलपुर, कटिहार एवं पूर्णियाँ*

28 *₹ 2.85 करोड़ राज्य योजना से (27 सितम्बर 2010), ₹ 1.85 करोड़ रा.कृ.वि.यो. से (21 जनवरी 2011) एवं ₹ 1.63 करोड़ भारत सरकार से (100 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान के रूप में) (26 मार्च 2011)।*

29 *पशु एवं भैंस प्रजनन हेतु राष्ट्रीय परियोजना।*

30 *गौशाला विकास के लिए योजना, बकरा विकास एवं प्रजनन की योजना, बकरियों की प्रजाति विकास की योजना चारा बैंक की स्थापना की योजना, हरा चारा उत्पादन की योजना, चारा एवं पशु प्रक्षेत्र विकास की योजना, जिला सीमेन बैंक स्थापना की योजना एवं भेंड़ तथा बकरी विकास की योजना।*

31 *मवेशी परिवार से संबंधित जानवर।*

सुधार किया जाना था। इस योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेवारी बि.प.वि.अ. को सौंपी गयी थी। इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2006–09 के दौरान भारत सरकार ने सहायता–अनुदान के रूप में ₹ 10.08[32] करोड़ विमुक्त किया। परियोजना मार्गदर्शिका के अनुसार क्रियान्वयन एजेंसी को राशि की स्वीकृति के छः सप्ताह के अन्दर विस्तृत कार्य योजना, भौतिक/वित्तीय लक्ष्य तथा सूक्ष्म–स्तर पर योजना भारत सरकार को समर्पित करना था। विमुक्त की जाने वाली राशि योजना के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की प्राप्ति, त्रैमासिक, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन के समर्पण एवं लेखापरीक्षित लेखाओं को सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप एवं निर्धारित समय–सीमा में समर्पण पर निर्भर था।

वर्ष 2008–11 के दौरान कृत्रिम गर्भाधान की उपलब्धि नगण्य रही एवं बि.प.वि.अ., फ्रोजेन सीमेन उत्पादन में विफल रहा।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि विमुक्त की गयी ₹ 10.08 करोड़ की राशि के विरूद्ध, बि.प.वि.अ. ने मात्र ₹ 7.89 करोड़ ही व्यय किया था। प्रथम चरण के सूक्ष्म–स्तर के योजना को 16 माह के विलंब से जून 2008 में समर्पित किया गया था। वर्ष 2008–11 के दौरान राज्य की कुल प्रजनन योग्य व्यस्क पशुधन आबादी के 60 प्रतिशत लक्ष्य (42.40 लाख) के विरूद्ध मात्र एक से सात प्रतिशत ही कृत्रिम गर्भाधान के वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सका था जैसा कि **तालिका संख्या – 2** में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या – 2
कृत्रिम गर्भाधान के लक्ष्य एवं उपलब्धि

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशतता
2008–09	4240000	45569	1
2009–10	4240000	130517	3
2010–11	4240000	290298	7

(स्रोत : बि.प.वि.अ. द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाएँ)

भारत सरकार ने परियोजना के निराशाजनक प्रदर्शन को देखते हुए आगे किसी भी प्रकार की राशि (द्वितीय किस्त) नहीं प्रदान किया हाँलांकि प्रति वर्ष कृत्रिम गर्भाधान हेतु शीतलीकृत सीमेन की 20 लाख खुराकें उत्पादित करने का लक्ष्य था, किन्तु बि.प..वि.अ. ने अपने प्रयोगशाला के अकार्यशील रहने तथा साँड़ों की अधिप्राप्ति नहीं होने के कारण एक भी खुराक शीतलीकृत सीमेन तैयार नहीं कर सका। इसका प्रभाव यह पड़ा कि वर्ष 2008–11 के दौरान ₹ 48.78 लाख की कीमत पर 474852 खुराकें शीतलीकृत सीमेन की खरीद की गयी जो कि पूर्णतः परिहार्य था। इस प्रकार यह परियोजना अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रही जबकि इसपर ₹ 7.89 करोड़ खर्च किए जा चुके थे।

सरकार ने बताया (नवम्बर 2011) कि आधारभूत संरचना जैसे प्रयोगशाला आदि के अभाव एवं द्वितीय चरण में पर्याप्त मात्रा में निधि को विमुक्त नहीं होने की दशा में उत्पादन को शुरू नहीं किया जा सका। हाँलांकि, दिसम्बर 2011 तक लक्षित शीतलीकृत सीमेन का उत्पादन शुरू हो जाएगा। जवाब मान्य नहीं था क्योंकि विभाग अभी तक उपलब्ध निधि का भी उपयोग नहीं कर सका था।

4.1.9.4 चारा बैंक स्थापना की योजना

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गुणवत्ता वाले चारे की कमी की स्थिति को सुधारने हेतु सरकार ने राज्य में 10[33] स्थानों पर चारा बैंक के स्थापना का निर्णय लिया (मार्च 2008)।

[32] *प्रथम चरण के लिए वर्ष 2006–07 में ₹ 5 करोड़, द्वितीय चरण के लिए वर्ष 2008–09 में ₹ 5.08 करोड़, वर्ष 2007–08 में निधि विमुक्त नहीं की गई।*

[33] *नौबतपुर (पटना), संपतचक (पटना), औराई (मुजफ्फरपुर), कुढ़नी (मुजफ्फरपुर), हरनौत (नालन्दा), हरियाणा पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, डुमरॉव (बक्सर), रोसड़ा (समस्तीपुर), विक्रमगंज (रोहतास), कधाबनपुर एवं तेघड़ा (बेगुसराय)।*

नवम्बर 2011 तक एक भी चारा बैंक की स्थापना नहीं की गई।

नमूना जाँचित चार जिलों[34] की लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि नवम्बर 2011 तक एक भी चारा बैंक की स्थापना नहीं की गयी थी। उदाहरणार्थ पटना जिले में वर्ष 2008–09 के दौरान भवन निर्माण एवं मशीन मद में ₹ 40 लाख खर्च किए जाने के वावजूद भी भवन निर्माण में विलंब होने के कारण मशीन की स्थापना नहीं की जा सकी। मुजफ्फरपुर जिले में भवन निर्माण एवं चारा बनाने वाली मशीन की खरीद हेतु ₹ 51.20 लाख अग्रिम दिए जाने (2008–09) के वावजूद भी भवन निर्माण नहीं किया जा सका क्योंकि इस हेतु जमीन ही उपलब्ध नहीं थी। हरियाणा पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, डुमराँव (बक्सर) में ₹ 9.06 लाख के लागत की मशीन का क्रय किया गया था, किन्तु इसे विद्युत आपूर्ति के अभाव में क्रियाशील नहीं किया जा सका। नालन्दा जिले में हाँलांकि भवन निर्माण किया गया था, किन्तु मशीन की लागत का पुनरीक्षण के कारण दावा की गई अंतर–राशि का भुगतान नहीं किए जाने के कारण मशीन की आपूर्ति नहीं की जा सकी। फलतः ₹ 1.26[35] करोड़ (2007–10) खर्च किए जाने के बावजूद भी चारा बैंक अक्रियाशील था (अगस्त 2011)। अतः इस पर किया गया व्यय अलाभकारी साबित हुआ।

सरकार द्वारा बताया गया (नवम्बर 2011) कि निर्माण कार्य में विलंब होने के कारण चारा बनाने वाली मशीन की स्थापना नहीं की जा सकी।

4.1.9.5 साँड़ वितरण योजना

सुदूर क्षेत्रों में जहाँ पशुओं के नस्ल सुधार हेतु कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा मुहैया नहीं करायी जा सकती थी, वहाँ प्राकृतिक गर्भाधान हेतु साँड़ वितरण किया जाना था। साँड़ों की देखभाल एवं चिकित्सा हेतु जहाँ प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी (प्र.प.पा.पदा.) उत्तरदायी थे, वहीं प्रत्येक साँड़ के स्वास्थ्य, गर्भाधान एवं खान–पान संबंधी प्रतिवेदन संबंधित प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी को दिए जाने के लिए पशुधन सहायक उत्तरदायी थे।

वर्ष 2007–11 के दौरान आठ जिलों में निधि के आवंटन नहीं होने के कारण साँड़ वितरण योजना को शुरू नहीं किया जा सका।

अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि नमूना जाँचित नौ जिला पशुपालन कार्यालयों में से आठ (किशनगंज को छोड़कर) द्वारा वर्ष 2007–11 के दौरान, इस योजना के अंतर्गत निधि का आवंटन नहीं रहने के कारण साँड़ का वितरण नहीं किया गया था। हाँलांकि इस योजना के तहत कर्मियों के वेतन–भत्ते मद में ₹ 3.23[36] करोड़ का व्यय किया जा चुका था। इस प्रकार साँड़ वितरण के अभाव में यह योजना अपने वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रही।

सरकार द्वारा जवाब में बताया गया (नवम्बर 2011) कि सुदूर इलाकों में प्राकृतिक गर्भाधान हेतु साँड़ वितरण की योजना जारी थी।

4.1.9.6 पशु प्रजनन प्रक्षेत्र के क्रियाकलापों में कमियाँ

विभाग के नियंत्रणाधीन 'विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र' (वि.प.प्र.प्र.), पटना एवं 'हरियाणा पशु प्रजनन प्रक्षेत्र' (ह.प.प्र.प्र.), डुमराँव (बक्सर) कार्यरत थे। इन प्रक्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य पशुधन को उन्नत बनाना, दूध उत्पादन में वृद्धि करना, साँड़ों का वितरण करना एवं पशुपालकों को प्रशिक्षण देना था।

[34] *हरियाणा पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, डुमराँव (बक्सर), मुजफ्फरपुर, पटना एवं नालन्दा।*

[35] *हरियाणा पशु प्रजनन प्रक्षेत्रः ₹ 9.06 लाख, मुजफ्फरपुरः ₹ 51.20 लाख, नालन्दाः ₹ 25.60 लाख एवं पटनाः ₹ 40.10 लाख।*

[36] *भागलपुरः ₹ 44.75 लाख, मधुबनीः ₹ 20.34 लाख, मुंगेरः ₹ 26.71 लाख, मोतिहारीः ₹ 41.71 लाख, मुजफ्फरपुरः ₹ 44.37 लाख, नालन्दाः ₹ 15.34 लाख, पटनाः ₹ 111.55 लाख एवं पूर्णियाँः ₹ 18.58 लाख। इस योजना के तहत किशनगंज जिला में आवंटन नहीं था।*

लेखापरीक्षा संवीक्षा में ज्ञात हुआ कि इन पशु प्रक्षेत्रों में क्रमशः 650 और 450 की क्षमता के विरूद्ध पटना एवं डुमराँव (बक्सर) में वर्ष 2007–11 के दौरान मात्र 29 एवं 30 पशु ही थे। इस दौरान पटना एवं डुमराँव में कार्यरत कर्मियों के वेतन–भत्ते मद में क्रमशः ₹ 5.21 करोड़ तथा ₹ 1.95 करोड़ भुगतान किए गए थे किन्तु पशु गर्भाधान हेतु कोई भी साँड़ का वितरण नहीं किया गया था।

पटना एवं डुमराँव में क्रमशः 650 एवं 450 पशुओं की क्षमता के विरूद्ध मात्र 29 एवं 30 पशु ही पाले जा रहे थे।

सरकार द्वारा बताया गया (नवम्बर 2011) कि इन पशु प्रजनन प्रक्षेत्रों को पुनर्जीवित करने तथा साँड़ों को प्राकृतिक गर्भाधान हेतु उपयोग में लाने की योजना तैयार की जाएगी।

4.1.9.7 फ्रोजेन सीमेन बैंक

फ्रोजेन सीमेन बैंक सह बुल स्टेशन, पटना विदेशी तथा संकर नस्ल के साँड़ों से शुक्राणु एकत्रित करने एवं प्रजनन कराने हेतु फ्रोजेन सीमेन स्ट्रॉज का उत्पादन करने के लिए उत्तरदायी था।

फ्रोजेन सीमेन बैंक वर्ष 2007–11 में फोजेन सीमेन स्ट्राज का उत्पादन नहीं कर सका जबकि कर्मचारियों की मजदूरी पर ₹ 2.39 करोड़ का भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा जाँच में ज्ञात हुआ कि फ्रोजेन सीमेन बैंक सह बुल स्टेशन, पटना ने इस योजनान्तर्गत वर्ष 2007–11 में आवंटन नहीं रहने के कारण फ्रोजेन सीमेन का उत्पादन नहीं किया जबकि 28 कर्मचारियों की मजदूरी पर ₹ 2.39 करोड़ खर्च किया। विभाग द्वारा इन बेकार कर्मियों की न तो समीक्षा की गयी न ही अन्य जरूरी कार्यालयों में स्थानांतरित करने का प्रयास किया गया।

सरकार ने कहा (नवम्बर 2011) कि दिसम्बर 2011 से सीमेन स्ट्रॉज के उत्पादन हेतु प्रयास किया जा रहा है।

पशु स्वास्थ्य

विभाग द्वारा वर्ष 2007–11 के दौरान पशु स्वास्थ्य के लिए आठ योजनायें चलाई गई जिसमें तीन [37] केन्द्र प्रायोजित योजना एवं पाँच [38] राज्य योजनाएँ थी। विभागीय अभिलेखों एवं नमूना जॉचित इकाईयों की लेखापरीक्षा जाँच में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई :

4.1.9.8 लीवरफ्लूक बीमारी के नियंत्रण की योजना

लीवरफ्लूक बीमारी से पशुओं का बचाव एवं किसानों तथा पशुपालकों को वित्तीय क्षति से बचाव के उद्देश्य से विभाग द्वारा वर्ष 2007–08 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत लीवरफ्लूक बीमारी को नियंत्रित करने हेतु एक योजना लाई गई जिसमें पशुओं को ऑक्सीक्लॉजानाईड नामक दवा दी जानी थी। सरकार ने मार्च 2008 तक राज्य के कुल पशुधन आबादी के 20 प्रतिशत पशुओं को आच्छादित करने का लक्ष्य दिया । इसके क्रियान्वयन के लिए 29 जिला पशुपालन कार्यालयों को ₹ पांच करोड़ विमुक्त किया गया (जनवरी 2008)।

नमूना जाँचित नौ जिला पशुपालन कार्यालयों में से तीन कार्यालयों (मधुबनी, मुजफ्फरपुर एवं मोतिहारी) के अभिलेखों की जाँच में ज्ञात हुआ कि आवश्यकता का आकलन किए बिना ₹ 75.44 लाख की ऑक्सीक्लॉजानाईड दवा (40632 लीटर) प्राप्त की गई (जनवरी–फरवरी 2008)। परिणामस्वरूप ₹ 30.24 लाख के 16285 लीटर

सात जिला पशु पालन कार्यालयों द्वारा पशुओं को कृमिरहित किये जाने की संख्या से संबंधित अभिलेखों का संधारण नहीं किया गया तथा मधुबनी एवं मोतिहारी में लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया।

[37] *ए वी एन इन्फ्लूएन्जा नियंत्रण की योजना, बर्ड फ्लू नियंत्रण की योजना, पशुरोगों के नियंत्रण के लिए राज्य को सहायता उपलब्ध कराने की योजना।*

[38] *एफ. एम. डी. रोग के नियंत्रण की योजना, लीवरफ्लूक रोग के नियंत्रण की योजना, पशुधन टीकाकरण की योजना, पशुपालकों के दरवाजे पर पशु चिकित्सा की योजना एवं अनुमंडल स्तर के 100 पशु औषधालयों में पैथोलॉजिकल लैबोरैट्री के स्थापना की योजना।*

ऑक्सीक्लॉजानाईड बिना उपयोग के पड़ा रहा। इसके अलावे नमूना जाँचित छः[39] जिला पशुपालन कार्यालयों द्वारा पशुओं को कृमिरहित[40] किए जाने जनवरी से मार्च 2008 की संख्या को अभिलिखित नहीं किया गया था। फलस्वरूप इन जिलों में ऑक्सीक्लॉजानाईड के वास्तविक उपयोग का आकलन नहीं हो पाया। यह भी पाया गया कि विभाग द्वारा मधुबनी एवं मोतिहारी जिलों में क्रमशः 141200 एवं 103600 पशुओं को कृमि रहित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था किन्तु जनवरी से मार्च 2008 की अवधि में मात्र 54098 एवं 26988 पशुओं को ही कृमि रहित किया गया। लेखापरीक्षा नें यह भी पाया कि दो जिला पशुपालन कार्यालयों (मुंगेर तथा मुजफ्फरपुर) द्वारा गैर अनुमोदित कंपनी से ₹ 15.78 लाख की ऑक्सीक्लाजानाईड दवा का क्रय किया गया। उपरोक्त तथ्यों से इंगित हुआ कि विभाग इस योजना का अनुश्रवण करने में असफल रहा एवं उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई।

सरकार ने कहा (नवम्बर 2011) कि दवा का क्रय अनुमोदित कंपनी से किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि गैर अनुमोदित (मेसर्स लाइका) कंपनी को आपूर्ति आदेश निर्गत किया गया था।

4.1.9.9 पैथोलॉजिकल लैबोरेट्री की स्थापना

पशुओं को ससमय चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु जैविक जाँच के लिए विभाग ने वर्ष 2007–08 में अनुमंडल स्तर पर 100 पशु चिकित्सालयों में पैथोलॉजिकल लैबोरेट्री को स्थापित करने की स्वीकृति (अक्टूबर 2007) दिया एवं प्रति चिकित्सालय ₹ एक लाख की दर से ₹ एक करोड़ विमुक्त किया।

आधारभूत संरचना, तकनीकी कर्मियों एवं विद्युत की कमी के कारण पैथोलॉजिकल लैबोरेट्री अकार्यशील रहे।

नमूना जाँचित नौ जिलों के लेखापरीक्षा जाँच में ज्ञात हुआ कि जिला पशुपालन कार्यालयों द्वारा ग्लासवेयर, यूटेन्सिल्स, केमिकल्स, रिएजेंटस, फ्रीजर, अलमीरा एवं टेबुल आदि उपकरणों का क्रय किया गया तथा अनुमंडलीय पशु चिकित्सालयों को पैथोलॉजिकल लैबोरेट्री की स्थापना हेतु इनकी आपूर्ति की गई। यह भी पाया गया कि स्वीकृत 36 पैथोलॉजिकल लैबोरेट्री में से मात्र 20 लैबोरेट्री ***(परिशिष्ट–4.6)*** आंशिक रूप से कार्यशील थे जिसका मुख्य कारण आधारभूत संरचना की कमी, बाधित विद्युत आपूर्ति एवं तकनीकी कर्मियों की कमी थी। सभी अनुमंडलीय पशु चिकित्सालयों में पैथोलॉजिकल लैबोरेट्री स्थापित करने के लिए कमरा भी उपलब्ध नहीं रहने के परिणामस्वरूप जाँच हेतु आपूर्ति किए उपकरण भंडार में ही रखे रहे।

सरकार ने कहा (नवम्बर 2011) कि तकनीकी कर्मियों एवं नियमित विद्युत आपूर्ति की कमी के कारण अनुमंडल स्तर पर पैथोलॉजिकल लैबोरेट्री समुचित रूप से क्रियाशील नहीं थे।

4.1.10 इन्वेंट्री प्रबंधन

इन्वेंट्री प्रबंधन में खरीद, प्राप्तियाँ एवं निर्गम, अभिरक्षा, निराकरण, बिक्री और भंडार के भौतिक सत्यापन को शासित करने वाले विभागीय विनियमावली को अच्छी तरह से अभिकल्पित एवं कार्यान्वित किया जाना है। विभाग एवं क्षेत्रीय स्तर के कार्यालयों के भंडार एवं इससे संबंधी अभिलेखों की लेखापरीक्षा के क्रम में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गईः

4.1.10.1 पशुधन विक्रय पंजी में अन्तर

बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 136 (1) यह प्रावधानित करता है कि भंडार के प्रभारी–अधिकारी को अपने प्रभार के अंतर्गत सभी मालों एवं सामग्रियों का समुचित

[39] *भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, पटना एवं पूर्णियाँ।*

[40] *पशु को ऑक्सीक्लॉजानाइड दवा पिलाकर कृमिरहित किया जाता था।*

मदवार सूची लेखा एवं सही विवरणी तैयार करनी चाहिए। इस संबंध में केन्द्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र (के.कु.प्र.) पटना ने कुक्कुट के विस्तृत विवरण एवं विक्रयागम हेतु एक पशुधन पंजी एवं एक पशुधन विक्रय पंजी (प.वि.प.) का संधारण किया था।

अभिलेखों के लेखापरीक्षा संवीक्षा में पशुधन बिक्री पंजी एवं पशुधन पंजी में शामिल कुक्कुटों की संख्याओं में अन्तर पाया गया, जैसा कि इस तथ्य से देखा जा सकता था कि पशुधन पंजी की तुलना में पशुधन विक्रय पंजी में बेचे गए कुक्कुटों की संख्या कम दिखलाया गयी थी। उदाहरणस्वरूप पशुधन पंजी में 30 सितम्बर 2008 को 683 चूजा, 19 मुर्गी एवं दो मुर्गों की 'बिक्री' दिखलायी गयी थी, किन्तु इसे पशुधन विक्रय पंजी में मात्र 150 चूजे एवं पांच मुर्गी ही लिया गया था। इसी प्रकार 27 अक्टूबर 2008 को 139 मुर्गी, 15 मुर्गा और 625 चूजों पशुधन पंजी में 'बिक्री' के रूप में लिया गया किन्तु पशुधन विक्रय पंजी में इसे नहीं दर्शाया गया। उपरोक्त मात्रा सिर्फ अभिलेखों के दयनीय संधारण ही नहीं दर्शाते थे, बल्कि इन विक्रय प्राप्तियों के दुर्विनियोजन की भी संभावना थी।

सरकार ने कहा (नवम्बर 2011) कि जाँचोपरान्त कार्रवाई की जाएगी।

4.1.10.2 भंडार पंजियों के संधारण में त्रुटियाँ

बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 138 (2) के अनुसार सभी खपत होने वाले मालों एवं सामग्रियों का वर्ष में कम से कम एक बार भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए एवं किसी प्रकार के अन्तर पाये जाने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा समुचित कार्रवाई हेतु भंडार पंजी में दर्ज किया जाना चाहिए।

भंडार का भौतिक सत्यापन नहीं करवाया गया था।

नमूना जाँचित नौ जिला पशुपालन पदाधिकारियों के लेखापरीक्षा संवीक्षा में ज्ञात हुआ कि किसी भी नमूना जाँचित जिले के भंडार का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था और भंडार पंजियों में भंडार का विवरण यथा दवा का निर्माण, समाप्ति तिथि एवं बैच संख्या सही ढंग से अभिलिखित नहीं थे।

सरकार ने कहा (नवम्बर 2011) कि भंडार पंजी के संधारण के संबंध में नवम्बर 2011 में पुनः निर्देश दिया गया है।

4.1.10.3 दवाओं का अनियमित क्रय

बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 30 (1) में यह प्रावधान है कि निविदा की शर्तें संक्षिप्त, परिभाषित एवं संदिग्धता से परे होनी चाहिए। आगे, बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 131 एच (1) एवं (5) में प्रावधान है कि ₹ 25 लाख एवं उससे अधिक के प्राक्कलित मूल्य के निविदा के मामले में बोली समर्पित करने का न्यूनतम समय सीमा, निविदा सूचना प्रकाशित होने की तिथि से तीन सप्ताह निर्धारित होनी चाहिए। पुनः नियम 131 (1) के अनुसार उच्चतर प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता को परिहार्य करने हेतु सामग्रियों के किसी मांग को कम परिमाणों में विभाजित कर छोटे–छोटे टुकड़ों में क्रय नहीं किया जाना चाहिए।

उच्चतर प्राधिकारियों की संस्वीकृति से बचने के लिए एवं संबंधित पदाधिकारियों के वित्तीय सीमांतर्गत लाने के लिए क्रयादेशों को विभाजित कर ₹ एक लाख के अंदर रखा गया

निदेशालय के अभिलेखो के लेखापरीक्षा संवीक्षा में ज्ञात हुआ कि विभाग ने दवा जिसकी प्राक्कलित राशि ₹ दो करोड़ थी, के क्रय हेतु निविदा आमंत्रित (फरवरी 2008) किया किन्तु इसके प्रकाशन की तिथि से न्यूनतम वांछित अवधि तीन सप्ताह के बदले केवल सात दिनों का समय दिया गया। उसके बाद विभाग ने दवा क्रय हेतु सात आपूर्तिकत्ताओं/कंपनियों को बिना कोई संविदा/एकरारनामा वैधता अवधि दर्शाए अनुमोदित (अप्रैल 2008) किया। यह भी पाया गया कि सक्षम प्राधिकारियों के वित्तीय सीमा के अन्तर्गत लाने के लिए क्रयादेशों को टुकड़ों में विभाजित किया गया। जिला

पशुपालन पदाधिकारी पटना एवं नालंदा ने वर्ष 2010–11 में सूचीबद्ध इतर आपूर्तिकर्ताओं से ₹ 4.94[41] लाख की दवाओं का क्रय (मार्च 2011) किया।

सरकार ने कहा (नवम्बर 2011) कि जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना एवं नालंदा ने सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ताओं से ही दवाओं का क्रय किया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था चूँकि जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना ने दवा का क्रय मेसर्स ओम सकुन्तलम इन्टरप्राईजेज, मेसर्स पर्थ इन्टरप्राईजेज एवं मेसर्स एकमे थेराप्यूटिक्स (आई) प्राईवेट लिमिटेड तथा जिला पशुपालन पदाधिकारी, नालंदा ने दवा का क्रय मेसर्स एक्सेलर हेल्थ केयर से किया, जो सूचीबद्ध आपूर्तिकर्त्ता नहीं थे।

4.1.11 मानव संसाधन प्रबंधन

विभाग के कुशल संचालन हेतु मानव संसाधन प्रबंधन एक अति महत्वपूर्ण कारक है। विभाग एवं नमूना जाँचित कार्यालयों में मानव बल प्रबंधन के लेखापरीक्षा संविक्षा में निम्नांकित तथ्य प्रकटित हुआ :

4.1.11.1 कर्मचारी प्रबंधन

किसी भी विभाग का प्राथमिक कर्तव्यों में उसके स्वीकृत मानव बल, कार्यरत बल, कोटिवार रिक्तियों आदि का विस्तृत विवरणी संधारित करना है ताकि उचित मानव बल को अत्यन्त प्रभावकारी एवं वांछित तरीके से उपलब्ध कराया जा सके। निदेशालय के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में ज्ञात हुआ कि मानव बल का विस्तृत विवरण यथा स्वीकृत बल, कार्यरत बल, स्वीकृत पदों की विवरणी आदि संधारित नहीं थी।

रिक्तियों के कारण विभिन्न योजनाओं के ससमय कार्यान्वयन में विपरीत प्रभाव पड़ा।

निदेशालय एवं 24 नमूना जाँचित क्षेत्रीय कार्यालयों के लेखापरीक्षा संकलन में ज्ञात हुआ कि 1969 स्वीकृत बल के विरूद्ध विभिन्न संवर्गो में वास्तविक रूप से पदस्थापित 1412 कर्मी थे (मार्च 2011)। परिणामस्वरूप वर्ष 2007–11 के दौरान ग्रुप बी, सी एवं डी के 557 पद (28 प्रतिशत) रिक्त थे जिससे विभाग के द्वारा ली गई विभिन्न योजनाओं के ससमय कार्यान्वयन को बुरी तरह प्रभावित किया जैसा कि इस प्रतिवेदन में चर्चा किया गया है (कंडिका–4.1.7.2, 4.1.9.9 एवं 4.1.11.2)।

सरकार ने यह स्वीकार करते हुए कि कर्मियों के कमी ने योजनाओं के कार्यान्वयन को प्रभावित किया, कहा कि राज्य में रिक्तियों की स्थिति का आकलन करने के उपरान्त नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

4.1.11.2 बिना चिकित्सक के औषधालय/चिकित्सालय का संचालन

पशुओं को चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पशु चिकित्सालयों एवं औषधालयों को पर्याप्त अंतःसंरचनाओं एवं चिकित्सकीय कर्मियों के साथ राज्य के प्रत्येक जिले में स्थापित किया जाना था।

नमूना–जाँचित आठ जिलों में कई औषधालय/ चिकित्सालय बिना चिकित्सक के कार्यरत थे।

नौ में से आठ[42] नमूना जाँचित जिलों के अभिलेखों की संवीक्षा ने उजागर किया कि वर्ष 2007 से 2011 के दौरान विभिन्न अवधियों में कुल 221 में से 33 चिकित्सालय/औषधालय बिना चिकित्सक के कार्यशील थे। अतः उपरोक्त चिकित्सालयों/औषधालयों में चिकित्सकों की अनुपस्थिति में पशुओं को चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जा सकी जबकि पदस्थापित कर्मियों के वेतन एवं भत्तों पर ₹ 88.43 लाख खर्च किये गये थे जैसा कि ***परिशिष्ट–4.7*** में दिखाया गया है।

41 *जि.प.प.पदा., पटना – ₹ 3.96 लाख एवं जि0प0पा0पदा0, नालन्दा– ₹ 0.98 लाख।*

42 *भागलपुर, किशनगंज, मधुबनी, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, पटना एवं पूर्णियाँ।*

सरकार लेखापरीक्षा मंतव्य से सहमत हुई तथा कहा (नवम्बर 2011) कि चिकित्सकों एवं अन्य पारा पशुचिकित्सकीय कर्मियों के रिक्त पदों को अतिशीघ्र भरा जाएगा।

4.1.11.3 प्रशिक्षण

विभाग के पास अपने कर्मियों को प्रशिक्षित करने हेतु बक्सर जिला के डुमराँव में अवस्थित मात्र एक पशुधन सहायक पशुपालन प्रशिक्षण विद्यालय था। पशुधन सहायकों को एक वर्षीय प्रशिक्षण एवं निजी पारा पशुचिकित्सकों (गोपाल मित्रों) को चार माह की प्रशिक्षण देने के लिए विद्यालय की स्थापना की गई थी।

वर्ष 2007–11 के दौरान पशुपालन प्रशिक्षण विद्यालय अकार्यशील था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि वर्ष 2007–11 की अवधि में प्रशिक्षण विद्यालय द्वारा न तो कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था और न ही कोई प्रशिक्षण कैलेन्डर तैयार किया गया, जबकि पशुपालन विद्यालय के आठ कर्मियों के वेतन एवं भत्तों पर उपरोक्त अवधि के दौरान ₹ एक करोड़ राशि का भुगतान किया गया, जिसमें उपस्करों एवं कम्प्यूटरों पर ₹ 12.20 लाख का व्यय सम्मिलित था।

लेखापरीक्षा मंतव्य से सरकार ने सहमति जताई एवं स्पष्ट किया (नवम्बर 2011) कि डुमराँव प्रशिक्षण विद्यालय को दिसम्बर 2011 से पुनः चालू कर दिया जाएगा।

4.1.12 अनुश्रवण

नियमित अनुश्रवण विभाग के प्रभावी संचालन एवं इसकी योजनाओं के सामयिक कार्यान्वयन हेतु एक प्रमुख कारक होता है। बिहार वित्तीय नियम 210 के अनुसार ₹ 10 करोड़ अथवा उससे अधिक लागत के परियोजना के अनुमोदनोपरांत प्रशासी विभाग को कार्य के प्रगति की समीक्षा के लिए एक समीक्षा समिति का गठन किया जाना था, जिसमें प्रशासी विभाग, वित्त (आंतरिक वित्तीय सलाहकार) एवं कार्यान्वयन एजेंसी से प्रत्येक के एक–एक प्रतिनिधि होतें। समीक्षा समिति को स्वीकृत प्राक्कलन के 10 प्रतिशत के भीतर किसी विचलन को स्वीकृत करने की शक्ति थी। ₹ 10 करोड़ से कम मूल्य के कार्यों के मामले में प्रशासी विभाग उपर्युक्त आधार पर समीक्षा समिति गठित करने के लिए बाध्य नहीं था।

अस्पताल भवन निर्माण की समीक्षा के लिए कोई भी समिति गठित नहीं किए जाने के कारण इन भवनों के निर्माण की प्रगति को सुनिश्चित नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने उजागर किया कि पूर्णियाँ प्रक्षेत्र के लिए राज्य योजना के अन्तर्गत 475 अस्पताल भवन (प्रखंड स्तर 465, अनुमंडल स्तर 10) एवं रा.कृ.वि.यो. अन्तर्गत 62 अस्पताल भवनों का निर्माण स्वीकृत (वर्ष 2008–09) किया गया था। वर्ष 2008–11 की अवधि में भ.नि.वि. को भवन निर्माण हेतु ₹ 159.59[43] करोड़ उपलब्ध कराया गया था। विभाग द्वारा कार्य प्रगति की समीक्षा हेतु न तो समीक्षा समिति गठित की गयी और न ही कार्य की पूर्णता हेतु कोई समय सीमा ही निर्धारित की गई।

सरकार ने विभाग में अनुश्रवण कोषांग न होने के लेखापरीक्षा मंतव्य से सहमति जतायी (नवम्बर 2011) एवं भविष्य में इसके अनुपालन का आश्वासन दिया।

4.1.12.1 वार्षिक प्रतिवेदनों का प्रसार नहीं किया जाना

प्रमुख पशुधन उत्पादों के आकलन के लिए एकीकृत न्यादर्श सर्वेक्षण पर वर्ष 2005–06 से वार्षिक प्रतिवेदन जारी नहीं किए गए थे।

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के पशुपालन सुधार हेतु दिशानिर्देश एवं गव्य सांख्यिकी की तकनीकी समिति के प्रतिवेदन के कंडिका 8.4 के अनुसार विभाग को केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के वार्षिक प्रतिवेदन को जारी करना एवं दूसरे राज्यों में इसके व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए तथा इससे संबंधित सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिए निर्देश निर्गत करना था।

[43] *वर्ष 2008–09 में ₹ 73.28 करोड़, वर्ष 2009–10 में ₹ 61.10 करोड़ एवं वर्ष 2010–11 में ₹ 25.21 करोड़।*

लेखापरीक्षा संविक्षा ने उजागर किया कि विभाग द्वारा वर्ष 2005–06 से प्रमुख पशुधन उत्पादों के आकलन के लिए एकीकृत न्यादर्श सर्वेक्षण पर कोई वार्षिक प्रतिवेदन का मुद्रण नहीं कराया गया था। परिणामस्वरूप राज्य के प्रमुख पशुधन उत्पादों से संबधित सूचनाएँ उपलब्ध नहीं थी।

उत्तर में सहायक निदेशक (सांख्यिकी) ने सहमति जताते हुए कहा कि वर्ष 2004–05 के बाद निदेशालय द्वारा प्रतिवेदन निर्गत नहीं किया गया था तथा वर्ष 2005–06 से आगे का प्रतिवेदनों को शीघ्र निर्गत किये जाने का आश्वासन दिया।

4.1.13 सांविधिक विनियमनों का अनुपालन

4.1.13.1 राज्य पशु कल्याण बोर्ड का गठन नहीं किया जाना

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश का पूर्ण रूप से अवमानना करते हुए राज्य पशु कल्याण बोर्ड का गठन नहीं किया गया था।

पशु क्रूरता निषेध अधिनियम, 1960 की खंड 4 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा 'भारत के पशु कल्याण बोर्ड' का गठन किया जाना था। इस बोर्ड का उद्देश्य सामान्यतः पशु कल्याण को बढ़ावा देना एवं विशेष रूप से पशुओं को अनावश्यक दर्द अथवा पीड़ा से रक्षा करना था। बोर्ड का मुख्य कार्य भारत में प्रभावी पशु क्रूरता निवारण हेतु कानून का निरंतर विवेचना करना एवं सरकार को पशु कल्याण विषयों पर परामर्श देना था।

दिनांक 6 अगस्त 2008 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को राज्य पशु कल्याण बोर्ड को तीन महीने की अवधि में स्थापित करने का निर्देश दिया (अक्टूबर 2008)। फिर भी राज्य स्तरीय बोर्ड का गठन होना बाकी था (अगस्त 2011)।

सरकार द्वारा यह बताया गया (नवम्बर 2011) कि राज्य पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना प्रक्रियाधीन थी।

4.1.13.2 पशु क्रूरता निवारण समिति का अकार्यशील रहना

पशु क्रूरता निषेध अधिनियम 1960 के खंड 38 के नियम 3 के अनुसार भारत सरकार की दिनांक 26 मार्च 2001 की अधिसूचना में प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में छः महीने के अंदर पशु क्रूरता निषेध समिति का गठन किया जाना अपेक्षित था। इन समितियों का उद्देश्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार को अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में समर्पित करना एवं ऐसे उप–नियमों एवं दिशानिर्देशों, जो इसके प्रभावी कर्तव्य निर्वहन में आवश्यक हो, को बनाना था।

पशु क्रूरता निषेध समितियाँ अपने स्थापना काल से ही अक्रमण्य एवं अकार्यशील थी।

लेखापरीक्षा जाँच में ज्ञात हुआ कि जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता एवं जिला पशुपालन पदाधिकारी के सदस्य सचिव के रूप में पशु क्रूरता निषेध समिति की स्थापना (जनवरी 2008 एवं जून 2010 के बीच में) सासाराम जिला को छोड़कर सभी जिलों में की गयी थी। हाँलांकि बेगूसराय, शिवहर, छपरा एवं मधुबनी जिलों में स्थापित समितियों का पंजीकरण नहीं कराया गया था (जून 2011)। यह भी पाया गया कि नमूना जाँचित जिलों में ये समितियाँ अपनी स्थापना काल से ही अकर्मण्य एवं अकार्यशील थी।

सरकार द्वारा लेखापरीक्षा मंतव्य को स्वीकार करते हुए भविष्य में उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया।

4.1.14 आंतरिक नियंत्रण

आंतरिक नियंत्रण किसी संगठन के प्रबंधन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक होता है, जिसका गठन संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य को प्रभावशील एवं सक्षमतापूर्वक परिचालन को सुनिश्चित करने हेतु किया जाता है। बिहार कोषागार संहिता के नियम 306–अ के अनुसार प्रत्येक नियंत्री पदाधिकारी को अपने अधीनस्थ प्रत्येक संवितरण पदाधिकारियों के कार्यालयों का वार्षिक निरीक्षण कर एक प्रतिवेदन समर्पित करना था।

किए गए निरीक्षणों से संबंधित अभिलेखों का संधारण विभाग द्वारा नहीं किए जा रहे थे। यह इंगित करता था कि विभाग में आतंरिक नियंत्रण तंत्र का अभाव था, जैसा कि निधि के विलंब से प्रत्यर्पण, वित्तीय संहिता का अनुपालन नहीं किए जाने एवं इस प्रतिवेदन के पूर्व की कंडिकाओं में इंगित रोकड़ प्रबंधन के प्रावधानों का अनुसरण नहीं किए जाने संबंधी दृष्टांतों से परिलक्षित है।

लेखा परीक्षा कंडिकाओं के निश्चयन हेतु विभागीय प्रयास अत्यधिक सुस्त था।

वर्ष 2007–11 की अवधि में वित्त विभाग द्वारा निदेशालय अथवा नमूना जाँचित क्षेत्रीय कार्यालयों में आंतरिक लेखापरीक्षा निष्पादित नहीं की गयी। विभाग में अधीनस्थ कार्यालयों के लेखापरीक्षा से संबंधित सूचनाएँ उपलब्ध नहीं थी। वर्ष 2007–11 की अवधि में यह भी पाया गया कि प्रधान महालेखाकार (ले.प.), बिहार, पटना कार्यालय द्वारा 117 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 306 लेखापरीक्षा कंडिकाएँ जिसमें ₹ तीन करोड़ राशि थी, को जारी किया गया था। इन कंडिकाओं के विलोपन हेतु विभागीय प्रयास बहुत सुस्त था, जैसा कि इन तथ्यों से स्पष्ट था कि अगस्त 2011 तक ₹ 10.98 लाख की मात्र 64 लेखापरीक्षा कंडिकाएँ ही निपटायी गयी थी। यह लेखापरीक्षा में संसूचित कमियों को सुधारने के लिए विभाग द्वारा सुधारात्मक उपायों एवं उचित कदम उठाये जाने के प्रति उदासीनता को प्रकट करता था।

सरकार ने लेखापरीक्षा के प्रेक्षणों को स्वीकार किया तथा कहा (नवम्बर 2011) कि सभी अधिकारियों को इसके अनुपालन के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

4.1.15 निष्कर्ष

पशुगणना कार्य पूर्ण किए बिना पशुधन उन्नयन हेतु विभाग द्वारा तैयार की गई वार्षिक योजनाएँ, वास्तविक आँकड़ों पर आधारित नहीं थी। विभाग में वित्तीय प्रबंधन का अभाव था जैसा कि योजनाओं में निधि के अत्यधिक प्रत्यर्पण एवं कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा निधियों का अवरूद्धीकरण के अनेक दृष्टांतों द्वारा परिलक्षित था। अपूर्ण कुक्कुट प्रक्षेत्र भवनों के कारण कुक्कुट विकास संबंधी योजनाओं के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी, बि.प.वि.अ. के पास अपर्याप्त अंतःसंरचनाओं के कारण कृत्रिम गर्भाधान का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका, चारा बैंकों की स्थापना नहीं हो सकी और आठ नमूना–जाँचित जिलों में पशु–चिकित्सालय/औषधालय बिना चिकित्सकों के कार्यशील थे। विभाग की मानवबल प्रबंधन प्रणाली अपर्याप्त थी और रिक्तियों की अत्यधिक संख्या ने विभाग के क्रियाकलापों को प्रभावित किया। विभागीय अधिकारियों द्वारा अपर्याप्त अनुश्रवण ने स्वीकृत योजनाओं के विलंब किए जाने तथा अपूर्ण रहने में योगदान दिया।

4.1.16 अनुशंसाएँ

सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि:

- पशुधन प्रक्षेत्र में सुधार हेतु योजनाओं के निर्माणार्थ सामयिक गृहवार पशुधन गणना संपादित करे;
- वास्तविक आँकड़ों की प्राप्ति हेतु योजना आकलन कार्यप्रणाली के अनुसार सामयिक एकीकृत न्यादर्श सर्वेक्षण करे;
- निधियों के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए विभाग बजट एवं व्यय नियंत्रण तंत्र की आवधिक समीक्षा करे;
- योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कुक्कुट प्रक्षेत्र, चारा बैंक एवं पशु चिकित्सालयों के अंतःसंरचनाओं को स्थापित करे;
- योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रभावी अनुश्रवण के लिए मानव संसाधन प्रबंधन को दुरूस्त करे; एवं
- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करे ताकि व्यवस्था की कमियों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में अनुपालन कमजोरियाँ दूर की जा सके।

(आर.बी. सिन्हा)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार

पटना
दिनांक

प्रतिहस्ताक्षरित

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक

परिशिष्ट – 1.1

(संदर्भ : कंडिका – 1.6.1; पृष्ठ – 10)

लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं का वर्ष–वार विघटन दर्शाती विवरणी

क्रम सं.	विभाग का नाम	2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-10		2010-11		कुल	
		नि प्र	कंडिकाएँ	नि प्र	कंडिकाएँ	नि प्र	कंडिकाएँ	नि प्र	कंडिकाएँ	नि प्र	कंडिकाएँ	नि प्र	कंडिकाएँ	नि प्र	कंडिकाएँ	नि प्र	कंडिकाएँ
1.	ग्रामीण विकास	193	1462	238	1915	254	2008	203	1272	232	1529	225	1543	196	1193	1541	10922
2.	कल्याण	12	79	39	156	45	181	45	132	86	299	32	180	38	180	297	1207
3.	वित्त	3	10	15	16	5	17	10	39	14	44	2	6	8	17	57	149
4.	शहरी विकास	1	5	0	0	3	14	39	98	5	10	0	0	1	4	49	131
5.	श्रम नियोजन	1	1	0	0	0	0	10	22	0	0	3	10	3	6	17	39
6.	योजना एवं सांख्यिकी	3	8	0	0	8	25	1	5	22	46	1	6	1	4	36	94
7.	सूचना एवं प्रसार	1	1	2	8	5	15	1	2	5	10	0	0	1	4	15	40
8.	पंचायती राज	12	35	0	0	1	6	12	35	0	0	0	0	0	0	25	76
9.	स्वास्थ्य	40	240	92	233	44	125	93	350	60	37	120	353	173	709	622	2047
10.	गृह	72	446	48	278	48	159	73	134	62	101	43	144	51	175	397	1437
11.	भूमि अधिग्रहण	8	24	28	32	23	47	11	55	55	74	7	23	13	33	145	288
12.	मानव संसाधन	120	483	65	244	93	450	109	562	75	280	69	409	57	245	588	2673
13.	कृषि	46	262	10	17	23	69	59	182	28	113	44	193	50	157	260	993
14.	उद्योग	18	76	5	30	19	87	12	63	7	24	0	0	5	23	66	303
15.	भू–राजस्व	25	102	55	156	79	227	21	61	20	44	47	134	36	92	283	816
16.	विधि	13	54	8	24	11	22	5	21	11	31	4	9	3	10	55	171
17.	पशुपालन	9	19	20	34	45	112	39	149	24	64	31	100	19	70	187	548
18.	सहकारिता	19	40	5	12	37	151	14	42	11	29	4	14	1	3	91	291
19.	उत्पाद	13	26	14	22	11	14	12	17	9	16	16	21	7	7	82	123
20.	मत्स्य पालन	5	18	0	0	0	0	18	57	4	4	5	20	6	16	38	115
21.	पर्यटन	3	10	0	0	0	0	12	35	3	8	0	0	1	6	19	59

क्रम सं.	विभाग का नाम	2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-10		2010-11		कुल	
		नि प्र	कंडिकाएँ	नि प्र	कंडिकाएँ	नि प्र	कंडिकाएँ	नि प्र	कंडिकाएँ	नि प्र	कंडिकाएँ	नि प्र	कंडिकाएँ	नि प्र	कंडिकाएँ	नि प्र	कंडिकाएँ
22.	डी.आर.डी.ए., राज्य स्वायत्त निकाय	49	387	31	257	36	169	108	608	123	594	61	313	43	214	451	2542
23.	पथ निर्माण	59	344	24	92	40	245	21	121	56	313	44	271	28	178	272	1564
24.	भवन निर्माण	22	126	28	163	37	257	31	169	48	363	43	258	33	219	242	1555
25.	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	9	40	10	69	35	180	19	63	53	312	45	239	33	216	204	1119
26.	जल संसाधन	48	368	36	192	58	478	48	280	104	535	97	545	45	223	436	2621
27.	ग्रामीण कार्य	76	452	27	125	40	197	37	260	55	412	70	411	43	293	348	2150
28.	राष्ट्रीय उच्च पथ	12	53	15	50	14	58	21	101	20	136	19	105	17	112	118	615
29.	वन	11	28	19	30	16	102	11	65	22	160	17	71	12	74	108	530
30.	लघु सिंचाई एवं नलकूप	1	6	13	100	25	128	23	101	23	140	39	233	29	193	153	901
	कुल	**904**	**5205**	**847**	**4255**	**1055**	**5543**	**1118**	**5101**	**1237**	**5728**	**1088**	**5611**	**953**	**4676**	**7202**	**36119**

परिशिष्ट – 1.2

(संदर्भ : कंडिका – 1.6.2; पृष्ठ – 10)

कृत–कार्रवाई टिप्पणियों के असमर्पण संबंधी विभागवार ब्यौरे

क्रम सं.	विभाग का नाम	2001-02		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		2007-08		2008-09		2009-10		कुल	
		समीक्षा	कंडिका	समीक्षा	कंडिका	समीक्षा	कंडिका	समीक्षा	कंडिका	समीक्षा	कंडिका	समीक्षा	कंडिका	समीक्षा	कंडिका	समीक्षा	कंडिका	समीक्षा	कंडिका	समीक्षा	कंडिका
1.	स्वास्थ्य	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	3
2.	मानव संसाधन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	2	1	5
3.	ग्रामीण विकास	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0	9
4.	कृषि	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
5.	उद्योग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6.	गृह	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0
7.	जल संसाधन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	1	1	0	0	0	3	1	9
8.	भवन निर्माण	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
9.	पथ निर्माण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10.	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
11.	राजस्व एवं भू सुधार	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
12.	कल्याण	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
13.	वन	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	1	1	0	2	4
14.	स्थानीय निकाय	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
15.	विधान मंडल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
16.	वाणिज्यिक प्राधिकरण	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
17.	वित्त	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
	कुल	**0**	**5**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**6**	**2**	**7**	**0**	**8**	**1**	**3**	**1**	**3**	**5**	**13**	**9**	**43**

परिशिष्ट – 1.3
(संदर्भ : कंडिका – 1.6.3; पृष्ठ – 11)

लोक लेखा समिति को अनुशंसा पर की गयी कृत–कार्रवाई टिप्पणियों की वस्तुस्थिति

क्रम सं.	विभाग के नाम	पी.ए.सी. प्रतिवेदन सं.	ऐसी कंडिकाओं की संख्या जिनका ए टी एन विभाग के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया
1.	ग्रामीण विकास विभाग	326*, 357, 446	32
2.	ग्रामीण अभियंत्रण संगठन	414, 473	14
3.	पथ निर्माण विभाग	347, 369, 370, 430, 471	41
4.	श्रम एवं नियोजन विभाग	388	01
5.	विज्ञान एवं प्राद्योगिकी	396	03
6.	शहरी विकास विभाग	406, 447	08
7.	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	348, 426, 453	12
8.	वित्त विभाग	386, 461	05
9.	स्वास्थ्य विभाग	335, 399, 464	54
10.	पंचायती राज विभाग	451	02
11.	उर्जा विभाग	349	02
12.	पर्यावरण विभाग	384	01
13.	गृह विभाग	334, 397, 419	12
14.	कृषि विभाग	346, 421, 422, 469	16
15.	सहकारिता विभाग	351, 428, 465	07
16.	मानव संसाधन विकास विभाग	358, 359, 379, 389, 390, 394 395, 411, 417, 420, 455, 456, 457, 470	73
17.	पशुपालन विभाग	415, 445	18
18.	सहाय्य एवं पुनर्वास	398, 400	09
19.	जल संसाधन विभाग	323, 367, 368, 374, 377, 378, 474	17
20.	लघु सिंचाई विभाग	352, 416, 450	16
21.	कल्याण विभाग	387, 397	07
22.	योजना एवं विकास विभाग	466	02
23.	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	454, 463, 467, 472	06
24.	कार्मिक विभाग	459	01
25.	मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग	460	01
26.	खाद्य, असैनिक आपूर्ति एवं वाणिज्यिक विभाग	391, 448	04
27.	संस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	392	06
28.	उद्योग विभाग	438	08
29.	भवन निर्माण विभाग	429	11
30.	नागरिक उड्डयन विभाग	425	04
		कुल	**393**

* *326– 08.11.2000 (08.11.2000 को बिहार विधान पटल पर रखे गये)*

परिशिष्ट – 2.1

(संदर्भ कंडिका – 2.1.8.7; पृष्ठ – 26)

एक बी.पी.एल. संख्या पर एक से अधिक लाभार्थियों को किए गए भुगतान की विवरणी

क्र.सं.	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	मामलों की संख्या	शामिल लाभार्थियो की सं.	अधिक भुगतान (राशि ₹ में)
1	पूर्वी चम्पारण	चकिया	7	14	191000.00
2	पूर्वी चम्पारण	हरसिद्धि	2	4	54000.00
3	पूर्वी चम्पारण	अरेराज	32	81	129000.00
4	गया	गुरारू	3	6	78000.00
5	गया	गया सदर	2	4	49000.00
6	बाँका	फुली डुमर	2	4	48000.00
7	बाँका	कटोरिया	1	2	25000.00
8	पटना	बिहटा	1	2	45000.00
		कुल	**50**	**117**	**1780000.00**

परिशिष्ट – 2.2

(संदर्भ कंडिका – 2.1.8.8; पृष्ठ – 26)

बेलागंज के लाभार्थियों को दूसरी किस्त के दुबारा भुगतान की विवरणी

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	बी.पी.एल. पहचान सं.	पंचायत	गाँव	राशि (₹ में)
1	शमफुल देवी	केदार माँझी	3275	बेलागंज	पररिया	11000.00
2	सरिता देवी	फेकन माँझी	9724	बेलागंज	बेलाडीह	11000.00
3	गुलाबी देवी	साधु माँझी	9834	बेलागंज	पररिया	11000.00
4	चिन्ता देवी	मनोज माँझी	10971	बेलागंज	बेलाडीह	11000.00
5	मो. गीता देवी	स्व. छोटू माँझी	10855	बेलागंज	बेलाडीह	11000.00
6	मीना देवी	मोहन माँझी	10951	बेलागंज	बेलाडीह	11000.00
7	शकुन्तला देवी	राधा राम	10633	बेलागंज	बेलागंज	11000.00
8	बिन्दा देवी	अशोक साह	10551	बेलागंज	बेलागंज	11000.00
9	मो. सरस्वती देवी	कपिल साह	10478	बेलागंज	बेलागंज	11000.00
					कुल अधिक भुगतान	**99000.00**

परिशिष्ट – 2.3

(संदर्भ कंडिका 2.2.7.2; पृष्ठ – 36)

अभिकरण के जल गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन संबंधी विवरणी

क्रम सं.	जिला का नाम	जाँच किए गए स्रोतों की कुल संख्या	सर्वेक्षित कुल गाँव	लौह > 1 मि.ग्रा./लि.			फ्लोराईड > 1.5 मि.ग्रा./लि.			आर्सेनिक > 50 पी.पी.बी.		
				कुल प्रदूषित स्रोत	कुल प्रभावित गाँव	अधिकतम सीमा मि. ग्रा./ली.	कुल प्रदूषित स्रोत	कुल प्रभावित गाँव	अधिकतम सीमा मि. ग्रा./ली.	कुल प्रदूषित स्रोत	कुल प्रभावित गाँव	अधिकतम सीमा (पी. पी.बी.)
1	अररिया	6529	666	597	294	9.80	0	0	0.00	0	0	0
2	अरवल	1256	285	270	112	2.09	0	0	0.00	0	0	0
3	औरंगाबाद	6461	1704	1780	906	11.10	730	359	3.70	0	0	0
4	बाँका	5156	1770	1046	0	8.10	1046	642	7.69	0	0	0
5	बेगूसराय	4265	656	503	284	12.41	695	354	1.90	44	35	321
6	भभुआ	14256	1235	2551	878	7.80	2740	950	3.21	0	0	0
7	भागलपुर	5796	942	832	392	11.20	865	398	5.56	188	89	267
8	भोजपुर	3955	886	209	106	13.20	119	106	3.49	506	189	987
9	बक्सर	4453	732	1495	599	7.90	57	48	3.10	168	112	256
10	दरभंगा	6527	973	574	320	2.09	0	0	0.00	135	75	124
11	गया	12851	2816	3315	1786	12.10	3947	2103	6.43	0	0	0
12	गोपालगंज	9915	1403	1229	698	12.10	0	0	0.00	0	0	0
13	जमुई	7918	1837	193	179	3.11	2515	1102	4.43	0	0	0
14	जहानाबाद	2364	504	2193	499	7.59	0	0	0.00	0	0	0
15	कटिहार	8403	1127	4487	988	17.20	0	0	0.00	310	63	187
16	खगड़िया	12359	236	3536	228	12.10	0	0	0.00	1024	89	250
17	किशनगंज	3414	555	399	256	7.51	0	0	0.00	0	0	0
18	लखीसराय	1532	280	21	16	1.99	0	0	0.00	27	20	254
19	मधेपुरा	6408	390	908	299	3.64	40	34	3.31	0	0	0
20	मधुबनी	8048	1124	178	148	3.10	381	122	3.38	0	0	0
21	मुंगेर	8575	468	1256	327	4.08	432	110	3.13	45	12	149
22	मुजफ्फरपुर	11825	1757	2549	1230	3.10	0	0	0.00	0	0	0
23	नालन्दा	4409	860	774	413	13.10	292	213	5.62	0	0	0
24	नवादा	5260	867	167	137	5.47	2438	748	4.33	0	0	0
25	प. चम्पारण	12523	1139	6876	1298	11.10	81	65	2.83	0	0	0
26	पटना	9188	1246	3473	996	11.20	0	0	0.00	1054	245	765.1
27	पू. चम्पारण	7314	1130	969	496	9.10	411	336	2.47	0	0	0
28	पूर्णिया	5617	1048	1706	727	17.20	0	0	0.00	0	0	0
29	रोहतास	9685	1762	1007	617	3.10	3483	1440	7.20	0	0	0
30	सहरसा	6266	421	2429	398	3.30	0	0	0.00	0	0	0
31	समस्तीपुर	8928	1073	980	523	9.40	0	0	0.00	457	89	298
32	सारण	8764	1263	795	500	7.43	0	0	0.00	725	427	126
33	शेखपुरा	1488	254	132	89	4.50	558	193	3.76	0	0	0
34	शिवहर	1362	187	161	92	2.67	0	0	0.00	0	0	0
35	सीतामढ़ी	6405	819	899	242	2.14	0	0	0.00	0	0	0
36	सिवान	10831	1459	2195	892	8.49	2552	952	4.26	0	0	0
37	सुपौल	7423	499	3337	485	9.43	641	277	9.10	0	0	0
38	वैशाली	14103	1449	678	440	13.10	0	0	0.00	246	173	156
	कुल	**271832**	**37822**	**56699**	**18890**	**17.20**	**24023**	**10552**	**9.10**	**4929**	**1618**	**987**

परिशिष्ठ – 2.4

(संदर्भ कंडिका 2.2.7.2; पृष्ठ – 36)

उन स्थानों की विवरणी जहाँ वर्ष 2009–11 के दौरान प्रभावित टोलों की प्राथमिकता तय किए बगैर निवारक योजनाएँ आरंभ की गयी

	लौह			फ्लोराईड		
क्रम सं.	जिला का नाम	उच्चतम विस्तार (मि. ग्रा. / ली.)	विभाग द्वारा स्वीकृत लौह–निवारक योजना	जिला का नाम	अधिकतम सीमा (मि. ग्रा. / ली.)	विभाग द्वारा स्वीकृत फ्लोराईड निवारक कार्यक्रम
1	कटिहार	17.20	नलकूप के साथ लौह निष्कासन संयंत्र एवं सौर आधारित अभिक्रिया संयंत्र	सुपौल	9.10	
2	पूर्णिया	17.20	नलकूप के साथ लौह निष्कासन संयंत्र एवं सौर आधारित अभिक्रिया संयंत्र	बाँका	7.69	सौर आधारित अभिक्रिया संयंत्र एवं फ्लोराईड निष्कासन संलग्नक इकाई
3	भोजपुर	13.20		रोहतास	7.20	सौर आधारित अभिक्रिया संयंत्र एवं फ्लोराईड निष्कासन संलग्नक इकाई
4	नालन्दा	13.10		गया	6.43	सौर आधारित अभिक्रिया संयंत्र एवं फ्लोराईड निष्कासान संलग्नक इकाई
5	वैशाली	13.10		नालन्दा	5.62	सौर आधारित अभिक्रिया संयंत्र एवं फ्लोराईड निष्कासन संलग्नक इकाई
6	बेगूसराय	12.41	नलकूप के साथ लौह निष्कासन संयंत्र एवं सौर आधारित अभिक्रिया संयंत्र	भागलपुर	5.56	सौर आधारित अभिक्रिया संयंत्र
7	गया	12.10		जमुई	4.43	सौर आधारित अभिक्रिया संयंत्र एवं फ्लोराईड निष्कासान संलग्नक इकाई
8	गोपालगंज	12.10		नवादा	4.33	सौर आधारित अभिक्रिया संयंत्र एवं फ्लोराईड निष्कासन संलग्नक इकाई
9	खगड़िया	12.10	नलकूप के साथ लौह निष्कासन संयंत्र एवं सौर आधारित अभिक्रिया संयंत्र	सिवान	4.26	
10	भागलपुर	11.20		शेखपुरा	3.76	सौर आधारित अभिक्रिया संयंत्र एवं फ्लोराईड निष्कासान संलग्नक इकाई
11	पटना	11.20		औरंगाबाद	3.70	सौर आधारित अभिक्रिया संयंत्र एवं फ्लोराईड निष्कासन संलग्नक इकाई
12	औरंगाबाद	11.10		भोजपुर	3.49	
13	प. चम्पारण	11.10		मधुबनी	3.38	
14	अररिया	9.80	नलकूप के साथ लौह निष्कासन संयंत्र एवं सौर आधारित अभिक्रिया संयंत्र	मधेपुरा	3.31	
15	सुपौल	9.43	नलकूप के साथ लौह निष्कासन संयंत्र एवं सौर आधारित अभिक्रिया संयंत्र	भभुआ	3.21	सौर आधारित अभिक्रिया संयंत्र एवं फ्लोराईड निष्कासन संलग्नक इकाई
16	समस्तीपुर	9.40		मुंगेर	3.13	सौर आधारित अभिक्रिया संयंत्र एवं फ्लोराईड निष्कासन संलग्नक इकाई
17	पू. चम्पारण	9.10		बक्सर	3.10	
18	सिवान	8.49		प. चम्पारण	2.83	
19	बाँका	8.10		पू. चम्पारण	2.47	

	लौह			फ्लोराईड		
क्रम सं.	जिला का नाम	उच्चतम विस्तार (मि. ग्रा./ली.)	विभाग द्वारा स्वीकृत लौह–निवारक योजना	जिला का नाम	अधिकतम सीमा (मि. ग्रा./ली.)	विभाग द्वारा स्वीकृत फ्लोराईड निवारक कार्यक्रम
20	बक्सर	7.90		बेगूसराय	1.90	
21	भभुआ	7.80				
22	जहानाबाद	7.59				
23	किशनगंज	7.51	नलकूप के साथ लौह निष्कासन संयंत्र एवं सौर आधारित अभिक्रिया संयंत्र			
24	सारण	7.43				
25	नवादा	5.47				
26	शेखपुरा	4.50				
27	मुंगेर	4.08				
28	मधेपुरा	3.64				
29	सहरसा	3.30				
30	जमुई	3.11				
31	मधुबनी	3.10				
32	मुजफ्फरपुर	3.10				
33	रोहतास	3.10				
34	शिवहर	2.67				
35	सीतामढ़ी	2.14				
36	अरवल	2.09				
37	दरभंगा	2.09				
38	लखीसराय	1.99				

(छायांकित पंक्ति अनाच्छादित जिलों को दर्शाता है)

परिशिष्ट – 2.5

(संदर्भ कंडिका 2.2.9, 2.2.9.1, 2.2.9.5 एवं 2.2.9.7; पृष्ठ – 39, 40, 44 एवं 45)

वर्ष 2006–11 के दौरान स.ग्रा.ज.आ.का./रा.ग्रा.पे.ज.का. के सब–मिशन कार्यक्रम के लिए स्वीकृत योजनाएँ

(I) आर्सेनिक निष्कासन हेतु आरंभ की गयी जल गुणवत्ता योजनायें

क्रम सं.	योजना का नाम	स्वीकृत वर्ष	योजना लागत	स्वीकृति की तिथि	स्वीकृति के अनुसार कार्य पूर्ण होने की अवधि	मार्च 2011 तक व्यय	आच्छादित होने वाले टोलो/विद्यालयों की संख्या	आच्छादित टोलों/विद्यालयों की कुल संख्या	योजना की भौतिक उपलब्धि
1.	पटना, भोजपुर, बक्सर, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, कटिहार एवं भागलपुर जिले के आर्सेनिक प्रभावित टोलों में इंडिया मार्क II नलकूप के साथ 1438 अदद सैनिटरी कूप और इंडिया मार्क III हैण्डपम्प (पायलट आधारित) के साथ 55 गहरे नलकूप (125 मी.) का निर्माण	2006-07	17.45	30.06.2006	30.06.2008	10.23	774	285	460 सेनेटरी कूप एवं 55 गहरे नलकूप पूर्ण तथा शेष कार्य प्रगति में
2.	आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों के 133 विद्यालयों में सैनिटरी कूपों का निर्माण	2006-07	1.82	09.10.2006	09.10.2008	0.64	133	56	56 अदद पूर्ण एवं शेष कार्य प्रगति में
3.	भोजपुर जिला के आर्सेनिक प्रभावित 39 टोलों के लिए मल्टीविलेज पाइप जलापूर्ति योजना	2006-07	53.91	11.07.2006	11.07.2009	52.37	39	39	पूर्ण
4.	आर्सेनिक प्रभावित टोलों में उपचारात्मक तकनीकी एवं सौर उर्जा चालित पम्पों के प्रावधान के साथ 39 मिनी जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण	2007-08	18.84	25.10.2007	25.10.2009	17.34	39	39	पूर्ण
5.	आर्सेनिक प्रभावित टोलों में उपचारात्मक तकनीकी एवं सौर उर्जा चालित पम्पों के प्रावधान के साथ 23 मिनी जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण	2007-08	10.47	30.03.2008	30.03.2010	6.61	23	7	7 अदद पूर्ण एवं शेष कार्य प्रगति में
6.	बक्सर जिला के आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों के लिए मल्टी विलेजज पाइप जलापूर्ति योजना	2007-08	112.57	30.03.2008	30.03.2011	76.78	130	शून्य	पाइप आपूर्ति एवं भूमि अधिग्रहण प्रगति में

क्रम सं.	योजना का नाम	स्वीकृत वर्ष	योजना लागत	स्वीकृति की तिथि	स्वीकृति के अनुसार कार्य पूर्ण होने की अवधि	मार्च 2011 तक व्यय	आच्छादित होने वाले टोलो / विद्यालयों की संख्या	आच्छादित टोलों / विद्यालयों की कुल संख्या	योजना की भौतिक उपलब्धि
7.	वैशाली जिला के आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्र के लिए मल्टी विलेजज पाइप जलापूर्ति योजना	2007-08	142.42	30.03.2008	30.03.2011	98.77	45	शून्य	पाइप आपूर्ति एवं भूमि अधिग्रहण प्रगति में
8.	पटना जिले के मनेर प्रखंड में आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्र के लिए मल्टी विलेजज पाइप जलापूर्ति योजना	2007-08	75.54	30.03.2008	30.03.2011	46.11	25	शून्य	पाइप आपूर्ति एवं भूमि अधिग्रहण प्रगति में
9.	नलकूपों में 125 अदद आर्सेनिक निष्कासन संलग्नक इकाई का प्रावधान	2007-08	0.53	25.03.2008	25.03.2010	0.53	62	44	88 अदद पूर्ण एवं शेष प्रगति में
10.	आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में समुचित उपचार इकाई एवं सौर उर्जा चलित पंपिंग स्टेशन के प्रावधान के साथ 150 अदद लघु पाइप जलापूर्ति योंजनाओं का निर्माण	2009-10	67.63	06.1.2010	06.01.2012	2.80	150	10	10 अदद पूर्ण एवं शेष प्रगति में
11.	आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में अवस्थित विद्यालयों के नलकूपों में 500 अदद आर्सेनिक निष्कासन संलग्नक इकाई का अधिष्ठापन	2009-10	3.03	04.11.2009	04.11.2011	1.46	500	162	162 अदद पूर्ण एवं शेष प्रगति में
12.	भागलपुर जिला में पीरपैंती तथा कहलगाँव प्रखंडों के आर्सेनिक प्रभावित 141 अदद ग्रामों/टोलों में पाइप जलापूर्ति योजना	2010-11	219.67	19.01.2011	19.01.2014	0.00	141	शून्य	कार्य अपूर्ण
13.	भागलपुर जिला में सुल्तानगंज तथा नाथनगर प्रखंडों के आर्सेनिक प्रभावित 186 अदद ग्रामों/टोलों में पाइप जलापूर्ति योजना	2010-11	80.60	19.01.2011	19.01.2014	0.00	86	शून्य	कार्य अपूर्ण
			804.48			**313.64**	**1514/ 633**	**424/ 218**	

(छायांकित पंक्ति विद्यालयों के लिए योजनाओं को दर्शाता है)

(II) फ्लोराईड निवारण के लिए आरंभ की गयी जल गुणवत्ता योजनाएँ

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	योजना का नाम	स्वीकृत वर्ष	योजना लागत	स्वीकृति की तिथि	स्वीकृति के अनुसार कार्य पूर्ण होने की अवधि	मार्च 2011 तक व्यय	आच्छादित होने वाले टोलो / विद्यालयों की संख्या	आच्छादित टोलों / विद्यालयों की कुल संख्या	योजना की भौतिक उपलब्धि
1.	फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में उपचारात्मक तकनीकी एवं सौर उर्जा चालित पम्पों के साथ 11 अदद लघु पाईप जलापूर्ति योजना का निर्माण	2007-08	5.31	25.10.2007	25.10.2009	4.89	11	11	पूर्ण
2.	फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में उपचारात्मक तकनीकी एवं सौर उर्जा चलित पम्पों के साथ 74 अदद लघु पाइप जलापूर्ति योजना का निर्माण	2007-08	33.69	30.03.2008	30.03.2010	21.28	74	59	59 अदद पूर्ण एवं शेष प्रगति में
3.	नलकूपों में 875 अदद फ्लोराइड निष्कासन संलग्नक इकाई का प्रावधान	2007-08	3.69	25.03.2008	25.03.2010	3.69	437	437	पूर्ण
4	भागलपुर जिला में फ्लोराइड प्रभावित कोलाखुर्द ग्राम में पाइप जलापूर्ति योजना का निर्माण	2007-08	0.32	18.03.2008	18.03.2010	0.30	1	1	पूर्ण
5.	फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में समुचित उपचारात्मक तकनीकि एवं सौर उर्जा चलित पम्पों के साथ 100 अदद लघु पाइप जलापूर्ति योजना का निर्माण	2009-10	45.19	2312.2009	23.12.2011	2.04	100	10	10 अदद पूर्ण एवं शेष प्रगति में
6.	फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में समुचित उपचारात्मक इकाइयों एवं सौर उर्जा चालित पम्पों के साथ 200 अदद लघु पाइप जलापूर्ति योजना का निर्माण	2009-10	90.17	06.01.2010	06.01.2012	4.19	200	10	10 अदद पूर्ण एवं शेष प्रगति में
7.	फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों के नलकूपों में 2000 अदद फ्लोराइड निष्कासन संलग्नक इकाई का अधिष्ठापन	2009-10	10.09	19.03.2010	19.03.2012	2.13	1000	शून्य	पाइप आपूरित एवं अधिष्ठापन प्रगति में
8.	फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में अवस्थित विद्यालयों के नलकूपों में 1000 अदद फ्लोराइड निष्कासन संलग्नक इकाई का अधिष्ठापन	2009-10	5.05	04.11.2009	04.11.2011	3.28	1000	101	100 अदद पूर्ण एवं शेष प्रगति में
9.	मुंगेर जिला में खैरा एवं दूसरे प्रखंडों के फ्लोराइड प्रभावित टोलों के लिए पाइप जलापूर्ति योजना	2010-11	32.30	02.07.2010	02.07.2012	0.00	6	शून्य	कार्य प्रगति में
	कुल		**225.81**			**41.80**	**1829/ 1000**	**528/ 101**	

(छायांकित पंक्ति विद्यालयों के लिए योजनाओं को दर्शाता है)

(III) लौह निवारण के लिए जल गुणवत्ता योजनाएँ

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	योजना का नाम	स्वीकृत वर्ष	योजना लागत	स्वीकृति की तिथि	स्वीकृति के अनुसार कार्य पूर्ण होने की अवधि	मार्च 2011 तक व्यय	आच्छादित होने वाले टोलो / विद्यालयों की संख्या	आच्छादित टोलों / विद्यालयों की कुल संख्या	योजना की भौतिक उपलब्धि
1.	लौह प्रभावित जिलों के टोलों में लौह निष्कासन संयंत्र के साथ 3266 अदद चापाकलों का निर्माण	2006-07	10.64	11.07.2006	11.07.2008	9.23	1633	50	100 अदद पूर्ण एवं शेष प्रगति में
2.	लौह प्रभावित क्षेत्रों में समुचित उपचारात्मक इकाई एवं सौर पंम्पिंग स्टेशनों के प्रावधान के साथ 500 अदद लघु पाइप जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण	2009-10	175.44	06.01.2010	06.01.2012	15.67	500	53	53 अदद पूर्ण एवं शेष प्रगति में
3.	लौह प्रभावित जिलों के टोलों में 8724 अदद लौह निष्कासन संयंत्र के साथ नलकूपों का अधिष्ठापन	2009-10	28.88	23.12.2009	23.12.2011	15.10	4362	320	640 अदद पूर्ण एवं शेष प्रगति में
4.	लौह प्रभावित जिलों के टोलों में 7602 अदद लौह निष्कासन संयंत्र के साथ नलकूपों का अधिष्ठापन	2009-10	25.08	19.03.2010	19.03.2012	1.07	3801	शून्य	निविदा प्राप्त
	कुल		**240.04**			**41.07**	**10296**	**423**	

कुल परियोजना लागतः ₹ 1270.33 करोड़ (आर्सेनिकः ₹ 804.48 करोड़; फ्लोराईडः ₹ 25.81 करोड़ एवं लौहः ₹ 240.04 करोड़)

परिशिष्ट – 2.6

(संदर्भ कंडिका 2.2.10.2; पृष्ठ – 49)

क्षेत्र परीक्षण किट की प्राप्ति, वितरण एवं ग्राम पंचायतों द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन सम्बंधी विवरणी

जिला	प्राप्त क्षेत्र परीक्षण किट (संख्या)	वितरित क्षेत्र परीक्षण किट (संख्या)	ग्राम पंचायतों द्वारा समर्पित क्षेत्र परीक्षण कीट सम्बन्धित जाँच प्रतिवेदन
बक्सर	167	142	348
बाँका	147	147	शून्य
समस्तीपुर	424	381	662
खगड़िया	275	220	1179
जमुई	176	166	200
भागलपुर	277	242	127
सहरसा	306	306	663
सुपौल	324	324	474
पूर्णिया	463	463	1813
नवादा	218	187	792
कुल	**2777**	**2578**	**6258**

परिशिष्ट – 3.1

(संदर्भः कंडिका 3.2.1; पृष्ठ – 60)

बभना–शकुराबाद–कुर्थ पथ में अलकतरे के मूल्य निष्प्रभावन पर हुए अतिरिक्त भुगतान को दर्शाती विवरणी

कुल अलकतरा अवयव

मद का नाम	क्रियान्वयन होने वाले मद की मात्रा	अलकतरा/इमलसन की आवश्यकता की की मात्रा (मी.टन में)	कुल (मी.टन में)	मूल्य प्रति मी.टन (₹ में)	कुल राशि(₹ में)
75 मी.मी. बी.एम.	4092.50 घन मी.	296.46	445.516	24964.12	11124411.30
25 मी.मी. एस.डी.बी.सी.	1292.50 घन मी.	149.155			
टैक कोट	103400 वर्ग मी.	20.68	38.091	19406.49	739212.61
प्राइमर कोट	29018.58 वर्ग मी.	17.44			
					11863623.91

परिमाण विपत्र का मूल्य = ₹ 50975100.00

P_b = (11863623.91/50975100.00) x 100 = 23.27 %

विभिन्न चलंत विपत्रों की गणना

क्रम सं.	चलंत विपत्र सं/दिनांक	गणना	भुगतान की राशि (₹ में)
1	1/ 8 जुलाई 2008	0.85 x 811200 x 23.27/100 x $\frac{38665 - 29856.98}{29856.98}$	47333.13
2	2/ 22 जुलाई 2008	0.85 x 393388.99 x 23.27/100 x $\frac{41021.23 - 29856.98}{29856.98}$	29093.29
3	3/ 2 सितंबर 2008	0.85 x 280307.33 x 23.27/100 x $\frac{445428.23 - 9856.98}{29856.98}$	28913.72
4	4/ 26 सितंबर 2008	0.85 x 587409 x 23.27/100 x $\frac{46273.14 - 29856.98}{29856.98}$	63879.37
5	5/ 23 अक्टूबर 2008	0.85 x 1859873.39x 23.27/100 x $\frac{48617.38 - 29856.98}{29856.98}$	231135.01
6	6/ 7 नवंबर 2008 & 15 नवंबर 2008	0.85 x 1871255x 23.27/100 x $\frac{49212.36 - 29856.98}{29856.98}$	239914.94
7	8/ 8 दिसंबर 2008	0.85 x 805584x 23.27/100 x $\frac{40478 - 29856.98}{29856.98}$	566677.41
8	9/ 18 दिसंबर 2008	0.85 x 1188565x 23.27/100 x $\frac{37616 - 29856.98}{29856.98}$	61076.95
9	10/ 3 फरवरी 2009	0.85 x 3327671.55x 23.27/100 x $\frac{35718.12 - 29856.98}{29856.98}$	129204
10	11/ 3 मार्च 2009	0.85 x 1578468.80x 23.27/100 x $\frac{32957.36 - 29856.98}{29856.98}$	32407.73
11	12/13, 23 और 29 मार्च 2009	0.85 x 3721926.13x 23.27/100 x $\frac{33707.11 - 29856.98}{29856.98}$	94893.39
12	14/ 18 मई 2009	0.85 x 2692247.70x 23.27/100 x $\frac{32576.64 - 29856.98}{29856.98}$	48458.69

क्रम सं.	चलंत विपत्र सं/दिनांक	गणना	भुगतान की राशि (₹ में)
13	15/ 5 जून 2009	0.85 x 420641.28x 23.27/100 x $\frac{31767.43 - 29856.98}{29856.98}$	5316.52
14	16/ 12 अगस्त 2009	0.85 x 2136617.43x 23.27/100 x $\frac{33052.60 - 29856.98}{29856.98}$	45219.51
15	17/ 17 अगस्त 2009	0.85 x 584577x 23.27/100 x $\frac{33721.26 - 29856.98}{29856.98}$	14962.05
16	18/ 16 सितंबर 2009	0.85 x 388217.43x 23.27/100x $\frac{36039.43 - 29856.98}{29856.98}$	15895.00
17	19/ 27 अक्टूबर 2009	0.85 x 1876367.88x 23.27/100 x $\frac{39476.66 - 29856.98}{29856.98}$	119802.76
18	20/ 25 फरवरी 2010	0.85 x 4340751.37x 23.27/100 x $\frac{37622.07 - 29856.98}{29856.98}$	223230.51
19	21/22/23 20 मार्च 2010 22 मार्च 2010 25 मार्च 2010	0.85 x 5677983.48x 23.27/100 x $\frac{38526.45 - 29856.98}{29856.98}$	326029.17
	कुल		**1813443.15**

अलकतरा के मूल्य निष्प्रभावन में भुगतित राशि:– ₹ 3824181.74
भुगतान योग्य राशि :– ₹ 1813443.15
अधिक भुगतान :– ₹ 2010738.59

परिशिष्ट – 3.2

(संदर्भः कंडिका 3.2.1; पृष्ठ – 61)

के.टी.टी.जी.–भाग–II पथ में दिए गए अधिक भुगतान को दर्शाती विवरणी

एकरारित मूल्य: ₹ 10.85 करोड़ घटाव (मूल्य अनुसूचि का 1.25 %) शुरूआत की तिथि - 05-02-2008

क्रम सं.	भुगतित मूल्य	राशि (₹ में)	भुगतान योग्य राशि	राशि (₹ में)
	नवम्बर 2008 माह का बी.एम.			
1.	0.85 x 37.23 x ₹ 3794766.07 x (₹ 47640 -₹ 26161.04) 100 26161.04	9,85,951	0.85 x 37.23 x 3794766.07 x (41430 - 26161.04) 100 26161.04	700892
2.	0.85 x 37.23 x ₹ 3470752.75 x (` 49300 - ₹ 26161.04) 100 26161.04 **कुल** **घटाव** **अधिक भुगतान**	971459 19,57,410 1341939 **615471 - (अ)**	0.85 x 37.23 x ₹ 3470752.75 x (₹41430 - ₹ 26161.04) 100 26161.04 **कुल**	641047 1341939

पूर्ण होने की तिथि - 04-02-2009

समय विस्तार–प्रदान नहीं किया गया

क्रम सं.	भुगतित राशि (₹ में)	राशि (₹ में)	भुगतान योग्य राशि (₹ में)	राशि
	माह दिसम्बर 2008 का बी.यू.एस.जी.			
1	0.85 x 30.13 x 677221.84 x (49300 - 26161.04) 100 26161.04	= 153404	0.85 x 30.13 x 677221.84 x (34090 - 26161.04) 100 26161.04	52566
2	**माह दिसम्बर 2008 माह का बी.एम.**			
	0.85 x 37.23 x 2361468.17 x (49300 - 26161.04) 100 26161.04	= 660972	0.85 x 37.23 x 2361468.17 x (34090 - 26161.04) 100 26161.04	226493
	0.85 x 37.23 x 4717928.18 x (40566.01 - 26161.04) 100 26161.04	= 822092	0.85 x 37.23 x 4717928.18 x (34090 - 26161.04) 100 26161.04	452506
3	**माह दिसम्बर 2008 का एस.डी.बी.सी.**			
	0.85 x 48.12 x 1684551.04 x (40566.01 - 26161.04) 100 26161.04 घटाव **अधिक भुगतान**	= 379390 2015858 940393 **1075465 - (ब)**	0.85 x 48.12 x 1684551.04 x (34090 - 26161.04) 100 26161.04 **कुल**	208828 940393

क्रम सं.	भुगतित राशि (₹ में)	राशि (₹ में)	भुगतान योग्य राशि	राशि (₹ में)
1	**बी.एम. दिनांक 06.01.2009**			
	$0.85 \times \frac{37.23}{100} \times 98171.94 \times \frac{(40566.01 - 26161.04)}{26161.04}$	= 17106 -(i)	$0.85 \times \frac{37.23}{100} \times 98171.94 \times \frac{(29900 - 26161.04)}{26161.04}$	4440- (i)
	$0.85 \times \frac{37.23}{100} \times 1199002.50 \times \frac{(35580.04 - 26161.04)}{26161.04}$	= 136610.79 - (ii)	$0.85 \times \frac{37.23}{100} \times 1199002.50 \times \frac{(29900 - 26161.04)}{26161.04}$	54228 - (ii)
2	**एस.डी.बी.सी. दिनांक 07.01.2009 से 10.01.2009**			
	$0.85 \times \frac{48.12}{100} \times 5115909.37 \times \frac{(35580.04 - 26161.04)}{26161.04}$ **कुल घटाव अधिक भुगतान**	$= \frac{753384 - (iii)}{(i+ii+iii)}$ =907100 - 357731 **549369 - (स)**	$0.85 \times \frac{48.12}{100} \times 5115909.37 \times \frac{(29900 - 26161.04)}{26161.04}$ **कुल**	$\frac{299063-(iii)}{(i+ii+iii)}$ = 357731

अधिक भुगतान - अ + ब + स = ₹ 615471 + 1075465 + 549369 = ₹ 2240305 या ₹ 22.40 लाख

परिशिष्ट – 3.3

(संदर्भः कंडिका 3.2.2; पृष्ठ – 62)

अवमानक पथ कार्य के कार्यान्वयन पर भुगतान दर्शाती विवरणी

क्रम सं.	कार्य–मद	किया गया कार्य	दर (₹/घन मी.)	भुगतान (₹ में)
1.	बी.एम. का प्रावधान एवं बिछाया जाना	2919.7025 वर्ग मी0	6051.10	17667412
2.	एस.डी.बी.सी. का लगाया जाना	1239.345 वर्ग मी0	8235.13	10206167
3.	टैक कोट का प्रावधान एवं प्रयुक्तता	109016.35 वर्ग मी0	7.67	836155
4.	बी.यू.एस.जी. का प्रावधान एवं बिछाया जाना	1048.50 वर्ग मी0	291.20	305323
कुल				**29015057**

चूँकि एकरारनामा 3.7 प्रतिशत कम पर स्वीकृत था	₹ 2,90,15,057.00
अतः गणना करने पर अलकतरा की लागत	₹ 10,73,558.00
निवल मूल्य	₹ 2,79,41,499.00

परिशिष्ट – 3.4

(संदर्भः कंडिका 3.2.5; पृष्ठ – 66 एवं 67)

दायित्व लागत उपबंध के तहत विश्लेषित निरसित संविदाओं के ब्यौरे

(अ) दो संविदाओं के ब्यौरे जिनपर अर्थदंड ओरोपित नहीं किया गया था

(₹ लाख में)

प्रमंडल का नाम	अनुबंध सं.	अनुबंध राशि	भुगतान	क्रियान्वयन हेतु शेष कार्य की राशि	नए अनुबंध की राशि	प्रतिभूति की राशि
पथ निर्माण प्रमंडल, शेखपुरा	2F2/07-08	473.29	121.91	351.38	नहीं किया	6.09
प.नि.प्र., सुपौल	65F2/08-09	73.78	65.37	8.41	68.64	3.27
कुल		**547.07**	**187.28**	**359.79**	**68.64**	**9.36**

(ब) 27 संविदाओं के ब्यौरे जिनमें जब्त राशि जमा नहीं की गयी

(₹ लाख में)

प्रमंडल का नाम	अनुबंध सं.	अनुबंध राशि	भुगतान	क्रियान्वयन हेतु शेष कार्य की राशि	नए अनुबंध की राशि	प्रतिभूति की राशि
प.नि.प्र.–I मुजफ्फरपुर	26एफ$_2$/06-07	1026.29	343.63	682.66	1051.81	40.23
–वही–	2एफ$_2$/07-08	532.42	95.12	437.30	759.58	4.76
–वही–	एस.बी.डी.27/06-07	1170.32	404.96	765.36	1214.10	43.90
–वही–	एस.बी.डी.13/07-08	505.14	57.49	447.65	578.77	14.70
–वही–	15एफ$_2$/07-08	474.65	42.90	431.75	551.24	25.88
–वही–	21एफ$_2$/07-08	126.75	34.99	91.76	128.97	8.10
–वही–	31एफ$_2$/08-09	256.99	85.34	171.65	नहीं किया	17.07
प.नि.प्र.–II मुजफ्फरपुर	1एफ$_2$/07-08	1146.29	601.87	544.42	700.72	71.08
–वही–	4एफ$_2$/07-08	1135.88	951.48	184.40	496.83	98.87
–वही–	33एफ$_2$/06-07	518.21	420.22	97.99	679.65	46.92
–वही–	36एफ$_2$/06-07	504.68	320.83	183.85	185.03	41.27
ग्रा.वि.प्र., पटना	1एफ$_2$/06-07	104.82	82.32	22.50	नहीं किया	9.38
–वही–	7एफ$_2$/07-08	112.08	92.75	19.33	नहीं किया	10.50
प.नि.वि., शेखपुरा	3एस.बी.डी./07-08	534.81	144.00	390.81	नहीं किया	22.22
प.नि.वि., बेगुसराय	1एस.बी.डी./07-08	1066.16	748.44	317.72	474.36	80.47
प.नि.वि., आरा	3एफ$_2$/07-08	321.49	199.33	122.16	432.39	26.05
–वही–	25एस.बी.डी./07-08	981.22	323.07	658.15	969.45	45.50
प.नि.वि., सीतामढ़ी	52एफ$_2$/06-07	1428.53	617.81	810.72	1038.94	45.63
न्यू. कैपिटल पथ प्रमंडल पटना	96एफ$_2$/07-08	63.95	4.48	59.47	82.73	3.32
–वही–	50एफ$_2$/07-08	15.49	शून्य	15.49	20.23	0.78
प.नि.वि., प. पटना	34एफ$_2$/07-08	75.29	10.71	64.58	101.43	4.30
प.नि.वि., छपरा	15एफ$_2$/07-08	97.10	23.16	73.94	94.16	6.01
–वही–	19एफ$_2$/06-07	382.32	176.28	206.04	रा.प. को हस्ता.	29.42
प.नि.वि., समस्तीपुर	19एफ$_2$/08-09	9.12	3.02	6.10	6.25	0.62
–वही–	16एफ$_2$/05-06	607.84	147.20	460.64	1170.20	37.76
–वही–	6 एस.बी.डी./07-08	450.81	360.50	90.31	नहीं किया	33.44
प.नि.प्र.–I औरंगाबाद	15एफ$_2$/06-07	674.43	446.81	227.62	नहीं किया	49.23
कुल		**14323.08**	**6738.71**	**7584.37**	**10736.84**	**837.76**

(स) दो संविदाओं के ब्यौरे जिनमें दायित्व का वसूली नहीं की गयी थी

(₹ लाख में)

प्रमंडल का नाम	अनुबंध सं.	अनुबंध राशि	भुगतान	क्रियान्वयन हेतु शेष कार्य की राशि	नए अनुबंध की राशि	प्रतिभूति की राशि	का.अभि. द्वारा निर्धारित प्रतिभूति
प.नि.वि., खगड़िया	1 एस.बी.डी. /07-08	702.84	229.02	473.82	1259.95	18.32	172.68
प.नि.वि., बेगुसराय	1एस.बी.डी. /07-08	1066.16	748.44	317.72	474.36	80.47	114.86
		1769.00	**977.46**	**791.54**	**1734.31**	**98.79**	**287.54**
अतिरिक्त वित्तीय दायित्व = 1734.31 – 791.54 = 942.77							
संवेदक से वसूलनीय राशि = 287.54 – 98.79 = 188.75							

परिशिष्ट – 3.5

(संदर्भः कंडिका 3.2.6; पृष्ठ – 67)

चंपारण तटबंध पर ईंट–सोलिंग कार्य का विवरण

(राशि ₹ में)

ग्रुप सं.	तटबंध की लंबाई (किमी में)	परिमाण विपत्र	अनुबंधित राशि	अद्यतन भुगतान	माप–पुस्त / दिनांक	अभिकरण का नाम
I	20 से 27	18634828	20311963	19670387	5759 एवं 5713/ 28.03.10	**राजा साह कन्सट्रक्सन प्राईवेट लि., पं. चंपारण**
II	27 से 32	14808643	16141421	14634000	5740/ 30.10.10	**प्लाईड बिल्ड प्रा. लि., बेतिया**
III	32 से 36	10045811	10849476	10384025	5695/ 15.03.10	शत्रुघ्न प्र., बेतिया
IV	36 से 40	9653831	10522676	9789951	5699/ 26.03.10	**प्लाईड बिल्ड प्रा. लि., बेतिया**
V	40 से 44	9653831	10522676	10766486	5718 23.03.10	**प्लाईड बिल्ड प्रा. लि., बेतिया**
VI	44 से 47.5	8293316	9039714	9159333	5715/ 30.09.09	सुजित बीलडर्स, मोतिहारी
VII	47.5 से 47.5, 233 चैन	15262964	16636631	17230187	5722/ 28.03.10	**अम्बर इंफ्रा प्रोजेक्ट प्रा.लि., मोतिहारी**
VIII	47.5 - 233 चैन से 53 - 23 चैन	10346000	9828781	10201688	5732/ 25.03.10	**राजा साह कन्सट्रक्सन प्राईवेट लि., पं. चंपारण**
IX	53 - 23 चैन से 58	13694832	12873142	13075191	5731/ 11.10.10	कुमार मानस, गोपालगंज
X	58 से 62	12947707	14113001	14172502	5734/ 28.03.10	राज प्रेम कन्सट्रक्सन प्रा.लि., मोतिहारी
XI	62 से 67	14961921	16308494	15959746	5728/ 10.11.10	**अजय कु. प्रा.लि., पू. चंपारण**
XII	67 से 72, 18 चैन	16272454	17736975	17780378	5726/ 20.03.10	तनुज इंटरप्राईजेज, मोतिहारी
XIII	78.86 से 83	10847948	11824264	11768801	5727/ 28.03.10	**अजय कु. प्रा. लि., पू. चंपारण**
कुल		**165424086**	**176709214**	**174592675**		

(तीसरे संवीदा में सफल अभिकरणों के नाम गहरे अक्षरों में दर्शाए गए हैं।)

परिशिष्ट – 3.6

(संदर्भः कंडिका 3.2.7; पृष्ठ – 69)

दो महाविद्यालयों एवं एक अस्पताल में उच्चतर दरों पर किए गए क्रय का ब्यौरा

दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, दरभंगा

(₹ लाख में)

क्रम. सं.	उपकरण का नाम/इकाइयों की संख्या कोष्ठक में	फर्म का नाम जिसे संविदा प्रदान किया गया (कुल राशि)		न्यूनतम बीडर का दर	हानि
		नाम	दर		
1.	बैकटेक सिस्टम	पानिनी इंटरप्राईजेज, दरभंगा	24.51	14.40	10.11
2.	पी.सी.आर. सिस्टम	–वही–	40.01	27.74	12.27
3.	माईक्रोटोम (दो अदद)	–वही–	17.41	1.53	15.88
4.	मल्टी पारा मोनिटर	–वही–	3.27	2.50	0.77
5.	इम्यून डाईग्नोस्टिक सिस्टम	–वही–	28.63	11.34	17.29
6.	बाईनोकुलर माईक्रोस्कोप (10 अदद)	तिरूपति सर्जिकल, दरभंगा	4.52	2.28	2.24
7.	मोनोकुलर माईक्रोस्कोप (54 अदद)	–वही–	10.73	5.05	5.68
8.	लैपटॉप (15 अदद)	–वही–	10.14	8.98	1.16
9.	5 पार्ट इलेक्ट्रोनिक सी.बी.एस. (हिमाटोलोजी)	जय भारत फार्मास्यूटिकल्स, पटना	47.84	19.83	28.01
10.	मल्टी हेडेड टिचिंग माईक्रोस्कोप	पानिनी इंटरप्राईजेज, दरभंगा	18.16	7.04	11.12
11.	स्पीडोमीटर के साथ सेंट्रीफ्यूज मशीन (3 अदद)	द इन्स्ट्रूमेंटल, दरभंगा	1.13	0.25	0.88
	कुल 'अ'		**206.35**	**100.94**	**105.41**

जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर में उच्चतर दरों पर किए गए क्रय के ब्यौरे

(₹ लाख में)

क्रम. सं.	उपकरण का नाम/इकाइयों की संख्या कोष्ठक में	फर्म का नाम जिसे संविदा प्रदान किया गया (कुल राशि)		न्यूनतम बीडर का दर	हानि
		नाम	दर		
1	एन.ए.टी. स्टील, हाई स्पीड स्टेरलाईजेर 9 कि.वॉ. 1 अदद	यू.एन.आई.के. सर्जिकल वर्क्स, पटना	(6.76x8)	(3.58x8)	25.43
	कुल 'ब'		**54.08**	**28.64**	**25.43**

दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में उच्चतर दरों पर किए गए क्रय के ब्यौरे

(₹ लाख में)

क्रम. सं.	उपकरण का नाम/इकाइयों की संख्या कोष्ठक में	फर्म का नाम जिसे संविदा प्रदान किया गया (कुल राशि)		न्यूनतम बीडर का दर	हानि
		नाम	दर		
1.	कैप्सूल इण्डोस्कोप सिस्टम	ए.जी.एस. मेडिकल सिस्टम	24.45	23.75	0.70
2.	विन्डो ए.सी. 6 अदद्	मजदूर इलेक्ट्रोनिक्स	1.73	1.43	0.30
3.	टेलीस्कोप – 0^0	फार्मा केमिकल्स क.	1.85	1.68	0.17
4.	टेलीस्कोप – 30^0	–वही–	2.03	1.78	0.25
5.	कैमरा (3–सी.सी.डी.)	–वही–	9.05	4.29	4.76
6.	लाईट सोर्स 180 वॉट	–वही–	2.02	0.72	1.30
7.	पूर्णतः ओटोमेटिक एनालाइजर	द इन्स्ट्रूमेंटल्स	25.90	18.58	7.32
8.	6'' सी. आर्म इमेज इन्टेनसीफायर	पननी इन्ट.	14.85	9.37	5.48
9.	यू.एस.जी. के साथ टी.वी. एस. एवं एबडोमाइनल प्रोब	ए.जी..एस. मेडिकल सिस्टम	15.90	9.80	6.10
10.	सेन्ट्रल कार्डिएक मोनिटर–2 अदद्	–वही–	5.96	2.90	3.06
11.	भेन्टीलेटर के साथ ट्रेली – 3 अदद	केडिया साइंटिफिक	26.85	12.45	14.40
12.	साइनसकॉपी इन्स्ट्रूमेंट	ए.जी.एस. मेडिकल सिस्टम	23.01	0.62	22.39
13.	कलर डॉप्लर अल्ट्रासाउण्ड स्कैनर	–वही–	47.49	9.00	38.49
14.	सेल काउन्टर सिस्टम	द इन्स्ट्रूमेंटल्स	8.65	6.24	2.41
15.	कार्डिक मोनिटर –16 अदद्	ए.जी.एस. मेडिकल सिस्टम	35.36	6.56	28.80
	कुल 'स'		**245.10**	**109.17**	**135.93**
	कुल योग - 'अ + ब + स'		**505.53**	**238.75**	**266.77**

परिशिष्ट – 3.7

(संदर्भः कंडिका 3.3.1; पृष्ठ – 71)

अप्रैल 2008 से मार्च 2011 की अवधि के दौरान "पॉवर–फैक्टर" की गिरावट से सरचार्ज के कारण हानि की विवरणी

क्रम सं.	उ.वि. लेखा सं.	मामलों की सं.	विपत्र सं.	पॉवर फैक्टर की गिरावट के लिए सरचार्ज	गिरावट का विचरण (प्रतिशत में)
प्रमंडल सं. 1 – सैदपुर, पटना					
1.	2616	29	12816615.27	2947840.10	14.5 - 49
2.	31292	17	8139173.4	2666813.47	47.5 - 67
3.	350230	6	521323.74	23533.03	7 - 11.5
प्रमंडल सं. 2 – बैउर, पटना					
4.	MK-1192	29	12353736.91	331854.00	19 - 100
5.	218226	6	639512.82	21217.43	6 - 47.5
प्रमंडल सं. 5 – पहाड़ी, पटना					
6.	BP - 324	22	9205151.00	228300.00	6 - 29.5
7.	348433	1	90412.44	7421.22	9
कार्य प्रमंडल, पटना					
8.	23837	24	10719565.38	1326423.71	3 - 37
9.	101109	23	5296018.41	910936.55	8 - 47.5
10.	396551	1	119389.68	16491.76	92.5
11.	396552	1	118725.41	15721.66	79
12.	77133	1	63191.27	108000.21	20.5
बि.रा.ज.परिषद, मुख्यालय (प्रमंडलों की ओर से भुगतीत विपत्र)					
13.	77133	10	6438870.45	717477.32	6 - 20.5
14.	376777	7	987140.74	234581.02	28 - 40
15.	396552	6	1059632.51	449837.72	88 - 107.05
16.	396551	5	844118.58	338246.46	83.5 - 104.5
17.	77132	6	8807677.38	2772098.28	17.5 -109
18.	101109	2	493248.23	47950.23	8 - 47.5
19.	77134	2	2206528.97	235956.91	11.5 - 22
20.	239534	2	557037.67	117147.35	44.5 - 52
21.	323182	2	328366.85	4973.94	2 - 3
22.	348433	1	252864.53	15710.8	7
23.	356814	1	97735.58	3382.52	9
24.	350230	1	86736.09	3408.15	10
25.	357871	1	95689.20	5128.050	6
26.	357870	1	91485.61	9114.21	11.5
27.	100133	1	285916.87	150566.66	112
कुल		**208**		**13710132.76**	

परिशिष्ट – 3.8

(संदर्भः कंडिका 3.3.2; पृष्ठ – 72)

असमायोजित अग्रिमों की विवरणी

विभाग का नाम	प्रमंडल की संख्या	जिस वर्ष से देय है	स्थानांतरित (व्यक्ति)		सेवानिवृत्त (व्यक्ति)		मृत (व्यक्ति)		कुल (राशि)	कुल (व्यक्ति)
पथ निर्माण विभाग	20	1968-69 से 2005-06	16,439,912.00	(65)	914,484.00	(14)	1,419,543.00	(5)	18,773,939.00	(84)
ग्रामीण कार्य विभाग	33	1985-86 से 2009-10	509,553,727.00	(116)	116,549,851.00	(17)	2,260,537.00	(6)	628,364,115.00	(139)
भवन निर्माण विभाग	10	1976-77 से 2004-05	16,657,985.00	(27)	881,967.00	(12)	340,448.00	(4)	17,880,400.00	(43)
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	10	1993-94 से 2007-08	632,047.00	(12)	941,169.00	(5)	-		1,573,216.00	(17)
लघु जल संसाधन विभाग	14	1983-84 से 2000-01	1,674,988.00	(16)	2,000.00	(1)	275,634.00	(2)	1,952,622.00	(19)
पर्यावरण एवं वन विभाग	2	2004-05 से 2008-09	535,395.00	(3)	-		-		535,395.00	(3)
जल संसाधन विभाग	12	1978-79 से 2002-03	4,496,040.00	(68)	120,413.00	(4)	124,704.00	(5)	4,741,157.00	(77)
कुल	**101**		**549,990,094.00**	**(307)**	**119,409,884.00**	**(53)**	**4,420,866.00**	**(22)**	**673,720,844.00**	**(382)**

परिशिष्ट – 3.9

(संदर्भः कंडिका 3.3.4.1; पृष्ठ – 74)

असैनिक–शल्य–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रोहतास के अग्रिम और अनापूर्तित दवाओं की विवरणी

क्रम. सं.	आपूर्तिकर्ताओं का नाम	आदेश सं./ तिथि	चेक सं./डी.डी. सं. और तिथि	राशि	दिनांक (मई 2010) तक आपूर्त्ति नहीं
1	मैसर्स रिशव एसोसिएट्स बोरिंग रोड, पटना	1857/ 25 जुलाई 2008	038254/ 22 सितम्बर 2008	79,601.00	58,168.00
		3146/ 20 दिसम्बर 2008	021401/ 17 मार्च 2009	172,550.00	172,550.00
		124/ 10 जनवरी 2008	821343/ 04 मार्च 2008	223,180.00	81,687.00
		652/ 12 मार्च 2008	826475/ 29 अप्रेल 2008	6,020.00	6,020.00
		337/ 31 जनवरी 2008	……..	14,430.00	14,430.00
2	श्री कृष्णा फेविकोन प्रा. लि. कृष्णापुरी, पटना	1860/ 25 जुलाई 2008	038251/ 22 सितम्बर 2008	181,216.00	130,770.00
		139/ 10 जनवरी 2008	011809/ 13 नवम्बर 2009	14,976.00	14,271.00
	कुल			**691,973.00**	**477,896.00**

रोहतास	691,973.00	477,896.00
मधुबनी	20,704,082.00	5,376,699.00
बेगुसराय	11,194,261.00	-
कुल	**32,590,316.00**	**5,854,595.00**

परिशिष्ट – 3.10

(संदर्भः कंडिका 3.3.4.3; पृष्ठ – 75)

दवाओं के स्थानीय खरीद के कारण होने वाले अधिक भुगतान का ब्यौरा

(राशि ₹ में)

दवाओं का नाम	प्रति टेब/भी.एल. का खरीद दर	वैट के साथ खरीद दर (4 प्रतिशत)	राज्य स्वा.स. की प्रति टैब/भी.एल. दर (कर को छोड़कर)	वैट के साथ रा. स्वा.स. की दर (4 प्रतिशत)	दवाओं की संख्या	अधिक भुगतान
डायक्लोफेनक सोडियम इंजक्सन 3मीली.	1.664	1.664	1.250	1.30	60100	21876
एलबेंडाजॉल 200 मिग्रा.	0.72	0.75	0.46	0.48	130000	35100
डायक्लोफेनक सोडियम इंजेक्सन 3 मीली.	1.660	1.660	1.250	1.30	40000	14400
रेंनिटीडीन इंजेक्सन 2मीली.	1.716	1.716	1.190	1.24	10000	4760
डॉइजेपाम इंजेक्सन 2मीली.	1.97	1.97	1.740	1.81	10000	1600
एमॉक्सीलीन 250 मीग्रा.	1.19	1.24	0.618	0.64	242000	145200
–वही–	1.19	1.24	0.618	0.64	228000	136800
–वही–	1.19	1.24	0.618	0.64	230000	138000
मेट्रोनिडाजोल 200 मिग्रा.	0.24	0.25	0.164	0.17	440000	35200
सिप्रोफ्लोक्सासीन 500 मीग्रां.	1.28	1.33	1.138	1.185	364400	52838
सिफेक्सिम डी.टी. 500 मिग्रा.	4.95	5.16	2.812	2.929	235000	524285
–वही–	4.95	5.16	2.812	2.929	100000	223100
सिप्रोफ्लोक्सासीन 500 मीग्रां.	1.28	1.33	1.138	1.185	120000	17400
मेट्रोनिडाजोल 100 मीली	7.15	7.45	5.940	6.188	20000	25240
कुल (अ)						1375799

2009-10

दवाओं का नाम	प्रति टेब/भी.एल. का खरीद दर	वैट के साथ खरीद दर (4 प्रतिशत)	राज्य स्वा.स. की प्रति टैब/भी. एल. दर (कर को छोड़कर)	दवाओं की संख्या	अधिक भुगतान
पारासिटामॉल 500 मीग्रा.	0.25	0.26	0.178	200000	16400
एम्पीसिलिन क्लोक्सासेलिन 500 मीग्रा	2.45	2.45	1.760	500000	345000
पोभिडॉइन आयोडिन सोलुसन	16.90	16.90	9.060	30000	235200
कफ सिरप 100 मीली	9.57	9.57	7.460	100000	211000
–वही–	9.57	9.57	7.460	100000	211000
केटामाईन इंजेक्सन 2मीली.	8.60	8.96	6.930	5000	10150
कुल (ब)					1028750

कुल अ + ब = ₹ 2404549

परिशिष्ट – 3.11

(संदर्भः कंडिका 3.3.5; पृष्ठ – 76)

श्रम–उपकर को दर्शाती विवरणी

विभाग	प्रमंडल का नाम	अभिकरणों की संख्या	एम.बी. द्वारा कुल भुगतान (₹ लाख में)	1 प्रतिशत (यानि श्रमिक उपकर) (₹ लाख में)
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	(1) लो.स्वा. प्रमंडल, दरभंगा	2	1289	12.89
	(2) लो.स्वा. प्रमंडल, हाजीपुर	1	6112	61.12
	(3) लो.स्वा. प्रमंडल, बक्सर	44	9333.31	93.33
	(4) लो.स्वा. प्रमंडल, भभुआ	53	1263.87	12.64
	(5) लो.स्वा. प्रमंडल, सासाराम	15	692.90	6.93
	(6) लो.स्वा. प्रमंडल, आरा	08	250.73	2.51
	(7) लो.स्वा. प्रमंडल, मुंगेर	14	168.19	1.68
	(8) लो.स्वा. प्रमंडल, सिवान	09	513.71	5.13
	(9) लो.स्वा. प्रमंडल, बेगुसराय	13	171.80	1.72
	(10) लो.स्वा. प्रमंडल, गया	31	2230.85	22.31
	(11) लो.स्वा. प्रमंडल, नवादा	43	2382.26	23.82
	कुल (क)	**233**	**24,408.62**	**244.08**
जल संसाधन विभाग	(1) जल निस्सरण जाँच प्रमंडल, किशनगंज	5	124.98	1.25
	(2) बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, नौगछिया	2	8250.90	82.51
	(3) सारण प्रमंडल, छपरा	5	774.12	7.74
	(4) बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल–II झंझारपुर	2	1239.49	12.39
	(5) बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, दरभंगा	1	344.06	3.44
	(6) बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल–II, खगड़िया	4	399.18	3.99
	(7) चंपारण प्रमंडल, मोतीहारी	21	2144.73	21.45
	कुल (ख)	**40**	**13,277.46**	**132.77**
पथ निर्माण विभाग	(1) न्यू राजधानी प्रमंडल, पटना	2	441.40	4.41
	(2) पथ निर्माण विभाग, बेगुसराय	1	161.67	1.62
	(3) रा.उ. पथ प्रमंडल, गया	4	1220.1	12.20
	(4) प.नि.वि., पटना पश्चिम	6	3053.84	30.54
	(5) राज्य.उ. पथ प्रमंडल, गया	4	200.91	2.01
	(6) पथ प्रमंडल, बेगुसराय	13	2614.88	26.15
	(7) पथ प्रमंडल, खगड़िया	10	2307.98	23.08
	(8) प.नि.वि.–I मुजफ्फरपुर	77	990.09	9.90

विभाग	प्रमंडल का नाम	अभिकरणों की संख्या	एम.बी. द्वारा कुल भुगतान (₹ लाख में)	1 प्रतिशत (यानि श्रमिक उपकर) (₹ लाख में)
	(9) प.नि.वि.–II मुजफ्फरपुर	80	1678.05	16.78
	कुल (ग)	**197**	**12668.92**	**126.69**
लघु जल संसाधन विभाग	(1) लघु सिंचाई, भभुआ	1	13.77	0.14
	कुल (घ)	**1**	**13.77**	**0.14**
ग्रामीण कार्य विभाग	(1) ग्रा.का.वि., मुजफ्फरपुर	7	1395.50	13.96
	(2) ग्रा.का.वि. II, भभुआ	4	440.28	4.40
	(3) ग्रा.का.वि., जमुई	37	4264.39	42.64
	(4) ग्रा.का.वि II ., पूर्णियाँ	52	4318.94	43.18
	(5) ग्रा.का.वि II, कटिहार	11	904.19	9.04
	(6) ग्रा.का.वि., लखीसराय, शिवहर	03	168.02	1.68
	(7) ग्रा.का.वि., सीतामढ़ी में	11	890.83	8.91
	(8) ग्रा.का.वि., सीतामढ़ी	08	1032.44	10.32
	(9) ग्रा.का.वि. II, भागलपुर	42	797.51	7.97
	(10) ग्रा.का.वि. II, बाँका	42	1839.02	18.39
	(11) ग्रा.का.वि., नवादा	13	657.49	6.57
	(12) ग्रा.का.वि., बिहारशरीफ	04	35.85	0.36
	(13) ग्रा.का.वि. II, रोहतास, सासाराम	6	397.94	3.98
	(14) ग्रा.का.वि. II, आरा	7	719.09	7.19
	(15) ग्रा.का.वि., सुपौल	25	3945.18	39.45
	(16) ग्रा.का.वि., मधेपुरा	14	2320.60	23.20
	(17) ग्रा.का.वि., आरा	41	2701.02	27.01
	(18) ग्रा.का.वि. II, बेगुसराय	70	1155.94	11.56
	(19) ग्रा.का.वि., सिवान	14	1661.51	16.62
	(20) ग्रा.का.वि. II, बेनीपट्टी, मधुबनी	73	535.71	5.35
	(21) ग्रा.का.वि. II, समस्तीपुर	20	439.42	4.39
	(22) ग्रा.का.वि. II, दरभंगा	14	245.55	2.45
	(23) ग्रा.का.वि., पटना	68	5027.50	50.27
	कुल (च)	**586**	**35,893.92**	**358.89**
कुल योग (क+ख+ग+घ+च)		**1057**	**86,262.69**	**862.57**

इस प्रकार, कुल दायित्व सृजन = घटाने योग्य ₹ 862.57 लाख – घटाया गया ₹ 20.83 लाख
(लो.स्वा.प्रमंडल, हाजीपुर)
= ₹ 841.74 लाख या ₹ 8.42 करोड़

परिशिष्ट – 3.12

(संदर्भः कंडिका 3.3.7.1; पृष्ठ – 79)

विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रोत्साहन वेतन वृद्धि में अनियमित भुगतान की विवरणी

क्रम सं.	विश्वविद्यालय का नाम	शामिल शिक्षकों की संख्या	शामिल राशि (₹ लाख में)
1.	कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्वविद्यालय, दरभंगा	45	87.49
2.	बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा	18	9.02
3.	जे.पी. विश्वविद्यालय, छपरा	184	94.04
	कुल	**247**	**190.55**

परिशिष्ट – 3.13

(संदर्भः कंडिका 3.3.7.2; पृष्ठ – 79)

राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा में अनाधिकृत निश्चित श्रेणी/प्रगति की विवरणी

क्र. सं.	इकाई	व्यक्तियों की संख्या	राशि (₹ में)
1	कृषि शोध संस्थान, पटना	35	12,11,376.00
2		38	11,45,054.00
3			17,47,779.00
4		08	5,06,829.00
5	ईख शो. सं., पूसा	17	10,97,359.00
6	रा.कृ.वि. (मु.), पूसा	11	12,70,630.00
7	क्षे.शो. स्टेशन अगवानपुर	09	1,24,111.00
8		09	24,591.00
9	बि.पशु महा., पटना	28	28,67,024.00
10		44	32,75,853.00
11	मृदा सर्वेक्षण, भागलपुर	35	8,19,849.00
12		13	4,47,054.00
13	बि.कृ.महा. सबौर	162	43,91,359.00
	कुल	**385**	**1,89,28,868.00**

परिशिष्ट – 3.14

(संदर्भः कंडिका 3.3.7.3; पृष्ठ – 80)

पटना विश्वविद्यालय में अनियमित रूप से अंतरिम राहत प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की विवरणी

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	विश्वविद्यालय का नाम	कर्मचारियों का नाम	अवधि	अ.रा. में वसूलनीय राशि
1	पटना विश्वविद्यालय (24 मामले) **483104.00**	तपन कुमार घोष	अप्रैल- 97 से अगस्त - 08	1,14,470.00
2		चन्द्रवंशी सिंह	2005-06	13,188.00
3		अशोक कुमार	2005-06	11,904.00
4		वरून कुमार चौधरी	2005-06	11,904.00
5		नथून सिंह	2005-06	11,916.00
6		राघवेन्द्र मोहन मिश्रा	2005-06	11,916.00
7		प्रमोद कुमार	2005-06	11,640.00
8		वसंत तिवारी	2005-06	11,905.00
9		मनजार हुसैन	2005-06	11,465.00
10		इम्तयाउद्दीन खान	2005-06	11,465.00
11		विनय कुमार मेहता	2005-06	11,199.00
12		प्रतुष रंजन	2005-06	7,140.00
13		अनुरंजन कुमार	2005-06	7,140.00
14		सुभाष कुमार	2002-03 to 2005-06	24,454.00
15		शोला चन्द्रा	2002-03 to 2005-06	24,487.00
16		सरोज कुमार	2002-03 to 2005-06	24,525.00
17		जितेन्द्र कुमार	2002-03 to 2005-06	24,472.00
18		गोपाल चन्द्र सिंह	2002-03 to 2005-06	24,541.00
19		ब्रह्मदेव हासदा	2002-03 to 2005-06	24,472.00
20		मनोज कुमार टुड्डु	2002-03 to 2005-06	24,089.00
21		शमूएल मरांडी	2002-03 to 2005-06	20,730.00
22		अजय कुमार सिंह	2005-06	10,862.00
23		दिलीप कुमार गुप्ता	2005-06	6,300.00
24		मुन्नी लाल रजक	2002-03 to Feb.07	26,920.00
25	पटना विश्वविद्यालय (16 मामले) **1984475.00**	अशोक कुमार यादव	मार्च - 99 से दिस. - 10	92,508.00
26		विजय कुमार	मार्च - 99 से दिस. - 10	92,508.00
27		दिवाकर नारायण प्रसाद	मार्च - 99 से दिस. - 10	92,508.00
28		रवीन्द्र प्रसाद सिंह	मार्च - 99 से दिस. - 06	60,476.00
29		रूखसाना खातून	मार्च - 99 से दिस. - 10	84,328.00
30		अखोरी राधाकृष्ण सिन्हा	अप्रैल - 97 से दिस. - 10	1,22,988.00
31		सुप्रभात चक्रवर्ती	अप्रैल- 97 से दिस. - 10	1,22,904.00
32		रमेश प्रशाद सिन्हा	1997- 98 से 2010- 11	92,207.00
33		मुंशी लाल राय	1997- 98 से 2010- 11	1,02,209.00
34		आर.एन. ठाकुर	अप्रैल - 96 से फर. - 98	1,53,895.00
35		राजेश्वर प्रसाद	अप्रैल - 96 से फर. - 98	1,75,160.00
36		लखन प्रशाद	अप्रैल - 96 से फर. - 98	1,47,536.00
37		अमरेश नंदन प्रसाद	अप्रैल - 96 से फर. - 98	2,57,790.00
38		राजीव शुक्ला	अप्रैल - 96 से फर. - 98	1,49,024.00
39		विनय कुमार सिंह	अप्रैल - 96 से फर. - 00	2,38,434.00
40		फनी भूषण सिन्हा	मार्च - 01 से फर. - 98	
41	पटना विश्वविद्यालय (5 मामले) **412866.00**	महेन्द्र प्रसाद राय	अप्रैल - 97 से जन. - 11	42,029.00
42		सुशील कुमार झा	अप्रैल - 97 से फर. - 08	94,581.00
43		जगदीश प्रसाद	अप्रैल - 97 से सित.- 08	87,999.00
44		जितेन्द्र कुमार सिन्हा	अप्रैल - 97 से फर. - 08	90,784.00
45		बी.डी. तिवारी	अप्रैल – 97 से फर. - 08	97,473.00
46	पटना विश्वविद्यालय (1 मामला) **86535.00**	योगेन्दर मिश्रा	अप्रैल – 97 से फर. - 09	86,535.00
कुल योग				**29,66,980.00**

परिशिष्ट – 3.15

(संदर्भः कंडिका 3.3.7.3; पृष्ठ – 80)

बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय में अनियमित रूप से अंतरिम राहत प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की विवरणी

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	भुगतान की अवधि	अ.रा. वसूलनीय राशि (₹ में)
1.	श्री एल. के. श्रीवास्तव	प्रधान लिपिक	अप्रैल 1997 से फरवरी 2011	1,60,620.00
2.	श्री यू.एन. सिन्हा	सहायक	अप्रैल 1997 से फरवरी 2011	1,40,720.00
3.	श्री पी.एन. रॉय	काउंटर लिपिक	अप्रैल 1997 से फरवरी 2011	1,09,352.00
4.	श्री त्रीवेणी रॉय	प्रयोगशाला वाहक	अप्रैल 1997 से फरवरी 2011	89,705.00
			कुल	**5,00,397.00**

परिशिष्ट – 3.16

(संदर्भः कंडिका 3.3.7.3; पृष्ठ – 80)

मगध विश्वविद्यालय बोधगया में अनियमित रूप से अंतरिम राहत प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की विवरणी

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	भुगतान की अवधि	अ.रा. वसूलनीय राशि (₹ में)
1.	श्री एस.एन. अग्रवाल (30 जून 2007 को सेवानिवृत्त)	कंक्रीट मिक्सर	01 अप्रैल 1997 से 30 जून 2007	66,954.00
2.	श्री वासुदेव पासवन (8 जून 2008 को मृत्यु)	मिश्रक	01 अप्रैल 1997 से 08 जून 2008	1,23,513.00
3.	श्री राजदेव सिंह	वही	01 अप्रैल 1997 से 28 फरवरी 2011	91,142.00
4.	मो. अजहर	इलेक्ट्रोनिक्स तकनीशियन	01 अप्रैल 1997 से 28 फरवरी 2011	1,56,676.00
			कुल	**4,38,285.00**

परिशिष्ट – 3.17

(संदर्भः कंडिका 3.3.8; पृष्ठ – 82)

प्रखंड भवन, परिसर आदि के निर्माणार्थ निधियों के अवरूधन की विवरणी

(₹ लाख में)

क्रम. सं.	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	फरवरी 08	सितम्बर 08	जनवरी 09	मार्च 09	मार्च 09	कुल	डी.पी.आर. एवं मिट्टी परीक्षण पर व्यय	अव्ययित शेष राशि
1	मुंगेर	तेतिया बम्बर	52.92	0	160	0	0	212.92	0	212.92
2	मोतिहारी	बनजरिया	52.92	0	160	0	0	212.92	3.57	209.35
3	रामस्तीपुर	खारीपुर	52.92	0	160	85.43	0	298.35	4.35	294
4	छपरा	लाहलदपुर जनता दरवार	52.92	0	160	0	0	212.92	3.81	209.11
5	नवादा	मेशकौर	52.92	0	160	85.43	0	607.87	4.81	603.06
		रोह	0	309.52	0	0	0			
6	नालंदा	सिलाओं	52.92	0	160	0	0	1769.07	34.98	1734.09
		नगरनौसा	52.92	0	160	0	0			
		कराई परसौरिया	52.92	0	160	0	0			
		परवलपुर	52.92	0	160	85.43	0			
		बेन	52.92	0	160	0	0			
		कटरीसराय	0	309.52	0	0	0			
		थरथरी	0	309.52	0	0	0			
7	सासाराम	कोच	52.92	0	160	0	0	511.27	14.74	496.53
		राजपुर	52.92	0	160	85.43	0			
8	शिवहर	पुरनैनिया	52.92	0	160	0	0	212.92	3.20	209.72
9	सीतामढ़ी	बोखरा	0	0	0	0	309.52	309.52	0	309.52
	कुल		**687.96**	**928.56**	**2080**	**341.72**	**309.52**	**4347.76**	**69.46**	**4,278.30**

परिशिष्ट – 4.1

(संदर्भः कंडिका 4.1.1; पृष्ठ – 88)

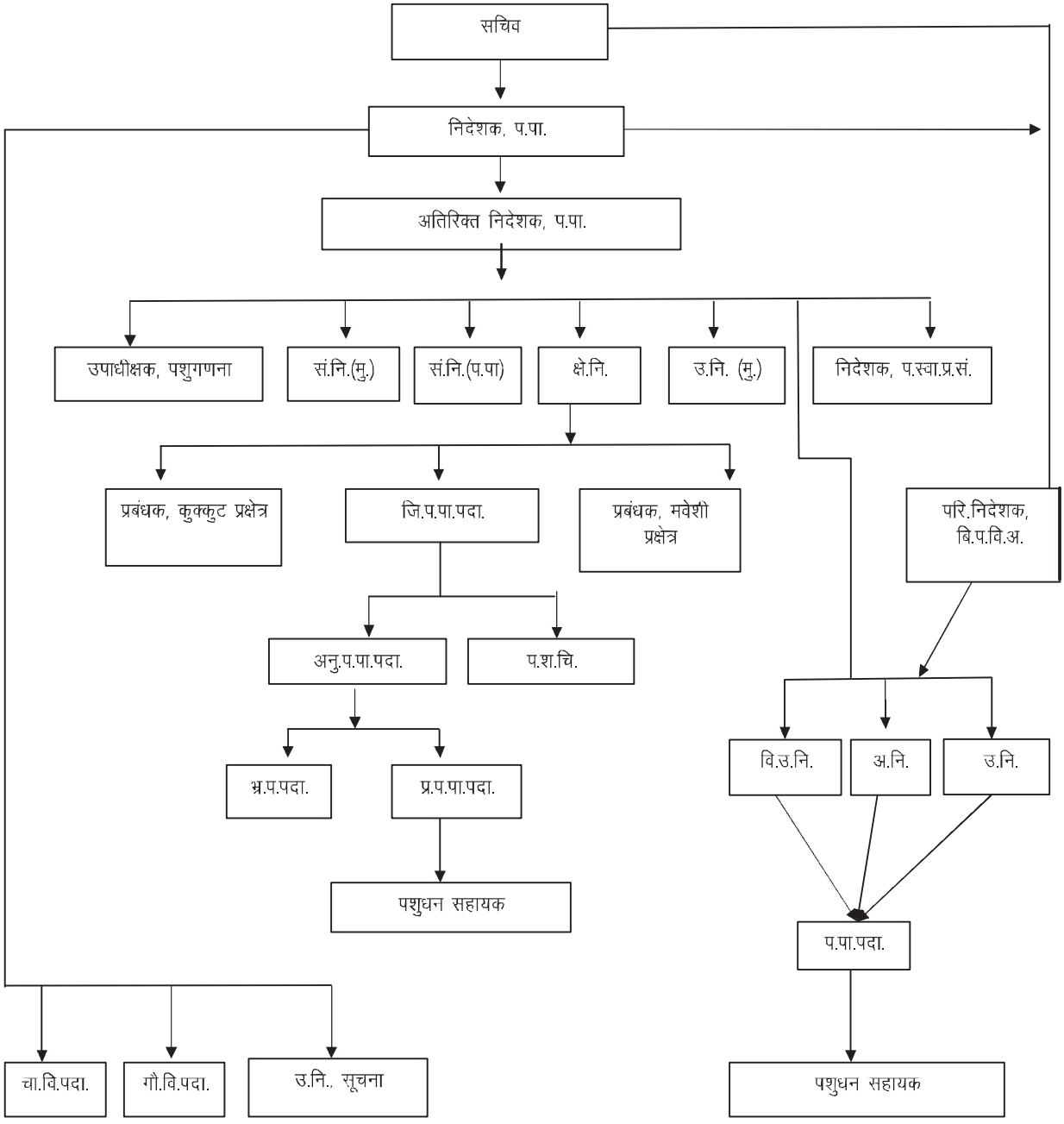
पशुपालन के लिए क्रियान्वित योजनाओं की सूची दर्शाती विवरणी

केन्द्रीय योजनागत योजना	
1	अठारहवीं पशुधन गणना
केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ (अंशदान आधारित)	
1	न्यून निवेश तकनीकी कुक्कुट प्रक्षेत्र की स्थापना की योजना (80:20)
2	एकीकृत यादर्श सर्वेक्षण द्वारा राज्य में दुग्ध, अंडा, ऊन एवं मांस उत्पादन की योजना (50:50)
3	पशु चिकित्सा परिषद की स्थापना की योजना 50:50)
4	पशु रोगों के नियंत्रित करने के निमित्त राज्यों को सहायता प्रदान करने की योजना (75:25)
5	ए.वी.एन. इन्फ्लूएन्जा/बर्ड फ्लू नियंत्रण की योजना (75:25)
6	चारा मिनी किट जॉच कार्यक्रम की योजना
7	पशुधन बीमा की योजना (50:50)
8	ग्रामीण बाड़ी मुर्गीपालन (45 चूजों का वितरण)
9	पशु एवं भैंस प्रजनन हेतु राष्ट्रीय परियोजना
राज्य योजनाएँ	
1	49 प्रथम वर्गीय पशु औषधालय की स्थापना की योजना
2	एम्बुलेट्री भान के क्रय की योजना
3	अनुमंडलीय स्तर पर 100 पशु औषधालयों में पैथोलॉजिकल लेबोरेट्री की स्थापना की योजना
4	औषधालय के अस्थायी स्थापना की योजना
5	बकरी विकास एवं प्रजनन की योजना
6	भेड़ एवं बकरी विकास योजना
7	बिहार पशुधन विकास अभिकरण के सुदृढ़ीकरण की योजना
8	चारा तथा चारागाह विकास की योजना
9	चारा बैंक की स्थापना की योजना
10	एफ0एम0डी0 रोग नियंत्रण की योजना
11	गोशाला के विकास की योजना
12	ग्रामीण कुक्कुट विकास की योजना
13	हरा चारा उत्पादन की योजना
14	जिला सीमेन बैंक के अधिष्ठापन की योजना
15	कुक्कुट पालकों के प्रशिक्षण की योजना
16	केन्द्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, पटना के सुदृढ़ीकरण की योजना
17	लीवरफ्लूक रोग के नियंत्रण की योजना
18	मुर्गी ग्राम योजना
19	पारा पशुचिकित्सकों के प्रशिक्षण की योजना
20	पशु चिकित्सालयों/औषधालयों के सुदृढ़ीकरण की योजना
21	पशुपालन कार्यालयों में वाहन की योजना
22	पशुपालकों के दरवाजे पर पशु चिकित्सा की योजना
23	पशुपालन सूचना सुदृढ़ीकरण की योजना
24	पशु रोग प्रयोगशाला की दरभंगा में स्थापना करने की योजना
25	पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना के सुदृढीकरण की योजना
26	पशुधन सहायकों को प्रशिक्षित करने हेतु प्रशिक्षण विद्यालय, डुमरॉव के सुदृढ़ीकरण की योजना
27	पशुधन टीकाकरण की योजना
28	प्रचार–प्रसार की योजना
29	संविदा के आधार पर नियोजित चिकित्सकों को मानदेय भुगतान की योजना
30	बकरियों के नस्ल विकास की योजना

परिशिष्ट – 4.2

(संदर्भः कंडिका 4.1.2; पृष्ठ – 89)

संगठनात्मक ढाँचा



(स्रोत : विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़े)

परिशिष्ट – 4.3

(संदर्भः कंडिका 4.1.8.1; पृष्ठ – 93)

वर्श 2007–11 के दौरान बजट प्रावधान, व्यय एवं बचतें

(योजना एवं गैर–योजनावार)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	मूल अनुदान		सहायक अनुदान		कुल अनुदान		कुल व्यय		कुल बचत		कुल बचत की प्रतिशतता	
	योजना	गैर–योजना	योजना	गैर–योजना	योजना	गैर–योजना	योजना	गैर–योजना	योजना	गैर–योजना	योजना	गैर–योजना
2007-08	6.84	77.24	26.27	1.90	33.11	79.14	20.70	73.28	12.41	5.86	37.48	7.40
2008-09	16.54	88.44	116.27	0.70	132.81	89.14	106.69	80.93	26.12	8.21	19.67	9.21
2009-10	87.27	100.34	13.96	42.07	101.23	142.41	77.66	118.90	23.57	23.51	23.28	16.51
2010-11	124.23	132.45	21.25	7.22	145.48	139.67	33.54	128.58	111.94	11.09	76.95	7.94
कुल	**234.88**	**398.47**	**177.75**	**51.89**	**412.63**	**450.36**	**238.59**	**401.69**	**174.04**	**48.67**	**42.18**	**10.81**

(स्रोत : विस्तृत विनियोजन लेखे)

परिशिष्ट – 4.4

(संदर्भः कंडिका 4.1.9; पृष्ठ – 93)

केन्द्रीय प्रायोजित, केन्द्र योजना एवं राज्य योजनागत योजनाओं के अधीन अनुदान, व्यय एवं प्रत्यर्पण की विवरणी

(₹ लाख में)

(अ) केन्द्रीय योजनागत योजना								
वर्ष	अनुदान			व्यय			बचत	बचत की प्रतिशतता
	केन्द्रीय	राज्य	कुल	केन्द्रीय	राज्य	कुल		
2007-08	918.99	0.00	918.99	339.86	0.00	339.86	579.13	63
2008-09	1630.57	0.00	1630.57	639.70	0.00	639.70	990.87	61
2009-10	756.46	0.00	756.46	199.69	0.00	199.69	556.77	74
2010-11	266.19	0.00	266.19	71.87	0.00	71.87	194.32	73
कुल	**3572.21**	**0.00**	**3572.21**	**1251.12**	**0.00**	**1251.12**	**2321.09**	**65**
(ब) केन्द्र प्रायोजित योजना								
2007-08	538.46	213.46	751.92	290.88	6.54	297.42	454.50	60
2008-09	371.00	447.00	818.00	217.94	126.65	344.59	473.41	58
2009-10	1390.06	442.36	1832.42	645.54	131.52	777.06	1055.36	58
2010-11	2873.00	873.00	3746.00	554.90	143.56	698.46	3047.54	81
कुल	**5172.52**	**1975.82**	**7148.34**	**1709.26**	**408.27**	**2117.53**	**5030.81**	**70**
(स) राज्य योजनागत योजना								
2007-08	0.00	1640.02	1640.02	0.00	1432.17	1432.17	207.85	13
2008-09	0.00	10832.76	10832.76	0.00	9684.86	9684.86	1147.90	11
2009-10	0.00	7534.19	7534.19	0.00	6789.64	6789.64	744.55	10
2010-11	0.00	10535.56	10535.56	0.00	2583.55	2583.55	7952.01	75
कुल	**0.00**	**30542.53**	**30542.53**	**0.00**	**20490.22**	**20490.22**	**10052.31**	**33**

(स्रोतः विस्तृत विनियोजन लेखे)

परिशिष्ट – 4.5

(संदर्भः कंडिका 4.1.9.1; पृष्ठ – 95 एवं 96)

चूजा उत्पादन के लक्ष्यों एवं उपलब्धियों की विवरणी

कुक्कुट प्रक्षेत्रों के नाम	वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धि		कमी (प्रतिशतता में)	
		पैरेन्ट स्टॉक	वितरण के लिए चूजों का उत्पादन	पैरेन्ट स्टॉक	चूजों का उत्पादन	पैरेन्ट स्टॉक	चूजों का उत्पादन
केन्द्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र (सी. पी. एफ.), पटना	2007-08	4000	400000	183	2457	95	99
	2008-09	4000	400000	442	10095	89	97
	2009-10	4000	400000	1141	37133	71	91
	2010-11	4000	400000	839	65922	79	84
क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र (आर. पी. एफ.), मुजफ्फरपुर	2007-08	4000	400000	शून्य	शून्य	100	100
	2008-09	4000	400000	शून्य	शून्य	100	100
	2009-10	4000	400000	शून्य	शून्य	100	100
	2010-11	4000	400000	शून्य	शून्य	100	100
क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, पूर्णियॉ	2007-08	4000	400000	शून्य	शून्य	100	100
	2008-09	4000	400000	शून्य	शून्य	100	100
	2009-10	4000	400000	शून्य	शून्य	100	100
	2010-11	4000	400000	488	शून्य	88	100
क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, किशनगंज	2007-08	4000	400000	शून्य	शून्य	100	100
	2008-09	4000	400000	शून्य	शून्य	100	100
	2009-10	4000	400000	शून्य	शून्य	100	100
	2010-11	4000	400000	शून्य	शून्य	100	100
क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, भागलपुर	2007-08	4000	400000	उ0न0*	2437	उ0न0*	99
	2008-09	4000	400000	उ0न0*	2626	उ0न0*	99
	2009-10	4000	400000	234	11606	94	97
	2010-11	4000	400000	939	65311	77	84
क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, नालन्दा	2007-08	4000	400000	शून्य	शून्य	100	100
	2008-09	4000	400000	शून्य	शून्य	100	100
	2009-10	4000	400000	शून्य	शून्य	100	100
	2010-11	4000	400000	शून्य	शून्य	100	100

(स्रोत : संबंधित क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाएँ)

***उपलब्ध नहीं**

परिशिष्ट – 4.6

(संदर्भः कंडिका –4.1.9.9; पृष्ठ – 101)

कार्यरत पैथोलॉजिकल प्रयोगशालाओं की विवरणी

क्र0स0	नमूना जाँच किए गए जिलों का नाम	स्थापित पैथोलॉजिकल प्रयोगशालाओं की संख्या	कार्यरत स्थिति में पैथोलॉजिकल प्रयोगशालाओं की संख्या
1	पटना	6	1
2	नालन्दा	3	3
3	मोतिहारी	6	0
4	मुंगेर	6	6
5	किशनगंज	1	1
6	मुजफ्फरपुर	2	0
7	पूर्णियाँ	4	3
8	भागलपुर	3	1
9	मधुबनी	5	5
कुल		**36**	**20**

(स्रोतः संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाएँ)

परिशिष्ट – 4.7

(संदर्भः कंडिका –4.1.11.2; पृष्ठ – 103)

चिकित्सकों के बिना कार्यरत अस्पतालों में पदस्थापित कर्मियों के वेतन एवं भत्ते संबंधी विवरणी

क्र. सं	जिला	अस्पतालों की कुल संख्या	बिना चिकित्सकों के अस्पतालों की संख्या	कर्मियों के वेतन एवं भत्तों पर व्यय (₹ लाख में)
1	मधुबनी	36	9	23.84
2	भागलपुर	25	2	6.59
3	पूर्णियॉ	23	2	4.54
4	मुजफ्फरपुर	32	8	10.75
5	किशनगंज	12	4	19.11
6	मोतिहारी	31	4	4.15
7	नालन्दा	23	3	6.38
8	पटना	39	1	13.07
	कुल	**221**	**33**	**88.43**

(स्रोत : संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाएँ)